

राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), अलीसगढ़ की 100वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), अलीसगढ़ की 100वीं बैठक दिनांक 13/03/2021 को 03:00 बजे की गयी। हाल हाल, अक्सर, राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण, अलीसगढ़ की अध्यक्षता में विविध कार्यसिमा के माध्यम से संचालन हुई। बैठक में निम्न सारांश उल्लिखित है—

1. श्री. सनील बालोवी, सदस्य, राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण
2. श्री. सुजित साहू, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण

बैठक के अंत में उपरोक्त अधिकारी, अधिकार, राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण द्वारा अक्सर एवं सदस्यों का सारांश किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 31/03/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर पर पर्यावरण सभायात निर्धारण प्रधिकरण, अलीसगढ़ की 100वीं बैठक दिनांक 31/03/2021 को आयोजित की गई थी। प्रधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, अलीसगढ़ की 362वीं, 363वीं एवं 364वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/03/2021, 23/03/2021 एवं 25/03/2021 की अनुमोदन के आधार पर गीण/मुख्य खनिजों एवं जीवोपार्थिक परिष्कारनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय किया जाना।

1. वेसाई की मन्दासोकर साहू (देवती सेन्स गाईन), ग्राम-देवती, तारसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1528)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीसी / एमआईएन / 183362/2021, दिनांक 18/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पैर खदान (गीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-देवती, तारसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर स्थित खाना क्रमांक 368, कुल क्षेत्रफल-3.88 हेक्टेयर में अवस्थित है। अख्यान जेडए नाला नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित जखनन क्षमता - 84,388 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 11/03/2021

समिति द्वारा प्रस्ताव की नस्ती एवं अनुसूत प्रामाणी का परीक्षण तथा सामान्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

प्रस्तावित खाना क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से धरत की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. ऐत उल्लंघन हेतु प्रभावित स्थल एवं प्रभावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर का चिह्न बनाकर, संकेतन में ऐत स्थल की लेवल्स (Levels) लेकर चिह्न पत्र में उचित रूप प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट की मार्ग (Levels) का भी रजि किया जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्दिष्ट किये जायें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न पत्र में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण प्राप्त करवाकर सही जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी की पार की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुपात खदान की कुछ क्षेत्र में उल्लंघन किया जाता संभव है तो उसे उचित नगण्य रूप नली पर दर्शाकर, इसका उल्लेख सर्वेक्षण पत्र में अतिरिक्त रूप से कराया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सौंपाकरण करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायें।
4. प्रभावित स्थल से निरधारण पुनः, बांध, एरीकट एवं जल आपूर्ति नलीय की दूरी बांध जानकारी प्रस्तुत की जायें। पुनः / एरीकट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 100 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खदान पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अपरोक्तानुसार नली पर चिह्नित कर, उल्लेख नली पर सौंपाकरण तथा सर्वेक्षण पत्र में इस बाबत उल्लेख किया जायें।
5. ऐत उल्लंघन हेतु प्रभावित स्थल पर खनन में उपलब्ध ऐत की गहराई जानने के लिए, यदि इन्टरवेंशन में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रभावित जानकारी प्रस्तुत की जायें। ऐत की वास्तविक गहराई हेतु जानकारी प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रतिक्रिया (एनईआईएए), पर्यावरण संरक्षण विभाग स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रतिक्रिया (सीईआईएए), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त मार्ग के खनन में की गई कार्यवाही की जानकारी पर्यावरण सहीत प्रस्तुत की जायें। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पर्यावरण सहीत प्रस्तुत की जायें।
7. यदि खदान पूर्व से संरक्षित है, तो चिह्न पत्र में चिह्न पत्र उल्लंघन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रभावित करा कर प्रस्तुत की जायें।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रभाव पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जायें।
9. खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रशासन को खदान में ऐत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त संख्या सुयोग्य जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन पर्यावरण सहीत प्रस्तुत) सहीत प्रस्तुतीकरण दिव्य जाने हेतु निर्दिष्ट किया जायें।

तदनुसार चर्चा निर्दिष्टक एवं परिचालन प्रस्तावना को सुदृढ़ि, धार्मिकता के
द्वारा दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतकाल हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 22वीं बैठक दिनांक 22/03/2021

प्रस्तुतकाल हेतु की नीचे निम्न प्रकार, अधिलेखित प्रतिकूल सुदृ। समिति द्वारा
नहीं, प्रस्तुत प्रस्तावों का अन्वयन एवं परिचालन करने का निम्न स्थिति पर्यु गइ-

1. ग्राम पंचायत का अनामति प्रस्ताव पत्र - ग्राम प्रस्तावना के संकेत में ग्राम
पंचायत नेगी का दिनांक 20/08/2019 का अनामति प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया
गया है।
2. विन्दाकित/सीमाकित - कार्यलय कलेक्टर, जयपुर शाखा के द्वारा प्रस्ताव
पत्र अनामति पर अन्वयन विन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. अनामति घोषणा - राष्ट्रीय पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो जयपुर अधिकाारी,
जिला-जयपुर के द्वारा अनांक/88/अभि/2021 जयपुर, दिनांक
12/01/2021 द्वारा अनामति है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित अनामति - कार्यलय कलेक्टर (जयपुर शाखा),
जिला-जयपुर के द्वारा अनांक/28/अभि/न.क.31/2021 जयपुर, दिनांक
08/01/2021 के अनामति अनामति अनामति में 500 मीटर की परिधि अनामति
अनामति अनामति की घोषणा किया है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय
कलेक्टर (जयपुर शाखा), जिला-जयपुर के द्वारा अनांक/28/अभि/न.क.
31/2021 जयपुर, दिनांक 08/01/2021 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनामति अनामति
अनामति के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं पुर, जो,
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल अनामति अनामति घोषित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का स्थान - एल.ओ.आई. की संदर्भक पत्र के नाम पर है, जो
कार्यलय कलेक्टर (जयपुर शाखा), जिला-जयपुर के द्वारा अनांक/1112/
सी.के./दि.अ./न.क.31/2020 जयपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी
की गई, जिसकी अनामति 8 पत्र हेतु कर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey
Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. ग्राम विकास का अनामति प्रस्ताव पत्र - कार्यलय कलेक्टर, जयपुर
कलेक्टर, जिला-जयपुर के द्वारा अनांक/न.दि./4526 जयपुर, दिनांक
25/11/2018 से जारी अनामति प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. अनामति घोषणाओं की दूरी - निम्नलिखित अनामति ग्राम-सेना 1 कि.मी.,
ग्राम-सेना 1 कि.मी. एवं अनामति प्रस्ताव 21 कि.मी. की दूरी पर स्थित
है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। एक ग्राम अनामति
में 271 मीटर की दूरी पर अनामति में एवं अनामति पुर 740 मीटर की दूरी पर
अनामति में स्थित है। अनामति के 1 कि.मी. की दूरी तक अनामति
स्थित नहीं है।
10. परिस्थितिकीय/परिस्थितिकीय संरचनात्मक क्षेत्र - परिचालन प्रस्ताव द्वारा
10 कि.मी. की परिधि में अनामति सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अनामति, अनामति
अनामति घोषणा की गई द्वारा घोषित अनामति अनामति अनामति अनामति

संवेदनशील क्षेत्र का प्रथित संवेदिकाता क्षेत्र तथा नदी डोन्ड प्रतिबंधित किया है।

11. खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – अधिकतम अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई – अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 31 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1,341 मीटर, न्यूनतम 1,280 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है, जबकि इस्की नदी तट से न्यूनतम दूरी 1.8 मीटर अथवा नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की नौटायें – अधिकतम अनुसार खनन का रेत की नौटायें – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा – 84,380 घनमीटर है। रेत काखनन हेतु प्रस्तावित खनन पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खान की नौटायें खनने से लिए प्रस्तावित खनन पर 4 नौटायें कुल खोखनन लक्ष्यी वास्तविक गहराई का खनन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित खननकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध क्षमता नौटायें 3.25 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंजीयन भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत मातह की संयंत्र – रेत काखनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की जारी लम्बाई में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर की गिरा किन्तुओं पर दिनांक 10/01/2021 को रेत मातह की स्थापना (Lease) लेख, जहाँ खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरंत प्रोटोकॉल सहित लागूकारी/ दर्शायेज प्रस्तुत किये गये है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय धारिका (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरंत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 2.08 | 2% | 0.41 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Rowal | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.15 |
| | | | Total | 0.50 |

16. रेत माइनिंग क्षेत्र – नदी की घाट की चौड़ाई अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 31 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 2 मीटर है। गये विस्तार निदेशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 1.8

Handwritten signature

Handwritten signature

मीटर ऊंचा नदी के पार की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। मरुमिटिग खान के अनुसार नदी तट के किनारे के खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पार की चौड़ाई का 8 मीटर छोड़कर वास्तव में खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 3.710 वर्गमीटर गैर मरुमिटिग क्षेत्र तथा गया है। अतः इस वास्तव्य का कार्य खदान की अवधि 3.218 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. इस वास्तव्य में कुल भूमि से एवं नदी का कार्य सीमा द्वारा अलग किया प्रस्तावित है।

18. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक वास्तव्य की अनुमति मांगी है। अनुमति प्राप्त वास्तव्य में वास्तव्य किन्तु जाने वाले क्षेत्र की अधिकतम पुनर्वास संबंधी अध्ययन कार्य एवं संबंधी अंकनों का समर्थन नहीं किया गया है। जोड़ मात्र नदी छोटी नदी है तथा इसने वर्षाकाल में वास्तव्य 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्वास होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदन खदान (खान-वेरॉ) का सतह 3.58 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने से कारण यह खदान की-2 सेरी की शर्त पर है।

2. कुसाटीखन कार्य - प्रथमिकता के आधार पर गरी तट पर कुल 2,800 मग पीछे - 1,250 मग अर्जुन के पीछे तथा गी 1,250 मग (खामुन, खनन, बंस, खन अदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पट्टे के 500 मग पीछे लगाए जायेंगे।

3. परिशोधन प्रस्तावक इस खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Situation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्वास (Rehabilitation) बाधा गरी अंकनों, रेत वास्तव्य का नदी, गरीतल, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी की धारा की सुगमता पर रेत वास्तव्य के प्रभाव की गरी जानकारी प्राप्त हो सके।

4. सीमा क्षेत्र की सतह का बैसलाईन खटा -

i. रेत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (जुन माह के अंतिम सप्ताह/जुन के प्रथम सप्ताह) इसी किन्तु किन्तुओं में मरुमिटिग सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के अक्षरिण एवं अक्षरिण में 100 मीटर तक तथा खनन सीमा की सतह / गरी तट (वेरॉ की) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गरी सतह को खरी (Levee) का गरी पूर्व निर्धारित किन्तु किन्तुओं पर किन्तु जायेंगे।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत वास्तव्य शुरू करने के पूर्व) इसी किन्तु किन्तुओं पर रेत सतह की लेवेल (Levee) का खनन किया जायेंगे।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित किन्तु किन्तुओं पर रेत सतह की लेवेल (Levee) की सतह का कार्य आगामी 3 वर्षों तक निर्धारित किया जायेंगे। पोस्ट-मानसून के अंकनों दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के अंकनों अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अतिरिक्त रूप से एम.ई.आई.ए.ए., परीक्षणों की प्रस्तुति किन्तु जायेंगे।

8. समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वसम्मति से श्री चन्द्रशेखर साहू, मेवाडी ब्लॉक कार्डिन, प्रस्ताव क्रमांक 300, ग्राम-मेवाडी, तहसील-प्राणपुर, जिला-सुपुलपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.88 हेक्टेयर में से गैर कर्इनिंग क्षेत्र 3,710 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3,218 हेक्टेयर क्षेत्र में, गैर उपखण्ड अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित गड्ढे हुए, कुल 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष गैर उपखण्ड हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। गैर की खुदाई कमिटी द्वारा (Monthly) की जाएगी। लिव बेड (River Bed) में गड्ढे गड्ढों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में निम्न गैर खुदाई गड्ढे (Excavation Area) में जॉइंटिंग प्लॉट तक गैर का परिवहन ट्रेक्टर ड्रॉली द्वारा किया जाएगा।

8. गैर कर्इनिंग क्षेत्र एवं अवसीत कर्इनिंग क्षेत्र का सीके जे. इन्डियन विभाग से स्पष्ट सीमांकन करवाने की उपरोक्त की इन्डियन विभाग द्वारा उपखण्ड की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया की दिनांक 13/08/2021 को संयम 300वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा मस्ती कर अवसीतन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए श्री चन्द्रशेखर साहू, मेवाडी ब्लॉक कार्डिन, प्रस्ताव क्रमांक 300, ग्राम-मेवाडी, तहसील-प्राणपुर, जिला-सुपुलपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.88 हेक्टेयर में से गैर कर्इनिंग क्षेत्र 3,710 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3,218 हेक्टेयर क्षेत्र में, गैर उपखण्ड अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित गड्ढे हुए, कुल 32,000 घनमीटर प्रतिवर्ष गैर उपखण्ड हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परिचालना प्रस्तावक की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. मेवाडी श्री चन्द्रशेखर साहू (रुम-1, इन्डियन ब्लॉक क्वार्टर), ग्राम-इन्डियन, तहसील व जिला-सुपुलपुर (सचिवालय का मस्ती क्रमांक 1532)

ऑनलाईन आवेदन - प्रस्ताव नम्बर - एमआईए/ सीसी/ एमआईए/ 124339/2021, दिनांक 23/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गैर खदान (गैर इन्डियन) है। यह खदान ग्राम-इन्डियन, तहसील व जिला-सुपुलपुर जिला प्रस्ताव क्रमांक 1508, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपखण्ड पुनर्गठन नहीं की किया जाया प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपखण्ड नम्बर - 82,147.52 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 11/03/2021

समिति द्वारा उपखण्ड की मस्ती एवं प्रस्ताव प्रस्तावकों का परीक्षण तथा उपखण्ड सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की खुराई एवं खुराई तथा मस्ती की गड्ढे की खुराई की जागहारी अनुमति की जाए।

2. गैर उपखण्ड हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान की अवसीतन तथा खानसूची में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, वर्तमान में गैर खान की सीमाएं (Limits) खान चिह्न गैर में प्रस्तावित कर

प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन जीव के बाहर / लकी लॉ (टेनो जीव) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी-खण्ड की सारी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट वेथ मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट वेथ मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेशन (Co-ordinates) अंकित किये जायें। किंग पिन में टेम्पलेट वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हीं अंकित विभाग से प्रमाणीकरण/अनुमति/अनुमति सहित जानकारी/समावेद्य प्रस्तुत किये जायें।

3. नदी/खण्ड से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 2.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुयाय खदान की कुछ क्षेत्र में प्राथमिक किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, मार्क पर दर्शाकर, इसका प्रत्येक माइनिंग प्लान में अंकित/कम से कम किया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र को भी/के या अंकित किया तो सीमांकन कराकर, उक्त पर ध्यान दिया जाये।
4. प्रस्तावित खान से निकटतम पुल, बांध, एरीकट एवं उक्त अपूर्ण खंडों की दूरी कम से कमकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एरीकट की दूरी खदान की आसटीम में न्यूनतम 300 मीटर तथा आसटीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीमा क्षेत्र प्राथमिकानुसार दूरी के अंदर किया हो, तो प्राथमिक अक्षांश पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को प्राथमिकानुसार नली पर विहित कर, उसका भी/के पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में उक्त मार्क प्रत्येक किया जाये।
5. वेद उपखनन हेतु प्रस्तावित खान पर खनन में उपलब्ध रीत की चौड़ाई जानने के लिए प्रति डेन्सिटी में कम से कम एक गट्टर (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, अंकित विभाग से अप्रतिबद्ध जानकारी प्रस्तुत की जाए। रीत की वार्षिक गहराई हेतु प्रथम ही प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अतिरिक्त खान पर खनन हेतु खान बाहर पर्यावरण प्रभावित निर्माण प्रतिकूलता (एन.ई.आई.ए.ए.), प्राथमिक अक्षांश द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभावित निर्माण प्रतिकूलता (एन.ई.आई.ए.ए.), प्राथमिक अक्षांश द्वारा पर्यावरणीय सीमांकन की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन की प्रति एवं अतिरिक्त सारी के ध्यान में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राथमिक अक्षांश सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावलोकन की आवश्यकता निर्धारित की जानकारी प्राथमिक अक्षांश सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से सम्बन्धित है, तो विगत वर्षों में किए गए प्राथमिक की वार्षिक मापन की जानकारी अंकित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रभाव पूर्व विभाग से साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षण एवं पर्यावरण प्रभावक को खदान में वेद की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ पर्यावरण प्रभाव पूर्व जानकारी / प्रमाणित (अनुमति/अनुमति सहित प्रस्तुतीकरण दिव्य जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुयाय खनि निरीक्षण एवं पर्यावरण प्रभावक को एन.ई.ए.ए., प्राथमिक अक्षांश से ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(न) समिति की अंतिम बैठक दिनांक 22/03/2021







प्रस्तुतकाल सेटु की आवश्यकता का, अधिसूक्त प्रतिनिधि कमिश्नर हुए। सविधि द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — यह प्रमाणन की शर्त में ग्राम पंचायत हरदोहरा का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्ताकित/सीमाकित — कार्यलय कलेक्टर, जमिंदार शाखा में प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह ग्राम चिन्ताकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. प्रमाणन घोषणा — जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो जमिंदार अधिकांश, जिला-हरदोहरा के पुरानांक/48/जमिंदार/2021, कोरिया बैंगुलपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुपस्थित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शाखा, जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/1283/जमिंदार/2020 सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की सूची निकाली है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शाखा, जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/1283/जमिंदार/2020 सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का स्थिति — एल.जी.आई. की सत्यापन कार्य के लिए यह कार्यलय कलेक्टर (जमिंदार शाखा, जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/1283/जी.आई./नांक24/2020 सुरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतीति 8 पत्रों से तैयार है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यलय वनसंरक्षणविभागी, सुरजपुर वनसंरक्षण, जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/मा.वि./4816 सुरजपुर, दिनांक 25/11/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. राष्ट्रीय राजमार्गों की दूरी — निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग-हरदोहरा + जि.पी. स्कूल ग्राम-हरदोहरा + जि.पी. एवं अल्पतम विभागपुर 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 288 कि.मी. एवं राजमार्ग 17 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित में स्थित है। अधिसूक्त रेत खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक एन्फोर्स किया नहीं है।
10. परिसरस्थित/समीपस्थित सर्वेदनशील क्षेत्र — परिसरस्थित प्रमाणन द्वारा 30 कि.मी. की परिधि में आसपास क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, अल्पतम, क्षेत्रीय राजमार्ग निबंधन क्षेत्रों द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट वील्डलाइव एरिया, परिसरस्थित/समीपस्थित क्षेत्र का परिधि क्षेत्रीय/राज्य क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के पट्ट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के पट्ट की चौड़ाई — अधिसूक्त

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

208 मीटर, न्यूनतम 144.8 मीटर तथा खनन गडद की गहराई - अधिकतम 820 मीटर, न्यूनतम 593 मीटर एवं सीढ़ाई - अधिकतम 78 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर बरसाई गई है। खदान की गदी हट के किनारे के दूरी अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर है।

12. खदान स्वयं पर रेत की मोटाई - अधिकतम अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर बरसाई गई है। अनुसंधित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 57,147 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्वयं पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्वयं पर 3 गडदे (Pits) अधिकतम तलकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से अनुमति प्राप्तकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.13 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पृथ में जारी पारिस्थीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पृथ में पारिस्थीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्वयं पर प्रस्तावित स्वयं पर पानी तथा में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 11/12/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, सभी खनिज विभाग से अनुमतिकरण प्रस्ताव पोटोडायम सहित प्राप्तकारी/वसतोज प्रस्तुत किया गये है।
15. कॉर्पोरेट पारिस्थीय दायित्व (C.E.R.) - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अनिरी के पत्रक विस्तार से कार्य उपरोक्त विनियुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|---|--|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 50 | 2% | 1.2 | Following activities at Nearby Government M.S. School, Village- Hamelkra | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.80 |
| | | | Plantation | 0.41 |
| | | | Total | 1.01 |

16. रेत माइनिंग क्षेत्र - पूरा खदान से 260 मीटर की दूरी पर आरम्भ में किया है। नये माइनिंग अनुसार पूरा के आरम्भ में कम से कम 500 मीटर सीमा जाना आवश्यक है। माइनिंग प्लान में बतौर दूरी अधिकतम 18,428 वर्गमीटर क्षेत्र की रेत माइनिंग क्षेत्र बना गया है। जब रेत उत्खनन का कार्य अवधि 288 हेक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान की आरम्भ में 520 मीटर की दूरी पर एम-2, इतिहास रेत खदान स्थित है।

- 18. नैत वाखनम नैनुअल विधि से पूर्व गहराई का कार्य खोज द्वारा करना आवश्यक है।
- 19. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक वाखनम की अनुमति नहीं है। अनुमतिगत वाखनम योजना में वाखनम किए जाने वाले क्षेत्र की सर्वाधिक नैत पुनर्वास लंबाई आवश्यक कार्य एवं टकरावों आदि का समावेश नहीं किया गया है। पुनर्गुदाय लंबी छोटी गरी है तथा इसमें खोजाल में समान्यतः 1 मीटर गहराई की अधिक नैत का पुनर्वास होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदन खदान (घान-इस्टीमेट) का खनन 4.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में खोजाल/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का लगभग सम होने की वजह से खदान की-2 सेमी की सीमा गयी।
2. कुशलतापूर्वक कार्य - वाखनम का अन्तर्गत पर नदी तट पर कुल 2000 मग पीस - 1000 मग अर्जुन के पीस तथा 1000 मग अन्य (जामुन, कलेज, बोर, आम आदि) पीस लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पशुधन मार्ग पर 500 मग पीस लगाए जायेंगे।
3. परिशोधन प्रस्तावक से खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत मात्र अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, ताकि नैत के पुनर्वास (Rehabilitation) का कार्य लंबी अवधि, नैत वाखनम का नदी, नदीतल, स्थानीय जनजाति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्गुदाय पर नैत वाखनम के प्रभाव की लंबी अवधिगत प्रभाव हो सके।
4. लीज क्षेत्र की साह का बेसलाइन खटा -
 - अ. नैत खनन उपरत नानसुन के पूर्व (पूर्व साह के अंतिम संधार/खनन के प्रथम संधार) इसी दिश विन्दुओं में स्थापित लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा खनन लीज की साह / नदी तट (दीर्घ अक्ष) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में लंबी साह के साह (Leasels) का लंबे पूर्व निर्धारित दिश विन्दुओं का विस्थापन जायेगा।
 - ब. इसी प्रकार नानसुन के बाद (अन्तर्गत/संभव साह में नैत वाखनम कार्य करने के पूर्व) इसी दिश विन्दुओं पर नैत खटा के लीज क्षेत्र (Leasels) का समय किया जायेगा।
 - क. नैत साह के पूर्व निर्धारित दिश विन्दुओं का नैत साह के लीज क्षेत्र (Leasels) के समय का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निवार किया जायेगा। फेब्रु-नानसुन के अंतिम विस्तार 2021, 2022, 2023 एवं फी-नानसुन के अंतिम अंश 2021, 2022, 2023 तक अन्तिम सम से पूर्व अंतिम, फेब्रु-नानसुन के प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वसम्मति से की सख्त खनन एवं-1, इस्टीमेटा सख्त खननी, सख्त अंशक 1000, घान-इस्टीमेटा, एलसीए 3 जिला-सुल्तपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में से नैत साह क्षेत्र 18.400 वर्गमीटर क्षेत्र का करने पर 2.88 हेक्टेयर क्षेत्र में नैत वाखनम अविज्ञान 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हुए कुल 28,000 घनमीटर अतिरिक्त नैत वाखनम हेतु पर्यावरणीय सौकर्य, जारी दिनांक से 22 वर्ष तक की अवधि हेतु दिशे जाने की अनुमति की गई। नैत की सुधार धर्मिता द्वारा (Monthly) की

10/11

(Signature)

जाएगी। फिर बंध (Pillar Band) में भारी बालों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में विद्युत रेल सुधारों पर कार्य (Electrification work) में अंतिम चरणों तक रेल का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।

6. रेल माइनिंग क्षेत्र एवं अखीर माइनिंग क्षेत्र का नीचे पर सूचित विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के उपरांत ही सूचित विभाग द्वारा वास्तव्य की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिकल्पन द्वारा बैरक में विद्युत - उपरोक्त प्रकल्प एवं प्रतिकल्प की दिनांक 13/08/2021 को संलग्न 303वीं बैरक में विद्युत किया गया। प्रतिकल्प द्वारा मशीन का अखीरेशन किया गया। विद्युत सिविल उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्पत्ति से सभिति की अनुमति की स्वीकार करती हुई की सज्जद खान, एच-1, इस्टीमेटिंग सेक्टर क्वार्टर, खारा अर्थात् 1006, धाम-इस्टीमेटिंग, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर में से रेल माइनिंग क्षेत्र 18,428 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.98 हेक्टेयर क्षेत्र में रेल वास्तव्य अतिक्रमण 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हुई, कुल 28,800 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेल वास्तव्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परिशीलन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

1. मेसर्स श्री सज्जद खान (एच-2, इस्टीमेटिंग सेक्टर क्वार्टर), धाम-इस्टीमेटिंग, तहसील व जिला-सुरजपुर (सविधान संख्या 1833)

ऑनसाईन आवेदन - उपरोक्त संख्या - एचआईए/ सीडी/ एनआईए/ 18418/2021, दिनांक 23/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (पीन खनिज) है। यह खदान धाम-इस्टीमेटिंग, तहसील व जिला-सुरजपुर जिला खारा अर्थात् 01, कुल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। वास्तव्य रेल मशीन से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित वास्तव्य क्षमता - 80,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष है।

बैरकों का विवरण -

(अ) सभिति की 303वीं बैरक दिनांक 11/02/2021।

सभिति द्वारा प्रकल्प की मशीन एवं प्रकल्प जानकारी का परीक्षण तथा परामर्श सर्वसम्पत्ति से निम्नांकित निर्णय किया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व) द्वारा प्राप्त खदान में 800 मीटर की सीमा अतिक्रमण अन्य खदानों को संकेत में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व) द्वारा उक्त खदान की 200 मीटर की सीमा में मीटर, मसूदा, अखीरेशन, स्कूल, अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंध जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से दूर की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेल वास्तव्य हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की आसटीन तथा आसटीन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्डा 25 मीटर का छिद्र बनाकर, वर्तमान में रेल खदान की लेवेल (Level) लेवल छिद्र रेल में उपस्थित कर प्रस्तुत किये जाये। इसकी अतिरिक्त खदान लीज के अन्त / नदी तट (सीमा)

कोई) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी किनारे की सारी (Levelling) का भी कार्य किया जाये। एका लेवलिंग (Levelling) हेतु कम से कम 2 टेम्पलरी बीम मार्क (Consolidated TBM structures) निर्धारित किये जायें। टेम्पलरी बीम मार्क (TBM) में आयरन, को-ऑलिम्बियम (Co-aluminates) सहित किये जायें। पिछ मेष में टेम्पलरी बीम मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, सभी खनिज विभाग से प्रत्येक एक उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीकाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के घाट की मोटाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की खुद क्षेत्र में खननन किया जाना संभव न हो तो एककी गणना कर, नदी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख सड़किया ध्यान में अनिवार्य रूप से करवाया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
5. प्रस्तावित खदान से निकलता पुरा, बांध, एनीकल एवं अन्य बाधुनि सीमा की दूरी बाधुन जानकारी प्रस्तुत की जाये। पुरा / एनीकल की दूरी खदान की अग्रसीमा में न्यूनतम 500 मीटर तथा बाधुनसीमा में न्यूनतम 200 मीटर तथा जंगल आवासीय है। यदि लीक क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आवासीय का खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को उपरोक्तानुसार सीके पर चिह्नित कर, प्रमाण पत्र से सीमांकन तथा सड़किया ध्यान में इस बाधुन उल्लेख किया जाये।
6. वेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खदान पर दर्शाए में उपरोक्त वेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से अनिवार्य जानकारी प्रस्तुत की जाये। वेत की वास्तविक गहराई हेतु मापना भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में खनिज खदान पर खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायता निर्धारण अधिकरण (एम.ई.आई.ए.ए.), जमीनगत अथवा जिला स्तरीय परीक्षण सहायता निर्धारण अधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जमीनगत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनिवारित सार्वी के मापन में की गई गहराई की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाये। राज्य की सुधारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाये।
8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए खननन की वास्तविक माप की जानकारी खनिज विभाग से अनिवार्य करा कर प्रस्तुत की जाये।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्व विवरण को साथ प्रस्तुत किया जाये।
10. खनिज निष्कास एवं परिशोधन प्रस्तावक को खदान में वेत की लेवलिंग (Levelling) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

सदरनुसार खनिज निष्कास एवं परिशोधन प्रस्तावक को एम.ई.आई.ए.सी., जमीनगत से प्राप्त दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) खनिज की अग्रसीमा वेत दिनांक 22/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु भी आवश्यक मान, अधिसूचित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नतीजे, प्रस्ताव पालिका को अवगत करने एवं परीक्षण करने का निम्न विधि चर्चा हुई:-

1. ग्राम पंचायत का अनाथालय प्रमाण पत्र - यह अद्यतन के समय में ग्राम पंचायत इन्स्टीटयन का दिनांक 20/08/2019 का अनाथालय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनाशित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सारखा से ग्राम प्रमाण पत्र अनुसार यह ग्राम विनाशित/सीमांकित बन घोषित है।
3. पारखनम चौकड़ा - इसकी फ्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-बरेilly के प्लाननंक/88/खनिज/2021, बरेilly बैलुमजुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारखा), जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/1307/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार अधिसूचित खदान में 500 मीटर की भीतर अवशित अन्य वेत खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारखा), जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/1307/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तुत खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं अन्य जगहों आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्धारित नहीं है।
6. एन.जी.आई. का विवरण - एन.जी.आई. से सारखा ग्राम के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारखा), जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/1302/सी.आई./दि.जी./न.अ.25/2020 सुरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी आवधि 6 मज हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. ग्राम विमान का अनाथालय प्रमाण पत्र - कार्यालय जलसंधारणविधायी, सुरजपुर जलसंधारण, जिला-सुरजपुर के ग्राम अनांक/न.वि./8020 सुरजपुर, दिनांक 23/11/2018 से जारी अनाथालय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आधुनिक ग्राम-इन्स्टीटयन : कि.मी., पुराना ग्राम-इन्स्टीटयन : कि.मी. एवं अस्साल विमानपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 285 कि.मी. एवं राजमार्ग 181 कि.मी. दूर है। सर्वेक्षित वेत खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरीयल स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 32 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्सालपुर, सेन्ट्रील इन्डियन निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रीक्ट बैलुमजुर एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - अद्यतन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अद्यतन 208.5 मीटर, न्यूनतम 200.8 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अद्यतन

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

410 मीटर, न्यूनतम 375 मीटर एवं ग्रीडलाई — अधिकतम 420 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेत की ग्रीडलाई — अतिरिक्त अनुमान खदान पर रेत की गहराई — 3 मीटर तथा रेत खनन की संभावित गहराई — 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग सलन अनुमान खदान में माईनिंग रेत की मात्रा — 60,000 टन/मीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिज में उपलब्ध रेत सलन की ग्रीडलाई खनने की लिए, प्रस्तावित स्थल पर 8 पाइप (PSS) खोदकर उत्तरी वार्षिक गहराई का सफ़र कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत ग्रीडलाई 3.25 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवल्स — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुंथ 20 मीटर की विच विन्दुओं पर दिनांक 11/12/2020 को रेत सतह की वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उत्तरी वार्षिक जानकारी/ वार्षिक प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कोर्पोरेट पर्यावरणीय परिक्षण (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा वरिष्ठी से सलाह किताब से चार्ज उत्तरों किनानुसार किम्पुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 50 | 2% | 1.0 | Following activities at Nearby Government Diria. School, Village- Harnetha | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Purification | 0.41 |
| | | | Total | 0.91 |

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान की खानकट्टीम में 500 मीटर की दूरी पर एच-3 टर्मिनल रेत खदान स्थित है।
17. रेत उत्खनन में सुबल विधि से रेत भरवाई का कार्य जोकर द्वारा करला जाल प्रस्तावित है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति पायी है। अनुमोदित उत्खनन खोजना में उत्खनन किन्द् जाने जाने क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्वास संबंधी अध्ययन कार्य एवं टर्मिनल ट्रैककी का सम्बंध नहीं किया गया है। यहां गरी छोटी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में सलगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्वास होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आर्सेनल खदान (घान-इस्टिकर) का गहरा 4.5 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर या उससे कम होने से अत्यन्त यह खदान की-2 सीमा की मानी गयी।
2. नुशाबोधन कटर्न - पर्याप्तता के अभाव पर नदी तट पर कुल 2000 मग पीपी - 5000 मग अर्जुन के पीछे तथा बीच 1000 मग अन्य (जामुन, कलस, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पट्टे पर 500 मग पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना अन्तर्गत यह खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में निरस्त याद अद्ययन (Disposal Study) करायेगा, ताकि यह के पुनर्वास (Rehabilitation) बाधा नहीं आये, यह अद्ययन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघी, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रीत परखनन के द्वारा की गयी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की साह का रेसल्टाइन खाता -
 - i. रीत खनन उपरान्त मानसून के पूर्व (नई साह के अंतिम सफाई/खुन के प्रथम सफाई) इसी दिवस बिन्दुओं में गार्डिन लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोरी जी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह के सारी (Levels) का सही पूर्व निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रीत परखनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिवस बिन्दुओं पर रीत साह के लीवलस (Levels) का मापन किया जायेगा।
 - iii. रीत साह के पूर्व निर्धारित दिवस बिन्दुओं पर रीत साह के लीवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरन्तर किया जाएगा। फीट-मानसून के आंकड़े विनाम्बर 2021, 2022, 2023 एवं पी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एनईआईएए, अलीमनड की अग्रत दिवस जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से भी सख्त खान, एच-2, इस्टिकर सेन्ड क्वरी, खसरा क्रमांक 01, घान-इस्टिकर, लक्ष्मील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टर क्षेत्र में, रीत परखनन अखिलान 1 मीटर की गहराई तक सीमित रहने हुए, कुल 88,000 घनमीटर अखिलान रीत परखनन हेतु पर्याप्ततक स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने खनन की अनुमति की गई। रीत की खुदाई समिति द्वारा (Monthly) की जाएगी। मिश्र बेड (Mixer Bed) में नदी कटनी का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निम्न रीत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में अखिलान प्यूरिफ टाक रीत का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त अद्ययन पर प्रतिकरण की दिनांक 13/08/2021 को सन्ध्या 10:00 बजे में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नती का अद्ययन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति का सीमायन नती होने की सख्त खान, एच-2, इस्टिकर सेन्ड क्वरी, खसरा क्रमांक 01, घान-इस्टिकर, लक्ष्मील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.5 हेक्टर क्षेत्र में, रीत परखनन अखिलान 1 मीटर की गहराई तक

(Signature)

(Signature)

संशोधन नदी हट्ट कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिकतम हेतु पर्यावरणीय सर्वेक्षण, जमीन विनाश से 10 वर्ष तक की अवधि हेतु विधि नामे का निर्णय लिया गया।

परिचालन अलायंस को पर्यावरणीय सर्वेक्षण जारी किया जाए।

4. मेराली की राजवट खान (एच-3, इन्फ्रस्ट्रक्चर लेन्थ क्वार्टी), खान-इन्फ्रस्ट्रक्चर, राजवट व खिल-सुल्तपुर (संविदालय का नशी कन्सॉल 1534)

अधिकार्यन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एलआईए/ सीसी/ एमआईएम/ 154888/2021, दिनांक 23/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित एक खदान (मीन खान) है। यह खदान खान-इन्फ्रस्ट्रक्चर, राजवट व खिल-सुल्तपुर स्थित खान कन्सॉल 01, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जलसम्पन रेडर नदी से किया जाय प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीडकी का विवरण -

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/08/2021।

समिति द्वारा प्रस्ताव की नशी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा संशोधन सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. एक जलसम्पन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुंथ 25 मीटर का सिंक बनाकर, सर्वेक्षण से एक खान के लेवल (Levels) लेकर सिंक में प्रवेश कर प्रस्तुत किने जाये। इससे अधिस्थित खान नीचे के खान / नदी घाट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह की नशी (Levels) का भी सर्वेक्षण किया जाये। इससे लेवल (Levels) हेतु खान से खान 2 टेम्पलेरी बेस स्ट्रक्चर (Concrete TBM structure) निर्मित किने जाये। टेम्पलेरी बेस स्ट्रक्चर (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेशन (Co-ordinates) अंकित किने जाये। सिंक में टेम्पलेरी बेस स्ट्रक्चर (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें अधिक विवरण से जमातीकरण उपकरण कोर्टीफिकेशन सहित जानकारी/ प्रस्तावित प्रस्तुत किने जाये।
3. नदीघाट के खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ क्षेत्र में व्यवस्था किया जाय तो यह नदी घाट की सीमा से नशी का परीक्षण, इसका उपरोक्त सर्वेक्षण खान में अन्वेषण कर ले करवाया जाये। खदान की खान क्षेत्र एवं परिसरित क्षेत्र को बीडकी पर अधिक विवरण से सीमांकन करवाकर प्रदान एवं प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकलता कुल बंध, एनीकट एवं घाट आसपास खान की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। कुल / एनीकट की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 250 मीटर रख जाना आवश्यक है। यदि बीच क्षेत्र जमातीकरण दूरी के अंतर लिया हो, तो जमातीकरण अथवा यह खान हेतु अधिस्थित क्षेत्र को जमातीकरण नशी का विनिर्दिष्ट कर, उसका भी एक सीमांकन तथा सर्वेक्षण खान में इस बाधा उपरोक्त किया जाए।

5. यह आशय है कि प्रस्तावित स्कूल पर आशय में उपरोक्त वेत की सीमाएं जमाने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़दा (गड्ढा) खोदकर प्रस्तावित वास्तविक गड़दाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। यह की वास्तविक गड़दाई हेतु योजना की प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण प्रशासन विभाग प्रधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), भारतीयक अवकाश विभाग राष्ट्रीय पर्यावरण प्रशासन विभाग प्रधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), भारतीयक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित सर्ती के फलन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशलता की अद्यतन निवृत्ति की जानकारी कोटेशनस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संवर्धित है, तो विगत वर्ष में किए गए आशय की वास्तविक साथ की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित साथ कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान में वेत की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशनस) सहित प्रस्तुतिकाय दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को एन.ई.ए.सी., भारतीयक के आशय दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतिकाय हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतिकाय हेतु भी साहाय्य साथ, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न निवृत्ति गई गई—

1. साथ पंचायत का जनाधिति प्रमाण पत्र – यह आशय के साथ में साथ पंचायत इतिहास का दिनांक 20/08/2019 का जनाधिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीमाकित – भारतीयक कलेक्टर, खनिज साथ से साथ जमान पर अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. आशयन योजना – जारी फल प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कोरिया के एन.ई.आई.ए.ए. दिनांक/101/खनिज/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में विन्दा खदान – भारतीयक कलेक्टर (खनिज साथ), जिला-सुरजपुर के आशय दिनांक/1381/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 08/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर आवेदित साथ यह खदानों की संख्या निम्न है।
5. 300 मीटर की परिधि में विन्दा सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – भारतीयक कलेक्टर (खनिज साथ), जिला-सुरजपुर के आशय दिनांक/1381/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 08/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार साथ खदान के 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पूल, 



काय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रौद्योगिक क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.जी.वार्ड, का विवरण - एल.जी.वार्ड की राजस्व खान के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (अतिरिक्त कार्या), जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक/1108/बी.ए.ए./दि.जी./म.क्र.28/2020 सुरजपुर, विनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिलाधी अन्वी 8 पर हेतु किया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, सुरजपुर वनसंरक्षण, जिला-सुरजपुर के ज्ञान क्रमांक/मा.वि./4618 सुरजपुर, विनांक 23/11/2018 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय इलाका-अधिकतम 1 कि.मी., मूल इलाका-अधिकतम 1 कि.मी. एवं अस्पास मिशनपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 कि.मी. एवं राजमार्ग 19 कि.मी. दूर है। सीकुरत रेल जंक्शन की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एपीकट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिकल्पना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पास, क्षेत्रीय प्रमुख निवास क्षेत्रों द्वारा घेरित डिस्ट्रिक्ट सीकुरत रेलवे, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घेरित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 218.2 मीटर, न्यूनतम 204.2 मीटर तथा खदान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 288 मीटर, न्यूनतम 288 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 107 मीटर, न्यूनतम 108 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट की किन्तु की दूरी अधिकतम 84.2 मीटर, न्यूनतम 38.8 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खदान की स्थापित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा - 88,000 मजरीटन है। रेत उत्खनन हेतु स्थापित खदान पर अधिकांश में उपलब्ध रेत खदान की मोटाई खाने के लिए स्थापित खदान पर 3 मीटर (100) अधिकांश खदान की वार्षिक मोटाई का सफल वन, सखित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध अंतिम मोटाई 3 मीटर है। रेत की वार्षिक मोटाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत ग्राहक के लेआउट - रेत उत्खनन हेतु स्थापित खदान एवं स्थापित खदान के घाटो तट में 100 मीटर की दूरी तक, 28 मीटर गुना 28 मीटर के विंग विन्डुओं का दिनांक 11/12/2020 को रेत ग्राहक के अधिनियम लेआउट (Leaout) लेकर, उन्हें सखित विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त कोटेशन सहित जानकारी/प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है।

19. कॉर्पोरेट प्रवाहनीय व्यय (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को प्रस्तावित विस्तार में कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 38 | 2% | 0.72 | Following activities at Nearby Government Primary School Village- Hamatna | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Plantation | 0.12 |
| | | | Total | 0.72 |

10. रेत उत्खनन नियुक्त विधि से एवं नहरों का कार्य जोरदार द्वारा अपनाया जाया प्रस्तावित है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक 10 पुनर्माण संबंधी आवश्यक कार्य एवं संबंधित व्ययों का संपूर्ण गणना किया गया है। क्षेत्र नहीं छोटी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्माण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अर्थात् उत्खनन (घास-हर्बिकल) का प्रस्ताव 3 हेक्टेयर है। उत्खनन की सीमा से 500 मीटर की भूमि में स्वीकृत/संयोजित उत्खनन का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर का प्रस्तावित काम होने के कारण यह उत्खनन की-3 सेमी की मानी गयी।
2. वृक्षादीपन कार्य - प्रस्तावित क्षेत्र के उत्खनन पर नदी तट पर कुल 1,000 वन पौधे - 150 वन अर्जुन के पौधे तथा शेष 850 वन जिलुन, कपूर, बांस, आम आदि पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त मनुष्य कार्य का 500 वन पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत उत्खनन क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत मात्र उत्खनन (Excavation Work) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्माण (Replenishment) कार्य सही जायेंगे, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं मनुष्य जीवों का प्रभाव तथा नदी के धानी की पुनर्माण पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का संतुलनाईव खाता -
 - a. रेत उत्खनन प्रस्तावित क्षेत्र की पूर्ण (पूरा) मात्र के अतिरिक्त उत्खनन/उत्खनन के प्रभाव (सतह) इसी विधि विस्तृत में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अर्थात् एवं उत्खनन क्षेत्र में 100 मीटर तक तथा उत्खनन लीज के उत्तर / गरी तट (वेनी) क्षेत्र में 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के सतह (Levels) का सही पूर्ण निर्धारित विधि विस्तृत पर किया जायेंगे।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ii. इसी प्रकार मानसून की खाद (अम्ल/बसम) मल में सेत आकलन प्रारंभ करने की पूर्ण इसी दिवस विन्दुओं पर सेत सतह की लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. सेत सतह की पूर्ण निर्धारित दिवस विन्दुओं पर सेत सतह की लेवल्स (Levels) की मापन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीस्ट-मानसून की अंतिम विरामता 2021, 2022, 2023 एवं डी-मानसून की अंतिम अगमता 2021, 2022, 2023 तक अनिश्चित रूप से एच.ई.आई.ए.ए. धरतीसतह की प्रस्तुत किए जाएंगे।

iv. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से श्री राजेश चानू, एच-1, हरौटिकवा रोड क्वार्टर, बसंत अनांक 01, बाम-हरौटिकवा, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टर क्षेत्र में सेत आकलन अधिकात्मक। पीस्ट की गहराई एक सीमित रखी हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत आकलन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। सेत की खुदाई बलियों द्वारा (Manholes) की जाएगी। निरत बंध (Leak Band) में भली बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निरत सेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में सीविंग पार्कट एक सेत का परीक्षण ट्रेक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

प्रतिक्रमण द्वारा बंधक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 13/08/2021 को संख्या 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा कर्मी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रमण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए श्री राजेश चानू, एच-1, हरौटिकवा रोड क्वार्टर, बसंत अनांक 01, बाम-हरौटिकवा, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टर क्षेत्र में सेत आकलन अधिकात्मक। पीस्ट की गहराई एक सीमित रखी हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत आकलन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. मेवादी की विन्दीय स्वीकार्यता (बाम-1, पम्पापुर रोड क्वार्टर), बाम-पम्पापुर, तहसील-पम्पापुर, जिला-सुरजपुर (सविवालय का नक्का क्र.1538)

अनिश्चित अवधि - प्रयोजन नम्बर - एच.ई.आई.ए. / सीसी / एच.ई.आई.ए. / 109788/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेत खदान (सींग खनिज) है। यह खदान बाम-पम्पापुर, तहसील-पम्पापुर, जिला-सुरजपुर किल बसंत अनांक 881 एवं 718, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टर में प्रस्तावित है। आकलन महान गद्दी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम आकलन क्षमता - 88,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।


बैंडकी का विवरण -

(अ) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 11/02/2021।

समिति द्वारा प्रकरण की नक्की एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तात्कालिक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी की घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेग प्रवाहमान हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की अवलंबीय तथा अवलंबनीय में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुला 25 मीटर का विचलन कर, वर्तमान में वेग प्रवाह की लेवेल (Levels) लेवन विचलन में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र की बाहर / नदी तट (सीमा) क्षेत्रों में 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी प्रवाह की स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जाये। प्रस्तावित लेवेल (Levels) हेतु कम से कम 2 टैम्बरी वेग मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किया जाये। टैम्बरी वेग मार्क (TBM) में को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विचलन में टैम्बरी वेग मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, सभी अंकित विभाग से प्रमाणिकता समर्थक फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीतट के खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खनन की कुछ क्षेत्र में आवश्यक विचलन प्राप्त संभव न हो तो प्रकृति प्रभाव कर, नदी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करना जाये। खनन के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर अंकित विभाग से सीमांकन करार, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन की निम्नलिखित पुनः बांध, एनीकट एवं जल अक्षुण्ण सीमा की दूरी बांध जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुनः / एनीकट की दूरी खनन की अवलंबीय में न्यूनतम 500 मीटर तथा अवलंबनीय में न्यूनतम 200 मीटर तथा जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र अनुसंधान द्वारा दूरी के अंतर किया हो, तो प्रमाणिकता समर्थक एवं खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सभी पर विहित कर, उल्लेख सीमा पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बांध उल्लेख किया जाए।
5. वेग प्रवाहमान हेतु प्रस्तावित खनन पर वर्तमान में प्रचलित वेग की भंडाई खनन की लिए, प्रति इन्टरनेट में कम से कम एक मइका (Mica) खोदकर प्रकृति वास्तविक गहराई का नमून कर, अंकित विभाग से प्रमाणिकता जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेग की वास्तविक गहराई हेतु कल्पना भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अतिरिक्त खनन पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्देशक प्रतिकल्प (एनईआईएए), पर्यावरण सभागत निर्देशक प्रतिकल्प (सीईआईएए), पर्यावरण सभागत पर्यावरण सभागत निर्देशक प्रतिकल्प (सीईआईएए), पर्यावरण सभागत पर्यावरण सभागत निर्देशक प्रतिकल्प (सीईआईएए) की प्रति एवं अतिरिक्त स्तरों के परामर्श में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अवलंबनीय सीमा की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खनन पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्षों में किए गए प्रवाहमान की वास्तविक गहराई की जानकारी अंकित विभाग से प्रमाणिकता करार कर प्रस्तुत की जाए।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्ण विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्देशक एवं पर्यावरण सभागत की प्रमाण में वेग की लेवेल (Levels) जमा करने सीमा (Boundary) की साथ पर्यावरण सभागत सुरक्षा जानकारी /







दस्तावेज (अवगतन कोटेशनस) संबंधित अनुसूचिकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

साधारणतः खनि निर्देशक एवं परिशोधन प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी. सचीकरण के द्वारा दिनांक 17/03/2021 द्वारा अनुसूचिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 362^{वीं} बैठक दिनांक 22/03/2021:

अनुसूचिकरण हेतु की गये हुए प्रस्ताव खान, अधिभूत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्ताव जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. घाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वीर साखलवा की संख्या में घाम पंचायत अमरापुर का दिनांक 02/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज साखल) के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार वह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-खोसिया के पृ.क्रमांक/28/खनिज/2021, खोसिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज साखल), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक/1349/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर की भीतर अधिभूत अन्य वेत खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (अग्निज साखल), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक/1349/खनिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एका खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि घोषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की शिफ्ट की जानकारी के नाम का है, जो कार्यलय कलेक्टर (अग्निज साखल), जिला-सुरजपुर के द्वारा क्रमांक /1349/सी.आई./दि.ओ./न.क्र.17/2020 सुरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी आवधि 8 मिनट हेतु पत्र है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. खासदूरी संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आवासीय घाम-अमरापुर 1 कि.मी., मजुल घाम-अमरापुर 1 कि.मी. एवं अमरापुर अमरापुर 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.60 कि.मी. दूर है। निर्माणधीन पुल खदान से 820 मीटर की दूरी पर अनुसूचित में स्थित है। सीधुत वेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकत स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय खदान, अन्वयण, केंद्रीय अनुसंधान निगम बीई द्वारा घोषित डिस्ट्रीक्ट सील्डूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित पर्यावरणीय क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिवेदित किया है।

10. खानग स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवंटन अनुसार खानग स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 17.8 मीटर, न्यूनतम 8.7 मीटर तथा खानग स्थल की लंबाई – अधिकतम 11.43 मीटर, न्यूनतम 11.20 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर बसाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 38.4 मीटर, न्यूनतम 34.2 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवंटन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर बसाई गई है। अनुसंधित भूविज्ञान खदान अनुसार खदान में पाईनेवाल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर है। रेत प्रत्यक्षन हेतु प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत बरतक की मोटाई खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 मीटर (10%) खदान खननी कार्यालय गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जनकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध जीमत मोटाई 3.12 मीटर है। रेत की कार्यालय गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
12. दूर में प्राचीन पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान को दूर में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह की अवस्था – रेत खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित स्थल से नदी तट में 100 मीटर की दूरी तक, 26 मीटर गुंथ 28 मीटर के विच बिन्दुओं पर दिनांक 10/12/2020 को रेत सतह की वर्तमान लेवलस Level: 105.2 मीटर, जहाँ खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त खोटीवाला सहित जनकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय समिति (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के अध्यक्ष सिद्धार्थ से नदी उपरोक्त निम्नलिखित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 42 | 2% | 0.84 | Following activities at Nearby Government Primary School Village- Pampour. | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Plantation | 0.26 |
| | | | Total | 0.84 |

15. रेत प्रत्यक्षन हेतु खदान विधि से रेत भरवाई का कार्य सीमा द्वारा करवा जाना प्रस्तावित है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक खदान की अनुमति मांगी है। अनुसंधित खानगल खोजना में खानगल किए जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं संबंधी जालझों का समावेश नहीं किया गया है। खानग नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

कमिटी द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अर्जित खदान (घान-मन्दापुर) का गहरा 4.9 इन्चोवर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/समाप्ति खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 इन्चोवर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बंकी की मानी गयी।
2. वृक्षाधीन कार्य - उपरोक्त के अन्तर्गत पर गरी 100 पर कुल 3000 का पीछे - 1000 का खदान के पीछे तथा तीन 1000 का खाने (खाने, खाने, खाने, खाने) पीछे लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त खाने मार्ग का 500 का पीछे लगाया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक से खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत गैर अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि सेत के पुनर्माण (Reconstruction) काया गयी जायेगी, सेत प्रस्तावक का गरी, नदी, नदी, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं कुल जीवों का प्रभाव तथा गरी के पानी की गुणवत्ता पर सेत प्रस्तावक के प्रभाव की गरी जायजायी जायेगी।
4. सीत क्षेत्र की सतह का रेकॉर्डिंग कार्य -
 - a. सेत खाने उपरोक्त खाने के पूर्व (गरी गरी के अतिरिक्त सतह/खाने के अन्तर्गत) इन्ही विषय बिन्दुओं में मापिंग सीत क्षेत्र तथा सीत क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 500 मीटर तक तथा खाने सीत के बाहर / गरी गरी (दोनों ओर) से 100 मीटर तक से क्षेत्र में गरी सतह के गरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विषय बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - b. इन्ही प्रस्ताव खाने के बाद (अन्तर्गत/मन्दापुर गरी में सेत प्रस्तावक प्रस्ताव करने के पूर्व) इन्ही विषय बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवल (Levels) का सर्वे किया जायेगा।
 - c. सेत सतह के पूर्व निर्धारित विषय बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवल (Levels) का सर्वे का कार्य लगभग 3 वर्ष तक निर्धारित किया जायेगा। सर्वे-मन्दापुर के अन्तर्गत दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं गरी-मन्दापुर के अन्तर्गत खाने 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए. प्रस्तावक को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. कमिटी द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से श्री विनोद श्रीवास्तव, जल-1, मन्दापुर क्षेत्र गरी, खाने अन्तर्गत 100 एवं 110, घान-मन्दापुर, खाने-मन्दापुर, जिले-मन्दापुर, कुल सीत क्षेत्रफल 4.9 इन्चोवर क्षेत्र में सेत प्रस्तावक अतिरिक्त 1 मीटर की गहराई तक निर्मित गरी गरी, कुल 10,000 घनमीटर अतिरिक्त सेत प्रस्तावक हेतु पर्यावरणीय स्थिति, जल दिनांक से 50 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। सेत की गहराई कमिटी द्वारा (Ministry) की जायेगी। गरी गरी (River Bed) में गरी गरी का प्रस्ताव अतिरिक्त खाने। सीत क्षेत्र में किया सेत गहराई गरी (Excavation) सेत सेत गरी गरी तक सेत का प्रस्ताव गरी गरी द्वारा किया जायेगा।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमा की दिनांक 13/04/2021 को संलग्न 1000 बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा मन्दापुर का अन्तर्गत किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रमा द्वारा सर्वसम्मति से कमिटी की अनुमति को अतिरिक्त गरी गरी श्री विनोद श्रीवास्तव, जल-1, मन्दापुर क्षेत्र गरी, खाने अन्तर्गत 100 एवं 110, घान-मन्दापुर, खाने-मन्दापुर, जिले-मन्दापुर, कुल सीत क्षेत्रफल 4.9 इन्चोवर क्षेत्र में सेत प्रस्तावक अतिरिक्त

मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर जलियाँ से उपखनन हेतु पर्यावरणीय शीकृति, जारी दिनांक से 20 वर्षों तक की अवधि हेतु विधे जारें का निर्देश किया गया।

परिचालन उपखनन को पर्यावरणीय शीकृति जारी किया जाए।

6. पंचसल की डोंडनावागण पट्टेज (खिला सोनब गढ़ीन), ग्राम-खिला, तहसील-कानकोजा, जिला-रायगढ़ (सुविधागत का नशी क्रमांक 1635)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन पत्र - एचआईए/ सीजी/ एचआईए/ 144725/2021, दिनांक 24/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट से संबंधित सेत खदान (सीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-खिला, तहसील-कानकोजा, जिला-रायगढ़ खिला खसरा क्रमांक 340, कुल क्षेत्रफल-2.245 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपखनन स्थानों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपखनन क्षमता-48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

शैतकी का विवरण -

(अ) समिति की 257वीं बैठक दिनांक 11/03/2021-

समिति द्वारा उपखनन की नशी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्देश किया गया था-

1. ग्राम पंचायत को अनुरोधित प्रस्ताव पत्र (बैठक दिनांक सित्त) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. सेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान से अलस्ट्रीम तथा अलवस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का डिक क्लॉकर, वर्तमान में सेत साह के लेवलर्स (Levels) लेवल विक मेथ में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र से बाहर / गहरी गड (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक से साह में गहरी साह के लेवर्स (Levels) का भी सर्वे किया जायें। प्रस्तुत लेवलर्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेरी बेंच मार्क (Consolidated TBM annotations) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेरी बेंच मार्क (TBM) में अरदार, को-ऑर्डिनेटिंग (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विक मेथ में टेम्पलेरी बेंच मार्क (TBM) को भी अरदार एवं खनिज विभाग से अत्यधिकतर उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी से गहराई की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान से कुछ क्षेत्र में उपखनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गहराई कर गहरी पर दर्शाकर, इसका उल्लेख गहरीनिच प्लान में अनिवार्य रूप से करवाया जायें। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की भीसे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रस्ताव पत्र प्रेषित किया जाए।
5. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुल, बंध, एनीकट एवं ग्राम अलस्ट्रीम क्षेत्र की दूरी सादा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान से अलस्ट्रीम में न्यूनतम 800 मीटर तथा अलवस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जना अलवस्ट्रीम

6. यदि ग्रीन बेल्ट उपरोक्तानुसार पूर्ण की जांच किया हो, तो उपरोक्त अधिनियम पर लागू हेतु अधिनियम क्षेत्र की आवारा-सन्तानुसार सभी पर विहित कर, प्रस्ताव शीर्षक का सौंपाकरण एवं साईनिंग प्रमाण में इस संबंध प्रस्तुत किया जाए।
6. वेत उपखण्ड हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपखण्ड वेत की कोई भी जांच के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मटर (एच) सॉटोप्लान करवायी वास्तविक मटरसाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक मटरसाई हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्ण में अधिनियम स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तानुसार निर्धारण परिसरक्षण (एच.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण सन्तानुसार विज्ञान सौंपाकरण पर्यावरण सन्तानुसार निर्धारण परिसरक्षण (सी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण सन्तानुसार पर्यावरण सौंपाकरण की गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरण सौंपाकरण की प्रति एवं अधिनियम जारी के मापन में की गई मापन की जानकारी सौंपाकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्जांच की आवश्यकता सिद्धी की जानकारी सौंपाकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्ण से संबंधित है, तो विगत वर्षों में किए गए खनन की वास्तविक मापन की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विगत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षण एवं परिसरक्षण प्रस्तावक को खदान में वेत की संयोजन (Lease) लेने वाले सौंपाकरण (Surrender) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / सौंपाकरण (अथवा सौंपाकरण) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जारी हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

खदानुसार खनि निरीक्षण एवं परिसरक्षण प्रस्तावक को एच.ई.आई.सी., पर्यावरण सन्तानुसार के अधिनियम 17/03/2001 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 22/09/2021:-

प्रस्तुतीकरण हेतु की उपरोक्त सिद्ध, अधिसूक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. काम पंथागत का अनुमति प्रमाण पत्र - वेत उपखण्ड के संबंध में काम पंथागत विवरण का दिनांक 17/11/2018 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - कार्यलय कलेक्टर, खनिज विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुमान पर खदान विन्यासित/सीमांकित कर भेजित है।
3. खनन सौंपाकरण - साईनिंग प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिनियम, विभाग-संपन्न के पृ.सं. 282/खनि-3/वेत/2021 संपन्न, दिनांक 08/01/2021 द्वारा अनुमति है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज विभाग), विभाग-संपन्न के अधिनियम 17/03/खनि/संपन्न/2020 संपन्न, दिनांक 08/01/2021 के अनुसार अधिनियम खदान से 500 मीटर के भीतर अधिनियम अधिनियम क्षेत्र की संख्या किया है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्नाटक कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-रायचूर के द्वारा क्रमांक/87/अग्नि/म.क./2020 रायचूर, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसंधान प्रकाशक के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य उपयुक्त आवेदि प्रभावित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.जी.आरई का विवरण - एल.जी.आरई की कोलकाताका मटेरिअल के नाम पर है जो कर्नाटक कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-रायचूर के द्वारा क्रमांक/8183/अग्नि-3/रेग नैलामी/2020 रायचूर, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी आवेदि 8 पन्ने हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कर्नाटक वनमंडलविभागी, रायचूर वनमंडल, जिला-रायचूर के द्वारा क्रमांक/तम.अग्नि/7813/2020 रायचूर, दिनांक 23/10/2020 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. सड़कदूर्य संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवाही घाट-मिहल 1 कि.मी. एवं सड़क घाट-मिहल 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। स्वीकृत गैर सड़क के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरीवेट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निबंधन क्षेत्र द्वारा घोषित जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की नौदराई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की नौदराई - अधिकतम 2000 मीटर, न्यूनतम 2000 मीटर तथा खदान स्थल की नौदराई - अधिकतम 188 मीटर, न्यूनतम 162 मीटर एवं नौदराई - अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 128 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 242 मीटर, न्यूनतम 238 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की नौदराई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की नौदराई - 3 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित नौदराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमति प्राप्त अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 45,500 घनमीटर है। रेत प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित स्थल पर खदान में उपलब्ध रेत मात्रा की नौदराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pit) खोदकर नौदराई वास्तविक नौदराई पर मापन कर, अग्निज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध नौदराई 2.83 मीटर है। रेत की वास्तविक नौदराई हेतु प्रस्तावक को प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत की उपलब्ध नौदराई 3 मीटर से अधिक है। प्रस्तावित स्थल पर रेत की नौदराई 2.83 मीटर तक किचने जाने के उपरान्त, स्थल पर पानी जा जाने के कारण 2.83 मीटर से नीचे उपलब्ध नौदराई नहीं किया जा सके।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

Handwritten signature

Handwritten signature

- i. पूर्व में बताया, ग्राम पंचायत द्वारा की गयी दो रेत खदान खोला क्रमिक 202/1, 212/1, 228 एवं 242, क्रमशः 2 हेक्टेयर, क्षमता - 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय सर्वेक्षण द्वारा स्वीकृत पर्यावरण प्रभावण विवेकन प्रतिवेदन, विना-समाप्त द्वारा दिनांक 18/08/2018 को जारी की गई। यह सर्वेक्षण 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षण को जारी के पश्चात में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह आवकन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- iii. पर्यावरण सर्वेक्षण (परिचय समारंभ, विना-समाप्त के द्वारा क्रमिक 202/परिचय/2020-21 सप्लाइ, दिनांक 18/08/2021 को अनुयाय विना नहीं में किये गये आवकन का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | आवकन (घनमीटर) |
|---------|---------------|
| 2017-18 | 81,000 |
| 2018-19 | 18,000 |
| 2019-20 | विना |

iv. निर्धारित कार्यनुसार पूराकरण नहीं किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत खानों के क्षेत्र - रेत खानों हेतु आवकन प्राप्त एवं आवकन प्राप्त की गयी मात्र में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथ 25 मीटर के विना सिन्दुरों का दिनांक 08/01/2021 को रेत खानों के पर्यावरण प्रभावण (Leakage) लेवन, जारी विवरण विवरण से पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रोटीगेशन रजिस्टर जानकारी/समाप्त प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉन्सीट पर्यावरणीय समिति (C.E.R.) - परिचयण प्रस्तावक द्वारा समिति के समस्त विस्तार से कार्य अन्ततः निम्नानुसार विस्तृत अन्ततः प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 13.8 | 2% | 0.28 | Following activities at Nearby Government Primary School Village- Pitra | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.15 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.13 |
| | | | Total | 0.28 |

16. रेत खानों में नैजुल विधि की पूर्ण भरवाई का कार्य जीवर द्वारा किया गया प्रस्तुत है।

17. परिचयण प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक आवकन की अनुमति नहीं है। अनुमति आवकन खोला में आवकन किये जाने वाले क्षेत्र की परिचयण

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं आवश्यकी आंकड़ों का अभाव नहीं किया गया है। गहनरी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अवैदित खदान (घान-घिटा) का सतह 2.295 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/अवैदित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टर का प्रस्तावित होने की बात पर खदान सी-2 सीमा की चर्चा नहीं।

2. नुसारोपम खाई - उपनिबन्ध की अवसर पर नदी तट पर कुल 2,000 मीटर पीछे - 1,000 मीटर खाई के पीछे तथा बीच 1,000 मीटर (जामुन, बरौज, बालू, जाम खादि) पीछे जगह आवेगी। इसकी अवैदित खुदब खुद पर 500 मीटर पीछे जगह आवेगी।

3. पर्यावरण प्रभाव का रेट खदान क्षेत्र में सामान्य 1.5 वर्ष में विस्तृत एवं अध्ययन (Baseline Study) करायेगा, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) कार्य नहीं आये, रेत अखण्डन का नदी, नदीतट, ज्वारीय वनास्पति, जीव एवं मनुष्य जीवों का प्रभाव तथा नदी के चर्च की पुनर्भरण पर रेत अखण्डन की प्रभाव की सभी जानकारी प्राप्त हो सके।

4. सीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा -

i. रेत खनन करवाते समय कुल की पूर्व (गई गड) की अवैदित खदान/खुद की प्रथम सतह। इसी सिद्ध बिन्दुओं में माईनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के अवैदित एवं अवैदित में 100 मीटर तक तथा खनन सीज के बरौज / नदी तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की सतह (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं का किया जायेगा।

ii. इसी अवसर समय कुल की बाद (अवैदित/गहनरी गड) में रेत अखण्डन प्रारंभ करने के पूर्व इसी सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह की लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

iii. रेत सतह की पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह की लेवल्स (Levels) की मापन का कार्य सामान्य 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। फीस-समय के आंकड़े विनाम्बर 2021, 2022, 2023 एवं फी-समय के आंकड़े जगह 2021, 2022, 2023 तक अवैदित रूप से एच.ई.आई.ए.ए. ज्वारीय वनास्पति को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से भी कोलमाहलण पटल, विस्तृत सतह माईनिंग, खदान जगह 340, घान-घिटा, तजारीत-बराहोला, जिला-समय, कुल सीज क्षेत्रफल 2.295 हेक्टर क्षेत्र में रेत अखण्डन अवैदित 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत अखण्डन हेतु पर्यावरण संबंधित, जगह विनाम्बर से 50 वर्ष तक की अवधि हेतु रेत खनन हेतु अनुमति की गई। रेत की खुदाई शर्तिका द्वारा (Manually) की जायेगी। रेत बेज (River Bed) में नदी बहावों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गडों (Excavation pits) से ज्वारीय माईनिंग तथा रेत का परिवहन हेक्टर टॉली द्वारा किया जायेगा।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया की विनाम्बर 12/08/2021 को संपन्न 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नती

का आजीवन किया जाए। विचार विमर्श एवं प्रारंभिक प्रतिक्रिया द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की सूचना केंद्र को देने की कोलकाता एवं पटना, मिथिला संघ काईन, असाढ़ क्रमांक 340, साम-विहार, पटना-1, पटना-1, जिला-समस्तीपुर, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 2,200 हेक्टर क्षेत्र में, यह उपकरण प्रतिक्रिया 1.3 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं है, कुल 24,000 ममीटर प्रतिदिन यह उपकरण हेतु पर्याप्त स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विदे जाने का निर्णय लिया गया।

परिशीलन प्रस्तावक को पर्याप्त स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **बैठकों की सार्वभूमि कुमार बडियार (सारापुर संघ काईन), साम-सागापुर, पटना-1 व जिला-समस्तीपुर (सचिवालय का नया क्रमांक 1538)**

आविष्कार आदेश - आदेश क्रमा - एसआईए/ सीसी/ एसआईए/ 194728/2021, दिनांक 24/01/2021।

इसका क्व विवरण - यह पूर्व से अज्ञात यह खदान (क्षेत्र समिति) है। यह खदान साम-सागापुर, पटना-1 व जिला-समस्तीपुर जिला असाढ़ क्रमांक 340, कुल क्षेत्रफल - 200 हेक्टर में है। उपकरण साफ नदी से किया जाता है। खदान की आवधिक उपकरण असाढ़-79,200 ममीटर प्रतिदिन है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 257वीं बैठक दिनांक 11/02/2021

समिति द्वारा उपकरण की नयी एवं असुरक्षित खानों का परीक्षण तथा सामान्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. इस परामर्श के अनुसार उपकरण का (बैठक दिनांक सही) की प्रति असुरक्षित जाए।
2. अज्ञात खदान क्षेत्र की खोज एवं खोज, तथा नदी के घाट की खोज की जानकारी असुरक्षित की जाए।
3. यह उपकरण हेतु अज्ञात खदान एवं अज्ञात खदान की अवधि तथा आगस्टिन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का विद्यमान बनाकर, संचालन से यह साफ से लेवल (Level) सेक्टर विदे में अज्ञात कर असुरक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टॉपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साफ से जारी (Level) का भी जारी किया जाए। एक लेवल (Level) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेथ मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाए। टेम्परी वेथ मार्क (TBM) में आर.एस. की-कोर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाए। विदे में से टेम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें अज्ञात विवरण से पर्याप्त पर्याप्त कोटेशन सहित जानकारी/समावेश असुरक्षित किया जाए।
4. सटीक से खदान की सीमा की दूरी अनुमान 7.5 मीटर या नदी के घाट की खोज का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) लक्ष्य जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में उपकरण किया जाय सफल न हो तो उसकी सफलता कर, नदी पर दर्शाकर, इसका उपकरण माइनिंग प्लान में अज्ञात रूप से कराया जाए। खदान के खदान क्षेत्र एवं अज्ञात क्षेत्र को भी पर अज्ञात विवरण से सीमांकन कराकर, उपकरण पर अज्ञात किया जाए।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

4. प्रस्तावित स्वतः से निवृत्तता पुर, बंध, एनोकाए एन एन आर्यूरी बंधों की पूरी समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुर / एनोकाए की पूरी बंधों की अवधि में मृत्युएं 500 पीएन तथा आर्यूरी में मृत्युएं 250 पीएन तथा आर्यूरी में 200 पीएन बंधों का अवकाश है। यदि जीव बंध अवकाशानुसार पूरी के अंदर स्थित हो, तो एनोकाए बंधों पर बंधन हेतु प्रतिबंधित बंधों की अवकाशानुसार नहीं पर विहित कर, एनोकाए बंधों पर रीनाशन तथा माईनिंग फ्लान में इस समस्त बंधों को स्थित करा जाए।
5. वेतन अवकाश हेतु प्रस्तावित स्वतः से निवृत्तता में एनोकाए वेतन की बोनस जानने की लिए, प्रति इंस्टेंस में कम से कम एक पत्र (एन) एनोकाए प्रसूती वास्तविक नगरों का मंगल कर, स्थिति विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेतन की वास्तविक नगरों हेतु पंजीयन से प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पुर में आवेदित स्वतः से निवृत्तता पुर राज्य वात माईनिंग समायोजन निर्देशक अतिरिक्त (एनईआईएनई), अतीरिक्त अथवा विभा संश्लेष पर्यवेक्षण समायोजन निर्देशक अतीरिक्त (एनईआईएनई), अतीरिक्त एवं पर्यवेक्षण स्वीकृति दी गई हो, तो पुर में जारी पर्यवेक्षण स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित पुरों के मंगल में जो गई आवेदिका की जानकारी एनोकाए बंधों प्रस्तुत की जाए। साथ ही एनोकाए की अवकाश स्थिति की जानकारी एनोकाए बंधों प्रस्तुत की जाए।
7. यदि एनोकाए पुरों के संबंधित हो, तो वेतन वर्षों में किन्तु पुर अवकाश की वास्तविक नगरों की जानकारी स्थिति विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत एनोकाए पुरों विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अवकाश को बंधों में वेतन की वेतन (Levels) लेने वाले सर्वर (Director) की साथ एनोकाए समस्त सुसंगत जानकारी / बंधों (अवकाश एनोकाए) बंधों प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

साधुभागतु यदि निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण अवकाश को एनईएनई, अतीरिक्त के द्वारा दिनांक 17/03/2021 द्वारा अतीरिक्त हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 28वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

अतीरिक्त हेतु की समस्त इकायायन जानकारी अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवकाश एवं पर्यवेक्षण करने का निम्न स्थिति यह गई-

1. इम पंजीयन का अवकाश प्रस्ताव पत्र - वेतन अवकाश को संबंध में इम पंजीयन एनोकाए का दिनांक 04/07/2018 का अवकाश प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - अतीरिक्त एनोकाए, स्थिति विभाग की द्वारा प्रस्ताव पत्र अनुसार यह अवकाश विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
3. अवकाश की अवकाश - माईनिंग फ्लान प्रस्तुत किया गया है, जो यदि अतीरिक्त, विभा-राजगढ़ की द्वारा दिनांक/23/अति-3/रा/2021 राजगढ़, दिनांक 04/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 पीएन की परिधि में स्थित अवकाश - अतीरिक्त एनोकाए (स्थिति विभाग), विभा-राजगढ़ की द्वारा दिनांक/03/अति/एक/2020 राजगढ़, दिनांक

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

87/81/2021 की अनुसार अधिष्ठित खदान में 200 मीटर की नीचे अधिष्ठित अन्य से खदानों की संख्या शिफ्ट है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्पोरल कलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-रायगढ़ के ज्ञान क्रमांक/83/खनि/ग.क./2020 रायगढ़, दिनांक 07/01/2021 द्वारा जारी ज्ञान पर अनुमान एक खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति अदि अधिष्ठित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई, का विवरण - एल.ओ.आई, की सार्वेड कुमार खोदार के नाम पर है, जो कर्पोरल कलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-रायगढ़ के ज्ञान क्रमांक /8182/ख.नि-3/ग.क. नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 23/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिलाकी अधिसूचना पर हेतु कि है।
7. डिस्ट्रीबुट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीबुट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसदी बस-रास्ता 1 कि.मी., स्कूल बस-रास्ता 2 कि.मी. एवं जलघाट रायगढ़ 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17 कि.मी. दूर है। एनोकेट खदान से 250 मीटर की दूरी पर वायव्यदिश में स्थित है। स्वीकृत से खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/पैदाइयिक संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आसानीय सीमा, राष्ट्रीय प्रदान, अधिकांश, केन्द्रीय अनुमान नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्ट्रीबुट पोस्टुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित पैदाइयिक क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
10. खानन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खानन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर तथा खानन स्थल की संघाई - अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 72 मीटर, न्यूनतम 27 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खानन पर रेत की मोटाई - 2 मीटर तथा रेत खानन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुवेदित सर्वेक्षण ज्ञान अनुसार खदान में सर्वेक्षण रेत की मात्रा - 12,200 घनमीटर है। रेत खानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई ज्ञान से लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड़दे (100) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर से अधिक है। प्रस्तावित स्थल पर रेत की मोटाई 2.8 मीटर तक किये जाने से उपरोक्त स्थल पर खाने जा जाने की मात्रा 2.8 मीटर से नीचे उपखनन कार्य नहीं किया जा सके।

12. पूर्व में जारी पारिस्थिकीय स्वीकृति संबंधी विवरण



- 1. पूर्ण में बरसात, ग्राम मंषापुर तारपुर की नाल की रीत खदान पाई और इसका जम्मा 400, बीसफुल 8.000 इंचोपर, समता - 50.000 पनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय नवीकृति राज्य सल पर्यावरण संसाधन विभाग, प्रविजन, उत्तरीसंगर द्वारा दिनांक 27/03/2017 को जारी की गई। यह नवीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- 2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय नवीकृति की शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अपादन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- 3. कार्यलय डायरेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-संगर के आदेश क्रमांक 881/अग्निज/2020-21 संगर, दिनांक 19/03/2021 के अनुसार निम्न शर्तों में किये गये प्रखण्ड का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | अपान (पनमीटर) |
|---------|---------------|
| 2017-18 | निरंक |
| 2018-19 | 8,832 |
| 2019-20 | निरंक |

- 4. निर्दिष्ट शर्तानुसार पुरातनता नहीं किया गया है।
- 5. खदान क्षेत्र में रीत सतह की संरक्षण - रीत खदान हेतु प्रस्तावित 800 एच प्रस्तावित खान की शर्तों तहत से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्ड 25 मीटर की गिरा बिन्दुओं पर दिनांक 03/08/2021 को रीत सतह की वर्तमान लेवेल (Levels) लेवल, सभी अग्निज विभाग से पर्यावरण संसाधन शोधशाखा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
- 6. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिकल्पना अनुसार द्वारा समिति के समक्ष किलार से शर्तों उपरत निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER-Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 55.5 | 3% | 1.11 | Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, Village- Tarapur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.70 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.15 |
| | | | Plantation | 0.50 |
| | | | Total | 1.15 |

- 7. रीत खदान से जुड़ा विधि से एड नोट्स का कार्य खोला द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- 8. परिकल्पना अनुसार द्वारा 2 मीटर की गहराई तक खदान की अनुमति नहीं है। अनुमति खदान खोज से खदान किन्तु जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान रीत

पुनर्जनन संबंधी अध्ययन कार्य एवं सांकेतिक जांचकर्मों का समन्वय नहीं किया गया है। नामक नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में साव्यम्यता 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्जनन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. अतिरिक्त खदान (खान-तालापुर) का खनन 3.50 हेक्टर है। खदान की चौड़ाई 500 मीटर की परिधि में सीमित/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का समतल बन होने के कारण यह खदान सी-2 क्षेत्र की माने गयी।
2. पुनर्जनन कार्य — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 मीटर चौड़ाई - 1,250 मीटर अर्धवृत्त की चौड़ाई तथा बीच 1,250 मीटर (खामुंग, कर्नाल, बोर, जाम अदि) चौड़े जलार्ण क्षेत्रों। इसके अतिरिक्त खुद खान पर 500 मीटर चौड़ाई क्षेत्रों।
3. परिसींचना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत गूदा अध्ययन (Situation Study) करवाना, ताकि रेत की पुनर्जनन (Replenishment) का सही तरीका, रेत उत्खनन का तरीका, तरीकाल, तकनीक, तकनीक, जैसा एवं कुल जैसी पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्जनन पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. सीमा क्षेत्र की सतह का बैसालाइन खटा -
 - i. रेत खनन उपरोक्त खानखान के पूर्व (पूर्व) गूदा की अंतिम सतह/गूदा की सतह (सतह) इसी सिद्ध बिन्दुओं में निर्धारित सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा खनन सीमा के बाहर / गूदा तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार खानखान के बाद (अन्तर्गत/गूदा तट में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी सिद्ध बिन्दुओं का रेत सतह के स्तर (Levels) का सर्वे किया जायेगा।
 - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) के सर्वे का कार्य लगभग 3 वर्ष तक निर्धारित किया जायेगा। पोस्ट-खानखान की जांचकर्म दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं प्री-खानखान की जांचकर्म अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से कराई जाईये, तत्पश्चात् की प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से श्री. जयदेव कुमार बहीरवार, तालापुर क्षेत्र नहीं, खनन अन्तर्गत 400, खान-तालापुर, तालापुर व जिला-खानखान, कुल सीमा क्षेत्रफल 3.50 हेक्टर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकांश 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 25,000 घनमीटर अतिरिक्त रेत उत्खनन हेतु पर्याप्त सीमा, जहाँ दिनांक से 25 वर्ष तक की अवधि हेतु विद्यमान होने की अनुमान की गई। रेत की सुरक्षा भण्डारण (Management) की जायेगी। रेत बैंक (River Bed) में गूदा खानों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सीमा क्षेत्र में सिद्ध रेत सुरक्षा गूदा (Excavation pits) में सीमित पाईट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जायेगा।

प्राथमिकता द्वारा बैरक में विचार - उपरोक्त खदान पर प्राथमिकता की दिनांक 13/05/2021 को खान 102वीं बैरक में किया गया। प्राथमिकता द्वारा नदी

(Handwritten signatures and marks)

का अंशोत्तरण किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त अधिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती हूँ। सर्वेन्द्र कुमार बर्बिया, तारपुर रोड राई, जिला-बलराम 402, बाल-तारपुर, तारसील व जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 1.50 हेक्टेयर क्षेत्र में, पर लागूमान अधिकारण : सीटन की पट्टाई एक सीमित राशि हूँ, कुल 38,000 मलमीटर प्रतिवर्ष 88 लाख रुपये पर्यावरणीय क्षति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक जने का निर्देश किया गया।

परिपोषण प्रस्तावक को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जारी किया जाए।

8. मेवाड़ की अनुसूचित सिंच (ए-1, पैमानगर रोड कसारी), कुल व तारसील-पैमानगर, जिला-सुरजपुर (सिंचायालय का पत्ती क्रमांक 1541)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन क्रमा - एचआईए/ सीडी/ एचआईए/ 154030/2021, दिनांक 28/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित डेल खदान (गोण खनिज) है। यह खदान बाल व तारसील-पैमानगर, जिला-सुरजपुर जिला जिला क्रमांक 1910 एवं 1911, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। लागूमान अवैध नदी से किया जमा प्रस्तावित है। खदान की आवेदित लागूमान क्रमांक-80,000 मलमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 37वीं बैठक दिनांक 11/02/2021

समिति द्वारा प्रस्ताव की पत्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. यह लागूमान हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का सिंच बनावट, वर्गमान में वेत सलाह के लेवल (Levels) सेवन सिंच में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसको अतिरिक्त खनन सीज के खदान / नदी तट (टोपी सीज) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के स्टाटे (Levels) का भी सर्वे किया जाये। जल लेवल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेन्सरी बेंच मार्क (Correlated TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेन्सरी बेंच मार्क (TBM) में सार्वजनिक, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। सिंच में टेन्सरी बेंच मार्क (TBM) को भी सर्वे करके उन्हें खनिज विभाग से पर्यावरण प्रस्ताव फोटोडायमा सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसको अनुसार खदान के दुरु क्षेत्र में लागूमान किया जमा क्रमांक न हो तो प्रस्तावकी गणना कर, नवीन व पर्यावरण, इसका वास्तविक सर्वेक्षण पटल में अतिरिक्त रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीज पर खनिज विभाग से परीक्षण कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित खदान से निकटतम पुन, बंध, एनीकट एवं जल आपूर्ति यंत्रों की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुन / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में

न्यूनतम 200 मीटर तथा हावनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर लंबा जना अवधारक है। यदि लीक क्षेत्र उपरोक्तानुसार घुंटी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अवधार पर ध्यान हेतु अधिस्थित क्षेत्र को अवधारकानुसार नदी पर स्थित कर, प्रस्ताव नीचे पर सौंपांकन तथा मंजूरीय प्राप्त में इस कार्य सम्पन्न किया जाए।

- a. रेत अवधारण हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मीटाई जावनी के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मट्टा (मिट्टी) खोदवण प्रकृती वासायिक मट्टाई का मयन कर, स्थित विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वासायिक मट्टाई हेतु पंथपना की प्रस्तुत किया जाये।
- b. यदि घुंटी में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यवेक्षण समायोज निर्देशक अधिवरण (एन.ई.आई.ए.ए.), जलीमण्ड अध्याय विभाग राष्ट्रीय पर्यवेक्षण समायोज निर्देशक अधिवरण (सी.ई.आई.ए.ए.), जलीमण्ड राज्य पर्यवेक्षण स्वीकृति दी गई हो, तो घुंटी में जारी पर्यवेक्षण स्वीकृति की प्रति एवं अधिस्थित नदी के वालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोप्रामक सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही खननोपन की अवधान स्थिति की जानकारी फोटोप्रामक सहित प्रस्तुत की जाए।
- c. यदि अवधार घुंटी से संबंधित है, तो निगत नदी में लिए गए पर्यवेक्षण की वासायिक मट्टाई की जानकारी स्थित विभाग से प्रस्तावित कर कम प्रस्तुत की जाए।
- d. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत अवधार घुंटी विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- e. यदि निर्देशक एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को अवधार में रेत के लेवण (Levee) लेने वाले कार्यपर (Shovelor) के साथ उपरोक्त समझ समंगत जानकारी / प्रस्तावना (अवधार फोटोप्रामक) सहित प्रस्तुतीकरण दिव जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार यदि निर्देशक एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., जलीमण्ड के अवधान दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 38वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की समायोज निरा, अधिस्थित अधिस्थित उपस्थित हुए। समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. नदी पंथावत का अनारथित प्रस्ताव मत्र — रेत अवधारण की संकेत में नदी पंथावत प्रेमनाथ का दिनांक 17/11/2018 का अनारथित प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हायित/सीमायित — कार्यलय कलेक्टर, स्थित साधा से प्राप्त प्रस्ताव पर अनुसार वह खदान विन्हायित/सीमायित कर पंथित है।
3. वासायिक पंथपना — जारी पना प्रस्तुत किया गया है, जो स्थित अधिकारी, विभाग-कंसिड के अवधान दिनांक/104/स्थित/2021 कंसिड संयुक्तपुर, दिनांक 20/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (स्थित साधा), विभाग-सुपपुर के अवधान दिनांक/स्थित/2020/सुपपुर/1341 सुपपुर, दिनांक 18/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर के भीतर अधिस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरा है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्योत्तर करीबान (अग्निज साधक), जिला-सुरजपुर के इमान क्रमांक/अग्निज/2020 /सुरजपुर/194। सुरजपुर, दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी इमान एवं अनुसार रकत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. की अनुसूच सिट के नाम पर है, जो कार्योत्तर करीबान (अग्निज साधक), जिला-सुरजपुर के इमान क्रमांक/1198/ सी.एन.ए./नि.जी./न.क.28/2020 सुरजपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिलकी कर्तव्य 8 पर है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्योत्तर वनसंरक्षक/सुरजपुर वनसंरक्षक, जिला-सुरजपुर के इमान क्रमांक/ना.वि./4871 सुरजपुर, दिनांक 08/12/2020 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम अंधारी डेमांगर 1.3 कि.मी., खुल डेमांगर 2.1 कि.मी. एवं अमरावत डेमांगर 1.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 60 कि.मी. दूर है। न्यूनतम रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरीक्ट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निरक्षर क्षेत्रों द्वारा घोषित जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने उचितित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के छूट की सीमाई एवं खदान की नदी छूट से दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के छूट की सीमाई - अधिकतम 130 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर तथा खदान स्थल की सीमाई - अधिकतम 810 मीटर, न्यूनतम 680 मीटर एवं सीमाई - अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी छूट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 19 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की सीमाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की महत्ताई - 3 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित महत्ताई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमति प्राप्त अनुसार खदान से महत्तम रेत की मात्रा - 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिज में उपलब्ध रेत सतह की सीमाई खानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 मड़ों (1000 मीटर) तक की कार्यात्मक महत्ताई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध सीमा सीमाई 3 मीटर है। रेत की कार्यात्मक महत्ताई हेतु संश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण - इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के संयोजन - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के सभी तलब में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूना 25

Handwritten signature

Handwritten signature

पीछ की दिश विन्दुओं पर दिनांक 25/11/2020 को रेत सारा की वर्तमान स्थिति (Layout) लेकर, सभी सम्बन्धित विभाग से प्रसन्निकृत प्रस्ताव प्रोटीडाकन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय समिति (C.E.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रस्ताव विन्यानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 48.74 | 2% | 0.98 | Following activities at Nearby Government Primary School Dhumsadani, Village- Premnagar, Sarkul Kandra Premnagar | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.70 |
| | | | Plantation | 0.28 |
| | | | Total | 0.98 |

16. रेत वाहक नैसर्गिक विधि से एवं नहरों का कार्य लेकर द्वारा कलवा बना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक वाहक की अनुमति नहीं है। अनुमति प्राप्त वाहक योजना में वाहक किन्तु जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्पूरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं सतहकी जांचकी का समर्थन नहीं किया गया है। अंटेम नदी छोटी नदी है तथा इसमें वाहक में सामान्यतः 2 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्पूरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विचार प्रस्ताव कार्यसमिति से विन्यानुसार निर्णय लिया गया-

- अर्थात् खदान (ग्राम-वेगामर) का सतह 4 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का सबसे कम होने के कारण यह खदान की-2 बेनी की नहीं गयी।
- कुशारीभन कार्य – प्रभाविकता के अभाव पर नदी छूट पर कुल 2,000 मग पीछे - 1,000 मग अर्जुन की पीछे तथा पीछ 1,000 मग (खजुर, कांठ, बांस, आल आदि) पीछे जमाव जायेगी। इसके अतिरिक्त महुआ कार्य पर 200 मग पीछे जमाव जायेगी।
- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में अपनायी 1.5 वर्ष में विस्तृत सतह अध्ययन (Disturbance Study) करायेगा, ताकि रेत की पुनर्पूरण (Replenishment) करना सही जायके, रेत प्रखरण का नदी, नदीकाल, सतहिन बनसदि, जीव एवं कुल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के चारों की पुनर्पूरण का रेत वाहक की प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. जीव क्षेत्र की सारा का रेसल्टिंग कार्य -

4. वेत बचत योजना मानसून की पूर्ण (पूरी तरह की अंतिम अंशदाह/पूल की प्रथम संचाल) इसी दिवस विन्डूजी में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की अपार्टिंग एवं कालाअपार्टिंग में 100 मीटर तक तथा खनन लीज की बाहर / बायीं तरफ (बायीं ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी बाढ़ों को रोकने (Leveels) का सभी पूर्ण निर्धारित दिवस विन्डूजी पर किया जाएगा।

5. इसी प्रकार मानसून की बाढ़ (अवदूध/नाम्बर बाढ़ में वेत बचत-खनन प्रारंभ करने की पूर्ण) इसी दिवस विन्डूजी पर वेत बचत की लेवेल (Leveels) का बनाने किया जाएगा।

6. वेत बचत की पूर्ण निर्धारित दिवस विन्डूजी पर वेत बचत की लेवेल (Leveels) की बनाने का कार्य अपराधी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पीछे-मानसून की अपराधी दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं डी-मानसून की अपराधी अपराध 2021, 2022, 2023 तक अनिवादी रूप से एमआईए/ए, एमआईए/ए, एमआईए/ए को प्रस्तुत किए जायेंगे।

7. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मती से भी अनुसूचि सिद्ध सू-1, प्रेमनगर रोड क्लॉक, बरसात क्रमांक 1910 एवं 1911, घास व लकड़ी-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, वेत बचत-खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत बचत-खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। वेत की गहराई अनिवादी द्वारा (Manually) की जाएगी। विवर बेट (Water Bed) में नदी बाढ़ों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किया वेत गहराई रखते (Embankment Area) में अंतिम पट्टी तक वेत का परीक्षण टैक्टर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।

प्रतिक्रिया द्वारा बैंक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक 13/05/2021 को संयुक्त 108वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया द्वारा सर्वसम्मती से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए भी अनुसूचि सिद्ध सू-1, प्रेमनगर रोड क्लॉक, बरसात क्रमांक 1910 एवं 1911, घास व लकड़ी-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, वेत बचत-खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत बचत-खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरणीय प्रभावों का पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. नसीब की विधिक सार (लकड़ी-प्रेमनगर, घास-लकड़ी, लकड़ी-राजिन, जिला-नरियाबंद), किसानपारा, शिव चौक, गाँवरा, नयापारा, जिला-सुरजपुर (संविदाकरण का नसीब क्रमांक 1448)

अनिवादी अपराध - उपरोक्त नम्बर - एमआईए/ सीसी/ एमआईए/ 180047 / 2020, दिनांक 29/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से निर्धारित वेत बचत (सीन खनन) है। यह बचत घास-लकड़ी, लकड़ी-राजिन, जिला-नरियाबंद जिला बरसात क्रमांक 21, कुल क्षेत्रफल-4.21 हेक्टेयर में है। खनन बचत नदी से किया जाता है। बचत की अपेक्षित खनन क्षमता - 28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीठकी का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आवश्यक कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का डिग बनाकर, वर्तमान में रेत संचय के लेवलस (Levels) लेकर डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी आदि) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी तटों की सारी (Levels) का भी सर्वे किया जायें। जल लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेरी बेस मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेरी बेस मार्क (TBM) में अरकल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिग में 2 टेम्पलेरी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, सभी अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित खनन क्षेत्रों पर फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी से गहराई की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की गहराई क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी सतह पर, नदी पर प्रदर्शक, इसका परस्पर न्यूनतम स्थान में अतिरिक्त रूप से करवा जायें। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भी पर अतिरिक्त विभाग से सीमांकन लगाकर, जमान गठ प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एरीक्ट एवं जल आपूर्ति स्तंभ की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एरीक्ट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र पर्याप्तानुसार दूरी के अंतर किया हो, तो पर्याप्त अंतर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकानुसार नदी पर विहित कर, उसका भी क्षेत्र सीमांकन तथा न्यूनतम स्थान में इस बाधा परस्पर किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भीटाई जमाने के लिए प्रति ईन्टीका में कम से कम एक गड़डा (म्ह) खोदकर उसकी वस्तुविक गहराई का मापन कर, अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वस्तुविक गहराई हेतु संयोजन भी प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल का खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिकरण (एस.ई.आई.ए.), पर्यावरण अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग पर्यावरण (सी.ई.आई.ए.), कस्तीसमड़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त सारी के मापन में जो गड़े आवेदारी की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. जिला स्तर में किन्हीं एक उत्खनन की वस्तुविक मापन की जानकारी अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. **सीईआर:** (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विभाग के साथ प्रस्तुत किया जाय।
5. **खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचना में रेत की लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित डेटा में पर्याप्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटिंग्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिवस तक हेतु निर्दिष्ट किया जाय।**

तदनुसार खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एलईएसी, अलीगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) सभिति की 349वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुपेक्ष पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सभिति द्वारा साक्षरत्व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से पर्याप्त वसति जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एलईएसी, अलीगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2021 एवं 08/02/2021 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपेक्ष पत्र प्रेषित किया गया है।

(5) सभिति की 350वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:

सभिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण कर, आगामय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चली गई जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवस तक हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एलईएसी, अलीगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(6) सभिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी विवेक माहू, प्रोजेक्ट/रेंज उपस्थित हुए। सभिति द्वारा मन्त्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. **खान भंडारण का अन्यायित प्रमाण पत्र** - इस आशय में संकेत में खान पताका उपरोक्त का दिनांक 18/04/2018 का अन्यायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्दाकित/सीमांकित** - कार्यलय कलेक्टर, खनिज खाद्य से प्राप्त ज्ञापन पत्र अनुसार यह खदान चिन्दाकित/सीमांकित कर प्रेषित है।
3. **सुरक्षायन योजना** - सर्वेक्षण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघालक (स.प्र), संघालालय, बीकानेर तथा खनिजने, यथा सचमुच अटल नगर के ज्ञापन संख्यांक 4272/खनि 02/साया/र.सो.अनु./स.क. 27/2020 तथा सचमुच दिनांक 22/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में निश्चित खदान** - कर्नालय कलेक्टर (खनिज खाद्य), जिला-परिषद के ज्ञापन संख्यांक/274/खनि/स.क./2018 परिषद, दिनांक 13/08/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अनिश्चित अन्य रेत खानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — जातीय सर्वेक्षण (खनिज सख्त), विना-परिधान के आयन क्रमिक 1000/खनि/रेत /ग.क./2020 परिधान, दिनांक 07/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार राजा खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनोकाट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं अन्य आयुर्विहीन इतिहासिक क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. जीव शीतल का विवरण — जीव की शीतल सख्त के नाम पर है, जो जातीय सर्वेक्षण (खनिज सख्त), विना-परिधान के आयन क्रमिक 124/खनि/रेत मिलायी/2018 परिधान, दिनांक 25/12/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महापूरण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी घाट—सेमठ 1 कि.मी. एवं स्कूल घाट सेमठ 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। लीकृत रेत खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनोकाट स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जातीय सर्वेक्षण सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्य, केंद्रीय अल्पसंख्यक विकास बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली वॉल्डुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई — अधिकतम 808 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई — अधिकतम 464 मीटर, न्यूनतम 483 मीटर एवं चौड़ाई — अधिकतम 115 मीटर, न्यूनतम 25 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 1.5 मीटर अवधि नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई — आवेदन अनुसार खदान पर रेत की गहराई — 3 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान सार्वजनिक प्रमाण अनुसार खदान में गार्नेटोस रेत की मात्रा — 82,000 टन/वर्ष है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर खनिज से उपलब्ध रेत खदान की मोटाई उत्खनन के लिए प्रस्तावित खदान पर 8 मीटर (7.5) खनिज सख्त की सार्वजनिक गहराई का प्रमाण पत्र, खनिज विभाग से प्रमाणित प्रस्तावित प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.73 मीटर है। रेत की सार्वजनिक गहराई हेतु प्रस्तावित की प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—
 1. पूर्व में संशोधन, काम प्रस्तावित प्रस्तावक के नाम से रेत खदान पर जीव प्रस्ताव क्रमांक 21, संख्यांक 4.81 डीसीएन, अमरा-24,000 टन/वर्ष प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रस्तावित निर्माण प्राधिकरण, सरोजसख्त द्वारा दिनांक 28/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

| | | | |
|--|--|----------------------------------|------|
| | | Solar Panel System (H.S. School) | 0.80 |
| | | Total | 1.15 |

16. नैव नार्डनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की लंबाई अधिकतम 338 मीटर, गूनाम 430 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 82 मीटर, गूनाम 10 मीटर है। नये डिजा निर्देशों के अनुसार नदी तट के गूनाम 2.5 मीटर ज्यादा नदी के घाट की लंबाई का 10 प्रतिशत दूरी तट के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। नार्डनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की लंबाई का 10 प्रतिशत जोड़कर खनन किया जाना अनिवार्य है, जिससे 12,800 वर्गमीटर नैव नार्डनिंग क्षेत्र रहा गइ है। जब रेत उत्खनन का कार्य खदान के आसपास 3-43 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन नियुक्त विधि से एवं नयाई का कार्य जिला द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परिसीजनन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित खनन सीजन में खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक 50 पुनर्गठन संशोर्त उत्खनन कार्य एवं सांस्कृतिक आरक्षकों का समायोजन नहीं किया गया है। खदान नदी छोटी नहीं है तथा इससे वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्गठन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. अनधिकृत खदान (दाल-जयकीरा) का लंबा 4.81 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का प्रस्ताव कम होने से खनन यह खदान की-2 क्षेत्रों की मांगी गयी।

2. पुनर्गठन कार्य - प्रस्ताविकता के अनुसार पर नदी तट पर कुल 2,300 म्म पीछे - 1,150 म्म (आर्जुन के पीछे तथा 1,150 म्म (जासुन, कटेक, बाल, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इससे अधिकतम कुल कार्य पर 750 म्म पीछे लगाए जायेंगे।

3. परिसीजनन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आसानी 1.5 वर्ष में विस्तृत मात्र अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्गठन (Rehabilitation) कार्य सभी आरक्षक, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघर्त, जीव एवं कुल जीवों पर प्रभाव तथा नदी की घाटी की पुनर्गठना पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सभी जानकारी प्राप्त हो सके।

4. सीजन क्षेत्र की सतह का नैव नार्डनिंग खाता -

1. रेत खनन उपरोक्त समस्त क्षेत्र की पूर्व नार्डनिंग क्षेत्र के अंतिम प्रस्ताव/खुन के प्रभाव प्रस्ताव) इसी विधि विनियुक्तों में नार्डनिंग सीजन क्षेत्र तथा सीजन क्षेत्र के आसपास एवं आसपास में 500 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतह (Levels) का सभी पूर्व निर्धारित विधि विनियुक्तों पर किया जायेगा।

- क. इसी प्रकार बागसुन के बाघ (बाघदुर्ग, सन्ध्या मठ) में सेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इसी विषय किन्तुओं पर सेत सारा के लेवलर्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
- ख. सेत सारा के पूर्व निर्धारित विषय किन्तुओं पर सेत सारा के लेवलर्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीछे-बागसुन के आंकड़े विसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं डी-बागसुन के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक क्रमिकरूपेण कम से कम डी,आई,एन, एल,सी,एल,सी के प्रस्तुत किए जावेंगे।

5. समिति द्वारा निम्न विभिन्न उपरोक्त सर्वेक्षणों से भी विभिन्न सड़क उपरोक्त रोड्स नाईन्, सारात क्रमांक 21, घाम-उपरोक्त, तहसील-राजिन्, जिला-मरियाबाद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.81 हेक्टेयर में से सेत माईनिंग क्षेत्र 13,600 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.45 हेक्टेयर क्षेत्र में, सेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 52 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने की अनुमति की गई। सेत की गहराई अनिवार्य द्वारा (Manually) की जाएगी। फिर बेंक (Pit) बना में गरी गहराई का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में किया सेत गहराई गहरे (Excavation) में सीमित गहराई तक सेत का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।
6. सेत माईनिंग क्षेत्र एवं उपरोक्त माईनिंग क्षेत्र का भीले पर क्रमिक विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने के अलावा ही क्रमिक विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर अधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को सेशन 10वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। विचार विभिन्न उपरोक्त अधिकरण द्वारा सर्वेक्षणों से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए भी विभिन्न सड़क, उपरोक्त रोड्स नाईन्, सारात क्रमांक 21, घाम-उपरोक्त, तहसील-राजिन्, जिला-मरियाबाद, कुल लीज क्षेत्रफल 4.81 हेक्टेयर में से सेत माईनिंग क्षेत्र 13,600 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.45 हेक्टेयर क्षेत्र में, सेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 52 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने का निर्णय किया गया।

परिशीलन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. वेसर्ट की अठमवा रक्षा (बालूद रोड नाईन्, घाम-बालूद, तहसील-दन्तोवाडा, जिला-दक्षिण बरवाड दन्तोवाडा), घाम-बालूद, तहसील-दन्तोवाडा, जिला-द.ब. दन्तोवाडा (सविवालय का मसौदा क्रमांक 1115)

डी-बागसुन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीसी / एचआईएन / 136000 / 2020, दिनांक 08 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेत खदान (पीन खनिज) है। यह खदान घाम-बालूद, तहसील-दन्तोवाडा, जिला-दक्षिण बरवाड दन्तोवाडा स्थित सारात क्रमांक 21, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खानगी नदी से किया जाने प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(अ) समिति की 20वीं बैठक दिनांक 04/03/2020:

समिति द्वारा उपरोक्त की गयीं एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा पर्याप्त एवं उचित एवं निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नालों की दूरी बांधू जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल वास्तव्य हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल से आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी पर 3डी डेवलपमेंट 4 डिन्कर्स का सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्वेक्षण में रेल लाइन के लेवलिंग (Levels) लेकर सिविल नैच में उपस्थित एवं प्रस्तुत किये जाएं। जहाँ लेवलिंग (Levels) हेतु कम से कम 2 टेंपेरी बेंच मार्क (Concrete/ BIM structure) निर्धारित किये जाएं। टेंपेरी बेंच मार्क (BIM) में इयर एंड, सी-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। सिविल नैच में टेंपेरी बेंच मार्क (BIM) को भी प्रोसेस करें एवं खनिज विभाग से प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण के संबंधित जानकारी/ प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाएं।
3. रेल वास्तव्य हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध छत की चौड़ाई (खुदमे) को सिविल 3डी डेवलपमेंट में कम से कम एक मीटर (1m) चौड़ाई तक की प्रस्तावित गहराई का भवन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की प्रस्तावित गहराई हेतु सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित प्रयोग क्षेत्र की चौड़ाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में उपस्थित स्थल पर प्रस्ताव हेतु राज्य सरकार पर्याप्त समाधान निर्धारण प्रतिक्रिया (एनईएईएईएई) प्रस्तुत करना आवश्यक सिद्ध कर प्रस्ताव समाधान निर्धारण प्रतिक्रिया (एनईएईएईएई) प्रस्तुत कर प्रस्तावित जानकारी की गई हो, तो पूर्व में जारी प्रस्तावित जानकारी की यदि एवं उपस्थित नहीं के प्रस्ताव में भी नहीं उपस्थित की जानकारी प्रस्तावित संबंधित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सर्वेक्षण की प्रस्तावित स्थिति की जानकारी प्रस्तावित संबंधित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि प्रस्ताव पूर्व से संबंधित है, तो विभाग परी में सिविल एवं वास्तव्य की प्रस्तावित समाधान की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. जिला स्तर से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी बांधू जानकारी हेतु वन विभाग से जहाँ प्रस्तावित प्रस्ताव पर (अवधान) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के जोएए, दिनांक 04/03/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की उपस्थित दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्रस्ताव में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की भी प्रस्तुत की जाए।
10. सभी निर्देश एवं परिशोधन प्रस्तावक को प्रस्ताव में रेल के लेवलिंग (Levels) लेने वाली सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ प्रस्तावित स्थल की उपस्थित बैठक में उपस्थित प्रस्ताव प्रस्तावित जानकारी / प्रस्तावित (अवधान प्रस्तावित) संबंधित प्रस्तावित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सद्व्यवहार एवं निरीक्षण एवं परिवर्तन प्रस्तावक को एल.ओ.आई., एन.ओ.आई. के द्वारा दिनांक 22/02/2020 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया है।

(ख) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

अनुमोदित हेतु की सेवा प्रयोग, अधिकृत प्रतिनिधि एवं भी जलपट्टी आड़ी, एवं निरीक्षण उपस्थापित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्ताव जलपट्टी का अवलीक्षण एवं परिवर्तन करने का निम्न विधी कई गई:-

1. ग्राम बंधावा का अनापति प्रस्ताव पत्र - पेट प्रस्ताव के संख्या में राम प्रधान बाबूद का दिनांक 22/02/2019 का अनापति प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दकित/सीमाकित - कार्यालय कार्यालय, अतिरिक्त साख्त में ग्राम प्रस्ताव पत्र अनुसूक्त पत्र प्रदान विन्दकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. अवलोकन बीजना - राष्ट्रीय पत्र प्रस्तुत किया गया है जो एवं अधिकारी, जिला-दक्षिण भारत एन.ओ.आई. के द्वारा एन.ओ.आई./अतिरिक्त/उ.पी. /2018-20 एन.ओ.आई. दिनांक 21/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कार्यालय (अतिरिक्त साख्त), जिला-दक्षिण भारत एन.ओ.आई. के द्वारा एन.ओ.आई./अतिरिक्त/उ.पी. /2018-20 एन.ओ.आई. दिनांक 24/02/2020 के अनुसूक्त अनापति प्रदान में 500 मीटर के भीतर अवस्था अन्य खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कार्यालय (अतिरिक्त साख्त), जिला-दक्षिण भारत एन.ओ.आई. के द्वारा एन.ओ.आई./अतिरिक्त/उ.पी. /2018-20 एन.ओ.आई. दिनांक 24/02/2020 द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र अनुसूक्त पत्र प्रदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, गुप्त, बंध, क्षेत्र, एन.ओ.आई. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं पत्र आड़ुई यदि अवस्थित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कार्यालय (अतिरिक्त साख्त), जिला-दक्षिण भारत एन.ओ.आई. के द्वारा एन.ओ.आई./अतिरिक्त/उ.पी. /2018 एन.ओ.आई. दिनांक 25/12/2018 द्वारा जारी की गई, जिलाई अवधि 2 वर्ष हेतु किया है।
7. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीमा सीमा में 200 मीटर में कोई अन्य क्षेत्र स्थित नहीं है। सीमा सीमा के निकटतम का क्षेत्र की सामलिक दूरी संबंधी जानकारी हेतु एवं स्थल में अनापति प्रस्ताव पत्र प्रदान करने हेतु अवलोकन किया गया है। एवं स्थल के अनापति प्रस्ताव पत्र प्रदान होने पर सीमा ही प्रस्तुत की जाएगी।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, कार्यालय, का और जलपट्टी परिवर्तन प्रस्ताव, नई दिल्ली की अवलोकना दिनांक 25/02/2018 द्वारा विहित प्रदान में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महालयपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसानी राम-बाबूद 4 कि.मी., बाबूद राम-बाबूद 4 कि.मी., एवं अवस्थाक एन.ओ.आई. 4 कि.मी. की दूरी का स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी., एवं राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। अतिरिक्त पेट प्रदान में 500 मीटर की दूरी तक कोई गुप्त/एन.ओ.आई. स्थित नहीं है।

10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परिधीयता प्रत्यक्ष दूरात 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रमुख निर्यात क्षेत्र द्वारा घोषित क्रिटिकली वील्डटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र किच्छ नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

11. समान स्तर पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी — आवेदन अनुसार समान स्तर पर नदी के घाट की चौड़ाई — अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर तथा समान स्तर की चौड़ाई — 75 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के साथ किनारे से दूरी 10 मीटर एवं बांध किनारे से 15 मीटर है।

12. खदान स्तर पर गैर की मोटाई — आवेदन अनुसार स्तर पर गैर की मोटाई — 2 मीटर तथा गैर समान की प्रस्तावित मोटाई — 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमति प्राप्त नई/पुनः खान अनुसार खदान में साईनेसल गैर की मात्रा — 50,000 घनमीटर है। गैर उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध गैर मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (ट्रेश) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पता कर, स्थिति विभाग से प्रमाणित जलकारी प्रस्तुत की गई है। जिसकी अनुसार गैर उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्तर पर 1 गड्ढा एक खोदकर जानने गैर मात्रा की गहराई जानने के आधार पर वर्तमान में गैर की उपलब्ध मोटाई 2 मीटर है। गैर की वास्तविक गहराई हेतु पंचायत की प्रस्तुत किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- a. पूर्व में सार्वभूमि, ग्राम पंचायत समिति के नाम से गैर खदान घाट जीव खानात कार्यालय 01, लेखक 2 हेक्टेयर, समत-50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिकार, एम्प्लोयर्स द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/11/2018 से प्राप्त जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गैर उत्खनन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- c. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
- d. क्लोजर नहीं किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में गैर मात्रा के लेवल — गैर उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्तर पर प्रति हेक्टेयर 2 किग्रा का ठिक मात्रा वर्तमान में पोस्ट-मोनसून (Post-Monsoon) गैर दिनांक 01/01/2020 की गैर मात्रा के लेवल (Level) लेबर, सभी खनिज विभाग से उपलब्धता करार खोदोप्राप्त करार जानकारी/वसताने प्रस्तुत किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — भारत सरकार, पर्यावरण, गैर और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/06/2018 से अनुसूचित सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के द्वारा विभाग से सभी आवश्यक निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 48 | 2% | Rs. 0.96 | Following activities at nearby Government Primary School Village-Bakel | |
| | | | Rain Water Harvesting System | Rs. 0.50 |
| | | | Running water Facility for Toilets | Rs. 0.20 |
| | | | Plantation work with Fencing | Rs. 0.30 |
| Total | | | Rs. 1.00 | |

16. नदी घाट की दूरी विद्यमान से दूरी 25 मीटर एवं बाघे किनारे की दूरी 10 मीटर बढ़ाये गई है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की दूरी होगी बढ़िए। समान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई अतिमूल्य 100 मीटर है। जहाँ नदी के घाट की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की दूरी को गैर नार्मल क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जाये होगी। साथ ही उक्त गणना को अक्षर पर नार्मल स्थान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

17. समिति को सज्जन ने यह सूचना देना कि स्कूल में खदान बालू 'अ' की स्तरीय दो अन्य में खदान बालू 'ब' एवं बालू 'स' की स्तरीय है। जिसकी वार्षिक दूरी की जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उक्तानुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. नदी के घाट की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की मूल्यन दूरी को गैर नार्मल क्षेत्र घोषित करते हुए गैर नार्मल क्षेत्र की गणना की जाए। गैर नार्मल क्षेत्र एवं नार्मल क्षेत्र का सीमांकन कर सुनिश्चित किनारे से अनुसंधान कराया जाए तथा संशोधित नार्मल स्थान प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यलय अक्षर (खनिज सखई) द्वारा खदान बालू 'अ', 'ब' एवं 'स' की एक ही प्रमाण पत्र (गणना सखई) में खदान अक्षर एवं क्षेत्रफल की दूरी सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. दूरी में जारी पर्यावरणीय स्तरीय की शर्तों के खाल में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उक्तानुसार की वार्षिक पत्र की जानकारी खनिज विभाग से उपलब्ध करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. इन विभाग से अपरिचित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रमाण में प्रस्तुत किया जाए।

समानुसार एन.ई.ए.सी. पर्यावरण के कारण विभाग 04/04/2021, 06/01/2021 एवं 04/02/2021 के परिपत्र में परिशोधन असाधारण द्वारा दिनांक 11/02/2021 की जानकारी /संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 268वीं बैठक दिनांक 12/02/2021

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जालझरी का आवधिक एवं वार्षिक बनने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. विद्यमान सड़कियाँ पल्ल प्रस्तुत किया गया है, जो सड़क अधिकारी, जिला-दक्षिण बल्लार जिलाका के द्वारा क्रमांक 845/सड़क/नदी/2020-21 संकेतक दिनांक 18/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
2. जलम बल्लार पर नदी के तट की चौड़ाई - अधिकतम 178 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर तथा जलम बल्लार की जलवाड़ी - अधिकतम 478 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 144 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर है। जलम की नदी तट के किनारे से दूरी 18 मीटर एवं बाएं किनारे से 10 मीटर है।
3. गैर सड़किय क्षेत्र - नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 178 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर है, क्योंकि जलम की नदी तट के किनारे से दूरी 18 मीटर एवं बाएं किनारे से 10 मीटर है। गैर सड़किय क्षेत्रों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में बनने नहीं किया जा सकता। सड़किय पल्ल के अनुसार नदी तट के किनारे से जलम क्षेत्र की दूरी नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = 20 मीटर अधिकतम उपखण्ड किया जाया प्रस्तावित है, जिसमें 2,600 वर्गमीटर गैर सड़किय क्षेत्र रहा गया है। अतः गैर उपखण्ड का कार्य जलम के क्षेत्र में 2.64 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. कार्यलय कारोक्टर (सड़किय जालझरी) द्वारा जलम बासुंदे ज. न. एवं न. की एक ही जलम पर (बल्लार सड़किय) में जलम क्रमांक एवं क्षेत्रफल की दूरी सड़किय जालझरी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय प्रतिक्रिया के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
6. कार्यलय कारोक्टर (सड़किय जालझरी), जिला-दक्षिण बल्लार जिलाका द्वारा विगत वर्षों में किये गये उपखण्ड का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---------|------------------|
| 2014-15 | 31,320 |
| 2015-16 | 31,320 |
| 2016-17 | 22,870 |
| 2017-18 | 7,630 |
| 2018-19 | निर्वाह |

7. कार्यलय जल मन्त्रालयकारी, जिलाका जालझरी, जिला-दक्षिण बल्लार के द्वारा क्रमांक/जालझरी/8471 जिलाका दिनांक 18/12/2020 द्वारा जारी अनुमोदित प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया है।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत जालझरी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा जलम पर पर्यावरणीय से निर्णय किया गया था कि सड़किय निर्माण एवं पर्यावरण प्रस्तावक को पूर्व में जारी गई जानकारी एवं सल्लाह सुधारा जानकारी / पर्यावरण सड़किय प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures and official stamps)

तत्पश्चात् यमि निर्दिष्ट एवं परिचयित प्रस्तावक को पुराई/ए.सी. जलीकरण के अग्रिम दिनांक 17/03/2021 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

अनुमोदित हेतु की अग्रिम पर, बोल्डिंटर सम्बन्धित हुए। समिति द्वारा नती, अनुमोदित प्रस्तावों का अनुमोदन एवं सीजन काले पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. कार्यालय जलेश्वर (ग्रामिक बाजार), जिला-उन्नाव के अग्रिम अर्शंक 344/यमि/पञ्ज/2020-21 उन्नाव, दिनांक 17/10/2020 द्वारा अग्रिम अनुमोदित, 'अ' एवं 'ब' की एक ही प्रस्ताव पर (नगर सहित) में अग्रिम अर्शंक एवं उन्नाव की दूरी सहित पत्रों हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2. ऑनोरेट सर्वाधारीय स्थिति (C.E.R.) - परिचयित प्रस्तावक द्वारा समिति के अग्रिम दिनांक से अग्रिम अग्रिम निम्नानुसार विस्तृत अग्रिम अनुमोदित किया गया है-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 20.8 | 2% | 0.41 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Tarapur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.30 |
| | | | Running water Facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation | 0.11 |
| | | | Total | 0.61 |

3. कार्यालय जलेश्वर (ग्रामिक बाजार), जिला-उन्नाव नगर उन्नाव के अग्रिम अर्शंक 1188-9/यमि/पञ्ज/2021 उन्नाव, दिनांक 22/03/2021 द्वारा अग्रिम अग्रिम में किये गये अग्रिम का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|---------|------------------|
| 2017-18 | 7.830 |
| 2018-19 | निक |
| 2019-20 | निक |
| 2020-21 | निक |

4. यह अग्रिम अनुमोदित विधि से एवं अग्रिम का कार्य अग्रिम द्वारा अग्रिम अग्रिम अग्रिम है।
5. परिचयित प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक अग्रिम की अनुमोदित गयी है। अनुमोदित अग्रिम अग्रिम में अग्रिम किन्तु अग्रिम वाले अग्रिम की अग्रिम यह अनुमोदित अग्रिम अग्रिम एवं अग्रिम अग्रिम का अग्रिम नहीं किया गया है। अग्रिम अग्रिम अग्रिम है अग्रिम अग्रिम अग्रिम में अग्रिम 1 मीटर गहराई से अग्रिम यह का अनुमोदित अग्रिम की अनुमोदित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आर्योड्डा खदान (घास-वास्तु) का संचालन 4.8 हेक्टर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की दूरी में स्थित/संलग्न खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का प्रस्तावित होने से खदान पर खदान की-2 बंधों की मानी गयी।

2. बुधवारोड्डा खान - प्रशासिका के अन्तर्गत का नदी तट पर कुल 1,000 मग पीछे - 1,500 मग अर्द्धवृत्त के पीछे तथा क्षेत्र 1,500 मग (जालुन, उन्नेड, बंग, जाल आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इससे अधिकित मद्युव नदी पर 750 मग पीछे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरण प्रभावक रित खदान क्षेत्र में अगामी 1.5 वर्ष में मिलित गान अध्ययन (Impact Study) करवाया जायिक रित के पुनर्गण (Rehabilitation) कराया जायि आर्योड्डा रित परखनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनधरि, जीव एवं कुम जीवों पर प्रभाव पडत नदी के नदी की कुमकला पर रित परखनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सकें।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बैकसाईन बाटा -

i. रित खानन उपरोक्त मानकून की पूर्ण (गई भूत के अर्धिम सतह/जुन के प्रभाव सतह) इन्ही रिड किन्तुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्तर्गत एवं बाकसाईन में 300 मीटर तक तथा खानन लीज के बाटर / नदी तट (दीनी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में सही सतह के सही (Levels) का सही पूर्ण निर्धारित रिड किन्तुओं का किन्तु जायिक।

ii. इन्ही प्रस्ताव मानकून के बाव अन्तर्गत/अन्तर्गत भूत में रित परखनन वाले खानने के पूर्ण इन्ही रिड किन्तुओं पर रित सतह के निम्नतः Levels का स्थान किन्तु जायिक।

iii. रित सतह के पूर्ण निर्धारित रिड किन्तुओं पर रित सतह के निम्नतः Levels के स्थान का कार्य अगामी 2 वर्ष तक निरंतर किन्तु जायिक। फीस-मानकून के अंतर्गत विभाजन 2021, 2022, 2023 एवं फी-मानकून के अंतर्गत अगला 2021, 2022, 2023 तक अन्तर्गत रूप से एम्.ई.आई.ए. सतर्कता की प्रस्तुत किन्तु जायिक।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से की अन्तर्गत राज. कानून क्षेत्र माईनिंग-अन्तर्गत अन्तर्गत 21, घास-वास्तु, तटसील-उन्नेवाडा, जिला-दक्षिण क्वटर उन्नेवाडा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टर में से रित माईनिंग क्षेत्र 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.88 हेक्टर क्षेत्र में रित परखनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित कराया जायि, कुल 38,400 घनमीटर अधिकतम रित परखनन हेतु पर्यावरणीय सीस्टी, जारि विनाक से 10 वर्ष तक की अवधि हेतु रिड जाने की अनुमति की गई। रित की खुदाई समिति द्वारा (Monthly) की जायिक। रिड क्षेत्र (Riser Area) में बाकी खानने का प्रवेश अधिकतम रोकना। लीज क्षेत्र में निरंतर रित खुदाई कार्य (Excavation Work) के अर्धिम भाईत तक रित का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा द्वारा किन्तु जायिक।

6. रित माईनिंग क्षेत्र एवं अन्तर्गत माईनिंग क्षेत्र का पीछे पर अधिक विचार से सतह परखनन करने से उपरोक्त ही अधिक विचार द्वारा परखनन की अनुमति की जायिक।

[Handwritten signature]

9. आवेदन द्वारा पीछे-भागसूच नहीं नहीं किया गया है। जहां, रेत उत्खनन द्वारा काले की पूरी पर्याप्तानुसार निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह की मापी (Levels) का पीछे-भागसूच नहीं कर, उसके आंकड़े उत्खनन एम.ई.आई.ए. में प्रस्तुत करने लिए जायें।

प्रतिकूलन द्वारा बीछक में विचार - उत्खनन प्रकरण पर प्रतिकूलन की तिथि 13/06/2021 को संलग्न 10वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकूलन द्वारा नली का उत्खनन किया गया। विचार विनीत उत्खनन प्रतिकूलन द्वारा सर्वोच्चतम से समिति की अनुमति को स्वीकार करने के अहम चरण प्रस्तुत रूप से नहीं। उसका क्रमांक 21, धाम-बजूर, तहसील-राजीवपुर, जिला-प्रद्विप बसत इन्डिया, कुल सीक क्षेत्रफल 4.8 हेक्टर में से रेत खड्डिंग क्षेत्र 3.800 वर्गमीटर क्षेत्र का करने पर 3.84 हेक्टर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हुए, कुल 38,400 वर्गमीटर क्षेत्रों में रेत उत्खनन हेतु पर्याप्तनीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 22 वर्ष तक की अवधि हेतु सिद्धि जाये का निर्णय किया गया।

परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक को पर्याप्तनीय स्वीकृति जारी किया जाय।

11. पेशवा की.एन. टैक्सी-टापर हाइवेद सिमिटेड, धाम-मिर्ठीकला, तहसील-अविकापुर, जिला-बनगुजा (सचिवालय का नसीब क्रमांक 323)

आवेदन आवेदन - प्रयोग नम्बर - एम.आई.ए./ सीटी/ एम.आई.ए./ 2021/ 2018, दिनांक 18/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन में प्रयोग नम्बर - एम.आई.ए./ सीटी/ एम.आई.ए./ 180209/ 2021, दिनांक 21/07/2021 द्वारा खड्डिंग ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्याप्तनीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक द्वारा धाम-मिर्ठीकला, तहसील-अविकापुर, जिला-बनगुजा स्थित एक क्षेत्र उसका क्रमांक 1/23, कुल क्षेत्रफल 3.406 हेक्टर (1 एकड़) में स्थापित Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (उत्खनन) के अंतर्गत Radiation Plasma Pyrolysis संयंत्र - 250 कि.वा. प्रतिघंटा, Acid Clave संयंत्र - 200 कि.वा. प्रतिघंटा एवं Shredder संयंत्र - 100 कि.वा. प्रतिघंटा के पर्याप्तनीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परिप्रेक्ष्य का कुल निवेश राशि 2.85 करोड़ है।

बीचों का विवरण -

(अ) समिति की 38वीं बैठक दिनांक 11/08/2021।

समिति द्वारा उत्खनन की नली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उससमय पर्याप्तनीय से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. जारी टी.ओ.आर एवं अनिश्चित टी.ओ.आर के प्रारंभ में की गई स्वीकृति की बिन्दु पर जानकारी प्रस्तुत की जाय।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण किया के साथ प्रस्तुत किया जाय।
3. परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक को उत्खनन संयंत्र पूर्ण जानकारी / एम.आई.ए. (उत्खनन फोटोवाला) के साथ प्रस्तुत करने सिद्धि जाये हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

सदानुसार परिशोधना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., अलीखाना के द्वारा दिनांक 07/03/2021 द्वारा अनुमोदन हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 362वीं बैठक दिनांक 22/03/2021:

अनुमोदन हेतु की विभिन्न वलिका, डीजेलर एवं केमर्स द्वारा इच्छाओं टैक एन्ड इंजीनियर्स प्रोपर्ट लिमिटेड की ओर से डॉ. जाल साईक, ई.आई.ए. सी-ऑरिगेना प्रकियात हुए। समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. सभीपन्थ स्थित डिजाइनकारी संबंधी जानकारी -

- समीपस्थ आवासीय घाट-कीर 0.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन अधिकांत 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है। गुण्डा नदी 8 कि.मी. बड़ी बंध 13 कि.मी. की दूरी पर है।
- घाटान अवशित वन 0.3 कि.मी., सिलखा अवशित वन 5.8 कि.मी., सींगपुर अवशित वन 7.8 कि.मी., मुखरी अवशित वन 8.3 कि.मी., बतरगाठ अवशित वन 7.9 कि.मी., सलखा अवशित वन 7.8 कि.मी., चण्डा अवशित वन 8.1 कि.मी., खैरवार अवशित वन 7.8 कि.मी. एवं पालन अवशित वन 8.2 कि.मी. दूर है।
- परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की शक्ति में अंतर्राज्यीय सीमा राष्ट्रीय राजान, अभ्यारण, केन्द्रीय प्रकृति नियंजन बोर्ड द्वारा शक्ति डिस्ट्रिबुटी बोर्डवुटेड एरिया, पारिस्वितिकीय संवेदनाशील क्षेत्र या शक्ति वीरिभिकिया क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रकियात स्थित है।

2. भूमि प्रक्यापिच्छा संबंधी विवरण - भूमि जो अनुया, पनर पत्तिक स्थित, सिल-वापुरा द्वारा 30 वर्षी की शिव दिनांक 07/07/2019 की 08/07/2019 तक शीत पर गेवर्सी सी.एन, टैक्नी-सीनट प्रोपर्ट लिमिटेड की प्रदान की गई है।

3. डीजनेट शीकीडिटी -

| Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis | |
|--|--|
| Capacity | 200 kg/hr |
| Type | Cylindrical Vertical (solid waste feeding) |
| Revolution | 0.2 to 1 rpm |
| Volume | 4 m |
| MOC (Sheet) | SS310 - 10mm Thick |
| Chamber Pressure | 10-20 mm WC |
| Travel Speed | 6.02 rpm Hr |
| Refractory Thickness | 25 mm |
| Grth Gear | MOC EN 18 Forged 8 Module Spur Gear Type |
| Drive Gear Box | Electon / Reputad Company Make |
| Drive Motor | 10 HP Make 3 Phl Class 84 Duty Induction Motor |
| Inner Diameter of Kin | 1,200 mm |
| Inner Length of Kin | 3,000 mm |
| Tire Wheel | 250 wide 2 Set |
| Flue Gas Velocity | 1.5 m/s |

| | |
|--|--|
| Ash and Residue Separation | Ash Separator with Hot Ash removal screw Conveyor |
| Gas Leakage Prevention | Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage |
| Back Pressure Prevention | From Charging Door Compressed Door Mechanism |
| Explosion Safety Explosion | Daft Arrangement (Internal) |
| Waste Loading Mechanism | Sackel Elevator with Hopper |
| Waste Receiving From Bin Side | Hopper unit with Safety Door |
| Waste Feeding Mechanism | Hydraulic Plumb and Pusher |
| Feeding Unit | 5 HP |
| Nature / Category of Waste | Incombustible Bio-Medical Waste with Maximum 85% Moisture Content. |
| Heat Loss fraction | 0.05 |
| Design Temperature | 1,400 °C |
| Source Of Energy | Electric |
| Combustion Efficiency | At Least 99 % |
| Temperature resistance (Primary chamber) | 1,400 °C |
| Temperature resistance (Secondary Chamber) | 1,200 °C |
| Preheating Time | Maximum One Hour |
| Temperature in Primary Chamber | 850 ± 50 °C |
| Temperature in Secondary Chamber | 1,050 ± 50 °C |
| O ₂ Content in Primary Chamber | 8 % |
| Residence time for flue gas in Secondary chamber | 2 Sec. |

• **Autoclave**

| Technical Specifications | |
|--------------------------|--|
| Capacity | 200 Kg/Batch |
| MOC | SS-304 |
| Model No | BLUTER AC200 |
| Insulation | Ceramic wool on outer side |
| Pressure | 2.1 kg/cm ² |
| Air Emission | Highly Odorous but Non Toxic |
| Heating Media | By steam generated from Electric heater arrangement |
| Feeding | Manual through horizontal Trolley |
| Safety Instrument | Pressure Gauge and Safety Valve |
| Temperature | 121 to 134 °C |
| Design Temperature | 150 °C |
| Vapor Emission | Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base |
| Treatment Effluent | Low Vial Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable |

• **Shredder**

| Technical Specifications | |
|--------------------------|---------------|
| Capacity | 100 Kg/Hr |
| MODEL No | BLUTER-SDR100 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Waste Materials | Biomedical waste |
| Power | 3 HP |
| Motor | 3 Phase 50 Hz 415 VAC |
| Hopper Size | 300 X 400 mm Height |
| Drive | V belt Pulley drive |
| Required Space | 4 m (only machine) |
| MOC | MS Fabricated |
| MOC of Blade | W.P.S. Hardened changeable Blade |
| Control Panel | Dual starter ON/OFF switch |
| Shredding Size | 25 X 50 mm Waste Cutting |
| Bearing | SKF/2RL Ball Bearing |
| Cutting Blade | 5 Nos. (3 movable & 2 fix blades) |

a. शोधक हेतु आवश्यकताएं -

| Type of HCF | No. of Health Care Facilities | Total No. of Beds |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Govt. Hospitals | 162 | 3,500 |
| Private Hospitals | 164 | 1,154 |
| Clinic | 53 | - |
| Pathology Lab. | 18 | - |
| Blood Bank | 2 | - |
| Govt. Health Care Sub Centres | 1,052 | - |
| Total | 1,411 | 4,654 |

b. खतरनाक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था -

| Hazardous & Solid Waste Management | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| CAT. NO. | TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE | SOURCE | QUANTITY GENERATED (Kg/Day) | METHOD OF DISPOSAL |
| 28.2 | Ash | Incinerator | 600 | Sent to TSDF for landfilling |
| 24.3 | ETP Sludge | ETP area | 100 | Sent to TSDF for landfilling |
| - | Plastic Waste after Autoclave and shredding | Shredder | 500 | Sent to Authorized Recyclers |
| - | Glass and metallic body implants After Autoclave | Autoclave | 300 | Sent to Authorized Recyclers |
| - | Metal Shrapnel after Autoclave and Shredding | Shredding | As generated | Sent to foundry for metal recovery / |

Handwritten signature

Handwritten signature

| | | | | |
|-----|----------------|------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | | TSCP site |
| 5.1 | Waste oil | From Plant & Machinery | 10 | Sent to Authorized Recyclers |
| - | Used batteries | - | As generated | Sent to Authorized Recyclers |

6. जल प्रबंधन व्यवस्था -

- **जल खपत एवं हरीज -** परिवर्तित हेतु कुल 12.8 घनमीटर प्रतिदिन (परिवर्तित उपयोग हेतु 1.8 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग 2.8 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 8.2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। आवश्यक जल को अनुपति क्षेत्रों से भी ली जाएगी। यू-जल को उपयोगिता हेतु अनुपति क्षेत्रों द्वारा आवश्यक मात्र में अनुपति प्राप्त किया गया है।
- **जल दूषण नियंत्रण व्यवस्था -** कुल दूषित जल की मात्रा 7.88 घनमीटर प्रतिदिन (परिवर्तित दूषित जल की मात्रा 1.8 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 6.08 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। परिवर्तित जल को उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता-8 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल को उपचार हेतु इंसल्यूटेड ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता-10 घनमीटर प्रतिदिन का निर्माण किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं इंसल्यूटेड ट्रीटमेंट प्लांट को अंतर्गत क्लोरिनेशन कम पुम्पाउटइवेशन टैंक, नॉडल मिश्रण एवं फ्लोक्कुलेशन, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, सिकरेशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इंटरमिटेंट स्टोरेज टैंक, फं, फलज ड्राईन बेड आदि स्थापित करना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। दूषित निष्कारण की स्थिति नहीं जाएगी।
- **यू-जल उपयोग प्रबंधन -** परिवर्तित स्थल क्षेत्रों द्वारा आवश्यक मात्र में ली जाएगी। जिसकी अनुमान-
 - (अ) कुल एवं सद्यतन उपयोगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) आवश्यक मात्र में विचारों हेतु उपचारों एवं तकनीक तथा रेजिडेंट इंजीनियरिंग / ऑटोमेटिकल जल विचारों के आधार पर यू-जल निष्कारण करने की अनुपति क्षेत्रों द्वारा आवश्यक मात्र में प्राप्त होने का प्रयत्न है। अतः उपयोग को रेजिडेंट इंजीनियरिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- **रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था -** उपयोग परिसर में वर्षा के पानी का कुल संचयन 1.181 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था को अंतर्गत 1 मीटर विचारों मिट (उपचाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 2 मीटर) निर्मित किया जाना अथवा रेन वॉटर कलेक्शन टैंक क्षमता 15 घनमीटर प्लांट के नीचे निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था परिसर परिसर को पूर्ण संचयन को विचारों किया जा सकेगा। सभी विचारों स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें सद्यतन मात्र में वर्षा जल का संचय हो सके।

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - Induction Pyrolysis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुअरों के 30 मीटर से पार्टिकुलेट मैटर का वास्तविक 30 मिलीग्राम/घण्टा पर सीमा से कम तथा 30 सेक्टर से भी कम गैस उत्पन्न किया जाना प्रस्तावित है। सी.डी. मैट हेतु निर्मित चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर नहीं होगी। फ्युजिडिबल तेल वास्तविक नियंत्रण हेतु जल विद्युतगत किया जाना प्रस्तावित है।

8. परिवहन व्यवस्था - जीव-विधिवत अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जीव-विधिवत अपशिष्ट प्रबंधन विभाग, 2018 (जका संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

9. विद्युत खपत एवं स्वीच - परिवहन हेतु कुल 150 की.सी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति उत्तरीसंगड़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 200 की.सी. की.सी. मैट लगाया जाना प्रस्तावित है।

10. कुशलता की विधि - कुल क्षेत्रफल में से लगभग 0.134 हेक्टेयर (लगभग 33 अक्षर) क्षेत्र में 500 मग कुशलता किया जाना प्रस्तावित है।

11. जीव-अपशिष्टों का निरक्षण व्यवस्था का संवादन 365 दिवस किया जाएगा।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का निरक्षण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - भौतिकीय जार्व 18/10/2018 से 15/01/2020 के मध्य किया गया है। 12 किलोमीटर के अंतरित 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के प्लुम एनलिसिस तब विवरण किया गया है।

2. भौतिकीय परिसरों के अनुसार पी.एच. 17 से 34 माईक्रोग्राम/घण्टा पर सी.डी. मैट, 30 से 33 माईक्रोग्राम/घण्टा पर एस.डी, 2.2 से 28.1 माईक्रोग्राम/घण्टा पर एस.डी, 2.8 से 18.8 माईक्रोग्राम/घण्टा पर ई.आई.ए. परीक्षण स्वतः के अनुसार जल स्वीचों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day Even) 48.7 डीबीए से 54.1 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night Even) 41.2 डीबीए से 44.2 डीबीए पाया गया। परिवहन व्यवस्था द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्था बना करवाएगी जो ईंधन खपत प्रदान करण, जल संचयन कार्य स्थल में इंधन पैड का उपयोग करना, सी.डी. मैट एंजिन/काली धुल इंसोलेशन में स्थापित करना, परिवहन के धरी तालक कुशलता करण आदि प्रस्तावित है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 24/11/2020 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम-विद्वीकला, तखलील-इन्डिकपुर, जिला-समुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई वास्तविक व्यवस्था सहित, उत्तरीसंगड़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया सफरु जगत नगर, दिल्ली-सफरु से पर दिनांक 04/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जलसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किए गये हैं:-

1. प्राथमिकता से जल पर स्थायी लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

2. परिवहन क्षेत्र में अधिक से अधिक कुशलता किया जाए।

3. परिवहन में वापन एवं/थीस अपशिष्ट हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित किया जाए।

14. परियोजना के प्रारम्भ होने वाले प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

लोक सूचनाई के दौरान प्रचार के विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का समय एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

1. स्थानीय लोगों को आवश्यकानुसार राजगण हेतु आमंत्रित की जाएगी।
 2. परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्र में 500 मम प्लांटेशन किए जाएंगे।
 3. इस परियोजना में एक अवैध हेतु पुर्णित जल उपचार संयंत्र लगाया जाएगा जहाँ कोई भी पुर्णित इस कार्य नहीं जाएगा। इस परियोजना से निकलने वाला सीधे अवैध ईटीपी, गलब, टी.एन.डी.एच. सॉल्ट पर फेंका जाएगा एवं जहाँ को नगर पालिका नियम की दिशानि लेनाह मिले का फेंका जाएगा।
 4. परियोजना से प्रारम्भ होने वाले प्रदूषण के रोकथाम हेतु Induction Pyrolysis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु काल्डेड बेड तकथर की स्थापना की जाएगी। वास्तविक के वास्तु मान्य हेतु पिनको में ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। जिसे सी.पी.सी.सी. / सी.ई.पी.सी.सी. के तहत से संयोजित किया जाएगा।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दफ्तर (C.E.D.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्ताव अलग-अलग विस्तारों से निम्नानुसार विस्तार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं:-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 285 | 2% | 5.75 | Following activities at Nearby | |
| | | | 1. Government Middle School, Village-Bhithkela | |
| | | | 2. Government Primary School, Village-Bhithkela | |
| | | | 3. Government Primary School, Village-Thor | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.50 |
| | | | Potable Drinking Water Facility with cooler | 3.55 |
| Running Water Facility for Toilets | 0.75 | | | |
| Plantation with fencing | 0.00 | | | |
| Total | | | 5.75 | |

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम-भित्ठीकला, खलील-अमिजापुर, जिला-समनुजा स्थित परई जीव वसति समूह

1/21, कुल क्षेत्रफल 0.408 हेक्टर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWF) की अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis इकाई – 200 कि.घा. प्रतिघंटा, Auto Cane इकाई – 200 कि.घा. प्रतिघंटा एवं Shredder इकाई – 100 कि.घा. प्रतिघंटा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिष्ट करने की अनुमति की जाये।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकल्प का प्रतिकल्प की दिनांक 03/06/2021 को संख्या 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श अर्थात् प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए ग्राम-निर्देशिका, तहसील-अधिकतपुर, जिला-सतलुजा स्थित पट्टे जॉक खसत संख्या 1/21, कुल क्षेत्रफल 0.408 हेक्टर (1 एकड़) में प्रस्तावित Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWF) की अंतर्गत Induction Plasma Pyrolysis इकाई – 200 कि.घा. प्रतिघंटा, Auto Cane इकाई – 200 कि.घा. प्रतिघंटा एवं Shredder इकाई – 100 कि.घा. प्रतिघंटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मेघना की सोनेवा बाकलिया आईम स्टीन कारी, ग्राम-दुमराडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदवांव (सचिवालय का मन्दी इकाई 13F1)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर – एनआईए / सीडी / एनआईए / 104207 / 2020, दिनांक 29/03/2020। परिचालन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से ग्राम दिनांक 29/06/2020 द्वारा आमकासे प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचालन प्रस्तावक द्वारा बतौर आमकासे दिनांक 22/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कुल फसल (सीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दुमराडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदवांव स्थित पट्टे जॉक खसत संख्या 108, कुल क्षेत्रफल-0.728 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-0.280 टन प्रतिदिन है।

बैठकों का विवरण –

(क) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की सती एवं प्रस्तुत आमकासे का परीक्षण तथा उत्पादन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तुत 300 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 300 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (एवा संशोधित) में परिभाषित तदनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिपटी के बीच पूरी तरह से 300 मीटर क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिपटी से 300 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु इंगेडिनिशियर मिन्स क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 300 मीटर के भीतर होने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार समिल खदानों के लीज सीमा से 300 मीटर के भीतर होने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 300 मीटर की

बोर्ड में कोई वास्तव अवधिगत न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार अगले पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में आवेदित काल पर ध्यान देते हुए राज्य एवं पर्यावरण संचालन विधायक प्रतिकल्प (एलईआईएए), प्रतीभागद अथवा विश्व भारतीय पर्यावरण संचालन विधायक प्रतिकल्प (बीईआईएए), प्रतीभागद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियम 86(1) के तालिका में की गई जानकारी की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही सूचारुपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उद्योगों की वार्षिक मात्रा की जानकारी प्रतिवर्ष विभाग से उपलब्ध करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विभाग को राज्य प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण प्रस्तावक को पर्यावरण संचालन पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन प्रोटोकॉल) की साथ आगामी मंत्र की आवेदित बैठक में उपलब्ध कराने दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदरानुसार पर्यावरण प्रस्तावक को एलईआईएए, प्रतीभागद को ज्ञापन दिनांक 08/12/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 350वीं बैठक दिनांक 08/12/2020:

उपलब्धकरण हेतु बोर्ड की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रस्तावक को पत्र दिनांक 08/12/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वरिष्ठ जानकारी अधूर्ण होने के कारण से समिति को समझ बैठक में उपलब्धकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी मंत्र की आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुपेक्षित किया गया है। समिति द्वारा अनुपेक्षित को संभव किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण प्रस्तावक को आगामी मंत्र की आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित उपलब्धकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदरानुसार पर्यावरण प्रस्तावक को एलईआईएए, प्रतीभागद को ज्ञापन दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

उपलब्धकरण हेतु बोर्ड की प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रस्तावक को पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वरिष्ठ जानकारी अधूर्ण होने के कारण से समिति को समझ बैठक में उपलब्धकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी मंत्र की आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुपेक्षित किया गया है।

समिति द्वारा तत्काल्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण प्रस्तावक को आगामी मंत्र की आवेदित बैठक में पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित उपलब्धकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदस्यता परिशोधन प्रस्तावक को एनईएसी, जयसिंग के द्वारा दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक को पत्र दिनांक 10/02/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जयसिंग जानकारी अनुरोध होने के कारण से समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी उपस्थित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परिशोधन प्रस्तावक को अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 09/12/2020 एवं 08/01/2021 की बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अन्तर प्रदान किया गया था। परंतु परिशोधन प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो पाया है। अतः परिशोधन प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाय।

समिति द्वारा अन्ततम सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई जयसिंग जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / बरतवैज सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

सदस्यता परिशोधन प्रस्तावक को एनईएसी, जयसिंग के द्वारा दिनांक 12/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 24/02/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. पत्र संघापत्र का अनुसंधान प्रमाण पत्र — अनुसंधान की संख्या में पत्र संघापत्र पुनर्परीक्षण का दिनांक 20/08/2020 का अनुसंधान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. अनुसंधान योजना — जारी पत्र सिध क्वी क्वीकर पत्र एंव इन्टरव्यूमेंट मेनेजमेंट पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो पत्र संघापत्र (पत्रिका), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक/क/खति/पिन-8/2018/2018 रायपुर दिनांक 28/12/2018 द्वारा अनुसंधित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — जयसिंग कलेक्टर (अति सहाय), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/228/खति 01/2021 राजनांदगांव दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आरोपित खदान में 500 मीटर के भीतर उपस्थित अन्य 32 खदानें, संख्या 31048 होस्टिंग है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक रोड/संरचनाएं — जयसिंग कलेक्टर (अति सहाय), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/2003/खति 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक रोड जैसे नदि, खिखर, मरवाट, जंगल, स्थूल, पुन, बांध एवं एनीस्ट जदि उपस्थित रोड निर्मित नहीं है।

3. **सीज का विकल्प** — यह राष्ट्रीय सीज है। सीज की दीर्घकालिक अवधि में एक वर्ष है। सीज सीज-10 वर्षों की दिनांक 13/07/2011 से 12/07/2021 तक है। सीज के विकल्पितरण हेतु आवेदन किया गया है, जो अतिवर्ती है।
4. **विस्टीकट नवी रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की विस्टीकट नवी रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** — भारतीय वनसंरक्षण अधिनियम राजकीय वन विभाग, जिला-राजनांदगांव को ज्ञापन क्रमांक/सूचि/10-1/राज्य राजनांदगांव, दिनांक 13/10/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 4 कि.मी. की दूरी पर है।
6. **सड़कपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम अनादी घास-टेलकाडीह 0.3 कि.मी., स्थूल टेलकाडीह 0.3 कि.मी. एवं अनादल घास-टेलकाडीह 0.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 75 कि.मी. दूर है।
7. **पारिस्थितिकीय/जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र** — पर्यावरण प्रदूषण द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय पटन, अनादल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैववैविधता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अतिवर्ती किया है।
8. **खनन संघदा एवं खनन का विकल्प** — विद्यमान खनन विधि 3,64,000 टन माईनिंग विधि 1,44,754 एवं निकालेखल विधि 1,30,278 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मट्टी (खनन के लिए घोषित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.307 हेक्टेयर है। खनन कार्य सभी महेन्द्रगढ़ विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। सीज क्षेत्र में खनन मिट्टी की गहराई 1 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा मट्टी (7.5 मीटर) में खनन करारक्षण के लिए उपयुक्त किया जाएगा। वन की गहराई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खनन की अनादल अनु 18 वर्ष है। सीज क्षेत्र में खनन अनादल है। सीज क्षेत्र से विद्यमान एवं अनादल अनादल किया जाता है। खनन एवं खनन में अनु अनादल नियंत्रण हेतु जल का विकल्पित किया जाता है। खनन में प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार खनन प्रस्तावित खनन का विभाग निम्नानुसार है—

| वर्ष | अनादलित खनन (टन) |
|---------|------------------|
| अनादल | 8,250 |
| द्वितीय | 8,250 |
| तृतीय | 8,250 |
| चतुर्थ | 8,250 |
| पंचम | 8,250 |

आगामी वर्षों की अनादलित योजना

| वर्ष | अनादलित खनन (टन) |
|---------|------------------|
| अनादल | 8,250 |
| द्वितीय | 8,250 |
| तृतीय | 8,250 |
| चतुर्थ | 8,250 |
| पंचम | 8,250 |

11. **जल आपूर्ति** – परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति सोपेल से की जाएगी। न्यू-जल की उपरोक्त हेतु सेंट्रल इन्फ्रस्ट्रक्चर बोर्ड अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना आवश्यक है।
12. **वृक्षाच्छादन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1.5 मीटर की पट्टी में वृक्षाच्छादन किया जाएगा।

13. **पूई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूई में पूरा खदान खदान शर्तों लीज अर्थात् 108, क्षेत्रफल 0.128 हेक्टेयर, अर्थात्- 8,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सार्वजनिक पर्यावरण संरक्षण विभाग अथॉरिटी, जिला-सालासदंगा द्वारा दिनांक 08/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 21/03/2020 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- पूई में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षाच्छादन नहीं किया गया है।
- सर्वोच्च असेसमेंट (अनिज) अथॉरिटी, जिला- सलासदंगा के आदेश /208/स.लि.02/2021 सलासदंगा, दिनांक 23/03/2021 से अनुमति विफल वर्षों में किये गये उपायों का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | वार्षिक उत्खनन (टन) |
|----------------------------|---------------------|
| जुलाई, 2011 से मार्च, 2012 | 118 |
| 2012-2013 | 680 |
| 2013-2014 | 488 |
| 2014-2015 | 1,748 |
| 2015-2016 | 892 |
| 2016-2017 | 7,818 |
| 2017-2018 | 7,238 |
| 2018-2019 | 2,834 |
| 2019-2020 | 1,290 |
| अप्रैल, 2020 से जून, 2020 | निर्ज |

- खदान में लीज क्षेत्र में खदान संचालित है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतकरण के दौरान बताया गया कि लीज क्षेत्र के नीचे ही खदान घुगिट को अन्य दिशा में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- खदान की 1.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – प्रस्तुतकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1.5 मीटर की चौड़ी पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,576 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी सीमा में 3 मीटर व पश्चिमी सीमा में 4 मीटर गहराई तक खुदी हुई है, साथ ही पश्चिमी सीमा लीज क्षेत्र के अंदर ही खुदा हुआ है। उपरोक्त पूई में उपरोक्त क्षेत्र को पुनरुत्थान व वृक्षाच्छादन का कार्य किया जाएगा।
- प्रस्तुतकारी है कि जला संचालन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन सील सर्टिफिकेट हेतु समस्त पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें अर्थात् 13.13 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त प्रावधानों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेवरी जॉन में बुझाई करना जिला प्राधिकरण है।

17. भारतीय एन.जी.टी., डिप्टिफर क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/09/2021 का संदर्भ, पर्वतारोह, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एन.जी.टी. सं. 180 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी अधिसूचना में कुछ अन्य की विनियमन निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever E is not provided

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

परिचित द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त अधिसूचना की विनियमन निर्दिष्ट किया गया-

1. भारतीय प्रत्यक्ष (एन.जी.टी.) जिला-राजधानी के द्वारा अधिसूचना/228/एन.जी.टी. 01/2021 राजधानी, दिनांक 22/09/2021 की अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों से 500 मीटर से अधिक अधिसूचित 22 खदानों, क्षेत्रफल 23.048 हेक्टेयर है। अधिसूचित खदान (ग्राम-कुलसीहवाला) का क्षेत्रफल 0.728 हेक्टेयर है। इस प्रकार अधिसूचित खदान (ग्राम-कुलसीहवाला) की निम्नलिखित कुल क्षेत्रफल 23.773 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/अधिसूचित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र निर्दिष्ट होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की नहीं रही।

2. माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े लेवरी जॉन के कुछ भाग में निर्दिष्ट नये प्रावधानों के कारण इन क्षेत्रों के उपरोक्त खदानों (अधिसूचित क्षेत्रों) के संदर्भ में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा बुझाईकरण आदि के निर्दिष्ट उपचारों केवल संसाधन, पंचसालनालय, भीमिरी तथा जमिनी, इलाहाबाद नगर, नया रायपुर अटा नगर, जिला - रायपुर (अलीगढ़) से उपचारों प्राप्त की जाए।

3. परिचित द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त अधिसूचना की प्रत्यक्ष 'बी' श्रेणी का होने के कारण नया संसाधन, पंचसालनालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 180 ऑफ 2018 (टी.डी.आर) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एन.जी.टी. विनियमन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत ई.आई.ए. परिशिष्ट-2, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का अधिसूचित क्षेत्रों (जो कि कुलमाई सहित) सीज क्षेत्र माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिसूचित टी.डी.आर. के साथ जारी किया जाने की अनुमति की गई-

1. Project proponent shall inform SEAC Orhategarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report

- i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out area.
- iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- iv. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.
- vi. Project proponent shall submit the map of mine area showing the present status of working positions with their dimension (R.L.).
- vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit CEM proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

परिष्कारण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रस्ताव पर परिसरालय की दिनांक 13/06/2020 को प्रमाण 102वीं बैठक में विचार किया गया। परिसरालय द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। विचार किर्वाँ उपरोक्त परिष्कारण द्वारा सर्वसम्पत्ति से सम्बन्धित की अनुपस्थिति को संश्लेषण करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई प्रक्रिया) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि साईन लीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा लीज को कुछ भाग में किये गये उपकरण के कारण इस क्षेत्र को पर्यायी उपायों (Remedial Measures) से संरक्षा में तथा लीज क्षेत्र को अंतर साईनिंग क्रियायतवादी से काला उपकरण प्रदूषण निरोधक हेतु आवश्यक उपायों तथा सुदृढीकरण आदि से किये समुचित उपायों बाबायू संघालय, संघालयालय, भीमिडी तथा खनिकर्मी, इंदरवाडी बचनू, गण्ड रामपुर अटल नगर, जिला – रामपुर (जलदिसागढ़) को प्राय विचार जाय।

परिष्कारण प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) जारी किया जाय। साथ ही संघालय, संघालयालय, भीमिडी तथा खनिकर्मी, इंदरवाडी बचनू, गण्ड रामपुर अटल नगर, जिला – रामपुर (जलदिसागढ़) को प्राय विचार जाय।

13. मेसर्स बी.आर.आर.आई. आई.एन. स्टोन साईनिंग (प्री.- की अजय पुष्पा), बाबा-बी.आर.आर.आई. एडवाइज व जिला-सुपरीती (परिष्कारण का नतीजा अवलोकन 1488)

ऑनसाईनिंग आवेदन – प्रयोजन क्रमांक – एल.आर.आई. /सी.टी. /एन.आर.आई.एन. /188817/2020, दिनांक 17/12/2020। परिष्कारण प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनसाईनिंग आवेदन में कमिटी होने से प्रमाण दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिष्ट जनकारी दिनांक 18/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पूर्ण मध्य (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान नाम-बीजतगढ़, तहसील व जिला-मुनेशी जिला खसरा क्रमांक 407/1, 407/2 एवं 407/4, कुल क्षेत्रफल-1.68 हेक्टर में अवस्थित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-52,500 टन प्रतिवर्ष है।

बीडकों का विवरण -

(अ) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रस्ताव की मशी एवं प्रस्तुत जनकारी का परीक्षण तथा सलाहकार समिति से विमानानुसार निर्णय किया गया था-

1. काम संघर्षण से अनुमति प्रदान कर की पानीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. बुनियादी संरचना प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्ण में आवेदित खदान का खनन हेतु राज्य सरकार संबंधित समाचार निर्देश प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण प्रभाव जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार निर्देश प्रतिक्रिया (पी.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय सीमांकित की गई हो तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सीमांकित की प्रति एवं आवेदित करों के प्रदान से की गई आवेदित की जनकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशासन की अद्यतन स्थिति की जनकारी फोटोकॉपी सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खदान पूर्ण से संबंधित है, तो जिला स्तर में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी सहित विभाग से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विभाग प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को जनता समता पूर्ण जानकारी / सहायक (अद्यतन फोटोकॉपी) के साथ अनुमति प्राप्त दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.ए., पर्यावरण के अधिन दिनांक 17/03/2021 द्वारा अनुमति हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 24/03/2021

अनुमति हेतु भी अलग पूर्ण अधिष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मशी, प्रस्तुत जनकारी का परीक्षण एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति हुई गई-

1. काम संघर्षण का अनुमति प्रदान कर - उत्खनन के संबंध में काम संघर्षण बीजतगढ़ का दिनांक 02/03/2014 का अनुमति प्रदान कर प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन सीमांक - जारी मान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघर्षण (ए.ए.) जिला-बीजतगढ़ के अधिन क्रमांक 1724/खनि/पुप/त.पे./2020 दिनांक 02/12/2020 द्वारा अनुमति है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - पर्यावरण जलसंधार (खनिज संधार) जिला-मुनेशी के अधिन क्रमांक/005/खनि/प.क./2020 मुनेशी, दिनांक

03/12/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर सीमा से सीमा आवंटित अन्य खदानों की संख्या निकल है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणार्थ - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-मुंगेर के द्वारा क्रमांक/808/सवि/म.स. /2020 मुंगेर, दिनांक 03/12/2020 द्वारा जारी अमान पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेलवे स्टेशन, मण्डल, शैक्षणिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनईएट एवं जल आपूर्ति जति प्रविष्टित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. भूमि स्वामित्व एवं प्ल.जी.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं प्ल.जी.आई. की अंशदा पुराना के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-मुंगेर के द्वारा क्रमांक/184 /सवि02/म.स.08/2020-21 मुंगेर, दिनांक 22/10/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी प्रतियां जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रतियां अमान की गई है।
7. वन विभाग का अमानित प्रमाण पत्र - कार्यालय फोरमस्टलरीकार, मुंगेर, अस्पताल, जिला-मुंगेर के द्वारा क्रमांक/संख्या/2017 मुंगेर, दिनांक 24/11/2014 से जारी अमानित प्रमाण पत्र अमान किया गया है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसदी घाट-बीजापुराई 0.28 कि.मी, स्कूल घाट-बीजापुराई 1.1 कि.मी, एवं अस्पताल घाट-बीजापुराई 1.15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना अलायक द्वारा का कि.मी. की परिधि में आसदी-बीजापुराई सीमा, राष्ट्रीय खदान, अस्पताल, बीजापुराई अलायक निवास क्षेत्र द्वारा घोषित जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होता प्रविष्टित किया है।
10. खानन संपदा एवं खानन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 1,34,000 टन, कार्बोनेट रिजर्व 1,37,420 टन एवं निकलोसिल रिजर्व 1,42,549 टन है। लीज की 7.5 मीटर खोदी सीमा भट्टी (अलायक से लिए प्रविष्टित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4.879 हेक्टेयर है। अमान खानन संपदा संपदा/संपदा रिजर्व से प्राप्त किया जाएगा। खानन की अमानित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में करीब भट्टी की सीमाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 14,321 हेक्टेयर है। इस भट्टी को सीमा भट्टी (7.5 मीटर) में एवं पैर कार्बोनेट क्षेत्र में सीमा अलायक द्वारा अमानित किया जाएगा। क्षेत्र की अंशदाई 3 मीटर एवं सीमाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर अलायक का प्रस्ताव नहीं किया गया है। क्षेत्र क्षेत्र से विवेक एवं आवंटित किया जाएगा। खदान में आयु अमान निवास क्षेत्र जल का अलायक किया जाएगा। अलायक अलायक अलायक का अलायक अलायक है-

| वर्ष | अमानित अलायक (टन) |
|-------|-------------------|
| प्रथम | 52,500 |





| | |
|---------|---------|
| द्वितीय | \$2,500 |
| कुल | \$2,450 |

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल से की जाएगी। न्यू-जल की पर्याप्तता हेतु अनुमति सेटल एकायम बोर्डर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।
12. **समुदायिकता** के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के जलदाई विद्या में 2,000 घनमीटर क्षेत्र को गैर-सह्युक्त क्षेत्र रखा जाएगा एवं इस क्षेत्र में पुनरोपवन किया जाएगा।
13. **पुनरोपवन कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बाही और 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर-सह्युक्त क्षेत्र में 1,000 वर्ग मीटर पुनरोपवन किया जाएगा।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के लक्ष्य विचार से जारी प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 45 | 2% | 0.90 | Following activities at Government Shishu Bharti Higher Secondary School, Village - Bijtara | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.30 |
| | | | Running Water Facility | 0.10 |
| | | | Plantation | 0.10 |
| Total | | | 0.90 | |

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उपखनन** – लीज क्षेत्र की बाही और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उपखनन कार्य नहीं किया गया है।
17. **मानवीय एन.सी.टी., जिनमाल क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्युत बल संसाधन, बर्खास्त, वन क्षेत्र उपखनन परियोजना संसाधन, नई दिल्ली एवं अन्य (परियोजना एन.सी.टी. नं. 100 जीएम 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को परियोजना क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—**

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by BEAC / BEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. वासीराम सरोवर (स्थान काठा), जिला-मुंगेरी के ग्राम क्रमांक/808/खसि/मक/2020 मुंगेरी, दिनांक 03/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है। आवेदित खदान (घान-बीजातवाई) का सतह 1.58 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का बचाने का काम होने से अलग यह खदान सी-2 केपी की गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स बीजातवाई लाईन स्टोन माईन (प्री- बी अजय गुप्ता) की घान-बीजातवाई, तहसील व जिला-मुंगेरी के खसत क्रमांक 407/1, 407/2 एवं 407/4 में स्थित कुल चार (तीन खसिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर, क्षमता - 52,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैंक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प का प्रतिकल्प की दिनांक 13/08/2021 की संयम 309वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा मशी का उपरोक्षण किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए आवेदन - मेसर्स बीजातवाई लाईन स्टोन माईन (प्री- बी अजय गुप्ता) की घान-बीजातवाई, तहसील व जिला-मुंगेरी के खसत क्रमांक 407/1, 407/2 एवं 407/4 में स्थित कुल चार (तीन खसिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर, क्षमता - 52,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परिष्करण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स बी अजय सिंह खोवला (हरदी जोशीभाईट नवारी), घान-हरदी, तहसील-बिलास, जिला-बिलासपुर (अधिकार का नसी क्रमांक 1643)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एनआईए /सीजी /एनआईएन /80272/2021, दिनांक 27/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित जोशीभाईट (तीन खसिज) खदान है। खदान घान-हरदी, तहसील-बिलास, जिला-बिलासपुर स्थित खसत क्रमांक 11, 12, 13, 14, 18/2, 18/3, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 76/8, 76/12, 76/13 एवं 76/14, कुल क्षेत्रफल-5.03 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रस्ताव क्षमता-75,000 टन प्रतिवर्ष है।

ईकाई का विवरण -

(क) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021।

समिति द्वारा प्रकल्प की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्सम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एन.आई.आई. /सीजी सीडी की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. सार्वजनिक कलेक्टर (अग्निज बाधा) द्वारा जकात खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. सार्वजनिक कलेक्टर (अग्निज बाधा) द्वारा जकात खदान से 300 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, आदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. पूर्व में अधिसूचित स्थान पर खदान हेतु राज्य सरकार सार्वजनिक उन्मादक निर्धारित अधिसूचना (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रकीर्णनाद अथवा जिला कर्तीय अधिसूचना समकाली निर्धारण अधिसूचना (सी.ई.आई.ए.ए.) प्रकीर्णनाद द्वारा सार्वजनिक स्वीकृति की गई हो। पूर्व में जारी सार्वजनिक स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित जमीन के पट्टे में की गई सर्वेक्षणों की जानकारी प्रोटोकोल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्लाटोपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रोटोकोल सहित प्रस्तुत की जाए।
5. जिला जमीन में किए गए उन्मादक की सार्वजनिक सूचना की जानकारी अग्निज विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्तुत अद्यतन पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परिवहन प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन प्रोटोकोल) के साथ प्रस्तुतीकरण दिवस जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार परिवहन प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., प्रकीर्णनाद के अद्यतन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) तारीख की 2021 की दिनांक 24/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु की उपरोक्त जिला प्रशासन, प्रीपारिटर उपस्थित हुए। तारीखी द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं सहीकरण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. जाम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र — अनुमति के संकेत में जाम पंचायत द्वारा का दिनांक 18/07/2019 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उन्मादक सौंपना — कच्ची पत्थर प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक संचालनालय, सीमित उन्माद अधिसूचना, जाम पंचायत अद्यतन नगर, जिला-पंचपुर के अद्यतन सूचनांक 2020-22/साईनिंग-3/क्यू.सी./एन.ए.03/2020 तथा पंचपुर अद्यतन नगर, दिनांक 28/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — सार्वजनिक कलेक्टर (अग्निज बाधा), जिला-पिलासपुर के अद्यतन अनांक 2244/अ.सि./न.अ./2021 पिलासपुर, दिनांक 23/01/2021 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, संख्याएं 18.838 होस्टेज हैं।
4. 300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — सार्वजनिक कलेक्टर (अग्निज बाधा), जिला-पिलासपुर के अद्यतन अनांक 2245/अ.सि./न.अ./2021 पिलासपुर, दिनांक 23/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जकात खदान से 300 मीटर की परिधि में क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, धार्मिक स्थल, पुस्तकालय, राष्ट्रीय राजमार्ग, एन.ई.ए. एवं जल आपूर्ति आदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
5. एन.ई.आई. संबंधी विवरण — एन.ई.आई. प्रकीर्णनाद अद्यतन, अग्निज संचालन विभाग, संकाय, महानदी मजरा, जाम पंचपुर अद्यतन नगर के अद्यतन अनांक एन

2-8/2018/12 तथा रायपुर, दिनांक 21/07/2020 द्वारा जारी की गई, दिल्ली केन्द्र जारी दिनांक से 06 मंत्र की अवधि तक की। प्रस्तुतिकरण के दौरान परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.सी.आई. की किराया वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।

6. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 11, 12, 13, 14, 16/3, 16/3, 17, 18, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 78/8 जयदेव, खसरा क्रमांक 18 श्री मेरारी साहू खसरा क्रमांक 78/12 श्री रामचंद्र यादव, खसरा क्रमांक 78/13 सुश्री निधि यादव, खसरा क्रमांक 78/14 श्रीमती रेखा झाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति एवं प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, बिलासपुर वनसम्पदा, बिलासपुर के द्वारा क्रमांक/एच.एच.ए/5089 बिलासपुर, दिनांक 28/12/2015 से जारी अनाधिकृत प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. पहलचतुर्न संरचनाओं की दूरी - मिट्टालय अथवा छान-हरटी 1 कि.मी., लकड़ छान-हरटी 1 कि.मी. एवं अनायास छान-हरटी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. है।
10. पर्यावरण/जीववैविध्य संबंधित श्रेणियाँ - परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राष्ट्रीय शीत, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधता संरक्षित श्रेणियाँ, पर्यावरण/जीववैविध्य संबंधित श्रेणियाँ या घोषित पर्यावरण श्रेणियाँ नहीं होने घोषित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - विद्यमान खनन दिनांक 20,85,588 टन एवं पर्यावरण दिनांक 18,52,168 टन है। खनन की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए घोषित क्षेत्र) है। खनन कायदा भूखण्ड में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के अन्दर किया जाएगा। खनन की अनाधिकृत अधिकारता गहराई 30 मीटर है। खनन क्षेत्र में खली मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 24,832 घनमीटर है। इस मिट्टी को खनन पट्टी (7.5 मीटर) में खनन कर खनन क्षेत्र के लिए उपयोग एवं खनन मिट्टी को खनन की समीपस्थ भूमि पर रखा जाएगा। खनन की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खनन की संभावित आयु 22 वर्ष है। खनन क्षेत्र में खनन खनन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खनन क्षेत्र के द्वितीय एवं अतिरिक्त किया जाएगा। खनन में आयु प्रदूषण नियंत्रण हेतु खनन का विवरण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नप्रकार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 75,000 |
| द्वितीय | 75,000 |
| तृतीय | 75,000 |
| चतुर्थ | 75,000 |
| पंचम | 75,000 |

12. जल आपूर्ति - परिशिष्टक हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 मगनीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति क्षेत्रों में की जाएगी। नू-जल की उपयुक्त हेतु संग्रहीत आवश्यक वीट अवैरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
13. वृक्षांतोपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,000 का वृक्षांतोपन किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय प्रतिक्रिया संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उपखनन - लीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उपखनन कार्य नहीं किया गया है।
16. समिति को खदान में यह स्पष्ट ज्ञान कि माइनिंग प्लान में विवरण की पत्रिका प्रस्तावित गहराई 30 मीटर से अनुमान की गई है, जबकि लीज क्षेत्र के आधार के अनुसार सम्पूर्ण क्षेत्र में 30 मीटर की गहराई तक उपखनन किया जाना संभव नहीं है। अब लीज क्षेत्र को कम से कम 4 क्षेत्रों में विभाजित कर, विवरणों की उपयुक्त पत्रिका का संबंधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. प्रस्तुतकरण के दौरान परिशिष्टक प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार करने वाले हेतु केमलहैन द्वारा कलेक्टर को कार्य नहीं हो गई, 2021 के मध्य की जा रही है। इस संबंध में समिति का मत है कि केमलहैन द्वारा कलेक्टर को कार्य 01 मार्च से 15 जून, 2021 के मध्य किया जाए।
18. मामलीय एन.जी.टी., दिल्ली के, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण विवेक मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त परिशिष्टक नं. 186 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रिका जारीत में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEWA as well as for cluster situation where over 10 ha not provided.

b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कोलेक्टर (जनित राज्य), जिला-मिर्जापुर के प्रमाण क्रमांक 2244/आ.ति./प.अ./2021 मिर्जापुर, दिनांक 23/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 600 मीटर से नीचे अवस्थित 6 खदानों, क्षेत्रफल 18,838 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-हादी) का सन्धा 5.00 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खान-हादी) को मिलान कुल सन्धा 22,008 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसर में अतिकृत/अव्यक्त खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का कलेक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मनी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकल्प 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टू, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड ऑन लीज रिपोर्ट (टी.ए.ए.) को ई.आई.ए.

/ईएनपी, रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज विवरणित इन्फार्मेटिव क्लीयरेंस
 अक्ट 1987, नोटिफिकेशन 2008 में वर्णित सेरी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर
 (लोक सुनवाई सहित) नीचे जोड़ न्यूनित प्रोजेक्ट हेतु निम्न उल्लिखित
 टीओआर के तहत जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- iii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
- iv. Project proponent shall submit the extension copy of LOI.
- v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- vi. Project proponent shall divide the mine area in minimum 4 sections & calculate the actual reserves and submit revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report (if any).
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकल्प की दिनांक
 12/08/2021 को लगभग 10वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा सभी
 को अवगत कराया गया। विचार किर्वां उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सहमति से
 समिति की अनुमति को प्रस्ताव करते हुए प्रतीकानुसार सभी अधिकारियों
 (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय किया गया।

परिशीलना प्रस्तावक को सभी अधिकारियों (टी.ओ.आर.) जारी किए जाते।

18. मेसर्स सी मनीष इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (सांख्यिक क्रिटिया फ्लोय स्टोन फाईन)
 काम-सांख्यिक क्रिटिया, तहसील-बोपलगांव, जिला-राजनांदगांव (समिवालय
 का नशील क्रमांक 1202)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए /सीसी /एनआईए
 /182881/2020, दिनांक 03/08/2020। एनआईए प्रस्तावक द्वारा अनुमत
 ऑनलाईन आवेदन में समिति होने से प्रारंभ दिनांक 27/08/2020 द्वारा जनकारी
 अनुमत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशीलना प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी
 दिनांक 29/07/2021 को ऑनलाईन अनुमत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरे में संभावित सभी प्रकार (पीन खनिज) खदान है।
 खदान काम-सांख्यिक क्रिटिया, तहसील-बोपलगांव, जिला-राजनांदगांव जिला खमरा
 क्रमांक 26/4.A.9 एवं 09/3, कुल क्षेत्रफल-0.85 हेक्टर में है। खदान की आवेदित
 प्रस्ताव क्रमांक-8.874 दम (3,114.3 घनमीटर) उचित है।

बीमारों का निवारण -

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/09/2021-

समिति द्वारा प्रस्ताव की गयी एवं प्रस्ताव जनकारी का परीक्षण तथा पर्याप्त सर्वेक्षणों से निष्पत्तिसार निर्णय किया गया था-

1. पूर्व में अतिरिक्त खाल पर काम हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशक अधिकारण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तराखण्ड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निदेशक अधिकारण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तराखण्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त खालों के चरण में की गई कार्रवाई की जानकारी मोटोहाला सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुआरोंपना की अद्यतन स्थिति की जानकारी मोटोहाला सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए कार्रवायों की वार्षिक मात्र की जानकारी समितिके निदेश से उपस्थित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत अंदाज पूर्व निवेदन से प्राप्त प्रस्तुत किया जाए।
4. परिसीजन प्रस्तावक को उत्तरीय समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन मोटोहाला) के साथ प्रस्तुतिकाएन दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

तदनुसार परिसीजन प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड की प्रमाण दिनांक 27/03/2021 द्वारा अनुमोदिकाएन हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 353वीं बैठक दिनांक 24/03/2021-

अनुमोदिकाएन हेतु की गयी कुआर जैन, प्रोवाइडर उपस्थिताएन हूए। समिति द्वारा गयी, प्रस्ताव जनकारी का अद्यतिकाएन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. काम संवाकक का अनापठिताएन प्रमाण पत्र - कार्रवायों के संवाक में काम संवाकक सुअरी का दिनांक 08/04/2011 का अनापठिताएन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्तराखण्ड मोडिकाएन - जारी पत्रक किं जारी अद्यतिकाएन पत्रक एअर इअरअरनेअर सेअरअरनेअर काम प्रस्तुत किया गया है, जो काम संवाकक (अनिअरअर), जिला-राजपुर के प्रमाण अंकांक/क/खअर/दिने-6/2018/2088 राजपुर दिनांक 25/01/2017 द्वारा अनुमोदिकाएन है।
3. 500 मीटर की परिधि में विगत खदान - उत्तराखण्ड अद्यतिकाएन (अनि अकाएन), जिला-राजपुरअरअर के प्रमाण अंकांक 888/खअर. 09/2020 राजपुरअरअर, दिनांक 27/06/2020 के अनुसार अतिरिक्त खदान से 500 मीटर के भीतर अद्यतिकाएन 09 खदानें, संवाकक 240 हेअरअरअर है।
4. 200 मीटर की परिधि में विगत अद्यतिकाएन अंकांक/संअरअरअर - उत्तराखण्ड अद्यतिकाएन (अनि अकाएन), जिला-राजपुरअरअर के प्रमाण अंकांक 888/खअर. 09/2020 राजपुरअरअर, दिनांक 27/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एअर अकाएन से 200 मीटर की परिधि में कोई भी अद्यतिकाएन अंकांक जैनो अरअरअर, अरअरअर अरअरअर, अरअरअर, पुअर, अरअर, एअरअरअर एवं अरअर अरअरअर अरअर अरअरअरअर अंकांक निर्दिष्ट नहीं है।

3. सीअर का निवारण - सीअर की गयी कुआर जैन के साथ पर है। सीअर सीअर 30 वर्ष अरअरअर दिनांक 02/03/2012 से 01/03/2022 तक की अरअर हेतु किं

है। उपरोक्त सीज सीज में 30 वर्ष की, दिनांक 02/03/2022 से 01/03/2042 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

6. भू-समाप्ति - भूमि की सर्वेक्षण कुलम जैम एवं टिरीय कुलम जैम के नाम पर है। उपरोक्त हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - जलोत्सव उपनगरपालिका, राजसंघनाथ वनप्रदेश, जिला-राजसंघनाथ के अधिन क्रमांक/मृ.पि./10-1/8871 राजसंघनाथ, दिनांक 01/10/2020 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन सीमा से 1.83 कि.मी. की दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय घास-झिंघा 0.49 कि.मी., मट्टु घास-अर्जुनी 1.4 कि.मी. एवं अत्यांत घास-अर्जुनी 1.08 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 87 कि.मी. एवं राजमार्ग 139 कि.मी. दूर है।
10. परिसरभौतिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिसरभौतिकीय प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जलोत्सव, केंद्रीय प्रकृत्य निराकरण बोर्ड द्वारा संरक्षित डिस्ट्रीक्ट पॉस्टुटेड एरिया, परिसरभौतिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जलोत्सव/जिला तिलवे 4,18,000 टन, पट्टीकाल तिलवे 2,04,750 टन है। सीज की 1.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (राजसंघनाथ के जिल्हा प्रमाणित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,889 वर्गमीटर है। खनन कार्य के लिए संपत्तिगत विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। सीज क्षेत्र में अपनी निट्टी की गहराई 1 मीटर है। इस निट्टी को सीमा पट्टी (1.5 मीटर) में सीमाकर कुशादीपन के लिए उपयोग किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अहम स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डिजिटल एवं आरिटिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पत्र का विवरण किया जाता है। खनन प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित खनन (टन) |
|---------|---------------------|
| प्रथम | 9,874 |
| द्वितीय | 9,874 |
| तृतीय | 9,874 |
| चतुर्थ | 9,874 |
| पंचम | 9,874 |

आवासीय वर्गों की खनन योजना

| वर्ष | प्रस्तावित खनन (टन) |
|---------|---------------------|
| प्रथम | 9,874 |
| द्वितीय | 9,874 |
| तृतीय | 9,874 |
| चतुर्थ | 9,874 |
| पंचम | 9,874 |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवक से की जाएगी। घु-जल की उपयोगिता हेतु संपुर्ण कालका पीपर जलोद्विटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
13. **बुझाईयका कार्य** – लीज रोव की लीज में चारों ओर 7.5 मीटर की छट्टी में 880 मग बुझाईयका किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में सभ्य विभाग द्वारा क्रमांक 05/4, 5, 6 एवं 08/2, कुल दोषावक - 0.88 हेक्टेयर, क्षमता - 4.1142 घनमीटर (9,874 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सहायक निर्देशक उदियोग, जिला-राजसमेरवास द्वारा दिनांक 08/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्दिष्ट शर्तानुसार बुझाईयका नहीं किया गया है।
- सर्वोच्चतम सलेक्टर (अनित साव्य), जिला-राजसमेरवास की द्वारा क्रमांक 240/स.लि.02/2021 राजसमेरवास, दिनांक 23/03/2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उद्योग की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | उत्पादन (घनमीटर) |
|--------------------------------|------------------|
| 2017-18 | 4,030 |
| 2018-19 | 4,040 |
| 2019-20 | 4,090 |
| अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक | 1,020 |

- पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 की समाप्ति होने के उपरान्त की उद्योगन किया गया है। इस संबंध में परियोजना उद्योगक द्वारा बताया गया कि शाला बालका, पापियन, वन और जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली के अधून, दिनांक 29/03/2020 के अनुसार जिला परियोजनाकर्ता एवं कार्यवाही की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। जनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की शेष दिनांक 30/06/2020 तक मुद्वि की गई है। सापेक्षता, शाला संकलन, पापियन, वन और जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21/11/2020 अनुसार:-

"64. Notwithstanding anything contained in the notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उद्योगन कार्य किया गया है। जिसे सविधि द्वारा सभ्य किया गया।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में अखनन – जीव क्षेत्र की चर्ची और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उपखनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार में चर्ची उपखनन निम्नानुसार विस्तृत प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 25 | 2% | 0.50 | Following activities at Government Primary School, Village – Salighniya | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Total | 0.50 |

17. सामूहिक एन.सी.टी., डिमिशन बैंक, नई दिल्ली द्वारा सखीरा सम्बंध विस्तृत प्रकार पर्यावरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनिश्चित परिचयनाम नं. 188-डीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को प्रेषित आवेदन में मुक्त रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किया गया उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश किया गया:-

1. कार्यलय अलेक्टर (एन.सी.टी.) जिला-राजसोदपाय के खानन अर्जांक 388/स. नि. 03/2020 राजसोदपाय, दिनांक 27/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर की भीतर अवस्थित 03 खदानें, क्षेत्रफल 2.40 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सलिया डिस्ट्रिक्ट) का क्षेत्र 0.85 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सलिया डिस्ट्रिक्ट) को निम्नानुसार कुल क्षेत्र 3.25 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उपरोक्त काम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की नहीं गयी।
2. समिति द्वारा विचार किया गया उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदन – केसों की नवीन मुद्रण डीन (प्रारंभिक डिस्ट्रिक्ट नॉन स्टोन माईंस) की ग्राम-सलिया डिस्ट्रिक्ट, राजसोदपाय-डीननाय, जिला-राजसोदपाय के खदान अर्जांक 66/4.8.8 एवं 68/2 में विस्तार पर्वत पथ (नॉन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर, अर्जांक – 6,824 एन (4,114.2 घनमीटर) अवैध हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 13/03/2021 को संख्या 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा कमी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श करवाते प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से सभिति की अनुमोदना की स्वीकृत कमी हुए आवेदन - मेसर्स श्री मनीष इमारत डेन (साविक डिस्ट्रिक्ट कमीन स्टोन साईड) की दाम-साविक डिस्ट्रिक्ट, जलसील-डीनमगांव, जिला-राजनांदगांव की जमात क्रमांक 88/4.8.8 एवं 88/2 में स्थित कमी पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.88 हेक्टेयर, क्षमता - 9,874 टन (2,114.2 टन/दिन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया।

परिपोषण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाय।

18. मेसर्स श्रीमती सुमलता जोसावाल (खेरवाला साईम स्टोन साईड), दाम-खेरवाला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (साविकालय का नसी क्रमांक 1428)

जीनसाईम आवेदन - प्रकीर्ण नम्बर - एसआईए /सीडी /एनआईएन /18820/2020, दिनांक 28/10/2020। परिपोषण प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनसाईम आवेदन में अतिरिक्त होने से ज्ञात दिनांक 28/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिपोषण प्रस्तावक द्वारा अतिरिक्त जानकारी दिनांक 29/01/2021 को जीनसाईम प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से सम्पन्नित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान दाम-खेरवाला, तहसील व जिला-राजनांदगांव जिला खसत क्रमांक 88/1 एवं 88, कुल क्षेत्रफल-1.125 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित क्षमता क्षमता-8,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) सभिति की 387वीं बैठक दिनांक 11/02/2021

सभिति द्वारा प्रकरण की कमी एवं ज्ञात जानकारी का परीक्षण तथा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. सु-साविक संख्या प्रस्तावक की प्रति प्रस्तुत की जाय।
2. पूर्ण में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्देशन प्रतिकल्प (एस.ई.आई.ए.ए.), जलसीलगत जलसाविक जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्देशन प्रतिकल्प (सी.ई.आई.ए.ए.), जलसीलगत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिचित सर्तों के प्रालय में की गई जानकारी की जानकारी जलसीलगत सभिति प्रस्तुत की जाय। साथ ही सुपरवेसन की अद्यतन स्थिति की जानकारी जलसीलगत सभिति प्रस्तुत की जाय।
3. दिनांक कमी में निर्दिष्ट चूना पत्थर खदान की साविक संख्या की जानकारी खनिज विभाग से उपस्थित करा कर प्रस्तुत की जाय।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाय।
5. परिपोषण प्रस्तावक को उपरोक्त कमी पूर्ण जानकारी / प्रस्तावक (अद्यतन जलसीलगत) की साथ प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।







सामुदायिक परिवहन प्रस्तावक को एनईएपी, जलियावाड़ के अग्रिम दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 24/03/2021।

प्रस्तुतीकरण हेतु की राहुल अग्रवाल, अतिरिक्त इतिमित्री उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रों, समुदाय जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र — अखण्डन के संकेत में ग्राम पंचायत कल्याणपुर का दिनांक 10/12/2007 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परचनन योजना — राष्ट्रीय प्लान (खरी कन इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है जो ग्राम पंचायत (खनिग्राम), जिला-राजमंडीवाड़ के अग्रिम क्रमांक / ख.नि./वीन-4/2018/708 राहुलपुर, दिनांक 23/03/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान — राष्ट्रीय कन्सेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजमंडीवाड़ के अग्रिम क्रमांक 188/ख.नि.03/2021 राजमंडीवाड़, दिनांक 19/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर के भीतर आवेदिता 8 लक्ष, क्षेत्रफल 2.708 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — राष्ट्रीय कन्सेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजमंडीवाड़ के अग्रिम क्रमांक 2827/ख.नि.02/2018 राजमंडीवाड़, दिनांक 24/10/2018 द्वारा जारी अग्रिम पत्र अनुसार खदान खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बाजार, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनईएड एवं जल आपूर्ति जैसी इतिमित्रीय क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — भूमि एवं खेती बीमारी मुक्तता प्रमाणपत्र की नकल पर है। लीज क्षेत्र 5 वर्षों अवधि दिनांक 02/05/2008 से 01/05/2013 तक की अवधि हेतु है। लीज का अग्रिम नवीनीकरण दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2018 तक की अवधि हेतु किया गया। हालांकि लीज क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 02/05/2018 से 01/05/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापति प्रमाण पत्र — राष्ट्रीय वनसंरक्षणविभागी, राजमंडीवाड़ वनसंरक्षण, जिला-राजमंडीवाड़ के अग्रिम क्रमांक /ख.नि./व.क्र. 10-1/2021/2014 राजमंडीवाड़, दिनांक 02/03/2021 से जारी अनापति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदिता क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 3.3 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महावापसी संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-बंलाडाल 0.5 कि.मी, स्कूल ग्राम-बंलाडाल 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल टेलरखीह 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय प्रदान, अस्पताल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इतिमित्रीय पौधुटेज इलाका, पारिस्थितिकीय

सर्वोच्चतम क्षेत्र या प्रस्तावित सर्वोच्चतम क्षेत्र निर्धार नहीं होने पर निर्धारित किया है।

10. खदान खनन एवं खनन का विवरण – डिवाइसिजिजल निचर 2,25,000 टन, माइनिंगल निचर 1,50,000 टन एवं रिक्वायर्डल निचर 1,30,000 टन है। खोज की 7.5 मीटर खोड़ी सीमा खट्टी (खानखनन के लिए प्रतिक्रियित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,764 वर्गमीटर है। खनन खननट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से खानखनन किया जाता है। खानखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। खोज क्षेत्र में खट्टी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। इस मिट्टी की सीमा खट्टी (7.5 मीटर) में पौसाकर कुशासन के लिए उपयुक्त किया जाएगा। खोज की मोटाई 3 मीटर एवं खोड़ी 3 मीटर है। खदान की संरक्षित खड्ड 24 वर्ष है। खोज क्षेत्र में खनन स्थायित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। खोज क्षेत्र में विभिन्न एवं अतिरिक्त किया जाता है। खदान में खड्ड प्रदान नियंत्रण हेतु खनन का नियंत्रण किया जाता है। पर्याप्त प्रस्तावित खानखनन का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | प्रस्तावित खानखनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 8,000 |
| द्वितीय | 8,000 |
| तृतीय | 8,000 |
| चतुर्थ | 8,000 |
| पंचम | 8,000 |

आपासी वर्षों की खानखनन योजना

| वर्ष | प्रस्तावित खानखनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम | 8,000 |
| द्वितीय | 8,000 |
| तृतीय | 8,000 |
| चतुर्थ | 8,000 |
| पंचम | 8,000 |

11. खनन आपूर्ति – खनिजोत्पन्न हेतु आवश्यक खनन की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जैसे किटकरण, कुशासन) हेतु खनन की आपूर्ति आवश्यक सिद्ध निश्चित खदानों में पुरकित खनन एवं पेशकश की आपूर्ति हेतु खनन की गहराई से की जाएगी।

12. कुशासन कार्य – खोज क्षेत्र की सीमा में खट्टी खोज 7.5 मीटर की खट्टी में 1,000 मम कुशासन किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- a. पूर्व में कुल खनन खदान खनन क्रमांक 558/1 एवं 558, कुल क्षेत्रफल - 1,125 हेक्टेयर, खनन - 8,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिसका अंतिम पर्यावरण सलाहकार निर्देशन प्रतिक्रिया, जिला-संरक्षणाधिकारी द्वारा दिनांक 10/07/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- c. विधानित कार्यनुसार कुशासन नहीं किया गया है।

14. कार्यवाही कार्यालय (पर्यावरण विभाग) जिला-सुपरीकार्यालय के द्वारा 23/02/2021 को जारी किया गया है।

| वर्ष | प्रशासन |
|---------|---------|
| 2008-09 | 2,510 |
| 2009-10 | 7,440 |
| 2010-11 | 15,230 |
| 2011-12 | 8,550 |
| 2012-13 | 4,040 |
| 2013-14 | 3,400 |
| 2014-15 | 4,000 |
| 2015-16 | 1,700 |
| 2016-17 | 3,743 |
| 2017-18 | 2,751 |
| 2018-19 | 4,888 |
| 2019-20 | 1,610 |
| 2020-21 | 1,730 |

14. पर्यावरणीय नीतिगत विभाग 23/02/2021 को संलग्न होने के संदर्भ में प्रशासन किया गया है। इस संकेत में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन विभाग 23/02/2021 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यों को जारी पर्यावरणीय नीतिगत विभाग 18/02/2020 से 30/04/2021 के मध्य संलग्न हो रही है। उनकी पर्यावरणीय नीतिगत विभाग 30/04/2021 तक वृद्धि की गई है। संश्लेषण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसार-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall be deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार प्रशासन कार्य किया गया है। जिसे संश्लेषण द्वारा संलग्न किया गया।

14. संश्लेषण की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा बंदी में प्रशासन - प्रशासनिक कार्य के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीमा क्षेत्र के बाईं ओर 7.5 मीटर क्षेत्र की, प्रशासन विभाग के 37 मीटर लम्बाई में 3 मीटर गहराई तक, दक्षिण दिशा के 65 मीटर लम्बाई में 4 मीटर गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 120 मीटर लम्बाई में 3 मीटर गहराई तक प्रशासन किया गया है। उपरोक्त संश्लेषण क्षेत्र को पुनर्स्थापन एवं पुनर्स्थापन का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का संश्लेषण एवं संश्लेषित नई नियम प्रशासन किया जाये प्रस्तावक है।

16. पर्यावरण के संरक्षण समिति के संज्ञान में यह स्पष्ट जाया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिच्छेद में विगत वर्षों में किये गये उद्योगन विस्तार संबंधित जारी प्रस्ताव एवं नए उद्योगन की इकाई (यूनिट) कायम नहीं की गई है। इस संबंध में जानकारी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि नया संस्कार, पर्यावरण, एवं एवं उद्योगन परिचालन संशोधन, नई दिल्ली द्वारा नोन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु बनाए पर्यावरणीय सर्वांगीण की गई है। सर्वांगीण 2010 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मन्त्रालय सर्वांगीण के अनुसार माइनिंग सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीजटी जॉन में कृत्रिमता किया जाना आवश्यक है।

17. वार्षिक एन.सी.टी., विनियम क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण सम्बंधित विस्तृत नया संस्कार, पर्यावरण, एवं एवं उद्योगन परिचालन संशोधन, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोटोकॉल एन.सी.टी. नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को प्रतिरूपित करीब में सुझाव एवं नए विनियमन निर्देशित किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श पर्यावरण सर्वसम्मति से विनियमन निर्देशित किया गया-

1. कार्बोनास असेंबल (खनि संसाधन, जिला-राजमंडला के इलाक़े क्रमांक 104/ख. सि.03/2021 राजमंडला, दिनांक 18/03/2021) के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर के भीतर आवेदित 8 खदानें, क्षेत्रफल 8.708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (खान-बोमडाल) का क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (खान-बोमडाल) की मिलजुब कुल क्षेत्रफल 9.83 हेक्टेयर है। खदान की सीमा की 500 मीटर की परिसर में स्वीकृत/संघटित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'सी' श्रेणी की शर्तों पर है।
2. माइनिंग सीज क्षेत्र की माटी जॉन 7.5 मीटर चौड़े सीजटी जॉन की कुल भाग में किये गये उद्योगन के कारण इस क्षेत्र के उद्योगन (Essential Minerals) में संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग विनियमन की कारण उद्योगन प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक पर्यावरण सुधारोपक्रम आदि के लिये समुचित पर्यावरण संरक्षण, संवाहनालय, नीलिकी तथा कृत्रिमता, सुधारोपक्रम, नया संस्कार उद्योग पर, जिला - रायपुर (खनि संसाधन) से जानकारी प्राप्त की जाए।

(Handwritten signatures and marks)

3. समिति द्वारा विचार विमर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रारम्भ 'डी' सेक्टरों का होने के कारण बाधा समाप्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संशोधन द्वारा अक्टूबर 2018 में प्रकाशित सटीक एवं जीव विज्ञान (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निष्पादन अनुयायन सेट अपीयर्स अपर ई.आई.ए. परिशिष्ट 2006 में वर्णित सेवी 1(i) का सटीक टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) और जल मापन प्रोजेक्ट सेटु निम्न अधिलेखित टी.ओ.आर. के साथ जारी करने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatnagar before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- iii. Project proponent shall submit blasting permission from DGM.
- iv. Project proponent shall submit the revised previous year production certificate from concern department.
- v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & its plantation within three months and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकरण की तिथि 13/08/2021 को प्रारम्भ 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्त उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार एवं जीव विज्ञान (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि गाईन जीव क्षेत्र को घाटी और 7.5 मीटर चौड़े रोश्टी जॉन को कुछ मात्र में किये गये प्रावधान के अलावा इस क्षेत्र को उपयुक्त उपायों (Remedial Measures) की संख्या में तथा जीव क्षेत्र को अंदर माइनिंग डिवाइजनों के कारण उत्पन्न प्रदूषण निष्पन्न हेतु आवश्यक उपायों तथा कृत्रिम अर्थ के लिये अनुचित उपायों बाधत संवातक, संवातनालय, भीमिडी तथा खनिजन, इटावाही भवन, तथा रामपुर अटल भवन, जिला - रामपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परिचयना प्रस्ताव को एवं जीव विज्ञान (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संवातक, संवातनालय, भीमिडी तथा खनिजन, इटावाही भवन, तथा रामपुर अटल भवन, जिला - रामपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

17. मैगर्स विद्यापीठ स्पोर्ट्स/आईट एंड मॅडिकल सीड क्वारी (प्री- बी ग्रीडम बॅच काउन्सिलर), ग्राम-विद्यापीठ, तहसील व जिल्हा-राजनांदगाव (अभिवादन का नवरी क्रमांक 1382)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नंबर - एसआईए / सीडी / एचआईएन / 44543 / 2017, दिनांक 01 / 08 / 2020। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में समीची होने से प्रथम दिनांक 01 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी दिनांक 20 / 01 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवर्धित स्पोर्ट्स/आईट एंड मॅडिकल सीड क्वारी (प्रीम क्वारी) प्रदान है। प्रदान ग्राम-विद्यापीठ, तहसील व जिल्हा-राजनांदगाव जिल्हा पार्क जॉक प्रस्ताव क्रमांक 342, कुल क्षेत्रफल-4.48 हेक्टेयर में है। प्रदान की आवेदित प्रदानन समतल- 20,000 टन प्रतिवर्ष है।

बीडकी का विवरण -

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 11 / 02 / 2021:

समिति द्वारा प्रदान की समतल एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समक सर्वसाधन से निम्ननुसार निर्णय किया गया था-

1. पूर्व में आवेदित प्रस्ताव का खतरा हेतु राज्य एवं परीक्षण समयात निर्देशित प्रशोधना (एस.ई.आई.ए.ए.) प्रतीक्षण अथवा जिल्हा परीक्षण प्रस्तावत निर्देशित प्रशोधन (सी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीक्षण द्वारा पर्यावरणीय जांचकी की गई थी, पूर्व में जारी पर्यावरणीय जांचकी की प्रति एवं आवेदित जारी के प्रदान में की गई जानकारी की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रदातेपन की प्रदान निधी की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
2. जिल्हा परी में किए गए प्रदानन की प्रदातिक मात्रा की जानकारी प्रेषित जिल्हा से प्रेषित करत कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रदान पूर्व जिल्हा से प्राप्त प्रस्तुत किया जाए।
4. परिशोधना प्रस्तावक को परीक्षा समतल पूर्व जानकारी / प्रदानन (अथवा कोटीकरण) के साथ प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.सी., प्रतीक्षण से प्रथम दिनांक 17 / 03 / 2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 24 / 03 / 2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु प्री ग्रीडम बॅच काउन्सिलर, प्रोव्हाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा समतल, प्रस्तुत जानकारी का प्रदानन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. ग्राम प्रदावत का अनापति प्रदान कर - प्रदानन के संबंध में ग्राम प्रदावत प्रदावती का दिनांक 27 / 10 / 2020 का अनापति प्रदान कर प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रदानन प्रीक्षण - क्वारी प्रदान (विद्युत इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रदान एवं क्वारी क्वारी प्रदान) प्रस्तुत किया गया है, जो समुदाय संवालय, के प्रदान क्रमांक 2015 / विद्युत/सीडी / मॅडिकल सीड / स्पोर्ट्स एवं मॅडिकल / एस.ए. 2 / 2016 तथा प्रस्तुत दिनांक 10 / 03 / 2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3. 500 मीटर की परिधि में निम्ना खदान - सार्वजनिक कलेक्टर (खनि गांधी), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 234/खनि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 29/03/2021 के अनुसार आवंटित खदान की 500 मीटर के भीतर आवंटित 1 खदान संभवतः 5.88 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - सार्वजनिक कलेक्टर (खनि गांधी), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 6002/खनि. 03/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/12/2022 द्वारा जारी क्रमांक पत्र अनुसार प्राप्त खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मण्डल, सामिक काल, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एनिसट एवं जल संपूर्ति जदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
5. लीज का विवरण - यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की सीमा पर आवंटित की गयी पत्र है। लीज सीमा 20 वर्ग मीटर दिनांक 30/09/2000 से 29/09/2022 तक की अवधि हेतु पत्र है। संशोधित लीज सीमा में 20 वर्ग मी. दिनांक 30/09/2025 से 29/09/2048 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट लैंड रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट लैंड रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - सार्वजनिक वन्यजंतु अधिकारी, राजनांदगांव कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक/खनि./व.क. 10-1/2020/10807 राजनांदगांव, दिनांक 18/12/2020 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा में 2 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महानगरपाल संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय इलाका 0.18 कि. मी. एवं अस्पताल भूखण्ड 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जैववैविध्य शीला, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रकृत्य निबंधन क्षेत्र द्वारा घोषित जैववैविध्य शीला, राष्ट्रीय उद्यान, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. खनि संयंत्र एवं खनि का विवरण - डिप्लोमैटिकल रिजर्व 2,90,000 टन, सॉन्डिबल रिजर्व 5,88,520 टन एवं निकलबेबल रिजर्व 5,28,370 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा बढ़ती (खदान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5.88 हेक्टेयर है। क्षेत्रफल के भी नो-मोवमेंट जिति में खदान किया जाता है। खदान की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 17.51 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनि स्थिति नहीं है। जैक ड्रम में ड्रिलिंग एवं आवंटित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाता है। सर्वोपरि प्रस्तावित खदान का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | प्रस्तावित खनि (टन) |
|---------|---------------------|
| अथ | 30,000 |
| द्वितीय | 30,000 |
| तृतीय | 30,000 |
| चतुर्थ | 30,000 |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

| | |
|------|--------|
| वर्ष | 30,000 |
|------|--------|

आवासीय वर्षों की संरक्षण योजना

| वर्ष | प्रस्तावित संरक्षण (टन) |
|---------|-------------------------|
| 2007-08 | 30,000 |
| 2008-09 | 30,000 |
| 2009-10 | 30,000 |
| 2010-11 | 30,000 |
| 2011-12 | 30,000 |

11. **जल आपूर्ति** - परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती। समय से विभिन्न विभाजकों द्वारा विद्यमान, कुआरों/वेल्ड हेतु जल की आपूर्ति आवश्यक किंचित निश्चित करायी से एकत्रित जल एवं केवल की आपूर्ति दृश्य क्षेत्र के माध्यम से की जाती।

12. **प्लांबिंग कार्य** - जीप क्षेत्र की सीमा में जारी जोड 7.5 मीटर की गहराई में 2,000 गम कुआरों/वेल्ड किया जाता।

13. **पूरु में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

a. पूरु में क्वार्टरमाईट एवं सिलिंडर लेवेल सटपट कार्ट जीप सतह इलाक 340 कुन क्षेत्रफल - 445 हेक्टेयर, जमात - 30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सभा/राज्य स्तरीय आधिकार्य जिला-राजनांदनाव द्वारा दिनांक 02/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

b. पूरु में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के कार्य के अंतर्गत में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

c. निर्धारित सार्वजनिक कुआरों/वेल्ड नहीं किया गया है।

d. कार्यवाही कार्यवाही (सर्वेक्षण कार्य), जिला-राजनांदनाव के द्वारा /204/स.सि.01/2021 राजनांदनाव, दिनांक 29/01/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये संरक्षण की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | आवादन (टन) |
|---------|------------|
| 2007-08 | N/A |
| 2008-09 | |
| 2009-10 | |
| 2010-11 | |
| 2011-12 | 3,010 |
| 2012-13 | 6,100.00 |
| 2013-14 | 8,800 |
| 2014-15 | 3,880 |
| 2015-16 | 4,120 |
| 2016-17 | 43,000 |
| 2017-18 | 800 |
| 2018-19 | 300 |
| 2019-20 | 520 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में परखनन - अनुसंधान के दौरान परिष्कृत आवाज द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में चट्टी और 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग में परखनन किया जा चुका है। उपरोक्त पूर्व से परिष्कृत क्षेत्र को पुनर्नयन का कुशासन का कार्य किया जाएगा। जो उपरोक्त का समर्थन कर, संबंधित मंजूरित प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. पर्यावरणीय है कि नाला सफाई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली द्वारा मंत्रालय मंजूरित डीजेएल हेतु नाला पर्यावरणीय शर्तों जारी की गई है। शर्त क्रमांक 11(a) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

काला नाला शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र में कुशासन किया जाना आवश्यक है।

16. पर्यावरणीय इन्फोर्मिटी, विविधता क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा समीक्षा पर्यावरण विस्तृत नाला सफाई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संकलन, नई दिल्ली एवं अन्य (अनुसंधान परिष्कृत नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आवेदन में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विधान विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि संसाधन), जिला-राजसूदनपुर के आदेश क्रमांक 234/ख. लि.02/2001 राजसूदनपुर, दिनांक 23/03/2021 के अनुसार आवेदन खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित है। खदान क्षेत्रफल 6.88 हेक्टेयर है। आवेदन खदान (वाम-विस्तार) का क्षेत्र 4.45 हेक्टेयर है। इस खदान आवेदन खदान (वाम-विस्तार) को विस्तार कुल क्षेत्र 11.33 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में सकल/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर से अधिक का संख्या निर्दिष्ट होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की शर्तों पर है।

2. नई लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र के कुछ भाग में किये गये परखनन के कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त पर्यावरण संबंधित क्षेत्रों में लीज क्षेत्र के अंदर नई लीज क्षेत्रों के कारण पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपरोक्त कुशासन आदि के किये सुनिश्चित उपरोक्त

बबलू सांघलोक, सांघलगावरा, बीमिडी तथा खनिजन, हुदावली मन्, नया लखनपुर
अरुण नगर, जिला - रायपुर (झारखण्ड) से जामकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प की। कीटली का होने
के कारण बालू अस्तर, पर्यावरण, धन और जनसंपत्ति परियोजना मंचालन द्वारा
अप्रैल, 2018 में प्रकल्पित सौमवार टर्मों जॉक विमर्श (टिओआर) और ई.आई.ए.
/ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एम्बेडिटेड रिक्वायर्सिग इन्फार्मेशन क्लीयरेंस
अप्रैल ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित केली 1(ए) का सौमवार टिओआर
(लोक सुनवाई सहित) नीचे केल नार्डनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु विन्य अतिरिक्त
टिओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C, Chhatbagathi before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Carbon Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit top soil management & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project proponent shall submit extended lease deed copy.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit the Certificate for closure of mine from Concern Department.
- vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation within three months and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिक्रिया की दिनांक
13/05/2021 को संयुक्त 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा जारी
का प्रतिक्रिया किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया द्वारा सर्वसम्मति से
समिति की अनुमति को संकेत करते हुए उपरोक्तनुसार टर्मों जॉक रिक्वायर्स
(टिओआर) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह
भी निर्णय लिया गया कि नार्डनिंग सीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीजरी जोन
के साथ साथ में किये जाने उपचारन के कारण इस क्षेत्र की उपकारी उपकारी (Remedial
Measures) से संबंध में तथा सीज क्षेत्र के अंदर नार्डनिंग कियेकारारी के कारण
प्रकल्प प्रकल्प निरंतरण हेतु आवश्यक जगहों तथा सुधारणन आदि के किये समुचित
उपकारी बबलू सांघलोक, सांघलगावरा, बीमिडी तथा खनिजन, हुदावली मन्, नया
लखनपुर अरुण नगर, जिला - रायपुर (झारखण्ड) को पत्र लिखा जाए।

परिषदीय प्रस्तावक को सभी अधिकारियों (टी.डी.आर.) जारी किया जाए। सभी की संमति, संशोधन/संशोधन, भूमिगत तथा अधिसूचना, इत्यादी भरण, तथा अनुसूचित प्रस्ताव भरण, जिला - बल्लार (उत्तरांचल) को भेज दिया जाए।

18. बेंचों की मांग/उत्तर जारी, धाम-दुमड़ी, लखीम-बिलाईगढ़, जिला-बल्लार/उत्तरांचल-भारत/भारत

प्रस्ताव का विवरण -

1. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/11/2020 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में विषयगत सुविधा प्रस्तावित "धाम-दुमड़ी, लखीम-बिलाईगढ़, जिला-बल्लार/उत्तरांचल-भारत/भारत की जमात क्रमिक 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2 कुल क्षेत्रफल 1.175 हेक्टेयर" के स्थान पर "धाम-दुमड़ी, लखीम-बिलाईगढ़, जिला-बल्लार/उत्तरांचल-भारत/भारत की जमात क्रमिक 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2 कुल क्षेत्रफल 1.175 हेक्टेयर" किये जाने हेतु अनुसूचित एवं प्रस्तुत किया गया है।
2. यह प्रस्ताव धाम-दुमड़ी, लखीम-बिलाईगढ़, जिला-बल्लार/उत्तरांचल-भारत/भारत स्थित जमात क्रमिक 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2 कुल क्षेत्रफल 1.175 हेक्टेयर, प्लाट नंबर 1000 (एन.ए.सी.) जमात-7,888 रज. प्रतिफल की है।
3. पर्यावरण नम्बर - डीआईए/ सीसी/ एमआईएम/ 18214/2018, दिनांक 13/07/2018 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था।
4. पूर्व में जिला स्तरीय सर्वेक्षण कार्यालय निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बल्लार/उत्तरांचल - भारत/भारत के द्वारा दिनांक 27/08/2018 द्वारा जमात क्रमिक 1712 एवं 1713 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 27/01/2021 को संयुक्त बैठक में विचार किया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिसूचित जमात में का संशोधन करते हुए पर्यावरण कानून अनुसूचित अनुसूचित के अधिसूचित में प्रधिकरण द्वारा विचार विमती उपरोक्त सर्वसम्मति में जमात एवं जमातों के अधिसूचित पर परीक्षण कर, उपरोक्त अनुसूचित किये जाने हेतु प्रकरण एम.ई.ए.सी., लखीमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

बेंचों का विवरण -

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 19/02/2021।

समिति द्वारा प्रकरण को सभी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण एवं जमात सर्वसम्मति में निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. कार्यलय जलसेक्टर (रूनिंग सखत), जिला-बल्लार/उत्तरांचल-भारत/भारत की प्रकरण की कुल नली प्रेषित किये जाने हेतु एवं प्रेषित किया जाए।
2. जमात वर्षों में किए गए प्रकरण की वार्षिक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिसूचित जमातों के प्रकरण में की गई जानकारी की जानकारी (उत्तरांचल सखत) प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावक की अधिसूचित किये जाने की जानकारी कोटेशन सखत प्रस्तुत की जाए।

4. सवि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को प्रकल्प में भारी कमीत पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

तदनुसार सवि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को दृश.ई.ए.सी., एलसीगावड को संपन्न दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु बुधित किया गया।

(ब) सवि निरीक्षण की 2021 की बैठक दिनांक 24/03/2021।

प्रस्तुतीकरण हेतु की मांगका प्रस्ताव करी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। सवि निरीक्षण द्वारा सभी प्रस्ताव जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधिति पाई गई:-

1. प्रस्तुतीकरण हेतु सवि निरीक्षण उपस्थित नहीं हुए एवं प्रकल्प की मूल नक्सी प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अर्थात विना 2 वर्षों तक अनुबंध निमादन न होने एवं कार्यदेस जारी नहीं होने के अलावा अन्य विना-जरी में अद्यतन कार्य नहीं किया गया है।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त शर्तों के कारण में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परिणत में 160 मरा पूजावेपण किया गया है।
4. प्रकल्प में अद्यतन प्रस्तुत नईमिन प्लान, डी-डिस्टिन्डिन्टिरी, अद्यतन पक्क, कान-एण्ड एंड पारिवल्य प्रकल्प योजना में "घाम-कुम्हारी, एलसील-कसजील, जिला-बलीदवाजल-महापरा के अंतर्गत अर्थात 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल एका 1.175 हेक्टेयर" का अल्लेख किया गया है, जबकि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "घाम-दुम्हरी, एलसील-बिलाईगड, जिला-बलीदवाजल-महापरा के अंतर्गत अर्थात 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल एका 1.175 हेक्टेयर" का अल्लेख है।

सवि निरीक्षण द्वारा विचार किया अद्यतन सर्वेक्षण विधि की निर्णय किया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अतिरिक्त अद्यतन अल्लेखित "घाम-दुम्हरी, एलसील-बिलाईगड, जिला-बलीदवाजल-महापरा के अंतर्गत अर्थात 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल एका 1.175 हेक्टेयर"

के अद्यतन पर

"घाम-कुम्हारी, एलसील-कसजील, जिला-बलीदवाजल-महापरा के अंतर्गत अर्थात 1712, 1713, 1714, 1881/2, 1881/3, 1711/1 एवं 1711/2, कुल एका 1.175 हेक्टेयर"

पदा जारी।

सवि निरीक्षण द्वारा सर्वेक्षण विधि के अद्यतन अल्लेखित अद्यतन जारी करने की अनुमति की गई।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार - अद्यतन प्रकल्प पर अधिकरण की दिनांक 13/03/2021 को संपन्न 2021 बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। अधिकरण के अद्यतन में यह एका बताया कि-

1. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निरीक्षण प्राधिकरण, जिला-बलीदासपुर - सादरगत के द्वारा दिनांक 27/08/2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में एम्बेडिंग किया गया है कि "भाटा सारदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिनियम दिनांक 01/07/2018 के अनुसार जलविद्युत के 500 मीटर की परिधि में समस्त जलविद्युत 06/08/2013 के बाद स्वीकृत है।"

2. भाटा सारदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/07/2018 में क्लस्टर की परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "बड़े क्लस्टर एक समय बनाया जाएगा जब एक सीमा की परिधि की बीच दूरी उस सड़क समित क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि में 500 मीटर के कम है, जो 3 सितम्बर, 2013 को और उसके पश्चात् अनुसूचित प्राय पट्टी या खदान अनुसूचितों को लागू होगी।"

3. राष्ट्रीय एन.जी.टी., डिमिपल बेस, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विरुद्ध भाटा सारदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एपिलीकेशन नं. 188 जीके 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को प्रति आदेश में मुक्त रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

a. परियोजना आयातक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दो अन्य खसरा क्रमांक "1712 एवं 1713" का सम्बन्ध करने का अनुरोध किया गया है। उक्त खसरा क्रमांकों को सम्बन्धित किये जाने पर पर्यावरण के विभिन्न आयतनों का सम्बन्धित प्रभाव का भी परीक्षण किया जाना आवश्यक है। साथ ही राष्ट्रीय एन.जी.टी., डिमिपल बेस, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विरुद्ध भाटा सारदार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एपिलीकेशन नं. 188 जीके 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को प्रति आदेश के अर्थ में भी परीक्षण किया जाना होगा।

उपरोक्त कर्तव्य के अन्तर्गत पर्यावरण निरीक्षण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि में कर्तव्य एवं एम्पलमेंट का पुनः परीक्षण कर, उपयुक्त अनुसूचित किये जाने हेतु प्रकरण एन.ई.ए.सी., बलीदासपुर को सम्बन्ध प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

एन.ई.ए.सी., बलीदासपुर को तत्पश्चात् सूचित किया जाय।

19. मेकर्स अगलासी इन्फोस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बाम-सीम्पुर, उदडीस व जिला-रायपुर (परिचालन का नशी क्रमांक 209)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन क्रमा - एनआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 180788/2020, यह आवेदन दिनांक 31/12/2020 के द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह परिवर्तन अगस्त तिमाही के तहत खाता नं. 47, 48, 82/4, 82/5, 82/6, 76/1, 76/2, 77, 78, 74/1, 74/2, 80/1, 80/2, कुल एरिया 4.54 हेक्टेयर के ग्राम-सोमड़ा, तहसील व जिला-रायपुर में राष्ट्रीय स्टील मिलेंस अगस्त - 88,900 टन प्रतिवर्ष एवं हि-रोल स्टील प्रोडक्ट्स अगस्त - 88,900 टन प्रतिवर्ष का है।

मेसर्स नंदन स्टील्स एचए फाउंडेड लिमिटेड द्वारा मेसर्स अण्डाल्सी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सोमड़ा, तहसील व जिला-रायपुर को राष्ट्रीय स्टील मिलेंस अगस्त - 88,900 टन प्रतिवर्ष एवं हि-रोल स्टील प्रोडक्ट्स अगस्त - 88,900 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पत्राचारणीय स्वीकृति में 'मेसर्स अण्डाल्सी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड' को 'मेसर्स नंदन स्टील्स एचए फाउंडेड लिमिटेड' नाम परिवर्तन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स अण्डाल्सी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-सोमड़ा, तहसील व जिला-रायपुर को एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीखण्ड के पत्र दिनांक 28/10/2017 द्वारा राष्ट्रीय स्टील मिलेंस अगस्त - 88,900 टन प्रतिवर्ष एवं हि-रोल स्टील प्रोडक्ट्स अगस्त - 88,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पत्राचारणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। मेसर्स अण्डाल्सी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को मेसर्स नंदन स्टील्स एचए फाउंडेड लिमिटेड को नाम पर परिवर्तन करने हेतु विद्यमान टर्म्सअंड कंडीशंस की प्रति को आवेदन अर्थात् स्वीकृति की प्रति, लेटर सेल बीड की प्रति एवं कोई रिस्ट्रिक्शन की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्रधिकरण द्वारा बैंक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 27/01/2021 को संलग्न 10वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा सभी/जानकारी का अवलोकन किया एवं पाया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों के यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 'लाट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability)' का विषय उपरोक्त प्रस्तावत हुआ है अथवा नहीं? साथ ही नाम परिवर्तन के संबंध में उचित स्वीकृति की द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज, लाट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) को शामिल करने वाले लेटर सेल बीड की प्रति प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त के परिषद में प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदन में उल्लिखित सभी के अलावा पर परीक्षण का, प्रस्तुत अगुवाई किये जाने हेतु प्रकरण एन.ई.आई.ए.ए., उत्तरीखण्ड को सन्तुष्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैंकों का विवरण -

(अ) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की गलती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उरसमय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. लाट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) का विषय उपरोक्त प्रस्तावत हुआ है अथवा नहीं? बाबत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही नाम परिवर्तन के संबंध में उचित स्वीकृति की द्वारा जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज, लाट मशीनरी एवं अन्य दायित्व (Liability) को शामिल करने वाले लेटर सेल बीड की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

(Handwritten signatures and initials)

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी (दस्तावेजी सहित) प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लॉसिंग की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी सहित प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को प्रकल्प से संबंधित समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कीर्तव्यता) के साथ प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदस्यता परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., उत्तरीकरण के अद्यतन दिनांक 17/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु बुलित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की उल्लिखित अद्यतन एवं की स्वीकृत अद्यतन, डॉक्यूमेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं स्वीकृत करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. सेवा बीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण प्लॉट नवीनरी एवं अन्य बाण्ड (Land) का विवरण दिया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड एक पूर्णक इकाई है। जो नाम परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार जीक कंपनीज से प्राप्त जारी प्रमाण पत्र / दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया औद्योगिक जेन्ड के अद्यतन का नाम परिवर्तन होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत दिने गये हैं।

उपरोक्त जर्नो के अद्यतन पर पर्यावरण द्वारा विचार विमर्श समर्पित कार्यसमिति को निर्देश दिया गया कि पूर्व में "मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, धाम-सोन्डा, लखीसराय व जिला-सुपूर" को एम.ई.ए.सी. उत्तरीकरण के पत्र दिनांक 28/10/2017 द्वारा आईएल स्टील विलेज अगता - 58,908 टन प्रतिवर्ष एवं नि-सील स्टील विलेज अगता - 58,908 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड" के अद्यतन पर "मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड" करने की अनुमति निम्न उल्लिखित शर्तों के अद्यतन की गई। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्त नवीन प्रमाण पर की जानकारी होगी।

"Project proponent shall submit the its compliance report of previous Environment Clearance alongwith photographs."

पर्यावरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर पर्यावरण की दिनांक 12/08/2021 को अद्यतन 109वीं बैठक में विचार किया गया। उल्लिखित द्वारा मसौदा का अद्यतन किया गया। विचार विमर्श समर्पित पर्यावरण द्वारा कार्यसमिति से समिति की अनुमति की स्वीकृत करने हेतु "मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, धाम-सोन्डा, लखीसराय व जिला-सुपूर" को एम.ई.ए.सी. उत्तरीकरण के पत्र दिनांक 28/10/2017 द्वारा आईएल स्टील विलेज अगता - 58,908 टन प्रतिवर्ष एवं नि-सील स्टील विलेज अगता - 58,908 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड" के अद्यतन पर "मेसर्स मेटल स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड" करने का निर्देश दिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्त नवीन प्रमाण पर की जानकारी होगी।

परियोजना प्रस्तावक को सदस्यता बुलित किया जाए।

08/08/2021

20. गैसर्स कन्वन्सपुरी ब्लॉक टैनाईट गाईन (प्रो.- की जिल्हा सुनिष्ठा),
प्राय-कन्वन्सपुरी, तहसील-नरहरपुर, जिला-उ.प्र.काशीर (मन्त्रालय का नक्का
क्रमांक 1829)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में उपरोक्त नम्बर - एमआईए/ सीडी/ एमआईएन/
42014/2018, दिनांक 18/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था।
सर्वेक्षण में उपरोक्त नम्बर - एमआईए /सीडी /एमआईएन /42014/2018,
दिनांक 22/01/2021 द्वारा सर्वेक्षण ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय
सर्वेक्षण के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संश्लिष्ट ब्लॉक टैनाईट (गैस ऑनलाइन) खदान है।
खदान प्राय-कन्वन्सपुरी, तहसील-नरहरपुर, जिला-उत्तर प्रदेश काशीर जिला द्वारा
क्रमांक 208, कुल क्षेत्रफल - 1.37 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन
कमता - 1,788.8 टन (1,398 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एमआईए.सी. पर्यावरण के खानन दिनांक 18/01/2020 द्वारा पर्यावरण का
अवलोकन होने के कारण अधिसूचना का. का. 1829 (2) दिनांक 08/03/2018 के
द्वारा जारी की अनुसार इन्फोर्मेशन इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्फोर्मेशन सेक्टरमेंट
प्राय आवेदित गैसर्स कन्वन्सपुरी, तहसील-नरहरपुर, जिला-उ.प्र.काशीर
प्राय द्वारा दिनांक 2018 में प्रकाशित भूमी (ए) का सर्वेक्षण टी.ओ.आर (विश्व बैंक
सुनवाई) चीन कोल गैसिंग प्रोजेक्ट हेतु जारी किया गया।

परिशीलन प्रस्तावक द्वारा सर्वेक्षण ईआईए रिपोर्ट दिनांक 22/01/2021 को प्रस्तुत
किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नक्का एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सामग्री
सर्वेक्षण से निष्पत्तियों निर्गत किया गया था-

1. जमीनी टी.ओ.आर. एवं अधिलिखित टी.ओ.आर. के माध्यम से की गई कार्यवाही की
विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. टी.ओ.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व
विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परिशीलन प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व जानकारी / दस्तावेज (अर्थात्
कोर्टोप्रायस) के साथ उपरोक्तित करने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

द्वारा प्राप्त परिशीलन प्रस्तावक की एमआईए.सी. पर्यावरण के खानन दिनांक
17/03/2021 द्वारा अनुमोदन हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

अनुमोदन हेतु की जिल्हा सुनिष्ठा, प्रोवेटरीट एवं सल्लाहकार की साथ में गैसर्स
इन्फोर्मेशन प्रायस द्वारा कन्वन्सपुरी की क्षेत्र से की जागहोवन सुमान सेवा
परिशीलन हेतु। समिति द्वारा नक्का, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने
का निष्पत्तियों जारी गई-

1. **घास संभावना का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - जलकान के संकेत में इस संघका अनुसूची का दिनांक 02/01/2008 को अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **साक्षरता योजना** - संशोधन एकीकृत सर्वेक्षण एवं प्रोबेशन मॉडल संशोधन प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्रीय (एन.एच.ए.) संघालयाय, सीबिडी तथा एनिसन, एनएसए के प्रमाण क्रमांक 1585/एमसीसी/एमपी/एन पत्र-05/2015 आदि नगर, दिनांक 30/03/2015 द्वारा अनुसूचित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - जलकान संलेक्टर (एनिसन संघ), जिला-उत्तर मध्य प्रदेश के प्रमाण क्रमांक 824(सी)/एनिसन/एम./2020-21 संशोधन दिनांक 10/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निरक्ष है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - जलकान संलेक्टर (एनिसन संघ), जिला-उत्तर मध्य प्रदेश के प्रमाण क्रमांक 824(सी)/एनिसन/एम./2020-21 संशोधन दिनांक 10/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुर, बांध, ट्यूबवेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, एवं अन्य अग्रणी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - जलकान संलेक्टर (एनिसन संघ) के प्रमाण क्रमांक 1585/2015/1215, संलेक्टर, दिनांक 08/11/2015 को जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. **सीज का विवरण** - सीज की विवरण सुनिश्च के नाम पर है, सीज की 10 वर्ष अग्रणी दिनांक 02/11/1998 से 01/11/2008 तक की अवधि हेतु की। सीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/11/2008 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु किया गया है।
7. **विशुद्ध सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की विशुद्ध सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
8. **महापूरण संरचनाओं की दूरी** - निरक्षाल आवासीय घास-अनुसूची 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। स्थानीय 2.5 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता सर्वेक्षणों का क्षेत्र** - परियोजना अक्षयक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आवेदित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान निर्माण क्षेत्रों द्वारा प्रोत्साहित कृषि/कृषि क्षेत्र, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणों का क्षेत्र का प्रोत्साहित क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - विद्यमान खनन स्थिति 3,42,700 घनमीटर, खनन स्थिति 1,00,000 घनमीटर एवं निरक्षरता स्थिति 1,15,800 घनमीटर है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा परी (जलकान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,500 घनमीटर है। खनन कर्म क्षेत्री सर्वेक्षणों के लिए से उपलब्ध किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर से अधिक है। खनन उपलब्ध योजना के तहत 34 मीटर की गहराई तक खनन किया जाया प्रस्तावित है। क्षेत्र की चौड़ाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर होगी।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सीज क्षेत्र में अपनी निदरी की गहराई 2.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,350 घनमीटर है। खदान की संशोधित आयु 25 वर्ष है। सीज क्षेत्र में अंतर स्तरण का प्रभाव नहीं किया गया है। सीज क्षेत्र में डिजिटल, अल्ट्रासॉन्ड, सीमा-डी एवं एम्बेडेड का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु अनुभव निरोधन हेतु जाल का विकसाल किया जाता है। सर्वोच्च प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) |
|---------|----------------------------|
| 2019-20 | 543 |
| 2020-21 | 1,125 |
| 2021-22 | 1,125 |
| 2022-23 | 1,142 |
| 2023-24 | 1,360 |

11. जल आपूर्ति - परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल से माध्यम से की जाएगी। सुनिश्चित जल उपलब्ध हेतु अनुभूति संपन्न प्रायम्व सीडर अर्वाइटी से अनुभूति प्राप्त की गई है।
12. नुसारोपण कार्य - सीज क्षेत्र की खारी क्षेत्र 2.5 मीटर गूले क्षेत्र में 1,000 मग नुसारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पट्टम मार्ग में भी नुसारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- अ. इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
- ब. कार्योन्मुख अलेक्टर (खनिज साठा), विद्युत-जाल प्रसार कार्बन के द्वारा क्रमिक 024(डी)/एनिए/एन/2020-21 कार्बन दिनांक 10/09/2020 द्वारा किया जाई में विवेक पत्र उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष | उत्खनन (घनमीटर) |
|---------|-----------------|
| 2016-17 | 798.21 |
| 2017-18 | 884.8 |
| 2018-19 | 254.208 |
| 2019-20 | निरोक |

14. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

- अ. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - सॉलिटरीज कार्ड अलेक्टर से दिनांक 2020 के समय किया गया है। 10 किलोमीटर की जोनार्ड 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, 6 स्थानों पर न्यूनतम गुणवत्ता मानक, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मानक, 2 स्थानों पर जल की जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर निदरी के गहरे एवं सतह पर विश्लेषण किया गया है।
- ब. सॉलिटरीज रिपोर्टों के अनुसार पीएम₁₀ 38.12 से 42.18 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 47.2 से 85.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ₂ 0.08 से 14.29 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ_x 13.48 से 20.23 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परिशोधन स्थल के आसपास जल स्तरों की गुणवत्ता पर्यावरण मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर

(Day time) 41.04 डीबीए से 38.3 डीबीए एवं रात (Night time) 33.24 डीबीए से 30.3 डीबीए बनाया गया।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के सचिव निम्नानुसार के कार्य उपरोक्त विनियमों के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 30.52 | 2% | 0.61 | Following activities at Neelby Government Primary School, Village-Kachanpuri | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Running Water Facility for Boys & Girls Toilets | 0.10 |
| | | | Plantation with Fencing | 0.10 |
| Total | | | 1.00 | |

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः बसावण नहीं किए जाने के संबंध में इच्छापूर्वक (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

19. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न अनुसूची के अनुसार वह गणना कर क्षतिपूर्ति रशि (Damage Cost) प्रस्तुत किया गया है-

| |
|---|
| $EC = P \times FI \times N \times S \times LF$ <p>Where, EC - Environmental compensation in Rs. FI - Pollution Index of Industrial Sector N - Number of days of violation took place. S - a Factor in Rs. For EC S - Factor for scale of operation LF - Location Factor</p> |
|---|

Environment Compensation = $P \times N \times S \times LF \times S$

No of days(N) = $(250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$

= $(250 \times 4,474.73) / 1,788.5 = 397$

Environment Compensation = $80 \times 397 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 6,04,000/-$

= say Rs. 6,00,000/-

2. समिति की पूर्ण बैठक दिनांक 18/05/2020 को संचालन 302वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु किए गये निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत केविलिएशन प्लान एवं

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 8,00,000 की राशि को मंजूर किया गया।

11. परियोजना प्रशासक द्वारा किए गए उत्सर्जन के लिए Environment Compensation के तहत में राशि 8,00,000/- रुपये का उपयोग किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार (1) राजस्थान पर्यावरण विद्यालय, कन्ननपुरी (2) राजस्थान प्रथमिक विद्यालय, बुढेसी एवं (3) राजस्थान प्रथमिक विद्यालय, मन्काटीला में रेनवॉटर इंस्टीट्यूट कागज, लिंगी वॉटर फेरीपिटी, पीने योग्य पानी, वृक्षारोपण एवं संरक्षण कार्य की व्यवस्था की जाएगी। उक्त कार्य 3 महीने में पूरा किया जाकर बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. कार्यलय कारोबार (संशोधन शाखा), जिला-उत्तर भारत कांठार के इलाक अर्थात् 824(बी)/संशोध/उप/2020-21 कांठार, दिनांक 10/08/2021 से अनुसूचित क्षेत्रों के 500 मीटर की सीमा अवस्थित अन्य सड़कों की संख्या निर्धारित है। आवंटित प्रदान (पान- कन्ननपुरी) का खजाना 1.87 हेक्टेयर है। प्रस्ताव प्रस्ताव की शर्तों का होने की कारण यह सड़क की-1 शर्तों की शर्तों पर।
2. Environment Compensation Plan को तहत निर्धारित कार्य को 03 महीने में पूरा किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवंटित - की विमल सुनिवा (पान- कन्ननपुरी और रेनवॉटर साईट) की पान-कन्ननपुरी, लखीला-मन्कापुरी, जिला-उत्तर भारत कांठार स्थित सड़क अर्थात् 500, कुल क्षेत्रफल - 1.87 हेक्टेयर, और रेनवॉटर (पीने योग्य) प्रदान अर्थात्-3,766.5 टन (1,395 घनमीटर) सौजन्य हेतु पर्यावरणीय सौकरिता दिए जाने की अनुमति की गई।
4. परियोजना प्रशासक द्वारा पर्यावरणीय सतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि प्रतीक प्रतीक संकलन संकलन, नका प्रस्तुत अटल नगर, जिला-रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरोक्त पर्यावरणीय सौकरिता यह जारी किया जाए।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकरण की दिनांक 13/08/2021 को सेशन 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा जारी का अनुमति दिया गया। प्रतिकरण के सेशन में यह तथ्य प्राप्त कि कार्यलय पर्यावरण सतिपूर्ति नरहलपुर, पश्चिम नरहलपुर द्वारा वन विभाग का अनुमति प्रदान यह जारी किया गया है, जबकि उक्त अनुमति प्रदान यह कार्यलय अनुमतिपरिष्कारों द्वारा जारी किया जाता है। जिसने जीव सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है।

प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. जीव सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु कार्यलय अनुमतिपरिष्कारों से जारी अनुमति प्रदान यह की पुष्टि प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रशासक द्वारा पर्यावरणीय सतिपूर्ति के लिए निर्धारित राशि की वन नरहल प्रतीक संकलन संकलन, नका प्रस्तुत अटल नगर

जिला-रायपुर में जमा किया जाए। बैंक गारंटी की शर्तों के तहत कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी।

परिपोषण प्रस्तावक को तदनुसार सुविधा किया जाए। परिपोषण प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त परामर्श प्रस्तुत करने एवं छातीसंगठन पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की पुष्टि उपरोक्त प्रस्ताव निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जाए।

21. मेसर्स सावर मानपुरी आईन स्टीन कार्बन (प्रा.- सी पी. गोयल), धाम-छपर मानपुरी, तहसील-तीकापाल जिला-बलार (राजिस्तारण का नसीब क्रमांक 708) आईनआईन कार्बन - पूर्ण में उपरोक्त नम्बर - एआईए/ सीसी/ एनआईए/ 14882/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन में उपरोक्त नम्बर - एआईए/ सीसी/ एनआईए/ 48882/2018, दिनांक 24/01/2020 द्वारा कार्बन डी.आई.ए. निर्देश प्रस्तुत का पर्यावरणीय लक्ष्यता के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण में सांचलित युवा मजदूर (कुछ व्यक्ति) खदान है। खदान धाम-छपर मानपुरी, तहसील-तीकापाल जिला-बलार जिला कार्ट जीस खसत क्रमांक 1200, कुल क्षेत्रफल-1.53 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता-8.850 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्ण में एआईएसी, छातीसंगठन के आदेश दिनांक 28/08/2018 द्वारा उपरोक्त का प्रस्ताव होने के कारण अधिसूचना क्र.आ. 1030 (अ) दिनांक 06/08/2018 के अंतर्गत की अनुसार इन्टीग्रिटेड इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्टीग्रिटेड मैनजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 में प्रकाशित नसीब 100 का एनआईए टी.ओ.आर (रीक सुनवाई सहित) नीचे नीचे कार्बन डी.आई.ए. हेतु जारी किया गया।

परिपोषण प्रस्तावक द्वारा कार्बन डी.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 24/01/2020 को प्रस्तुत की गई है।

बैंकों का विवरण -

(अ) समिति की 33वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की शर्तों एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा साक्ष्य संबंधितता के निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. जारी टी.ओ.आर एवं अधिसूचना टी.ओ.आर का किन्तुपर पालन प्रतिवेदन उचित कारगरता सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. मजदूर साकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परिपोषण प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (खदान फोटोग्राफ) के साथ आवेदन पत्र की आरंभिक बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदस्यवार परिशोधना प्रस्तावक को दृष्टांत/ए.सी. प्रतीनमपत्र के द्वारा दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

अनुमोदित हेतु की प्रतीन मेलन, प्रोफेसर्टा एवं मेमर्स कीचरसीज साईन-टैक कन्वन्शेंट की ओर से परीक्षणोंत सत्यताका की कल में की सरोज कुमार उपस्थित हेतु; समिति द्वारा सारी प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि हुई गई—

1. ग्राम संरक्षण का अनापति प्रमाण पत्र — ग्राम संरक्षण उत्तर मालपुरी द्वारा दिनांक 22/08/1988 को जारी अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. अखण्ड क्षेत्र — परिवोधन प्रस्तावक द्वारा भूविभाईत सड़कित ग्राम एवं कोमेसिद गाहन कोरकर प्लन प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय ग्राम विपक्ष, राष्ट्रीय ग्राम सृष्टी, राधपुर की सब अनांक बरत / पूर / खरी-1133 / 2017, राधपुर दिनांक 18/01/2018 को जारी 2017-18 में 2021-22 तक की अवधि हेतु अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कारोसद कलेक्टर (खनि, बरत) जिला-बरत के द्वारा अनांक 1988 दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमान आवेदित खदान में 500-मीटर परिधि में कुल 06 खदानें सतक 2.1 हेक्टर स्पेसिद/विद्यमान हैं।
4. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निलदा में अनाकी ग्राम-राकटापुरा 1.8 कि.मी. एवं ग्राम-समिधवाल 2 कि.मी. है। सतुल ग्राम-अनामालपुरी 1.2 कि.मी. एवं सारथिक सारथ कोन्द ग्राम-अनामालपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन सारथवाल 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. है। इन्टरवली नदी 1.8 कि.मी. की दूरी पर है।
5. परिस्थितीकीय/जीवविधिया संवेदनशील क्षेत्र — परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य, राष्ट्रीय प्रमाण, अखण्ड, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित सिद्धिवाली पेंसुटेड क्षेत्र, परिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या प्रेषित जीवविधिया क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतीवेदित किया है।
6. लीज का विवरण — लीज बीड की वी. सारथ की नाम पर है। लीज बीड 30 वर्षों के लिए 22/02/2001 से 21/02/2031 तक की अवधि हेतु है।
7. खान संघदा एवं खान का विवरण — सिधेसिद्धिवाल सिधे 1.12 मिडिमल टन एवं सड़नेकल सिधे 1,00,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (सखण्ड के लिए प्रेषित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.881 हेक्टर है। खान कलद मैनुअल सिधे से सखण्ड किया जाता है। खान सुनिद 0.008 हेक्टर क्षेत्र में आवेदित है। जिलाकी अनांक 30 टन प्रतिदिन है। सड़नेकल में नू-नूक के 0.888 वर्गमीटर क्षेत्र में सखण्ड हुआ है। सखण्ड की सारथन पहलाई 4 से 5 मीटर है। सखण्ड की अनावेदित पहलाई 12 मीटर है। क्षेत्र की अनाई 02 मीटर एवं सीलाई 04 मीटर है। सिधेक हेतु जेक ड्रिल का उपयोग किया जाता है। सारथिद किया जाता है। सिधेक प्रेषितवाली हेतु 2.5 किलोमीटर प्रतिदिन जल की अनावेदित होती है। जल का सरीक नू-जल है। सधु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धाव किया जाता है। अदर अखण्ड के नियंत्रण हेतु जल

विश्राम की व्यवस्था है। लीड क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सुरक्षा क्षेत्र में पुनरोपन किया जाएगा। विना चर्चों के वास्तव्य का विवरण निम्नांकित है-

| वर्ष | वार्षिक वास्तव्य (टन) | वर्ष | वार्षिक वास्तव्य (टन) |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| 2001 | 3,338 | 2010 | 4,792 |
| 2002 | 11,148 | 2011 | 5,515 |
| 2003 | 3,900 | 2012 | 2,018 |
| 2004 | 1,809 | 2013 | 4,372 |
| 2005 | 5,875 | 2014 | 4,753 |
| 2006 | 6,180 | 2015 | 4,457.18 |
| 2007 | 4,038 | 2016 | 11,176.952 |
| 2008 | 4,270 | 2017 | 3,288.547 |
| 2009 | 4,264 | 2018 | - |

वास्तव्य की वर्षवार प्रत्याभूति योजना

| वर्ष | वास्तव्य ROM (टन) |
|---------|-------------------|
| 2017-18 | 8,300 |
| 2018-19 | 8,300 |
| 2019-20 | 8,782 |
| 2020-21 | 8,782 |
| 2021-22 | 8,750 |

8. पूर्ण में जारी वर्षावर्गीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- पूर्ण में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा इस वास्तव्य हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
9. ई.आई.ए. अध्ययन का प्राथमिकरण नहीं किया गया है।
10. जारी टी.ओ.आर. के विंदु क्रमांक 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 23, 28, 38, 31, 32 एवं अधिविस्तार टी.ओ.आर. के विंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 के परिशिष्ट में उल्लिखित एवं अनुसूचित वास्तव्य प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. प्राथमिकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीड क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भागों में वास्तव्य किया गया है। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा वास्तविक क्षेत्र की पुनर्जांच कर पुनरोपन कार्य हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
12. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, कर्नाटक, वन एवं जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बरत नईनिक प्रोसेक्यूट हेतु मानक वर्षावर्गीय चर्च जारी की गई है। चर्च क्रमांक 333(1) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक चर्च के अनुसार नईन लीड क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सुरक्षा क्षेत्र में पुनरोपन किया जाना आवश्यक है।

13. वारंवार अपॉय में वारंवार कार्य किए जाने से परिचित हुए हुए, जब इन व्यक्ति गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का अनुभव कर, वयानुसार व्यवस्था बन संशोधित निर्देशन प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. सहायक/निर्देशन नहीं प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. सीईओ, (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा वारंवार कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया था—

1. जारी टीओआर के बिंदु क्रमांक 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 23, 26, 28, 31, 32 एवं अतिरिक्त टीओआर के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 9 से परिचित से अतिरिक्त प्रस्ताव प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया जाए।

2. सीक क्षेत्र के 13 सीक क्षेत्र (सेक्टर जेन) के कुछ भाग प्रस्तावित हैं एवं इस क्षेत्र के उपकारी प्रभावी (Residual Measures एवं विचारों की विस्तृत प्रस्ताव को प्रस्तावित करने हुए संशोधित अनुसंधान संशोधित प्राप्त प्रस्तुत की जाए। साथ ही रीस्टोरेशन (Restoration) प्राप्त प्रस्तुत किया जाए।

3. सीक क्षेत्र की प्रस्ताव वृद्धि संबंधी जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।

4. स्वतंत्र निरीक्षण के जारीत सीईओ, (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परिशोधन प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / प्रस्तावित (प्रस्तावित प्रस्ताव) के साथ आगामी पत्र की अतिरिक्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

वयानुसार परिशोधन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., प्रतीसंग्रह के प्रस्ताव दिनांक 26/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा कोई प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा वारंवार कार्यसमिति से निर्देश दिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक से उपरोक्त अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

वयानुसार एच.ई.ए.सी., प्रतीसंग्रह के प्रस्ताव दिनांक 07/12/2020, 08/01/2021 एवं 04/02/2021 से परिचित से परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2021 को प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण पत्र प्रेषित किया गया है।

(घ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 12/03/2021

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी/पत्र का अतिरिक्त एवं परिशोधन कर, वारंवार कार्यसमिति से निर्देश दिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को पूर्ण में जारी नई जानकारी एवं समस्त गुणवत्ता जानकारी / प्रस्तावित सही प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

वयानुसार परिशोधन प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., प्रतीसंग्रह के प्रस्ताव दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 349वीं बैठक दिनांक 24/03/2021

अनुवीक्षण हेतु की जमीन गोपल, जोगाईकर एवं सजाहदार की कद में मर्यादीकृत माईन-टैक कन्सल्टेंट्स की ओर से डॉ. अंजली हरिनाथ बाबा ने उपस्थित हुए। समिति द्वारा मर्यादीकृत माईन-टैक कन्सल्टेंट्स एवं परीक्षण करने का निम्न विधि मई गई-

1. जमीन टैक-जोकार के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं जमिनीय टैक-जोकार के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की परिधि में सखि पातल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. परीक्षण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर क्षेत्र (एकरी क्षेत्र) का वर्तमान में 0.24 हेक्टेयर क्षेत्र में रेस्टोरेशन (Restoration) रोक है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं होने के कारण लीज क्षेत्र में रेस्टोरेशन कार्य नहीं किया गया है। पुनः आवरण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पतल कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
3. लीज क्षेत्र की पैदावृद्धि के संबंध में बताया गया कि जमीनीय परीक्षण के उपरान्त पैदावृद्धि हेतु आदेश जारी किया जाएगा।
4. वन विभाग का अनाधिकृत इलाक़ा पत्र - कार्यालय वन मन्त्रालय, दिल्ली, पनसकाट बजार, जयपुर के द्वारा क्रमांक /वा.वि./149 जयपुर, दिनांक 04/01/2018 से जमीन अनाधिकृत इलाक़ा पत्र अनुसार आवेदन क्षेत्र का भूमि की सीमा से 1.2 कि.मी. की दूरी पर है।
5. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण-

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जांचकारी - भूमिगत जल कार्य मई की गई 2018 के मई किया गया है। 10 किमी.मीटर की अंतराल 7 स्थानों पर परीक्षण हेतु गुणवत्ता मपन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मपन, 7 स्थानों पर पानी स्तर मपन, 1 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
2. भूमिगत पानी के अनुसार पी.एम.₁₀ 19.14 से 32.44 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम._{2.5} 83.14 से 82.54 माईक्रोग्राम/घनमीटर, ए.एस.₁₀ 9.82 से 15.14 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा ए.एस._{2.5} 6.14 से 13.12 माईक्रोग्राम/घनमीटर मई गई है। परीक्षण स्वतः के अनुसार जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परीक्षण पानी सत (Tap water) 88.8 सीपीए से 83.8 सीपीए एवं पानी सत (Bore water) 41.2 सीपीए से 38.8 सीपीए तथा गया।

6. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.A.) - परीक्षण प्रस्तावक द्वारा समिति के साथ विचार से मर्यादीकृत निम्ननुसार इलाक़ा प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 65.28 | 3% | 1.92 | Following activities at Nearby 1. Government Middle School, Village- Chaperbhanguri 2. Government High School | |

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

| | | | | |
|--|--|--|---|------|
| | | | Village-Chhaparbharpur | |
| | | | Portable Drinking Water Facility with Cooler | 1.00 |
| | | | Running Water Facility for Boys & Girls Toilets | 0.80 |
| | | | Total | 1.80 |

7. लोक सुनवाई का विवरण - लोक सुनवाई दिनांक 10/12/2020 कोका 1200 बजे स्थान डेल्टा डील (अल्फा डील) जिला कार्यालय जयपुर जिला कार्यालय में आयोजित हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावक राजेश खट्टर, उत्तरीकरण पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा सम्बन्धित अख्यत जयपुर, जिला-राजपुर की तब दिनांक 08/02/2020 द्वारा जेंवित किया गया है।

8. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- वीने चीन चाली की आवश्यकता की जाये।
- स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्रवाईया संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

- वीएनएम की चाली के लक्ष्य कार्य किया जायेगा।
 - स्थानीय लोगों को रोजगार में इधमिधला दी जाएगी।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुक्त उत्सर्जन नहीं किए जाने के संबंध में इकरणना (Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मु-जल का उपयोग नहीं किया जाएगा। आवश्यक जल की आपूर्ति राज सरकार को मजदम से की जाएगी।
11. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्रवाईया-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु निम्न प्रस्तुत की जायार पर नभक का क्षतिपूर्ति रशि (Damage Cost) का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where,
 EC - Environmental compensation in Rs.
 PI - Pollution Index of Industrial Sector
 N - Number of days of violation took place
 R - a Factor in Rs. For EC
 S - Factor for scale of operation
 LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = PI \times N \times R \times S \times LF \times 5$$

$$\text{No of days (N)} = (250 \times \text{Violation Production}) / \text{Proposed Production in Mining Plan}$$

$$= (250 \times 14,444) / 11,755 = 307$$

$$\text{Environmental Compensation} = 307 \times 100 \times 5 \times 5 = \text{Rs. } 7,67,500/-$$

ii. समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/08/2020 को संलग्न 222वीं बैठक में Environmental Compensation के आकलन की Methodology हेतु लिए गये निर्णय के अनुसार परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत निर्दिष्ट मान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 8,14,000 की राशियां को मान्य किया गया।

iii. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environmental Compensation की राशि में राशि 8,14,000/- कागरे का उपयोग किया जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिससे अनुसार परिशोधन कार्य में 600 नए प्लास्टिक बैगिंग कर किया जाएगा। साथ ही इससेवीक प्रथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर-बाजपुरी में सेनादल इन्फिंटिंग गारमेट्स, सोलर पैनल की वनस्पति, सीमा स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाएगी। उक्त कार्य 3 महीने के भीतर किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यालय आर्किटेक्ट (इंजि. प्रसाद), जिला-बल्लार की छापन अंशक 1888 दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी छापन पर अनुसंधान आर्किटेक्ट अखिल से 300 मीटर परिधि में कुल 08 खदानें गहरा 8.1 हेक्टर परीक्षित/विद्यमान हैं। आर्किटेक्ट अखिल (घास- घास भानपुरी) का गहरा 1.53 हेक्टर है। उक्त छापन की-1 बेसी की गयी गयी।
2. Environmental Compensation Plan से प्राप्त निर्दिष्ट कार्य को 03 महीने के भीतर पूर्ण किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आर्किटेक्ट - सी.बी. सोहन (सिमाई छापन भानपुरी लाईन सीमा लाईन) की घास-घास भानपुरी, तारीक-तारीकवाल, जिला-बल्लार निम्न पाटे बीच अंशक अंशक 1200, कुल क्षेत्रफल - 1.53 हेक्टर, पूरा पत्थर (गुला खनिज) व्यवस्था अंशक-8,860 टन क्षतिपूर्ति हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनुमति की गई।
4. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट राशि काशीसमूह पर्यावरण संकलन मंडल, नया बाजपुर अटल नगर, जिला-बाजपुर में जमा करने की मुक्ति उपरोक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर जारी किया जाए।

आधिकार्य द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर आधिकार्य की दिनांक 12/08/2021 को संलग्न 188वीं बैठक में विचार किया गया। आधिकार्य द्वारा नसी की अनुमति किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त आधिकार्य द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुसंधान की स्वीकृत करने हेतु परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए निर्दिष्ट राशि को बैंक गारंटी काशीसमूह पर्यावरण संकलन मंडल, नया बाजपुर अटल नगर, जिला-बाजपुर में जमा किया जाए। उक्त बैंक गारंटी की अंशक बैंक गारंटी कार्य पूर्ण होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक होगी।

परिशोधन प्रस्तावक को तत्काल सुचित किया जाए। काशीसमूह पर्यावरण संकलन मंडल, नया बाजपुर अटल नगर, जिला-बाजपुर से बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की मुक्ति उपरोक्त अंशक निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

22. मेसर्स श्रीराम नवीन कुमार एम्ब कन्स इस्पात (प्रा.) लिमिटेड, इन्फान्टियस रोड सेंटर, फेस-2, सिलवड़ा, तहसील व जिला-राजपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1584)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए/ सीसी/ आईएमसी/ 201773/2021, दिनांक 05/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रशासक द्वारा असा विस्तार के तहत इन्फान्टियस रोड सेंटर, फेस-2, सिलवड़ा, तहसील व जिला-राजपुर स्थित असा क्रमांक 104 में एटि परमिटेड असादि सेटिंग गिज असा-30,000 टन प्रतिवर्ष से 60,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। असा विस्तार के तहत परियोजना का निविदाण समी 3.5 करोड़ होना।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा पत्नी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई कि परियोजना प्रशासक द्वारा ऑनलाईन में दिनांक 22/03/2021 को वायम से आवेदन को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रशासक को अनुरोध को खीरता करने हेतु आवेदन प्रकरण को डि-जिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैंक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 13/06/2021 को संख्या 109वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा पत्नी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को खीरता करने हेतु आवेदन को डि-जिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रशासक को तदनुसार सूचित किया जात।

23. मेसर्स श्री सुनिल कुमार चट्टी (अपचीत रोड बाईपास, राम-बलुआबहा, तहसील-धरसाबहा, जिला-राजपुर, चौरा रायगढ़, जिला-राजपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1046)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए / सीसी / एम्आईएम / 130633 / 2018, दिनांक 12/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल कटान (पीन खनिज) है। यह कटान राम-बलुआबहा, तहसील-धरसाबहा, जिला-राजपुर स्थित पार्स 4000 असा क्रमांक 04, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। असावन ईव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। कटान की आवेदित असावन असा-60,000 टन प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष है।

बैंक का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा पत्नी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई-

1. राज्य सरकार विशेषज्ञ अंजन समिति (एस.ई.ए.सी), फरीदाबाद की 309वीं एवं 309वीं बैठक अगस्त दिनांक 18/01/2020 एवं 04/02/2020 में प्रस्ताव पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम में परिवोजना प्रस्तावक को अनुमति / जानकारी / प्रस्ताव हेतु दिनांक 31/01/2020, 07/03/2020 एवं 20/12/2020 को पत्र भेजा गया। परिवोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्ण बैठकों में प्रत्येक कार्य से जानकारी नहीं ली।

2. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा भेजा जानकारी / प्रस्ताव अगस्त दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए गये हैं।

3. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की प्राथमिकी की पूर्ण एवं सही जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पा रही है।

परिवोजना प्रस्तावक के अतिरिक्त पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदकों को डि-जिस्ट/निरस्त करने को अनुमति दी गई।

अधिकारण द्वारा बैठक में विचार - परिवोजना प्रस्तावक को अधिकारण की दिनांक 13/09/2021 को अगस्त 109वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकारण द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त अधिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करने हेतु आवेदन को डि-जिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परिवोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सूचित किया जाए।

24. नगर की सड़क चौकवाली (जीएलआई लाईन स्टोन ज्वारी), धाम-जीएलआई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सिवालय का नतीजा अंश 1384)

जीएलआई आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीपी / एसआईए / 147888/2020, दिनांक 25/07/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण को संचालित करना प्रस्ताव (सीपी) प्रस्ताव है। प्रस्ताव धाम-जीएलआई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित अंश 1384 एवं 20, कुल क्षेत्रफल-1.612 हेक्टर में प्रस्तावित है। प्रस्ताव की आवेदन प्रस्तावक अंश-8,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 24/03/2021-

समिति द्वारा नतीजा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. राज्य सरकार विशेषज्ञ अंजन समिति (एस.ई.ए.सी), फरीदाबाद की 383वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक अगस्त दिनांक 02/09/2020, 09/10/2020 एवं 08/11/2020 में प्रस्ताव पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम में परिवोजना प्रस्तावक को अनुमति / जानकारी / प्रस्ताव हेतु दिनांक 02/10/2020, 29/10/2020, 08/12/2020, 04/02/2021 एवं

18/03/2021 को सब डेफिट किया गया। परिशोधन प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पूरक-पूरक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।

1. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी / दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रश्नपत्र की पर्याप्ततः स्वीकृति एवं उचित जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श समयांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदन को डि-लिस्ट / निस्त किये जाने की अनुज्ञा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रश्नपत्र पर प्राधिकरण की दिनांक 13/05/2021 को संघन 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श समयांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुज्ञा को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निस्त करने का निर्णय लिया गया।

परिशोधन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

28. **पैसाई बीजरी उभित सादू (दुमरडीहकला साईन स्टोन क्वारी), पाल-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1218)**

ऑनसाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एलसाईन/ सीसी/ एलसाईन/ 180884/2020, दिनांक 28/03/2020। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनसाईन आवेदन में कनिष्ठी होने से प्रारंभ दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा उचित जानकारी दिनांक 04/07/2020 को ऑनसाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में अधिलेखित चुन कथर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान पाल-दुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव जिला प्रस्ताव क्रमांक 80, चुन क्षेत्रफल - 0.001 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता - 11,012.8 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 24/03/2021।

समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय किये गये:-

1. राज्य पार विशेषज्ञ अथवा समिति (एल.ई.ए.सी.), राजनांदगांव की 328वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक अथवा दिनांक 03/06/2020, 06/10/2020 एवं 08/11/2020 में प्रश्नपत्र पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम में परिशोधन प्रस्तावक को समुचित रूप / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 29/10/2020, 08/12/2020, 04/02/2021 एवं 18/03/2021 को सब डेफिट किया गया। परिशोधन प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पूरक-पूरक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।

2. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की नवीकरणीय स्वीकृति एवं संचित जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर जका आवेदन को डि-जिस्ट/निस्त किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विधान - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरण की दिनांक 13/08/2021 को योग्य 100वीं बैठक में विधान किया गया। प्रतिकरण द्वारा नसी का आवलीकरण किया गया। विधान विमर्श उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-जिस्ट / निस्त करने का निर्णय किया गया।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाय।

26. वेतन की चाल पत्रकारी (हरदी सोईज/ऑडिटररी चले नाईन), राज्य-हरदी, सहायक व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नसी क्रमांक 1271)

ऑनलाईन आवेदन - एप्लीकेशन नम्बर - एसआईए / सीसी / एचआईएन / 130000/2019, दिनांक 29/03/2020। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में समिती होने से प्रमाण दिनांक 12/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी दिनांक 08/07/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित निरुद्धी राज्यपाल ईट निर्माण (वीन एडिज) प्रमाण है। प्रमाण राज्य-हरदी, सहायक व जिला-राजनांदगांव जिला जगत क्रमांक 226, 237/1, 2, 3, 438 एवं 439 कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टर है। प्रमाण की आवेदित उत्पन्न अंक - 1200 एमपीटर (1,800 टन) प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(क) समिती की 340वीं बैठक दिनांक 24/03/2021

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि गई-

1. राज्यपाल निर्माण अंकन समिति (एसई/एसी), प्राचीनगत की 338वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक क्रमांक दिनांक 02/08/2020, 08/10/2020 एवं 06/11/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम से परिशोधना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 28/10/2020, 08/12/2020, 04/02/2021 एवं 16/03/2021 को पत्र संचित किया गया। परिशोधना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में प्रस्ताव-पत्रक चर्चा से जानकारी चर्ची नहीं गई थी।

2. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा संचित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की नवीकरणीय स्वीकृति एवं संचित जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं।

सर्वोच्च न्यायी के आदेश पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर जहां सर्वोच्च को डि-सिस्ट/गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - सर्वोच्च प्रकरण पर प्रतिकल्प को दिनांक 12/05/2021 को संलग्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा जारी का अद्यतन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुई कार्यवाही को डि-सिस्ट / गिरफ्तार करने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

27. **बैकअप गिव शक्ति मेटलस (टाकरापुरा लाईन स्टोन माईन), घान-टाकरापुरा, एतनील-सोहाडीगुडा, जिला-बस्तर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 248)**

बॉनललाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन क्रमांक - एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 20428/ 2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा पी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। बॉनल गैर प्रयोजन क्रमांक - एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 48037/ 2018, दिनांक 26/12/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह दिनांक 15/01/2018 को पूर्व में संघारित पूरा प्रस्ताव (मुख्य खनिज) सुदान है। यह खदान टाकरापुरा, एतनील-सोहाडीगुडा, जिला-बस्तर जिला जंगल क्रमांक 278/1(एनटी), कुल क्षेत्रफल - 2.42 हेक्टर में है। खदान की आवेदित आवाहन क्षमता - 45,000 टन प्रतिदिन है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धी गई-

1. राज्य मंत्र परिषद अंकन समिति (एनईएसी) परिचालन की 325वीं, 317वीं, 333वीं, 334वीं, 337वीं, 342वीं, 348वीं एवं 363वीं बैठक क्रमांक दिनांक 18/01/2020, 29/02/2020, 04/03/2020, 18/03/2020, 01/04/2020, 06/10/2020, 07/11/2020 एवं 12/03/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। इस बैठकों के परिणाम से परिचालन प्रस्तावक को अनुमति / जानकारी / संसाधन हेतु दिनांक 22/02/2020, 27/06/2020, 08/07/2020, 28/08/2020, 29/10/2020, 07/12/2020, 06/01/2021, 04/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र भेजित किया गया। परिचालन प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी जारी हुई थी।
2. परिचालन प्रस्तावक द्वारा बतौर जानकारी/दस्तावेज जारी दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. परिचालन प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बतौर जानकारी प्रस्तुत करने में उचित नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त लक्ष्यी के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदन को डि-जिस्ट/रिजस्ट्र किए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमण की दिनांक 12/08/2021 को लगभग 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा लक्ष्यी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श प्रस्ताव प्रतिक्रमण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-जिस्ट / रिजस्ट्र करने का निर्णय लिया गया।

परिशोधन प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाए।

28. पेशवा की रवेन्द देसायुक्त (एफ-2 कारगरी रोड गाईन्, घाम-बड़े कारगरी, गहनील-पीठन, जिला-दन्तकड़ा, विसेयान मिजई रोड, जिला-दुर्ग (प्रतिक्रमण का लक्ष्यी क्रमांक 1086)

ऑनलाईन आवेदन - प्रवेशन नम्बर - एमआईए/ सीडी / एमआईएन/ 124000 / 2019, दिनांक 29/12/2019। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी कोम से ज्ञात दिनांक 10/01/2020 द्वारा जालकरी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सहित जालकरी दिनांक 18/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह अव्यवित रेत खदान (सीम खनिज) है। यह खदान घाम-बड़े कारगरी, गहनील-पीठन, जिला-दन्तकड़ा स्थित खदान क्रमांक 3058, कुल सीम क्षेत्र 8 हेक्टेयर में अव्यवित है। अव्यवण द्वारा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अव्यवित वास्तुनमं क्षमता-80,000 टन/वीट प्रतिकर है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा लक्ष्यी प्रस्तुत जालकरी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न सिध्ति गई गई-

1. एका परर विसेयक खदान समिति (एम.आई.सी.), जालकरी की 323वीं, 324वीं, 325वीं, 326वीं, 327वीं एवं 328वीं बैठक जालक दिनांक 03/08/2020, 01/07/2020, 29/08/2020, 07/11/2020, 08/12/2020 एवं 12/02/2021 में प्रस्ताव पर विचार किया गया। एका बैठकरी के परिशेष में परिशोधन प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जालकरी / प्रस्तावक हेतु दिनांक 27/08/2020, 28/08/2020, 29/10/2020, 02/12/2020, 19/01/2021, 14/02/2021 एवं 08/03/2021 को एक डिकित किया गया। परिशोधन प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकरी में कृष्क-कृष्क करी से जालकरी जारी गई थी।

2. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सहित जालकरी / प्रस्तावक द्वारा दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

3. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की सर्वसम्मति स्वीकृति एवं सहित जालकरी प्रस्तुत करने में रुधि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त कार्य को अद्यतन का समिति द्वारा विचार विमर्श अर्थात् सर्वसाभ्यन्ति से निर्णय लेकर उक्त आवेदनों को डि-जिस्ट/फिल्टर किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 13/08/2021 को अगस्त 13वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नली का अद्योक्षण किया गया। विचार विमर्श अर्थात् प्रतिकल्प द्वारा सर्वसाभ्यन्ति से समिति की अनुमति को स्वीकार करने हेतु आवेदन को डि-जिस्ट / फिल्टर करने का निर्णय किया गया।

परिचोपना प्रस्तावक को उपानुसार सूचित किया जाय।

29. नेशनल सी टैवेन्ट वीरसुख (एक-1) काठली रोड गाईन्, धाम-बडे काठली, उहरील-पीटम्, जिन्डा-उन्नीवाका, सिरोगांव गिलाई रोड, जिन्डा-दुर्ग (सचिवालय का नली क्रमांक 1987)

ऑनलाईन् आवेदन - प्रोपोज नम्बर - एम्बईए/ सीसी/ एम्बईए/ 134088/2018, दिनांक 20/12/2018। परिचोपना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन् आवेदन में त्रुटि होने से अद्यतन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिचोपना प्रस्तावक द्वारा त्रुटि जानकारी दिनांक 18/08/2020 को ऑनलाईन् प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पेट अद्यतन एग्रीमन्ट है। यह अद्यतन धाम-बडे काठली, उहरील-पीटम्, जिन्डा-उन्नीवाका स्थित सुकरा क्रमांक 1889, कुल क्षेत्र क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अद्यतन अक्षय नदी से किया जाना प्रस्तावित है। अद्यतन की आवेदित अक्षय नदी-88,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्योक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. राज्य सरकार विशेषज्ञ अद्यतन समिति (एस.ई.ए.सी.) उपरोक्त की 333वीं, 334वीं, 335वीं, 336वीं, 337वीं एवं 338वीं बैठक अगस्त दिनांक 03/08/2020, 01/09/2020, 28/08/2020, 07/11/2020, 08/12/2020 एवं 12/02/2021 में अद्यतन पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम से परिचोपना प्रस्तावक को प्रस्तुतिकल्प / जानकारी / अद्योक्षण हेतु दिनांक 27/08/2020, 29/08/2020, 29/10/2020, 02/12/2020, 18/01/2021, 14/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परिचोपना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में सूचना-सूचना पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परिचोपना प्रस्तावक द्वारा त्रुटि जानकारी/अद्योक्षण अद्यतन दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परिचोपना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन की नवीकरणीय स्वीकृति एवं त्रुटि जानकारी प्रस्तुत करने में रुचि नहीं ली जा रही है।

अपरोक्ष तन्वी के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदनों को डि-सिस्ट/निसल किये जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण का प्रतिकरण को दिनांक 13/08/2021 को लगभग 1030वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा तन्वी का अपरोक्षन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए अपरोक्ष को डि-सिस्ट / निसल करने का निर्णय किया गया।

परिचोचना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाय।

20. तन्वी की दीपक बिजली (गुनगुनिया रोड नाईन, राम-गुनगुनिया, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भटाघरा) राम-बैलघन पुरा, तहसील व जिला-बिलकपुर (संविधान का तन्वी क्रमांक 1324)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नम्बर - एमआईए / बीडी / एमआईए / एमआईए / 2020, दिनांक 28/08/2020। परिचोचना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में तन्वी होने से ज्ञान दिनांक 03/07/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिचोचना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी दिनांक 02/11/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नया खदान (मीन खनिज) है। यह खदान राम-गुनगुनिया, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-भटाघरा सिंधत चर्ट ब्लॉक खदान क्रमांक 1727/1, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। सतहगत महानदी से किया जाय प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परतलन क्षमता - 88,228 टन/वर्ष प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 24/03/2021

समिति द्वारा तन्वी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय प्राप्त हुई-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ अंजन समिति (एन.ई.ए.सी.), उत्तरांचल की 247वीं, 248वीं एवं 250वीं बैठक क्रमांक दिनांक 11/11/2020, 09/12/2020 एवं 12/02/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम में परिचोचना प्रस्तावक को अनुशीलन / जानकारी / प्रस्तावित हेतु दिनांक 02/12/2020, 16/01/2021, 03/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र भेजा गया। परिचोचना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी ली गई थी।
2. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी/प्रस्तावित जाय दिनांक एक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्याप्ततम स्वीकृति एवं सहित जानकारी प्रस्तुत करने में सवि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त कर्तव्यों के अन्तर्गत पर समिति द्वारा विचार निर्णय अन्तर्गत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर प्राप्त आवेदनों को डि-लिस्ट/निलस्त करने के अन्तर्गत की गई।

प्रतिकल्पन द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्पन की दिनांक 13/08/2021 को संलग्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा कर्तव्यों का अन्तर्गत किया गया। विचार निर्णय अन्तर्गत प्रतिकल्पन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार कर्तव्यों के अन्तर्गत को डि-लिस्ट / निलस्त करने का निर्णय किया गया।

परिचयना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

21. मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट इन्फ्रा स्ट्रिक्चर प्राइवेट लिमिटेड, धाम-बिल्डा व मोहनपुरा, पटना-बिल्डा, जिला-बिहारपुर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 1373)

ऑनलाइन आवेदन- प्रोपोजर नाम - एसआईए/ सीडी/ आईएनडी/ 100018 2020, दिनांक 20/08/2020। परिचयना प्रस्तावक को प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कर्तव्यों होने से अन्तर्गत दिनांक 29/08/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचयना प्रस्तावक द्वारा तद्विषय जानकारी दिनांक 02/10/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परिचयना प्रस्तावक द्वारा धाम-बिल्डा व मोहनपुरा, पटना-बिल्डा, जिला-बिहारपुर जिला अन्तर्गत क्रमांक 302/1/बी, 303/1/बी, 322, 323, 324, 325, 326, 327/2 एवं 17(एचटी) कुल क्षेत्रफल - 1.22 एकड़ में स्थापित सीमेंट इन्फ्रा स्ट्रिक्चर यूनिट क्षमता-1,000 डे यूनिट 200 टन) टन इन्फ्रा स्ट्रिक्चर के पर्याप्तता की जांच करने हेतु आवेदन किया गया है। परिचयना का विवरण अधर 13 अन्तर्गत होगा।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 263वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा अन्तर्गत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. सू-सम्मिलित संसदीय प्रस्तावक की पञ्जीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. अन्तर्गत में स्थित इकाईयों (एचटी कोर्डिंग) हेतु पर्याप्तता पर्याप्त संस्थापक संकाय द्वारा जारी सम्पत्ति कर्तव्यों के अन्तर्गत में की गई कर्तव्यों की निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावक अन्तर्गत निर्माण कार्यवाही एवं इन कार्य इन्फ्रा स्ट्रिक्चर कार्यवाही का विवरण (लेबर एवं कोर्डिंग सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. सूचित करने हेतु प्रस्तावित अन्तर्गत कार्यवाही का पूर्ण विवरण, अन्तर्गत सूचित करने के अन्तर्गत / अन्तर्गत की कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. अन्तर्गत प्रस्ताव निम्नानुसार कार्यवाही, इन्फ्रा स्ट्रिक्चर अन्तर्गत कार्यवाही, सी-सीमेंट के परीक्षण एवं अन्तर्गत अन्तर्गत (सड़क / पैदा करने) का विवरण प्रस्तुत की जाए।

g. सी-गटोरियल-

| S. No. | Material | Quantity (TPD) | Mode of Transportation |
|------------|----------|----------------|------------------------|
| OPC | | | |
| 1 | Clinker | 950 | Rail |
| 2 | Gypsum | 50 | Rail |
| PPC | | | |
| 1 | Clinker | 600 | Rail |
| 2 | Gypsum | 50 | Rail |
| 3 | Flyash | 350 | Rail |
| PSC | | | |
| 1 | Clinker | 500 | Rail |
| 2 | Gypsum | 50 | Rail |
| 3 | Slag | 450 | Rail |

g. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेस किलर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिससे से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर से कम रखा जाएगा। साथ ही उच्च स्तर/सुपरसॉनिक उच्च उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उच्च विकिरण की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सी-गटोरियल स्टोरेज युनिट काहर्ब (ऊपर एवं साइड में) स्थापित है। क्लीन को क्लब किया जाएगा तथा स्टोरेज युनिट में कन्वेंशन बेल्ट तथा टर्नी के एटी की सुविधा रहेगी।

g. सी-गटोरियल व्यवस्था - ग्राइडिंग युनिट से सी-गटोरियल वाष्प नहीं होगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में एकलिंग उच्च की पुनःपरीक्षण का किया जाएगा।

h. जल प्रबंधन व्यवस्था-

- जल संचय एवं स्वच्छ संबंधी जानकारी - परिशोधन हेतु कन्स्ट्रक्शन फेज में 10 घनमीटर एवं ऑपरेशनल फेज में 25 घनमीटर प्रतिदिन (मैनु हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, उच्च स्तर हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, डीन बेल्ट हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल संचय होगा। कन्स्ट्रक्शन फेज में जल टैक के वायम से जला उपयोग तथा ऑपरेशनल फेज में स्वच्छ सू-जल होगा। सुनिश्चित जल की उपयोगिता हेतु अनुचित सेक्टर वायम बंद कर लीफ्टी से सिट्ट जाने कायत कार्यदन किया गया है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - ग्रेड्यु युनिट जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। युनिट जल के उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन वायम का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। सूक्ष्म विकिरण की विधि नहीं लागेगी।

- सू-जल उपयोग प्रबंधन - परिशोधन स्थल सेक्टर वायम वाटर बोर्ड के अनुसार सभी डिस्ट्रिक्ट जेन में जल है। जिससे अनुमान-
(अ) कुल एवं वायम उपयोग की कम से कम 50 प्रतिशत युनिट जल का पुनःप्राप्त एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) वायम वाटर सिचार्ज हेतु क्लब्स एवं तकनीक उच्च सेक्टर हावीसिन / ऑटोमैटिकल जल सिचार्ज के अक्षर पर सू-जल सिचार्ज करने की

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अनुमति दीए गए कार्यक्रम चालू की जाये कि या प्रस्ताव का। कंपनी भूमि पर प्रतिक्रिया के अनुसार उद्योग क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों को अंतर्गत कराया है। उद्योग को प्रस्तावित कार्यसूची असाध्य किया जाना आवश्यक है।

- इन चीट्टर कार्यसूची - उद्योग परिसर में वर्षों के वर्षों का कुल प्रस्तावित 1.222 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है। इन चीट्टर कार्यसूची असाध्य के अंतर्गत कार्यसूची विट निर्मित किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी राशियाँ में हुई है। इस इन चीट्टर कार्यसूची असाध्य की विस्तृत राशियाँ उचित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 9. विद्युत आपत एवं खरीद - परिशोधन हेतु 2,000 मीटर विद्युत की आवश्यकता है जिसकी अनुमति प्रशासनिक राज्य विद्युत विभाग कंपनी से की जायेगी। वैकल्पिक विद्युत खरीद हेतु सी.जी. सेट असाध्य जाना प्रस्तावित होना बताया गया है, जबकि सी.जी. सेट की क्षमता एवं अनु अनुमान निर्धारण असाध्य की जानकारी प्रस्तुत नहीं हुई है।
- 10. बुझाये हुए बांधी निवारण - कुल क्षेत्रफल में से लगभग 2,000 एकर (4.20 प्रतिशत) में 2,000 मी बुझाये हुए क्षेत्र का विकास किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर अनुमान 7 मीटर चौड़ी चट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जबकि कम से कम 10 मीटर किया जाना आवश्यक है।
- 11. अनुमति प्राप्त की दीए गए परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 100 प्रतिशत बांधे परिसरों का परिशोधन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित है। उद्योग परिसर के चारों ओर चारों ओर भूमि से रेलें साइडिंग बना हुआ है, जिसका परिसर प्रस्तावित इन्फ्रा हेतु किया जाना है। रेलें साइडिंग से प्रस्तावित स्थाय तक अनुमान से विद्युत लक्ष्य का निर्माण किया जायेगा।
- 12. सी-स्टेशन/एक का एक प्रतिशत परिशोधन रेल मार्ग से किया जाना प्रस्तावित किया गया है। रेलों एवं चलाई रेल का परिशोधन रेल मार्ग से किया जाना बांधे प्रस्ताव नहीं किया है।
- 13. रेलें साइडिंग एवं परिसर में जोड़िंग एवं असाध्य विद्युतों का एक संचालन/अनुमति प्राप्त असाध्य की निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिशोधन असाध्य द्वारा दायित्व की राशियाँ निम्नानुसार असाध्य प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 1000 | 2% | 20 | Following activities of Government Primary School Village-Mohdihata and Government High School Village-Biha | |
| | | | Rain Water Harvesting System | |
| | | | Plantation with fencing | |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature) 18/07/18

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | Running Water Facility for Toilets |
|--|--|--|---------------------------------------|

कमरेका की विद्युत प्रदाय पूर्ण विफल हो साथ प्रसृत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना की लागत भी कम दर्जित हो रही है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया था—

1. भुमि की अवशिष्ट अवशेष को नष्ट कर है। उनसे प्राप्त प्रस्तावित कार्य के लिए की गई लागतों का अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी-स्टेनियस स्लैब डिजाइन, स्लैब, फ्लॉय रीस एवं डिवायल की अनुमति के संबंध में अनुमतिपत्रों के साथ सुवे इंजीनियर की प्रति, स्लैब एवं ग्राउंड के परीक्षण सहित विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. सभी सी-स्टेनियस का एक प्रतिष्ठित परिवहन वेक करने से किये जाने हेतु स्टैडियम डेवेलप के साथ विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. स्लैब लाइडिंग से प्रस्तावित स्लैब तक अवयवगत के लिए प्रस्तावित सबक हेतु प्रस्तावित भुमि के कार्यालय प्रस्तुत किये जाये तथा स्लैब लाइडिंग परियोजना स्लैब एवं प्रस्तावित सबक की एक नक्शा भी दर्शाया जाए।
5. स्लैब लाइडिंग एवं फ्लोर में स्टील एवं अल्युमिनियम सिन्ड्रोमी या अन्य संश्लेषण/अनुचितिक अन्य उपकरणों के निवेशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित स्लैब, गट्टिंग, स्लैब लाइडिंग की लंब एवं स्लैब स्टेसन की और कम से कम 18 मीटर चौड़ी पट्टी तथा स्लैब स्टेसों में कम से कम 10 मीटर चौड़ी पट्टी के विकास योजना को ले-आउट में दर्शाते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित स्लैब स्टेसों में स्टील एवं अल्युमिनियम सिन्ड्रोमी या अन्य संश्लेषण/अनुचितिक अन्य उपकरणों के निवेशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. वैक्यूमिक सिस्टम स्लैब हेतु सी.सी. सीट की क्षमता एवं अनु प्रदूषण निरोधक उपकरणों की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. परियोजना स्लैब, स्टील प्रस्ताव गट्टर बोर्ड के अनुमान सेमी डिस्टिक्ट खोल में दिया है। भुमिगत जल के उपरोक्त के स्थान पर अन्य वैक्यूमिक स्लैबों का अवयवगत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. स्लैब स्टेसों में स्टील एवं अल्युमिनियम सिन्ड्रोमी या अन्य संश्लेषण/अनुचितिक अन्य उपकरणों के निवेशन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना की कार्यालय लागत का विवरण प्रस्तुत करते हुए तत्कालानुसार सी.ई. ऑर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तत्कालानुसार एम.ई.ए.सी. जलविभागाध्यक्ष के द्वारा दिनांक 11/12/2020 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 12/02/2021।

समिति द्वारा जारी, अनुसूची जानकारी का अद्यतन एवं परिवर्तन करने का निम्न विधि पाई गई—

1. भूमि की अवधिगत अद्यतन के नाम पर है। प्रस्तावित कार्य के लिए सहायता प्राप्त अद्यतनित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सी-मॉनिटरिंग तथा विज्ञापन, प्रवेश, प्लानिंग एवं विभाग की आपूर्ति के राज्य में आपूर्तिकर्ता के साथ हुए एडीमेंट की डी. प्रवेश एवं राज्य के राज्यीय सहाय विभाग प्रस्तुत किया गया है।
3. सभी सी-मॉनिटरिंग का एक प्रतिपात परिवर्तन देना जारी हो किसे जाने हेतु मॉनिटरिंग प्रवेश के साथ निम्नलिखित प्रमाण सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. राज्य साइडिंग के प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि की दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किसे जाने है तथा राज्य साइडिंग परिवर्तन तथा एवं प्रस्तावित सड़क को एक गलती में नहीं दर्शाया गया है।
5. राज्य साइडिंग एवं परिवार में अतिरिक्त एवं अद्यतनित किन्तुओं का अन्त प्रवेश/सप्लाइंग अन्त प्रमाणों के निर्माण हेतु वेम सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया है।
6. प्रस्तावित स्थल, पट्टाभार, राज्य साइडिंग के क्षेत्र एवं राज्य प्रवेश की क्षेत्र वन के कम 10 मीटर चौड़ी इति पट्टी तथा क्षेत्र चौड़ी में कम से कम 10 मीटर चौड़ी इति पट्टी की विज्ञापन योजना को ले-आउट में दर्शाते हुए प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
7. प्रस्तावित राज्यीय एडिमेंट प्लॉट की भूमिगत की गली चाल में दर्शाते जारी हुए निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। जिसकी अनुसार वार स्किन, इन्फ्रास्ट्रक्चरल टैक, एम.एन.टी.आर. टैक, प्रेशर सेफ सिस्टम, एम्बेडेड काबल सिस्टम, अतिरिक्त अतिरिक्त सिस्टम एवं लक्ष्य ड्राइविंग वेज की स्थापना प्रस्तावित है।
8. वैकल्पिक विद्युत प्रवेश हेतु 300 से.सी.ए. का डी.जी. सेल की स्थापना प्रस्तावित होना बताया गया है। वन प्रवेश निर्माण हेतु 30 मीटर ऊंची विन्नी के प्रवेश को जगह किया जाएगा।
9. भूमिगत जल के उपयोग हेतु 10 मीटर गहरा गहरा क्षेत्र में आवेदन किया जाना बताया गया है।
10. 10 मीटर हाईडिग व्यवस्था की प्रमाण सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें केवल एक ही जल के हाईडिग का प्रमाण किया गया है। जबकि प्रमाण में परिवार के सम्पूर्ण जल की हाईडिग किया जायक सहित।
11. सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) का निम्नलिखित प्रमाण पूर्ण सिस्टम के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तालमक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. राज्य साइडिंग के प्रस्तावित स्थल तक आवागमन के लिए प्रस्तावित सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि की दस्तावेज प्रस्तुत किसे जाने तथा राज्य साइडिंग परिवर्तन तथा एवं प्रस्तावित सड़क को एक गलती में दर्शाया जाए।
2. परिवार के सम्पूर्ण जल की हाईडिग प्रमाण सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को राष्ट्रीय सड़क पूर्ण जलवाही / राष्ट्रीय (अवगत श्रेणीवाहक) के साथ प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

इदानीं परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., प्रदीपगढ़ के ज्ञान दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 264वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की विनिर्दिष्ट कुशल अवस्था एवं की निम्न कुशल अवस्था, हाईवे/अवगत जलवाही हेतु। समिति द्वारा सखी, अनुगत जलवाही का अवगत एवं सीधे-सीधे पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. रेली साइडिंग में प्रस्तावित स्टल एक अवगत एवं की प्रस्तावित स्टल हेतु प्रस्तावित पूर्ण के प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही रेली साइडिंग परियोजना अवगत एवं प्रस्तावित स्टल को एक सखी में प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।

2. जल संयंत्र में वर्षा के जल का कुल सखी 10,018 घनमीटर प्रतिवर्ष है। इन 1000 घनमीटर अवगत की अवगत 15 नग रिचार्ज पिट (ज्यादा 2.0 पीटर, कमसे 2 पीटर) विनिर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित इन 1000 घनमीटर अवगत परस्तात परस्तात परस्तात के पूर्ण सखी को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्टलमें इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाय कि इनमें सखी मात्र में वर्षा जल का सहाय हो सके।

3. सखी/विद्युत वी-वैरिफिकेशन का विवरण -

| S.No. | Material | Quantity (TPD) | Mode of Transportation |
|------------|----------|----------------|--|
| OPC | | | |
| 1 | Clinker | 870 (87%) | Rail |
| 2 | Gypsum | 30 (3%) | Rail |
| PPC | | | |
| 1 | Clinker | 820 (82%) | Rail |
| 2 | Gypsum | 30 (3%) | Rail |
| 3. | Flyash | 350 (35%) | Conveyor belt through adjacent steel plant |

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को सखी विवरण में सखी सखी विवरण प्रस्तुत प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Crores) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Crores) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| 10 | 2.0% | 0.20 | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt Primary School, Village-Mohinara, Rain Water | 4.85 |

| | | | | |
|--|--|--|---|-------------|
| | | | Harvesting Facilities, Rain Water Harvesting Facilities, Running Water Facility for Toilet, in Panchayat Building, Village-Mohaha & Solar Street Lighting in Village-Mohaha | |
| | | | Total | 4.85 |
| | | | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Girls School, Village-Biha & Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, Village-Biha | |
| | | | Total | 4.22 |
| | | | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. English Medium Middle School, Village-Kesha | |
| | | | Total | 2.11 |
| | | | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, Village-Alpettye | |
| | | | Total | 2.13 |
| | | | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, Village-Degori | |
| | | | Total | 2.18 |
| | | | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, Village-Hiri & Solar Street Lighting in Village-Hiri | |
| | | | Total | 3.18 |
| | | | Rain Water Harvesting Facilities, Potable Drinking Water Facility, Plantation, Running Water Facility for Toilet, in Govt. Primary School, Village- | |
| | | | Total | 2.68 |

10/2/24

10/2/24

| | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------|
| | | | Sasthapur | |
| | | | Total | 2.08 |
| | | | Grand Total | 36.87 |

3. अनुवीक्षण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुवीक्षित किया गया कि प्रस्तावित खदान में पहले साईडिंग की 250 मीटर की दूरी पर है। ऐसे साईडिंग से प्रस्तावित खदान खतरा तक ही सी-नॉरिडल एवं खदान का परिवहन सड़क मार्ग से खदान से किया जाना प्रस्तावित है। अब प्रस्तावित खदान में 50 प्रतिशत की अधिक सी-नॉरिडल एवं 100 प्रतिशत खतरा का परिवहन रेलमार्ग से खदान से किया जाना प्रस्तावित है। अब भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएन नं. J-138/21/2009/3-4-83) दिनांक 24/12/2019 के अनुसार परियोजनाओं को 'बी2' कैटेगरी में वर्गीकृत कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

4. समिति द्वारा भीट किया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएन नं. J-138/21/2009/3-4-83) दिनांक 24/12/2019 के अनुसार 'बी कैटेगरी' की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु बी2 अथवा बी2 कैटेगरी में सिद्ध करने संबंधी साईडिंग जारी किया गया है, जिससे अनुसार सीमेंट खदान हेतु निम्नानुसार साईडिंग जारी किया गया है-

**Category B2 - All stand-alone mining units listed in the Schedule as Category 'B' subject to the condition that transportation of raw material and finished products shall be primarily through Railways.*

**Transportation by railways should not be less than 80% of the traffic (gross and net) put together.*

उपरोक्त कमी के अंतर पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वेसमिति की 50 प्रतिशत कच्चे पत्थरों तथा खतरा का परिवहन रेल मार्ग से करने के अंतर पर साईडिंग अनुसार 'बी2' कैटेगरी में वर्गीकृत कमी हेतु डाल-बिस्ता व गोरामट्टा, तारसील-बिस्ता, जिला-बिलासपुर निम्न खतरा क्रमांक 302/1/बी, 302/1/बी, 302, 303, 304, 305, 306, 307/2 एवं 17(एचटी), कुल क्षेत्रफल - 7.22 एकर में प्रस्तावित सीमेंट साईडिंग सुनिश्चित क्षमता-1,000 (5 गुना 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा बैटक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमण की दिनांक 12/05/2021 को संख्या 100वीं बैटक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा कमी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रमण द्वारा सर्वेसमिति से समिति की अनुमति की सीमाएं कमी हेतु डाल-बिस्ता व गोरामट्टा, तारसील-बिस्ता, जिला-बिलासपुर निम्न खतरा क्रमांक 302/1/बी, 302/1/बी, 302, 303, 304, 305, 306, 307/2 एवं 17(एचटी), कुल क्षेत्रफल - 7.22 एकर में प्रस्तावित सीमेंट साईडिंग सुनिश्चित क्षमता-1,000 (5 गुना 200 टन) टन प्रतिदिन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

22. मेसर्स सुनील कंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, धाम-सरोवा, तारसील व जिला-रायपुर (राजिष्ट्रार का नस्ती क्रमांक 756)

साईडिंग आवेदन - उपरोक्त खदान - एकराईट/ सीटी/ आईएमटी/ 160714/ 2021, दिनांक 11/02/2021।

(Signature)

22/02/2021

(Signature)

मेसर्स भी सुदरगढी पावर एन्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स सुनील मेन्स्यूरेजमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एम.एम. बिलेट्स (यू इन्फरमेशन नवीस) क्रमांक-3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 नग मुष्क 20 टन) हेतु जारी की जायेगी।

मेसर्स सुनील मेन्स्यूरेजमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एम.एम. बिलेट्स (यू इन्फरमेशन नवीस) क्रमांक-3,16,800 टन प्रतिवर्ष (4 नग मुष्क 20 टन) हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

मेसर्स भी सुदरगढी पावर एन्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनीज कीड रि-सीलिंग, कम्पनीज इन-सीरिजेशन सर्टिफिकेट, कंसेरव्शन एन्ड आर्टिफिशल डींग एंटीडिपेन्ड को प्रति प्रस्तुत की गई है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 204वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय प्राप्त हुई-

1. मेसर्स भी सुदरगढी पावर एन्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत बुनि इन्फार्मेशन को अनुसार पूर्व में मेसर्स सुनील मेन्स्यूरेजमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. की बुनि में पूर्णतः भिन्न है।
2. मेसर्स सुनील मेन्स्यूरेजमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा-सर्विस, लाइसेंस व डिजिटल-सामग्री एक अन्य इकाई है, जो कि वर्तमान में स्थापित एवं संचालित नहीं है। अतः मेसर्स सुनील मेन्स्यूरेजमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. का मेसर्स भी सुदरगढी पावर एन्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध स्थापित नहीं होता है।
3. एम.एम. बिलेट्स को अद्यतन पर जारी टी.ओ.आर. का नाम परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है। मेसर्स भी सुदरगढी पावर एन्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड को टी.ओ.आर. हेतु नवीन आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि आवेदन (मेसर्स भी सुदरगढी पावर एन्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा मेसर्स सुनील मेन्स्यूरेजमेंट्स एन्ड ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जारी टी.ओ.आर. में नाम परिवर्तन एवं संशोधन बाबत प्रस्तुत आवेदन को डि-रिजिट / निरस्त करने जाने की अनुमति दी गई।

प्रबन्धक द्वारा बैठक में विचार - एम.एम. बिलेट्स पर प्रबन्धक की दिनांक 23/03/2021 को संयुक्त 204वीं बैठक में विचार किया गया; प्रबन्धक द्वारा माली का आलोचन किया गया; विचार विमर्श उपर्युक्त प्रबन्धक द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुई आवेदन को डि-रिजिट / निरस्त करने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को तत्पुनः सूचित किया जाय।

23. मेसर्स बीनली साधना जायरावाल (बुढ़ाबाई विन्ना अर्ध कले कवाटी माईन एन्ड किला विनली विन्ना पार्क), राम-बुढ़ाबाई, लडशील-अनामपुर, जिला-बुरजपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1488)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोग नंबर - एसआईए/ सीपी/ एमआईए/ 1488/2020, दिनांक 18/11/2020। परीक्षण प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमीटी होने के कारण दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। सीपीएल प्रस्तावक द्वारा सचिवालय को दिनांक 04/01/2021 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी प्राकल्प (पीन खनिज) खदान एवं किला विनली ईट उत्पादन इकाई है। खदान राम-बुढ़ाबाई, लडशील-अनामपुर, जिला-बुरजपुर किला पार्क अर्ध कला क्रमांक 300, कुल क्षेत्रफल - 1.00 हेक्टेयर में है। इकाई पर प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्राकल्प क्षमता - 1.380 हेक्टेयर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 27/01/2021-

समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूर एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तमम सर्वसाधुति के विभागाधार निर्माण किया गया था-

1. यदि पूर्व में आवेदित खदान पर खान हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभायात निर्देशन प्रतिकल्प (एसईआईएए), पर्यावरण सभायात जिला सटीय पर्यावरण सभायात निर्देशन प्रतिकल्प (सीईआईएए), अतीसतद द्वारा पर्यावरणीय सीधुति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीधुति की सीधु एवं अतिरेवित सती के कारण में की गई अवेवारी की जानकारी सतीघासत सतिव प्रस्तुत की जाए। साथ ही सतरीयत की खदान सिति की जानकारी सतीघासत सतिव प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से सधुवित है, तो किला अर्ध में कित्तु गए खदान की सधुवित सधु की जानकारी सतिव किला की सधुवित सधु कर प्रस्तुत की जाए।

3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु सिद्धात प्रस्ताव पूर्व किला के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. परिसरयत सतासत की सतरीयत सतत पूर्व जानकारी / सतरीयत (खदान सतीघासत) के साथ सतरीयत सतिव जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।


सधुवित परिसरयत प्रस्तावक को एसईएसी, अतीसतद के सतत दिनांक 22/02/2021 द्वारा सतरीयत हेतु सधुवित किया गया।

(ब) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 04/03/2021

सतरीयत हेतु की सतरीयत सतत अतिवित सतिवित सतत है। समिति द्वारा सती, प्रस्तुत जानकारी का सतरीयत एवं सतिव करने पर सिधु सतिव गई गई-

1. राम सधुवित का अनाधुति प्रमाण सधु - सधुवित के सधु में राम सधुवित बुढ़ाबाई का दिनांक 20/08/2019 का अनाधुति प्रमाण सधु प्रस्तुत किया गया है।

2. सतरीयत सधुवित - अवेवारी सतत सतिव सती सतीयत सतत प्रस्तुत किया गया है। जो सति अतिवित, जिला-अतिवित के सतत सतरीयत



2420-23/समिज/समि.2/2020, वार्षिक वेतुव्युत्पन्न, दिनांक 24/11/2020
द्राघ अनुमोदित है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (समि. साधा), जिला-सुरजपुर के आणन क्रमांक 228/समिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 24/11/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शून्य है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (समि. साधा), जिला-सुरजपुर के आणन क्रमांक 228/समिज/2020 सुरजपुर, दिनांक 24/11/2020 द्राघ जारी आणन एवं अनुसूचत क्षेत्र खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सार्वजनिक स्कूल, मंदिर, मस्जिद, मसजद, अस्पताल, मस्जिद, पुल, बांध, एनीला एन जल संपूर्ण अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एन.जी.आई. संबंधी विवरण - एन.जी.आई. कर्मालय कलेक्टर (समिज साधा), जिला-सुरजपुर के आणन क्रमांक 110/गीम समिज/म.प्र. 01/2020-21 सुरजपुर, दिनांक 01/10/2020 द्राघ जारी की गई जिलाधी किरात जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. मू-स्वाभिव - भूमि की संबंधी द्राघत जलसाहाज की मूल नक है। उपखानन हेतु भूमि स्वामी का साधनी एवं प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का आसापीत द्राघण पत्र - कार्यलय वनसंरक्षक/सुरजपुर वनसंरक्षक, जिला-सुरजपुर के आणन क्रमांक/म.प्रि./1482 सुरजपुर, दिनांक 21/08/2020 की जारी आसापीत द्राघण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी द्राघ-बुझाबांध एवं मसुल द्राघ-बुझाबांध 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 293 कि.मी. एवं राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। जल 0.7 कि.मी. एवं खनी मटी 10 कि.मी. दूर है।
10. पर्यावरण/पर्यावरण संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र - पर्यावरण प्रसाधक द्राघ 20 कि.मी. की परिधि में अंतराजतीय सीमा, राष्ट्रीय द्राघण, आसापीत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्राघत घोषित किरात/सी गैस/दूध/दूध/ पर्यावरण/पर्यावरण सार्वजनिक क्षेत्र या घोषित पर्यावरण क्षेत्र स्थित नहीं है।
11. खदान संघदा एवं खनन का विवरण - डिस्ट्रीक्ट/जिला रिजर्व 20,000 घनमीटर, गार्डेन/जिला रिजर्व 14,380 घनमीटर एवं रिजर्व/जिला रिजर्व 12,881 घनमीटर है। जिला की 1 मीटर कीड़ी सीमा पट्टी (उपखानन के लिए अतिरिक्त क्षेत्र) का क्षेत्रफल 814 घनमीटर है। खनन आसट मन्थुआर विधि से उपखानन की जाती। उपखानन की प्रसापीत अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं नीचाई 1 मीटर है। खनन क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु पट्टा (किलन) प्रसापीत है, जिलाधी स्थित किलन की ऊंचाई 23 मीटर होती। ईट निर्माण हेतु मिट्टी की मात्रा 23 प्रतिशत पट्टाई एत का उपखानन की जाती। खदान की संरक्षित आयु 20 वर्ष है। द्राघ जल ईट निर्माण हेतु 10 टन सीमा की आवश्यकता होती। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल नक

सिद्धकाय किया जाएगा। अनुसूचित शहरीय स्तर अनुसार पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | प्रस्तावित परतकनन (घनमीटर) | ईट उत्पादन (नम) |
|---------|----------------------------|-----------------|
| प्रथम | 800 | 8,40,000 |
| द्वितीय | 800 | 8,40,000 |
| तृतीय | 800 | 8,40,000 |
| चतुर्थ | 880 | 8,12,000 |
| पंचम | 880 | 8,12,000 |
| षष्ठम | 880 | 8,12,000 |
| सप्तम | 850 | 7,28,000 |
| अष्टम | 850 | 7,28,000 |
| नवम | 820 | 8,28,000 |
| दशम | 820 | 8,28,000 |

12. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जलान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल सिंचन, कुआरीकरण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निम्नलिखित सडानी में एकजित जल एवं पैपजल की आपूर्ति दुरुब वेत से की जाएगी।
13. **कुआरीकरण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में पारी और 1 मीटर की गड्डी में 204 नम कुआरीकरण किया जाएगा।
14. **पूई में जारी पर्यावरणीय लीडकृति संबंधी विवरण**- इस जलान की पूई में पर्यावरणीय लीडकृति जारी नहीं की गई है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जलिन (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को सपरा विवरण में कार्य सपरा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 24 | 2% | 0.54 | Following activities at Government Primary School, Village - Dhenki nala, Budhatand | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.18 |
| | | | Total | 0.78 |

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज का पर्टे लीड सपरा अमंज 830 है, जबकि आवेदन में सुदिगत पर्टे लीड सपरा अमंज 880 का उल्लेख ही गया है। इसी प्रकार आवेदन में ईट उत्पादन अमंज - 820 घनमीटर (8,12,000 नम) उल्लेख का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि शहरीय स्तर में जल का

सम्बन्धित किया गया है। अब आवेदन में चार अंशक वाला अर्जांक 830, अर्जांक - 820 धनौदर (8.12.000 गज) अधिसूचित हेतु मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।

17. समिति की संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन की साथ हीनलाईन में प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान एवं अनुमोदिकरण के दौरान प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान में अंतिमतम अन्वयदन अधिसूचित एवं अन्य जानकारी में मिलता है। अब सामयिक अनुमोदित माइनिंग प्लान के पुष्किलन हेतु माइनिंग प्लान के अन्वयक पृष्ठ में सक्षम अधिसूचनी (अनि अधिसूचनी) से प्रस्तावक द्वारा चार अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सामयिक सर्वसम्बन्धि से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को परियोजनानुसार अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

अनुमोदक एसईएसी, अयोध्या की 380वीं बैठक दिनांक 24/03/2021 में चर्चोत्तर में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 24/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अन्वयक एवं परीक्षण करने का निम्न सिद्धि पदुं पदुं--

1. कचारी प्लान पुराना किच अन्वी अन्वयक प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अनि अधिसूचनी किच-अन्वयक के द्वारा पु.अर्जांक 414/अनिच/अनि.2/2021, अन्वयक ईकुम्पनुर, दिनांक 02/03/2021 द्वारा अन्वयक पृष्ठ में प्रस्तावक समस्त प्रस्तुत किया गया है।

2. सानवीय एन.जी.टी., डिपिअर केर, गडुं विठली द्वारा सानवीय सानवीय विस्फुट सारा सारदार, पर्यावरण, सन जीव जलवायु परिवर्तन संसाधन, गडुं विठली एवं अन्य (अन्वयक अन्वयक नं. 188 अंशक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आवेदन में सुझा एवं से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है--

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा निम्न निम्न उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय किया गया--

1. कचारीय कचारीय (अनि सारदा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अर्जांक 888/अनिच/2020 सुरजपुर, दिनांक 24/11/2020 को अनुमोदक अन्वयक सारदा में 800 मीटर से नीचे अधिसूचित अन्य सारदा की संख्या निम्न है। अधिसूचित सारदा (अनि-सुरजपुर) का सारदा 1 हेक्टर है। सारदा की सीमा से 800 मीटर की परिसर में अन्वयक/अन्वयक सारदा का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का सारदा कम होने के कारण यह सारदा बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श प्रस्ताव सर्वसम्मती से आवेदन - मेसर्स बीपीसी
 इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (बुधवार) जिला जयपुर के कार्यालय (बीपीसी जिला जयपुर)
 की धाम-बुधवार, तहसील-बुधवार, जिला-बुधवार के प्लॉट क्रमांक 830 में स्थित मिट्टी (पीपल) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1
 हेक्टेयर, अक्षांश - 820 मीटर (ईट) अक्षांश अक्षांश - 8.12.000 मी) अतिरिक्त हेतु पर्यावरणीय
 स्थिति दिखाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा सूचना में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमा की दिनांक
 12/08/2018 को संख्या 10971 सूचना में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा जारी
 का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श प्रस्ताव प्रतिक्रमा द्वारा पर्यावरणीय से
 समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन - मेसर्स बीपीसी इण्डिया
 प्राइवेट लिमिटेड (बुधवार) जिला जयपुर के कार्यालय (बीपीसी जिला जयपुर)
 की धाम-बुधवार, तहसील-बुधवार, जिला-बुधवार के प्लॉट क्रमांक 830 में स्थित मिट्टी (पीपल)
 खदान, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, अक्षांश - 820 मीटर (ईट) अक्षांश अक्षांश - 8.12.000 मी)
 अतिरिक्त हेतु पर्यावरणीय स्थिति दिखाने का निर्णय किया गया।

परिशीलन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्थिति जारी किया जाय।

34. मेसर्स अर्जोनी फ्लैट स्टोन माईन (प्रा.) की विष्णु साहू, धाम-अर्जोनी,
 तहसील व जिला-महासमुद्र (सकियालय का प्लॉट क्रमांक 862)

अर्जोनी आवेदन - प्रस्तावक संख्या - एसआईए/ सीडी/ एनआईए/ 81114/2018, दिनांक 08/08/2018। परिशीलन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अर्जोनी
 आवेदन में अनिष्ट होने से जमान दिनांक 28/08/2018 द्वारा जमाना प्रस्तुत करने
 हेतु निर्देशित किया गया। परिशीलन प्रस्तावक द्वारा तद्विषय जमाना दिनांक
 28/11/2018 को अर्जोनी प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित फ्लैट स्टोन (पीपल) खदान है। खदान
 धाम-अर्जोनी, तहसील व जिला-महासमुद्र जिला अक्षांश क्रमांक 78/2 एवं 1307
 कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता -
 8.7382 टन प्रतिवर्ष (फ्लैट स्टोन उत्पादन 8.000.00 टन प्रतिवर्ष एवं पीपल
 873.82 टन प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रस्ताव पत्र - परिशीलन प्रस्तावक द्वारा फ्लैट
 स्टोन (पीपल) की पर्यावरणीय स्थिति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न
 प्रकार के संलग्न किए गए हैं:-

1. धाम प्रस्तावक का अनापत्ति प्रमाण पत्र - जमाना के संकेत में धाम प्रस्तावक
 अर्जोनी का दिनांक 28/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया
 है।
2. अक्षयन योजना - जारी पत्र, इन्फार्मेटिव मैनेजमेंट प्लान एवं अर्जोनी
 अक्षयन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो एन संख्यांक (सकियालय), जिला-बुधवार
 के जमाना क्रमांक 873-2/सकिया-8/2018, बभनपुर, दिनांक 18/07/2018
 द्वारा अनुमोदित है।

(Handwritten signatures)

3. 500 मीटर की परिधि में निम्नतः खदान - कार्बोलाय कलेक्टर (खनिज साधों), जिला-महासमुद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जागरूकी सुनिश्चित है।
4. कार्बोलाय कलेक्टर (खनिज साधों), जिला-महासमुद्र के प्रमाण पत्रोंक क्रमांक 1013/क/ई-निविदा/खनि./न.प्र./2018 महासमुद्र, दिनांक 17/07/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोयला खानों 100 मीटर एवं खोई की कार्बोलायिक क्षेत्र जैसे भूदिर, सफ्ट, अमरपाल, सखुल, पुन, सोर, इनीकट एट जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.जे.आई, कार्बोलाय कलेक्टर (खनिज साधों), जिला-महासमुद्र के प्रमाण पत्रोंक क्रमांक 386/क/ई-निविदा/खनि./न.प्र.का/2018 महासमुद्र, दिनांक 28/03/2018 द्वारा जारी की गई थी।
6. कार्बोलाय पनम्बलजियकारी, पान्थन पनम्बल, महासमुद्र के प्रमाण पत्रोंक क्रमांक /ना.नि./2010 महासमुद्र, दिनांक 23/07/2018 को जारी अनुसार प्रमाण अनुसार आवेदित क्षेत्र पन्थोक से 2 कि.मी. दूर है।
7. सिटीफाट सर्वे रिपोर्ट (Detailed Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. निखटाल आरावी धान-आरावी 1 कि.मी., सखुल 1.5 कि.मी., अमरपाल विखोनी 6.2 कि.मी., एवं गोलो खोराण 6.5 कि.मी. दूर स्थित है। राठीन-पान्थन 5.8 कि.मी., सपन्थन 18.7 कि.मी. दूर है।
9. परिधीयता अमरपाल द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय प्रदान, अमरपाल, केन्द्रीय अखुल निवहन क्षेत्र द्वारा प्रेषित किरिबली वीन्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय अंतर्राज्यीय क्षेत्र या प्रेषित वीदीयिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
10. विखोलीयिखल रिजर्व प्रमाण 1,44,000 टन, गार्निखल रिजर्व 88,875 टन एवं विखोलीयल रिजर्व 50,881 टन है। खोड क्षेत्र की खोई क्षेत्र 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। खोला खाना केखुला खोई से प्रखलन किया जाएगा। प्रखलन की प्रखलित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। खोई मिट्टी की खोला 18.817 घनमीटर है। खोई की खोलाई 3 मीटर एवं खोलाई 3 मीटर है। प्रदान की आवेदित आयु 10 वर्ष है। खोडर आवेदित प्रखलन का विखल निम्नप्रकार है:-

| वर्ष | प्रखलित प्रखलन (टन में) |
|---------|-------------------------|
| प्रथम | 5,833 |
| द्वितीय | 5,470 |
| तृतीय | 4,957 |
| चतुर्थ | 5,833 |
| पंचम | 5,482 |
| छठी | 5,878 |
| सातवीं | 5,560 |
| आठवीं | 6,065 |
| नौवीं | 5,482 |
| दसवीं | 5,504 |

नोट: खनिज में प्रखलन की खोड की खोई का सारखणीक किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति राम मण्डल के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. जीज डीप की खरी और 1.5 मीटर गूरे डीप में 480 नए पीछे प्रचल लॉ में समाप्त जाना प्रस्तावित है।
13. पूर्व में धारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 201वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रस्ताव की मशीन पूर्व प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, एक सार्वजन्य सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. कार्पोरेट कॉलेक्टर (स्थानिक साखर), जिला-बलरामपुर द्वारा आवेदित खदान की 800 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खानों (दिनांक वर्ष 2013 के पूर्व की भी खानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. एन.ओ.आई, मैदा बुद्धि संबंधी परामर्श प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओएम दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. पर्यावरण प्रस्तावक को खानों पर की आवेदित बैठक में कार्पोरेट सार्वजन्य सुचना जानकारी / परामर्श (खदान कोर्टेजलर) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार पर्यावरण प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., कार्पोरेट के ज्ञान दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 205वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। पर्यावरण प्रस्तावक के एक दिनांक 18/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि सखिा जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। ज्ञा. अधिविवा समक प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सार्वजन्य सर्वेक्षणों से निर्णय लिया गया था कि पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा सखिा जानकारी एवं अनुरोध पर कार्य होने या खानों कार्यवाही की जाएगी।

समानुसार एस.ई.ए.सी., कार्पोरेट के ज्ञान दिनांक 23/02/2021 की परीक्षा में पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2021 को आवेदन निरस्त करने हेतु अनुरोध पर प्रस्तुत किया गया है।

(क) समिति की 204वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा मशीन, प्रस्तुत जानकारी का आवेदन एवं परीक्षण करने पर पर्यावरण प्रस्तावक के एक दिनांक 18/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मन्क किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित लिस्टिकली सील्युटेड एरिया, परिसर/विकास क्षेत्र एवं/अथवा क्षेत्र या घोषित क्षेत्र/विकास क्षेत्र स्थित नहीं होने परियोजना किया है।

10. **खनन संयोजक एवं खनन का विवरण** – जिसे/विकास नियंत्रण विभाग 1,88,920 टन, भाईनेवाला स्थित 58,470 टन एवं विकास/विकास नियंत्रण 88,024 टन है। खनन क्षेत्र की घाटी और 7.5 मीटर (3.282 फीट) तक खनन क्षेत्र घोषित गया है। खनन क्वार्टर सभी मैकेनाइज्ड सिस्टिम से संचालित किया जाता है। संचालन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। खनन की गहराई की मात्रा 1,000 घनमीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खनन क्षेत्र में डिजिटिंग एवं स्टाबिलिटी किया जाता है। खनन की स्थापित आयु 8 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित संचालन का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | क्षेत्रफल (घनमीटर) | गहराई (मीटर) | आयतन (घनमीटर) | प्रस्तावित संचालन ROM (टन) |
|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| प्रथम | 1,833 | 3 | 5,500 | 11,000 |
| द्वितीय | 1,800 | 3 | 5,400 | 10,800 |
| तृतीय | 1,867 | 3 | 5,600 | 11,200 |
| चतुर्थ | 1,800 | 3 | 5,400 | 10,800 |
| पंचम | 1,400 | 3 | 4,200 | 8,400 |

11. परियोजना हेतु आवश्यक खनन की मात्रा 8 घनमीटर स्थापित है। खनन की आवश्यक क्षेत्रों से की जाती है। खनन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु खनन का नियंत्रण किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** – खनन क्षेत्र की घाटी और 7.5 मीटर तक क्षेत्र में 300 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. प्रस्तुतिकरण को दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर की चौड़ाई क्षेत्र में कई जगहों पर 4 मीटर तक संचालन पूर्व से ही किया गया है। उसके अलावा क्षेत्र में जोखिम क्षेत्र का भरण कर वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

- पूर्व में पूर्ण प्रस्ताव संचालन वास्तविकता 208/2 एवं 227, क्षेत्रफल 8,708 हेक्टेयर, आयत-4,000 टन स्थापित हेतु किया स्वीकृत पर्यावरण सन्तुष्टता निर्देशन अधिनियम, जिस-राजभाषा/भाषा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/03/2017 को द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक की जारी हेतु जारी की गई है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी के प्रस्ताव में की गई कार्यवाही की आवश्यकता प्रस्तुत की गई है।
- 300 नम वृक्षारोपण किया गया है।
- कार्यालय जलोचर (रुनि वास्तविकता, जिला-राजभाषा/भाषा को द्वारा आयु 507/स.सि. 03/2020 राजभाषा/भाषा दिनांक 24/02/2020 के अनुसार किया जारी का संचालन नियंत्रण निम्नानुसार है-

| वित्तीय वर्ष | वार्षिक व्यय (घनमीटर) |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 2003-04 | 200 |
| 2004-05 | 120 |
| 2005-06 | 180 |
| 2006-07 | 215 |
| 2007-08 | 360 |
| 2008-09 | 75 |
| 2009-10 | 155 |
| 2010-11 | 155 |
| 2011-12 | 297 |
| 2012-13 | 350 |
| 2013-14 | 235 |
| 2014-15 | 265 |
| 2015-16 (15 जून तक) | 85 |
| ₹ 1.67 टन/घनमीटर | बीटिक टन में |
| 2015-16 (15 जुलाई से 15 दिसंबर तक) | 1,440 |
| 16 जनवरी से 17 मार्च | - |
| 2017-18 | 1,710 |
| 2018-19 | 1,800 |
| 2019-20 | 1,850 |

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की सलाह बिलौर से चर्चा करवाते विभागाध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh) | |
|---------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh) |
| Rs. 20 | 2% | Rs. 0.40 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Banhandi | |
| | | | Solar Lighting System | Rs. 0.30 |
| | | | Plantation with Fencing | Rs. 0.10 |
| | | | Total | Rs. 0.40 |

समिति द्वारा पर्यावरण प्रदूषक को नियंत्रित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा उल्लेखित कार्यसमिति से विभागाध्यक्ष निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीयति की शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की अन्तर्गत भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत फार्म-2, फार्म-1, ई-मिनिडिजिटल रिपोर्ट, अनुसंधान माइनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 11,000 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। जबकि प्रस्तुतकरण के दौरान उत्खनन क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष बतायी गई है। इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को एन.ई.ए.सी., उत्तीरप्रदेश के ज्ञान दिनांक 08/08/2020 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/08/2020 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर से प्रतिक्रिया अद्यत है।

(स) समिति की 332वीं बैठक दिनांक 03/07/2020

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अन्वयकन एवं पंजीयन करने का निम्न निम्निति गई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीयति की शर्तों के अन्तर्गत में की गई कार्यवाही की अन्तर्गत भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कुटिया प्रस्तुतकरण के दौरान उत्खनन क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया था। जो प्रस्तुत फार्म-2, फार्म-1, ई-मिनिडिजिटल रिपोर्ट, अनुसंधान माइनिंग प्लान में खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 11,000 टन प्रतिवर्ष की ही माना किया जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त संबंधित निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को अनुरोध पत्र भेजा किता जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा किता जाए।
3. उपरोक्त अनुरोध पूर्व जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले उपरोक्त जानकारी कार्यवाही की जाएगी।

एन.ई.ए.सी., उत्तीरप्रदेश के ज्ञान दिनांक 30/09/2020 को परिषद में क्षेत्रीय कार्यालय, भासा सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2020 को अनुरोध पत्र भेजा किता गया है।

(द) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा नसी, असुरत पर/जानकारी/वस्तुविषय का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरुति की शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्राप्त संरक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय, नगरपुर के अज्ञात है।
2. पर्यावरण संरक्षण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुचित किये जाने का संरक्षण किया गया है।
3. एन.ई.ए.सी., उत्तरीसंगर के अज्ञात दिनांक 28/08/2020 एवं 30/09/2020 के संरक्षण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय, नगरपुर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरुति की शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी हेतु पर प्रेषित किया गया है। जो कि अज्ञात दिनांक तक अज्ञात है। इस संरक्षण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 07/08/2017 द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किया गया है:-

Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not completed within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) of the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC.

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत अज्ञात असुरत किया गया है।

समिति द्वारा संरक्षण संरक्षण से निर्णय किया गया था कि अज्ञात ओ.एम. के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरुति की शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रेषित करने हेतु उत्तरीसंगर पर्यावरण संरक्षण संरक्षण, नगरपुर अज्ञात नगर को अनुचित किया गया।

संरक्षण एन.ई.ए.सी., उत्तरीसंगर के अज्ञात दिनांक 08/02/2020 से पर्यावरण में उत्तरीसंगर पर्यावरण संरक्षण संरक्षण, नगरपुर अज्ञात नगर द्वारा दिनांक 18/02/2021 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरुति की शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी असुरत किया गया है।

(इ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:

समिति द्वारा नसी, असुरत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निष्पत्ति आई गई कि:-

1. उत्तरीसंगर पर्यावरण संरक्षण संरक्षण, नगर असुरत अज्ञात नगर द्वारा दिनांक 18/03/2021 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरुति की शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी असुरत की गई है, जिसमें शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना अज्ञात गया है।
2. जीव शोध की शोध में शर्तों जीव 1.5 मीटर की गहराई में 850 मग पूरारोपण किया जाएगा। संरक्षण में 280 मग पूरारोपण किया गया है। इस अज्ञात कुल 1,000 मग शोध का रक्षण किया जाएगा।

3. भारतीय एन.टी.टी., डिजिटल सेवा, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय एम्प्लॉय लिमिटेड भारत सरकार, मराठीवाड़ा, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनुमोदन एन.टी.टी.एन. नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 15/09/2018 को प्रेषित आदेश में कुछ कम से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि सुरक्षा), जिला-राजनांदगांव की क्षमता अर्थात् / 2008 / ए.सि.02 / 2018 राजनांदगांव, दिनांक 18/08/2019 को अनुमति आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3,012 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (दान-बनारसी) का क्षेत्र 8,708 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (दान-बनारसी) को मिलकर कुल क्षेत्र 3,012 हेक्टेयर है। खदान की गींघा से 500 मीटर की सीमा में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का प्रत्येक कम होने से कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की शर्तें पर है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - केसरि अर, डी. मिररवा बनारसी लाईन स्टोन कारी (पार्टर - डी. लखुल मीरावा) की दान-बनारसी, गढ़सील-बोगरावा, जिला-राजनांदगांव की क्षमता अर्थात् 028/2 एवं 327 में स्थित कुल क्षेत्र (गींघा खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 8,708 हेक्टेयर, क्षमता - 11,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकूलता द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकूलता की दिनांक 13/05/2021 को संयुक्त 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकूलता द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकूलता द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक - केसरि अर, डी. मिररवा बनारसी लाईन स्टोन कारी (पार्टर - डी. लखुल मीरावा) की दान-बनारसी, गढ़सील-बोगरावा, जिला-राजनांदगांव की क्षमता अर्थात् 028/2 एवं 327 में स्थित कुल क्षेत्र (गींघा खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 8,708 हेक्टेयर, क्षमता - 11,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया।

परिचोदना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

38. केसरि डी. लखुल कुमार शर्मा (आई.ए. आई. आई.ए.) दान-बनारसी, गढ़सील-बोगरावा, जिला-राजनांदगांव (सुविधालय का नसी अर्थात् 028)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त नंबर - एमआईए / सीडी / एमआईए 44502 / 2018, दिनांक 28/10/2018। परिचोदना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमी होने से कारण दिनांक 21/11/2019 द्वारा अनारसी प्रस्तुत करने

दिनांक 16/10/2019 को अनुसूचित जाति/जाति वर्गों के 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य बाईपास को बाईपास बनाने की योजना निकल है। समिति के बयान में यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत बाईपास बाईपास में 500 मीटर के भीतर 1 अन्य बने की योजना स्थित है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (एनए बाईपास) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर एक समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिवर्तन के बीच दूरी एक सड़क शामिल क्षेत्र में अन्य बाईपास के भीतर से 500 मीटर के कम है।" क्लस्टर क्लस्टर हेतु बाईपास/निर्माण निरस्त क्षेत्र में विद्यमान बयान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी बाईपास को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल बाईपासों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी बाईपासों को (क्लस्टर में बाईपासों को नहीं एक शामिल किया जाए, जहाँ एक 500 मीटर की दूरी में कोई बाईपास अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अब उपरोक्तानुसार प्रस्ताव एक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्पोरेट क्लस्टर (अग्नि बाईपास), जिला-राजनांदगांव के ग्रामपंचायत/25/12/2019 दिनांक 03/2019 राजनांदगांव दिनांक 15/10/2019 द्वारा जारी बयान पर अनुसूचित वर्गों बाईपास से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एरीरकट जति परिभाषित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 150 मीटर की दूरी पहाड़ी या सड़क/मंदिर स्थित है।
5. लीज का विवरण - लीज की सीमा कुमावत बनों के नाम पर है। लीज क्षेत्र 8 वर्ग किलोमीटर दिनांक 07/07/1984 से 08/07/1984 तक की अवधि हेतु की। जिसका प्रथम नवीनीकरण दिनांक 07/07/1984 से 08/07/1984, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1984 से 08/07/1989, तृतीय नवीनीकरण दिनांक 07/07/1989 से 08/07/2019 तक किया गया। तत्पश्चात 15 वर्ष, दिनांक 07/07/2019 से 08/07/2034 तक अवधि वृद्धि की गई।
6. यू-वर्गीकरण - यूनि की विवरण सिट के नाम पर है। वर्गीकरण हेतु बाईपास पर प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनुसूचित प्रस्ताव पत्र - कार्पोरेट परामर्शदाता/सीमा/राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव के ग्रामपंचायत/25/12/2019 दिनांक 14/03/2020 से जारी अनुसूचित बयान पर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित बयान से बाईपासों वन का क्षेत्रफल 852 की दूरी 1.485 किलोमीटर है।
9. महापूरवर्ष बाईपासों की दूरी - निकटतम बाईपास प्राय-विशेष 1 कि.मी., स्कूल/विश्वविद्यालय 07 कि.मी., अस्पताल/बाजार 13 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है।
10. परिधि/बाईपास/बाईपास/बाईपास/बाईपास क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्रीय बयान, अस्पताल, बाईपास प्रस्ताव निबंधन कोई द्वारा घोषित डिस्ट्रीक्ट मॉड्युलैट वरिष्, परिधि/बाईपास/बाईपास/बाईपास क्षेत्र या घोषित बाईपास/बाईपास क्षेत्र स्थित नहीं क्षेत्र परिभाषित किया है।

11. **खाना सप्लाई एवं खाना का विवरण** – डिप्लोमेटिकल डिशें 3,42,000 टन माईक्रोवाल डिशें 3,14,000 एवं मिश्रितवेज डिशें 1,04,000 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीक पट्टी (उत्खानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,888 वर्गमीटर है। परिसर में 3 मीटर से 5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया गया है। खोले खाद में अनुसूचित पेशेवाहियों के उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की अंतिम गहराई 3 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2.5 मीटर है। खादान की संरक्षित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में उत्खनन संचालित नहीं है एवं इसकी स्थानांतरण का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खादान में अनुसूचित निधियों हेतु जल का उपलब्ध किया जाएगा। वर्तमान अंतिम उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आवृत्त (घनमीटर) | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| प्रथम | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| द्वितीय | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| तृतीय | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| चतुर्थ | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| पंचम | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |

आवामी वर्षों का उत्पादन क्षमता

| वर्ष | क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | गहराई (मीटर) | आवृत्त (घनमीटर) | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| प्रथम | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| द्वितीय | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| तृतीय | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| चतुर्थ | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |
| पंचम | 3,333 | 1.5 | 8,000 | 10,000 |

12. **जल आपूर्ति** – डिप्लोमेटिकल हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खादान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल उपकरण, प्लांटिंग) हेतु जल की आपूर्ति आसानी से उपलब्ध है। वर्तमान में उपलब्ध जल एवं प्लांटिंग की आपूर्ति क्षेत्रों के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अहमदाबाद से अनुमति लिया जाना अंतिम है।

13. **प्लांटिंग कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में जारी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 तक प्लांटिंग किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

1. पूर्व में जारी की गई खादान का उत्खनन प्रारंभ 2012 क्षेत्रफल 3,333 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/01/2018 तक अंतिम स्वीकृति दिनांक 21/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 21/01/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी की जायज में जो गई अंतिम की अंतिम स्वीकृति प्रस्तुत की गई है।

3. निर्धारित सार्वजनिक प्लांटिंग नहीं किया गया है।

14. कार्पोरेट जवाबदार (सबि साधा), जिला- राजसमन्तपुर के जलप कर्मक/ 6008/सबि 02/2020 राजसमन्तपुर, दिनांक 08/12/2020 के अनुसार विगत वर्ष में कितने वर्षे उपलब्ध का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | वार्षिक उपलब्ध (रुप) |
|---------------------------|----------------------|
| अप्रैल 2008 से मार्च 2009 | 1,000 |
| अप्रैल 2009 से मार्च 2010 | 147 |
| अप्रैल 2010 से मार्च 2011 | 249 |
| अप्रैल 2011 से मार्च 2012 | 1,400 |
| अप्रैल 2012 से मार्च 2013 | 800 |
| अप्रैल 2013 से मार्च 2014 | 300 |
| अप्रैल 2014 से मार्च 2015 | 880 |
| अप्रैल 2015 से मार्च 2016 | 700 |
| अप्रैल 2016 से मार्च 2017 | 340 |
| अप्रैल 2017 से मार्च 2018 | 300 |
| अप्रैल 2018 से मार्च 2019 | 200 |
| अप्रैल 2019 से मार्च 2020 | 000 |
| अप्रैल 2020 से जून 2020 | निराक |

15. कार्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के अन्तर्गत विगत वर्षे उपलब्ध निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 25 | 2% | 0.50 | Following activities at Govt Middle School, Village-Rengakuthera | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.40 |
| | | | Plantation | 0.10 |
| | | | Total | 0.50 |

16. अनुसूचितकाल के दौरान समिति के अन्तर्गत यह कार्य आया कि सीई आर पर पूरा स्थित है, जिसे पर्यावरणीय प्रभाव का अन्य प्रस्तावकों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त कार्य की कटौत किया जाना प्रस्तावित नहीं है। आवश्यकता होने पर ही इन कार्य की कटौत प्रस्ताव प्रतिकारों से अनुमति उपलब्ध की जायेगी।

समिति द्वारा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार 500 बीघर का प्रभाव पर प्रस्तुत किया जाये।
2. आरंभिक अनुमान 2.28 हेक्टेयर हेतु जारी नाम पंजाब का कार्यालय प्रभाव पर प्रस्तुत किया जाय।

3. परिशोधन प्रस्तावक को प्रतीक समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने परमान्त आगामी कक्षावर्गों की जाएगी।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छातीसंगठ के द्वारा दिनांक 18/01/2021 की परिधि में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/01/2021 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं।

(ग) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 12/02/2021:-

समिति द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यलय कलेक्टर (शनि साखड़), जिला-राजसमदाय के द्वारा क्रमांक/1000/स.सि.02/2020 राजसमदाय, दिनांक 18/12/2020 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदानें, क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्रफल विचारणीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। जहां जमानत पर से यह सत्यापन नहीं हो रहा है कि जहां खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं जहां नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (अन्य संशोधित) में परिशिष्टित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर एक समय बनाया जाएगा, जब एक सीमा के परिधि के बीच पूरी परा प्रस्तुत परिधि क्षेत्र में अन्य खदानों के परिधि से 500 मीटर से कम है।" जहां क्लस्टर हेतु कोनोविनिपल निगरान क्षेत्र में विचारणीय खदान के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करने हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के सीमा सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

2. राजसमदाय के संकेत में राम सखत रंगारोष जे दिनांक 12/02/2020 का 2.28 हेक्टेयर हेतु अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा राजसमदाय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को कार्यलय कलेक्टर (शनि साखड़) द्वारा जहां खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संकेत में जानकारी प्राप्त कर, प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार एम.ई.ए.सी., छातीसंगठ के द्वारा दिनांक 08/03/2021 की परिधि में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2021 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021:-

समिति द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. कार्यलय कलेक्टर (शनि साखड़), जिला-राजसमदाय के द्वारा क्रमांक/100/स.सि.02/2021 राजसमदाय, दिनांक 18/03/2021 से अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या गिना है।

2. समन्वय एम.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बंध, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च न्यायिक विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य

(अधिसूचना अधिसूचना नं. 188 दिनांक 20/10/2021 एवं अन्त) में दिनांक 13/08/2018 को अर्जित आदेश में सुझाव का से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श अर्थात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- 1. आर्वालय बसेवारा (ग्राम बारा), जिला-राजसमगाँव के जंगल क्रमांक/188/अ.सि.02/2021 राजसमगाँव, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या गिनाई है। आवंटित खदान (ग्राम-नेगाकरी) का एका 2.28 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का जससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की गयी।
- 2. समिति द्वारा विचार विमर्श अर्थात् सर्वसम्मति से आदेश - मेसर्स की इरीन कुशर चर्च (प्राईव्ज लै प्राईव्ज) की ग्राम-नेगाकरी, तहसील-कोरवा, जिला-राजसमगाँव के खदान क्रमांक 862 में किया प्राईव्ज लै (गैंग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.28 हेक्टेयर, क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।
- 3. पर्यावरण जीव क्षेत्र में जाने वाले पक्षी की कटाई न की जाए। स्थान इतिहासी के अनुमति अर्थात् अवस्थान पर होने पर ही उक्त पक्षी की कटाई की जाएगी। पक्षी को काटे जाने की स्थिति में, काटे गये पक्षी के 10 गुना जंग एवं अन्य पर्यावरण पर्यावरणीय घात संशोधन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर रोपित किये जाये तथा इनकी 3 वर्ष तक रख-रखाव की व्यवस्था कर घात संशोधन की शीघ्र जाएगी।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रधिकरण की दिनांक 13/08/2021 को योग्य 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मसौदा का अंशोद्यम किया गया। विचार विमर्श अर्थात् प्रधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकृत करने हेतु आदेश - मेसर्स की इरीन कुशर चर्च (प्राईव्ज लै प्राईव्ज) की ग्राम-नेगाकरी, तहसील-कोरवा, जिला-राजसमगाँव के खदान क्रमांक 862 में किया प्राईव्ज लै (गैंग खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 2.28 हेक्टेयर, क्षमता - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परिशीलना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाय।

37. मेसर्स की इरीन कुशर चर्च (ग्रामीण क्षेत्र प्राईव्ज, ग्राम-कसरिया, तहसील-कटापौरा, जिला-कोरवा), निवासी-कसरिया पुलिस, कटापौरा, तहसील-कटापौरा, जिला-कोरवा (सचिवालय का मसौदा क्रमांक 1414)

अधिकार प्राईव्ज आवेदन - इरीन कुशर चर्च / एमआई / सीसी / एमआईएन
176488/2021, दिनांक 18/08/2021

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्ण में संघटित रेत खदान (पीन इनिज) है। यह खदान घास-कसींग, तलसीस-कटायेरा, जिता-कीला शिवा खसरा क्रमांक 420, गुल डोराकास — 11.800 हेक्टर में से 2.00 हेक्टर में संघटित है। संघटन अधिकार नदी से सिंचा जल प्रस्तावित है। खदान की अधिकृत संयोजन क्षमता — 30,000 टनमीटर प्रतिवर्ष है।

बीतकी का विवरण —

(क) समिति की 34वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव की नवी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा परामर्श कार्यक्षमता से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. संघटित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से दूरी की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत संयोजन हेतु संघटित स्थल एवं संघटित स्थल की आयतनीय तथा आयतनीय में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का चिब कनाकर, अधिका में रेत साह की लेवल (Level) लेकन चिब मैच में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अधिकृत खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (रीव जोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह की सारी (Level) का भी सर्वे किया जाये। जल लेवल (Level) हेतु कम से कम 2 टैम्पले बीच मार्क (Contoured TBM structure) निर्धारित किये जाये। टैम्पले बीच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। चिब मैच में टैम्पले बीच मार्क (TBM) की भी वर्गीकृत एवं इनिज विभाग से प्रत्यावेदन करके फोटोथेक सहित जानकारी / संघटित प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी से दूर की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) बनी जाती है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में संयोजन किया जाना संभव न हो तो संबंधी गणना कर, नवी पर वर्गीकृत, इसका प्रत्येक सड़कित खान में अधिार्य कर से करवा जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं अधिकृत क्षेत्र को सीके पर अधिन विभाग से सीमांकन करवाकर, प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. संघटित स्थल से निकटतम गुल, बोर, एनीकर एवं जल आपूर्ति लंबे की दूरी समस्त जानकारी प्रस्तुत की जाए। गुल / एनीकर की दूरी खदान से आयतनीय में न्यूनतम 500 मीटर तथा आयतनीय में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतर पर खान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकानुसार नवी पर विनिता कर, प्रस्ताव नीचे पर सीमांकन एवं भाईनित खान में इस समस्त प्रत्येक किया जाए।
5. रेत संयोजन हेतु संघटित स्थल का अधिका में उपलब्ध रेत की नीटाई जानने के लिए प्रति हेक्टर में कम से कम एक गहरा (गुं) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, अधिन विभाग से संघटित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संयोजन से प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्ण में अधिकृत स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार अधिका संस्थात निर्देशन प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), अधिकागढ़ अधिका जिला स्तरीय अधिका संस्थात निर्देशन अधिका (सी.ई.आई.ए.ए.), अधिकागढ़ द्वारा पर्यावरणीय सौकरती हो गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय सौकरती की प्रति एवं अधिकृत सारी से खान

में की गई कार्यवाही की जानकारी भौतीवापस सहित प्रस्तुत की जाए। स्वयं ही कुशलवापस की अवदान स्थिति की जानकारी भौतीवापस सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि अवदान पूर्व से संबंधित है, जो विगत वर्षों में किए गए अवदान की वार्षिक गणना की जानकारी वार्षिक विवरण से उपस्थित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत अवदान पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निदेशक एवं परिवहन प्रस्तावक को अवदान में रोल की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अवधानी गणना की आवधिक विवरण में उपस्थित समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्तावक (अवदान भौतीवापस) सहित प्रस्तुतीकरण विने जारी हेतु निर्देशित किया जाए।

सदस्यता यदि निदेशक एवं परिवहन प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. परीक्षण के प्रारंभ दिनांक 02/12/2020 द्वारा अनुवीकरण हेतु सुचित किया गया।

(8) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की सुचीत सुचारु गरी, अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा तय की, प्रस्तुत जानकारी को अवधान पूर्व परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. वाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वरत अवदान की संबंध में वाम पंचायत प्रस्ताव का दिनांक 21/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनियमित/सीमांकित - कार्यलय कलेक्टर, वार्षिक गणना से प्रथम प्रमाण पत्र अनुसार यह प्रमाण विनियमित/सीमांकित कर घोषित है।
3. अवदान कीजना - एडमिनिल ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जो एम पंचायत (यदि, प्रस्ता), जिला-कोटा के प्रमाण अनांक/2019/वर्ति-8/2020 कोटा, दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुवीकृत है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित अवदान - कार्यलय कलेक्टर (यदिज गणना), जिला-कोटा के प्रमाण अनांक 2011/वर्ति-03/11 मी. (कलेक्टर)/म.क. 18/2018 कोटा, दिनांक 01/10/2020 के अनुसार आवधिक प्रमाण से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य वरत अवधानी की संख्या निरवक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित साईजमिक डीज/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (यदिज गणना), जिला-कोटा के प्रमाण अनांक 2012/वर्ति-03/11 मी. (कलेक्टर)/म.क.18/2018 कोटा, दिनांक 01/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्राप्त प्रमाण से 200 मीटर की परिधि में कोई भी साईजमिक डीज जैसे अवधान, म्यून, टून, बॉय, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं प्राप्त अनुपति यदि प्रतिबंधित डीज विनियत नहीं है।
6. सीज डीज का विवरण - सीज की अवधान सुचारु पूर्व के मन्व पर है, जो कार्यलय कलेक्टर (यदिज गणना), जिला-कोटा के प्रमाण 1328/वर्ति-05/11 मी. (कलेक्टर)/म.क.18/2018 कोटा, दिनांक 21/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्षों हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. खालापूर्व संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसदी बल-करीब 0.7 कि.मी., खाला करीब 0.7 कि.मी. एवं अम्बाला डैमवाडी 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। एनीकट खदान से 330 मीटर की दूरी पर खालास्ट्रीम में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की एरिया में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अम्बाला, राष्ट्रीय प्रमुख निकाय क्षेत्र द्वारा घेरित किरिक्ली पेंसुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घेरित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने उल्लिखित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आरेख अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 412 मीटर एवं चौड़ाई - 81 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किन्तु से दूरी न्यूनतम 18 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर अम्बाला नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आरेख अनुसार खान पर रेत की मोटाई - 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमेयित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 30,360 घनमीटर है। रेत प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित स्थल पर माइनिंग में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोकर वहांकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, स्थिति स्थान से प्रस्तावित आसपास प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.85 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु परीक्षण भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
 - i. पूर्व में अतिरिक्त डाम पंचायत आंचल (डाम-करीब) के माध्य से रेत खदान खनन क्रमिक 400, बीकएच 2.03 डीकटेयर, अर्थात्- 28,000 घनमीटर अधिक हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावता निर्देशन अधिकरण, जिला-बोकारो द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
 - ii. एन.ई.आई.ए.ए. पर्यावरण के कारण दिनांक 03/03/2020 द्वारा अतिरिक्त डाम पंचायत आंचल (डाम-करीब) की जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को भी अम्बाला खान पर हस्तान्तरण किया गया है।
 - iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के कारण से को गई अपीलवादी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अम्बाला रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 - iv. अम्बाला अन्वेषण (स्थिति स्थान), जिला-बोकारो के द्वारा दिनांक 4000/अमि-03/सा सी(करीब)/प.अ.19/2018 अर्थात्, दिनांक 25/10/2020 के अनुसार रिपोर्ट एवं डिटेल्ड एरिया संरक्षण का विवरण निम्नानुसार है-

Handwritten signature

Handwritten signature 11/11/2020

| वर्ष | अर्पादन (करोड़ों में) |
|---------|-----------------------|
| 2017-18 | 8,000 |
| 2018-19 | 8,000 |
| 2019-20 | 1,000 |

4. निर्धारित कार्यसूचन पूराकरण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत बालू के लेवलिंग - रेत प्रसंस्करण हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूदा 25 मीटर की दूरी विद्युती या दिनांक 12/10/2020 को रेत बालू के लेवलिंग लेवलिंग Levels लेवल, सभी खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त खानों/खानों संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विवरण में सभी खानों विभागीय विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 18.58 | 2% | 0.38 | Following activities at Nearby Government Primary School Village-Dhapthap | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Plantation | 0.03 |
| | | | Total | 0.40 |

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यसूचन से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. खदान अनुसार खान खान पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 1.5 मीटर अंतर नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खान नहीं किया जा सकता। बाईमिड प्लान में नदी तट के किनारे से खान क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत = अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर होकर उपरोक्त प्रस्तावित किया जाना चाहिए। जब नदी किनारे की अनुसार प्रस्तावित पर्यावरण प्रस्ताव प्रस्तुत की जाए।

2. प्रस्तावित खान क्षेत्र की कार्यात्मक नक्शे एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्रस्तावक एआईएसी, जलसंग्रह के प्रस्ताव दिनांक 18/01/2021 के परिच्छेद में पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 12/02/2021

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. नदीनिर्मित भूखण्ड अनुसार तिन डोंडों में नदी को घाट की चौड़ाई अधिकतम 200 मीटर एवं न्यूनतम 100 मीटर है। उन डोंडों में खदान की नदी तट के किनारे से दूरी लगभग अधिकतम 20 मीटर एवं न्यूनतम 10 मीटर है। अतः तिन नदीनिर्मित क्षेत्र छोड़े जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।
2. खानम खोल पर नदी को घाट की चौड़ाई — अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खानम खोल की चौड़ाई — अधिकतम 414 मीटर, न्यूनतम 210 मीटर एवं चौड़ाई — अधिकतम 62 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।
3. रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत परामर्श के अनुसार प्रस्तावित खोल पर वर्तमान में रेत की उपलब्धता सीमा मीटरों में 1.00 मीटर है। प्रस्तावित खोल से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि प्राकृतिक क्षेत्र में 1.00 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है क्या नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परिवर्तन प्रस्तावक को प्रस्तावित खोल पर वर्तमान में रेत बैंक (sand stock) के कारण अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (संभवता सहित) प्रस्तुत करने वाले हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., उत्तराखण्ड के द्वारा दिनांक 17/02/2021 की तारीख में परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्तावित दिनांक 18/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 29/02/2021

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. रेत उपलब्ध हेतु प्रस्तावित खोल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साराह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित खोल का 2 मीटर (2m) चौड़ाकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, संभवता सहित स्थिति विभाग से उपस्थित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 2 मीटर से अधिक है।
2. रेत उपलब्धता हेतु निम्न की दूरी भराई का कार्य जोरोंर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उपलब्धता की अनुमति मांगी है। अनुसंधित उपलब्धता क्षेत्र में उपलब्ध किए जाने वाले क्षेत्र की वर्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अवलोकन कार्य एवं तालाबों/जोशों का समन्वय नहीं किया गया है। अधिक नदी छोटी नहीं है तथा इनमें जोशोंर में समन्वय 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विचार पररात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

(Handwritten signatures and marks)

1. अधिष्ठित खदान (ग्राम-कसीया) का गहरा 2.02 हेक्टेयर है। खदान की चौड़ाई से 500 मीटर की सीमा में स्वीकृत/अनुमति खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने से खाल पर खदान की-2 बेनी की नहीं गयी।
2. बुसावीया काई — प्राथमिकता से अथवा पर नदी तट पर कुल 1,000 मग पर्यं — 500 मग अर्जुन के पीछे तथा पीछे 500 मग (आमून्, कटर, बोर, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अधिष्ठित खुदरे मार्ग पर 500 मग पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना अन्तर्गत वेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत ग्राह अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि वेत को सुरक्षण (Regulation) कराया सही जासके, वेत काक्षण का नदी, नदीतट, स्थानीय समाधि, पीछे एवं खुल जमीन पर प्रभाव तथा नदी की नदी की गुणवत्ता पर वेत खदान के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीक क्षेत्र की ग्राह का बेसलाईन काटा —
 - i. वेत खान परतत मानसून के पूर्व (पूर्व ग्राह के अधिम समाह / खुल के प्रथम समाह) इसी विड सिन्दुजी में स्थापित लीक क्षेत्र तथा लीक क्षेत्र के अन्तर्गत एवं अन्तर्गत में 100 मीटर तक तथा खान लीक के गहर / नदी तट (पीछे ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतरी Levels का सही पूर्व निर्धारित विड सिन्दुजी पर विड जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर / नवम्बर ग्राह में वेत काक्षण प्रथम करने से पूर्व) इसी विड सिन्दुजी पर वेत सतह के सतरी Levels का प्रथम विड जायेगा।
 - iii. वेत सतह के पूर्व निर्धारित विड सिन्दुजी पर वेत सतह के सतरी Levels का प्रथम का सतरी आगामी 3 वर्ष तक निरंतर विड जायेगा। फेब्रु-मानसून के आखिरी दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं मई-मानसून के आखिरी अन्त 2021, 2022, 2023 तक अधिष्ठित रूप से एम्बई-आई.ए.ए. कसीया की अन्त विड जायेगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श अन्तर्गत सर्वसम्मति से की अन्त सुझाव पूर्व, अन्तर्गत सतह काई, खाल अन्तर्गत 400, ग्राम-कसीया, तटतील-कसीया, जिला-बोरवा, कुल लीक क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में, वेत काक्षण अधिष्ठित 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हुए, कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत काक्षण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, आठे दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विड जाने की अनुमति की गई। वेत की सुदाई समिति द्वारा (Monthly) की जायेगी। विड वेत (Water level) में सतरी गहरो आ प्रथम अधिष्ठित रहेगा। लीक क्षेत्र में विड वेत सुदाई सतरी (Excavation pit) से अधिम काई तक वेत का अधिष्ठित हेक्टर टूटने द्वारा विड जायेगा।

अधिष्ठित ग्राह क्षेत्र में विचार — अन्तर्गत प्रकरण पर अधिष्ठित की दिनांक 02/08/2021 की संख्या 150वीं वेतक में विचार किया गया। अधिष्ठित ग्राह नदी का अधिष्ठित विड गया। विचार विमर्श अन्तर्गत अधिष्ठित ग्राह सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की अधिम करने हुए की अन्त सुझाव पूर्व, अन्तर्गत सतह काई, खाल अन्तर्गत 400, ग्राम-कसीया, तटतील-कसीया, जिला-बोरवा, कुल लीक क्षेत्रफल 2.02 हेक्टेयर क्षेत्र में, वेत काक्षण अधिष्ठित 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखी हुए, कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत काक्षण हेतु पर्यावरणीय

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

सुनिश्चित, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय सुनिश्चिता जारी किया जाए।

28. मेराली की अधिभूत खण्ड (एल-1, नक्सा संख्या आई-1), घाट-नगला, गहरील-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर (सबिवालक का मकली क्रमांक 1520)

ऑनलाईन आवेदन - आवेदन नम्बर - एलआईए / सीडी / एलआईएन / 15204/2021, दिनांक 18/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीक खनिज) है। यह खदान घाट-नगला, गहरील-प्रेमनगर, जिला-सुरजपुर स्थित खाना क्रमांक 728 एवं 1183, कुल क्षेत्रफल - 4.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावक अटॉम नदी से खिया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रारम्भिक क्षमता - 85,120 मन्थेतर प्रतिवर्ष है।

शर्तों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 27/01/2021-

समिति द्वारा प्रकरण की शर्तों एवं अनुत जानकारी का परीक्षण तथा वास्तविक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यलय जलकटाव (खनिज लम्बाई) द्वारा खाना खदान की 200 मीटर की परिधि में भट्टिन, मसूदा, अन्नपाल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने कथना न होने संबंध जानकारी की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी की घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत प्रारम्भ हेतु प्रस्तावित खाना एवं प्रस्तावित खदान की अथम्टीम तथा आथमस्टीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का डिग बनाकर, अन्ततम में रेत सतह की लेवलस (Levels) लेकन डिग गैर में इवर्शिल कर प्रस्तुत किये जाये। इसकी अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (सीडी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के गार्ड (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में कास्टल, जो-अडिमेन्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। डिग गैर में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी इन्डिकर, जम्मे खनिज विभाग से इन्वॉकलन कन्सा फोटीग्रान्क सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाये।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर वा नदी की घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) बची जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की कुल क्षेत्र में संरक्षण किया जाना संभव न हो तो बरखी सभना कर, बाकी पर इन्डिकर, इसका जलस्रोत मर्यादित नगण में अधिभूत खान से कतका जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर, अन्ततम पर प्रस्तावित किया जाए।

5. प्रस्तावित खान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति नली की दूरी बचाव जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान की अथमस्टीम से न्यूनतम 500 मीटर तथा आथमस्टीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा खाना क्रमांक

है। यदि जीव क्षेत्र उपरीक्षणानुसार पूर्ण की जाकर किया जाये, तो उपरोक्त अभाव का खतम हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की अवधारणानुसार नवीन पर विहित कर, जलका पीके पर सीमांकन तथा नईगिन प्लान में इस कक्षा प्रस्तुत किया जाये।

6. रेल वाहनम हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की प्लेटफॉर्म जमाने की लिए प्रति इन्स्टेंशन में कम से कम एक गड्ढा (मि.) चौड़ाईन तककी जलविक्र मजराई का मसल कर, अनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की जलविक्र मजराई हेतु पध्दात की प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खतम हेतु राज्ज स्तर पर्यवेक्षण समसदात निर्माण प्रविकल्प (एच.ई.आई.ए.ए.), अलीकालक अमरा जिला राष्ट्रीय पर्यवेक्षण समसदात निर्माण प्रविकल्प (सी.ई.आई.ए.ए.), अलीकालक द्वारा पर्यवेक्षणकी स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यवेक्षणकी स्वीकृति की प्रति पूर्व आवेदितकारी को खतम में की गई आवेदकारी की जानकारी कोटीप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुसवेक्षण की अवधान किरति की जानकारी कोटीप्राप्त सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खतम पूर्व में प्रस्तावित है, तो विगत वर्ष में किए गए उपखनन की प्रस्तावित मात्रा की जानकारी अनिज विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्व विभाग को सल प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निर्देशक एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को खतम में रेल की लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) की साथ उपरोक्त समसदात सुसंगत जानकारी / प्रस्तावित (अवधान कोटीप्राप्त) सहित अनुसूचीकरण डि.ई. जारी हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निर्देशक एवं पर्यवेक्षण प्रस्तावक को एच.ई.आई.ए.ए., अलीकालक को खतम दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 369वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

अनुसूचीकरण हेतु की राज्ज सुनार सिंह, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवीन, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न किरति गई गई-

1. खतम पर्यवेक्षण का अवधारणित अमान पत्र - रेल वाहनम के संघ में खतम पर्यवेक्षण मसदा का दिनांक 24/08/2019 का अवधारणित अमान पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीमाकित - खतम पर्यवेक्षण कलेक्टर, अनिज राज्ज से खतम अमान एक अनुसूचन पत्र खतम विन्दाकित/सीमाकित कर खेचित है।
3. उपखनन स्वीकृता - नईगिन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिवृत्त, जिला-कोरिया के खतम सूचनांक 05/खनि./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/01/2021 द्वारा अनुसूचित है।
4. 500 मीटर की किरति में स्थित खतम - खतम पर्यवेक्षण (अनिज राज्ज), जिला-सुनारपुर के खतम अमान 06/खनि./ग.अ.14/2021 सुनारपुर दिनांक 08/01/2021 के अनुसूचन आवेदित खतम से 500 मीटर की मीटर अवधिगत अमान रेल खतम की संघदा निक है।

5. 200 मीटर की गतिविधि में विगत सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कर्नाटक कलेक्टर (जनित बाबा), जिला-सुल्तपुर के आदेश क्रमांक 200/सवि./न.क. 14/2021 सुल्तपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त आदेश की 200 मीटर की गतिविधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, पुलीकट, मंदिर, मस्जिद, मास्टर एंड जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. एल.ओ.आई. का निवरण - एल.ओ.आई. की अवधिक सड़क के नाम पर है, जो कर्नाटक कलेक्टर (जनित बाबा), जिला-सुल्तपुर के आदेश क्रमांक 1081/पी.एच.रे./सि.सी./न.क.14/2020 सुल्तपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 महीने के लिए है।
7. डिस्ट्रीक्ट सार्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सार्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र - कर्नाटक वनमन्त्रालय/सुल्तपुर वनमन्त्रालय, जिला-सुल्तपुर के आदेश क्रमांक/सवि./2020 सुल्तपुर, दिनांक 08/12/2019 से जारी अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महानगरीय आवागमन की दूरी - निकटतम आवादी घास-खस 2 कि.मी., सड़क घास-खस 1 कि.मी. एवं अस्वाभाविक रूप से 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 कि.मी. दूर है। पुल आदेश की 204 मीटर की दूरी पर अरुणस्ट्रीम में एवं एनीकट आदेश की 207 मीटर की दूरी पर अरुणस्ट्रीम में स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिषद/प्रशासन द्वारा 10 कि.मी. की गतिविधि में आवासीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रकृत्य निरक्षण क्षेत्र द्वारा घोषित जिले/राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होगा घोषित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई - अधिकतम 1000 मीटर, न्यूनतम 1007 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट की किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर जहां नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होगा यदि।
12. खदान स्थल पर रेत की गोटाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की गोटाई - 3 मीटर तथा रेत खदान की अनामतित गोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित सार्वजनिक खदान अनुसार खदान में सार्वजनिक रेत की मात्रा - 83,720 घनमीटर है। रेत खदान से अनुमोदित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खदान की गोटाई खानने से किए अनामतित खदान पर 6 महीने (6M) खदान पर सार्वजनिक गोटाई का खदान कर अधिनियम के प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध क्षमता गोटाई 2.37 मीटर है। रेत की अनामतित गोटाई हेतु संयोजना भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्युति संबंधी निवरण - इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय लीक्युति जारी नहीं की गई है।

14. खदान क्षेत्र में रेत संचयन के लक्ष्य — रेत संचयन हेतु प्रस्तावित 1000 एवं प्रस्तावित खदान के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर की चिंज सिंथुओं का विन्धक 30/01/2021 को रेत संचयन के लक्ष्य लेवेल (Levelling) लेकर, सभी खनिज सिंथुओं के प्रशासीकरण उपखंड पर्यटन/खनिज सड़ित जलकारी/प्रशासीक प्रस्तुत किए गये हैं।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के संज्ञक विभाग से सभी खदान सिंथु-नुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 21.8 | 2% | 0.63 | Following activities at Nearta Government Primary School, Village- Namra | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.30 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation with fencing | 0.13 |
| Total | | | 0.63 | |

16. रेत सड़निय क्षेत्र —

1. नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर है, जबकि खदान की सड़ो तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नये रिसा सिमेंटों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक से क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। सड़निय खान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होखन आवश्यक किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 21800 वर्गमीटर रेत सड़निय क्षेत्र रखा गया है।

2. कुल खदान में 254 मीटर की दूरी पर खानस्ट्रीम में एक एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर खानस्ट्रीम में स्थित है। नये ग्राइडलाईन अनुसार कुल खानस्ट्रीम में एक एनीकट खानस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान में कुल की दूरी कम से कम 250 मीटर एवं एनीकट की दूरी कम से कम 300 मीटर होना आवश्यक है। अब कुल की दूरी के खदान से 80 मीटर एवं एनीकट की दूरी से खदान से 250 मीटर चौड़ाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। समस्तखाननुसार सड़निय खान अनुसार 12750 वर्गमीटर रेत सड़निय क्षेत्र रखा गया है।

3. पर्याप्तानुसार सड़निय खान में कुल रेत सड़निय क्षेत्र 18,240 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अब रेत संचयन का सभी खदान के अंतर्गत 1288 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. समिति को ज्ञात है कि खदान क्षेत्र की न्यूनतम लंबाई 1077 मीटर है। कुल एवं एनीकट की तरफ से खदान से 338 मीटर कम गिरे जाने पर न्यूनतम लंबाई 739 मीटर होता है। खदान की नदी छट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। जिसमें 3 मीटर दूरी का क्षेत्र अधिक है। अतः नदी छट के किनारे से खदान क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 112 माईनिंग क्षेत्र की गई गणना से अधिक होगा। इस प्रकार प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 112 माईनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अतः कार्यात्मक 112 माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुए संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा वर्तमान कार्यसम्पत्ति को निर्दिष्ट किया गया था कि परिवेक्षण प्रसाधक की उपस्थिति विवरण अनुसार 112 माईनिंग क्षेत्र की गणना करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सदस्यमान एनईएसी, झरखण्ड की 364वीं बैठक दिनांक 21/03/2021 को परिषद में परिवेक्षण प्रसाधक द्वारा जानकारी / कार्यात्मक दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिध्ति आई गई-

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, विद्या-कोरिया के ज्ञान पुस्तक सं 468/खनिज/2021 कोरिया देवुलपुर, दिनांक 08/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. 112 माईनिंग क्षेत्र -

A. नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है, जबकि खदान की नदी छट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम 3 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी छट से न्यूनतम 7.8 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान को अनुसार नदी छट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर गणना किया जाना कार्यात्मक है, जिसमें 4252 वर्गमीटर 112 माईनिंग क्षेत्र रहा गया है।

B. कुल खदान से 338 मीटर की दूरी पर कार्बनस्टीम में एवं एनीकट खदान से 207 मीटर की दूरी पर कार्बनस्टीम में स्थित है। नये माइक्रोवाइड अनुसार कुल कार्बनस्टीम में एवं एनीकट कार्बनस्टीम में स्थित होने के कारण खदान से कुल की दूरी कम से कम 250 मीटर एवं एनीकट की दूरी कम से कम 300 मीटर होना आवश्यक है। अतः कुल की तरफ से खदान से 48 मीटर एवं एनीकट की तरफ से खदान से 250 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए अधिसूचित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान अनुसार 18,888 वर्गमीटर 112 माईनिंग क्षेत्र रहा गया है।

C. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल 112 माईनिंग क्षेत्र 18,888 वर्गमीटर अधिसूचित किया गया है। अतः इस गणना का कार्य खदान से उपरोक्त 2.58 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना कार्यात्मक है।

3. रेत उत्खनन नियुक्त विधि से एवं मर्राई का कार्य सीधे द्वारा किया जाना प्रत्याक्षित है।
4. परिशोधन प्रयोगक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्पूरण संकोटी उत्खनन कार्य एवं उत्खननी आंकड़ों का सम्बन्ध नही किया गया है। अंटेम गरी छोटी नहीं है एवं इसमें वर्षाकाल में सम्भवतः 3 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्पूरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (घान-मर्रा) का लम्बा 4.28 हेक्टेयर है। खदान की चौड़ाई 600 मीटर की स्थिति में स्वीकृत/संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने से कारण यह खदान की-2 श्रेणी की गयी गयी।
2. कुशासीयन कार्य - उत्खननक से खदान पर गयी लट पर कुल 2,600 मम पीछे - 1,250 मम अर्द्धन की पीछे तथा रेत 1,250 मम (जामुन, कनक, बाल, जाम अर्द्ध) पीछे अर्द्ध आवेनी। इसके अतिरिक्त खडुन कार्य पर 150 मम पीछे अर्द्ध आवेनी।
3. परिशोधन प्रयोगक रेत खदान क्षेत्र में आवेनी 1.5 वर्ष में विस्तृत मात्र उत्खनन (Detailed Study) करवेगा, ताकि रेत के पुनर्पूरण (Replenishment) कार्य सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघति, जीव एवं खडुन जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्पूरण पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाईन सतह -
 - i. रेत खनन उपरोक्त मानसून से पूर्व (पूर्व सतह के अंतिम सतह/खडुन से पहले सतह) इसी छिद्र बिन्दुओं में मर्रायित जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अपेक्षीय एवं उपरोक्षीय में 100 मीटर तक ऊपर खनन जीव क्षेत्र / गरी लट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गरी सतह के छायी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 - ii. इसी प्रस्ताव मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर सतह में रेत उत्खनन कार्य करने से पूर्व) इसी छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का खनन किया जाएगा।
 - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित छिद्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के खनन का कार्य आवेनी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीछे-मानसून के आवेनी दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं घी-मानसून के आवेनी अन्तमा 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.एन., पार्लियामेंट की प्रस्तुत किए जावेगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भति से की अंतिम सतह, एम-1, मर्रा सतह मर्राई, सतह अंतिम 728 एवं 1182, घान-मर्रा, तटस्थ-प्रभाव, जिवा-सुखपुर, कुल जीव क्षेत्रफल 4.28 हेक्टेयर में से रेत मर्रायित क्षेत्र 18,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.26 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित करते हुए कुल 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय संवेदन, जारो विचारक से 10 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की सतह अनिवार्य रूप से (Manually) की जायेगी।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

रिटर बैंक (Ritner Bank) में जारी बचतों का प्रवेश प्रतिक्रिया रहेगा। लीज बैंक में किया गेज सुधारों परदे (Exchangeable pool) से लीजिंग ब्याईट तक गेज का परिचयन ट्रेडर ट्रेडिंग द्वारा किया जाएगा।

8. गेज नार्डिंग बैंक एवं अवशेष नार्डिंग बैंक का बीडी पर खनिज विभाग से सहायता लेने के लक्ष्य ही खनिज विभाग द्वारा परामर्शन की अनुमति दी जाती।

प्रतिकल्प द्वारा बैंक में विचार - अवशेष प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 10/08/2021 को संलग्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। विचार किया गया कि प्रतिकल्प द्वारा सर्वसाधुति से समिति की अनुमति को लीजिंग बंधों हुए की अभिलेख साधु एच-1, नसी बैंक साइड, बाराक अर्थात् 728 एच 1188, धाम-नसी, तहसील-डेनगर, जिला-सुरधपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.88 हेक्टर में से गेज नार्डिंग बैंक 18.900 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.88 हेक्टर क्षेत्र में गेज परामर्शन अधिलेख। गेज की महसूरी तक लीजिंग सहायता हुए, कुल 28.800 वर्गमीटर प्रतिवर्ष गेज परामर्शन हेतु सर्वसाधुति स्वीकृति, जारी दिनांक से 22 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक करने का निर्णय लिया गया।

परिधीयता प्रसाधक को सर्वसाधुति स्वीकृति जारी किया जाए।

29. गेजों की अभिलेख साधु (एच-2, नसी बैंक नार्डिंग, धाम-नसी, तहसील-डेनगर, जिला-सुरधपुर (साधुवालय का नसी क्रमांक 1817)

लीजिंग बैंक अवलोकन - परीक्षण नम्बर - एचआईए / गेज / एचआईए / 18301/2021, दिनांक 18/01/2021।

प्रसाधक का विवरण - यह प्रसाधित गेज खदान (गीज खनिज) है। यह खदान धाम-नसी, तहसील-डेनगर, जिला-सुरधपुर जिला बाराक अर्थात् 727, 884 एवं 888, कुल क्षेत्रफल - 4.88 हेक्टर में प्रसाधित है। परामर्शन अंश नसी से किया गया प्रसाधित है। खदान की आवेदित परामर्शन अंश - 84.828 वर्गमीटर प्रतिवर्ष है।

गेजों का विवरण -

(अ) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 27/01/2021

समिति द्वारा प्रकल्प की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा परामर्श सर्वसाधुति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रसाधित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा गेजों के धार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. गेज परामर्शन हेतु प्रसाधित खदान एवं प्रसाधित खदान की अवशेषों तक खदानलीन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का पिच बनाकर, खदान में गेज सतह के लेवल (Level) लेख पिच में उपस्थित कर प्रस्तुत किया जाए। इसके अधिलेख खदान लीज के बाहर / गेज लट (गेजों और) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नसी सतह के सतह (Level) का भी सही किया जाए। एक लेवल (Level) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट डीप मार्क (Concrete TBM structure) निर्माता किये जाएं। टेम्पलेट डीप मार्क (TBM) में आयतन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अधिलेख किये जाएं। पिच गेज में

टेम्पलेट वेब पार्क (TWP) को भी दर्शाकर, सभी खनिज विभाग से प्रभावीकरण एवं उपरोक्त खोटीकरण सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. सर्वोच्च से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर या गूदी की गूदा की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसकी अनुमति खदान के कुछ क्षेत्र में आवश्यक किया जाना संभव न हो तो उसकी मरम्मत कर नहीं पर दर्शाकर, इसका तत्काल मरुमिग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान की अन्त क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन अलाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकलता गूदा, बंध, एनीकट दूध जल आपूर्ति क्षेत्र की दूरी बंधन जानकारी प्रस्तुत की जाए। गूदा / एनीकट की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा अपडस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को उपरोक्तानुसार नहीं पर विनियत कर, इसका सीके पर सीमांकन तथा मरुमिग प्लान में इस बाबत दर्शाया किया जाए।
5. वेब आवश्यक हेतु प्रस्तावित खान का वर्तमान में उपलब्ध वेब की चौड़ाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गूदा (जुड़) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेब की वार्षिक गहराई हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अधिसूचित खान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर सर्वोच्च संघदायक निर्देशन परिचालन (एस.ई.आई.ए.ए.), जलसमग्र अथवा विद्या स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्देशन प्राधिकरण (पी.ई.आई.ए.ए.), जलसमग्र द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित पार्स की मापन में की गई कार्रवाई की जानकारी खोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्गोपन की अद्यतन स्थिति की जानकारी खोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संबंधित है, तो विगत वर्ष में किए गए अखनन की वार्षिक मापन की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर, कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विद्युत प्रसार पूर्व विभाग से साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान में वेब के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन खोटीकरण) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को एस.ई.ए.सी., जलसमग्र से आदेश दिनांक 22/02/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 250वीं बैठक दिनांक 22/02/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु की सबसे सुमन सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मंजूरी, प्रस्तुत जानकारी का अद्योक्षण एवं परीक्षण करने का निम्न निष्पत्ती गई है:-

1. धाम प्रशासन का अनामरित प्रमाण पत्र - इस प्रमाणन के संबंध में धाम प्रशासन जम्मा का दिनांक 24/08/2018 का अनामरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विभाजित/बीनामिका - कार्यलय कलेक्टर, खनिज बांधा में धाम प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विभाजित/बीनामिका कर प्रेषित है।
3. अख्यानन बीधन्य - सर्वेक्षण ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-खनिज के ज्ञानन क्रमांक 42/खनिज/2021 खनिज नैसुखपुर, दिनांक 12/01/2021 धाम अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज बांधा), जिला-सुरजपुर के ज्ञानन क्रमांक 13/खनिज/न.क्र.15/2021 सुरजपुर, दिनांक 08/01/2021 के अनुसार अनामरित खदान से 500 मीटर से पीछे अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यलय कलेक्टर (खनिज बांधा), जिला-सुरजपुर के ज्ञानन क्रमांक 11/खनिज/न.क्र. 15/2021 सुरजपुर, दिनांक 08/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद एवं अन्य आयुर्विधि अदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.डी.आई. का विवरण - एल.डी.आई. की अधिकतम गहराई के नाम पर है, जो कार्यलय कलेक्टर (खनिज बांधा), जिला-सुरजपुर के ज्ञानन क्रमांक 1091/पी. एच.ए./दि.जी./न.क्र.15/2020 सुरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनामरित प्रमाण पत्र - कार्यलय उपमन्त्रालय/अधीनस्थ, सुरजपुर उपमन्त्रालय, सुरजपुर के ज्ञानन क्रमांक/न.दि./4882 सुरजपुर, दिनांक 06/12/2018 की जारी अनामरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महात्मापूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय धाम-गण्ड 1 कि.मी., स्थूल धाम-गण्ड 1 कि.मी. एवं अनामरित प्रमाणन 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 211 मीटर की दूरी पर अवस्थित में स्थित है। अनामरित का खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट किया नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/पैरासिथिया संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना अनामरित द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अनामरित, क्षेत्रीय प्रमुख निबंधन क्षेत्र द्वारा घोषित जिले/राज्य पैरिस्ट्रीट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित पैरासिथिया क्षेत्र स्थित नहीं होने अतिरिक्त किया है।
11. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - कार्यलय अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 166 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर तथा खानन स्थल की लंबाई - अधिकतम 822 मीटर, न्यूनतम 805 मीटर एवं चौड़ाई - अधिकतम 72 मीटर, न्यूनतम 43 मीटर

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

दर्जाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से पूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम पूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

10. खदान स्थल पर रेत की गोटाई – अनेकान अनुसार स्थल पर रेत की गोटाई – 3 मीटर अथवा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्जाई गई है। अनुसंधित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा – 84,828 टन/दिनांक है। रेत खननन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साह की गोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड़दे (Pits) खोजकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, अनियत विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औरत गोटाई 3.28 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु परचयमा भी प्रस्तुत किया गया है।
11. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
12. खदान क्षेत्र में रेत खनन के संकेत – रेत खननन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की पूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न सिन्दुरों पर दिनांक 28/01/2024 को रेत साह के वर्तमान लेवल (Levels) लेवन, उन्हें अनियत विभाग से प्रस्तावीकरण उपरोक्त फोटोडॉकमेंट सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गये है।
13. कौन्सिल पर्यावरणीय कक्षा (C.E.N.) – परिसीकरण प्रस्तावक द्वारा कर्मिटी के संसा विचार से कई प्रस्ताव सिन्दुरावर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 31 | 2% | 0.62 | Following activities at Nearby Government Middle School, Village-Nanna | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.30 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Plantation with fencing | 0.12 |
| Total | | | 0.62 | |

14. नदी माइनिंग क्षेत्र –

1. नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 120 मीटर, न्यूनतम 112 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से पूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नदी किना निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत पूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की पूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होकर

Handwritten signature

प्राथम्यता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 127 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. कुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नदी गाइडलाइन अनुसार कुल अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से कुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अब कुल की लम्बाई से खदान से 188 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खान की लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माइनिंग प्लान अनुसार 2,388 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माइनिंग प्लान में कुल गैर माइनिंग क्षेत्र 2,488 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अब यह प्राथम्यता का कार्य खदान की अवरोध 4,231 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. समिति के संकलन में यह तथा जाया कि खदान क्षेत्र की न्यूनतम चौड़ाई 43 मीटर है। कुल की लम्बाई से खदान से 188 मीटर छोड़े जाने पर कम से कम 8,127 वर्गमीटर क्षेत्र होता है। जबकि प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 2,388 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार प्रस्तुत माइनिंग प्लान में गैर माइनिंग क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। अब वार्षिक गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना करती हुई संबंधित माइनिंग प्लान संशुद्ध किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सलाहकार सर्वेक्षणकर्ता से निर्देश दिया गया था कि परिशिष्टकृत प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना करती हुई संबंधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने वाले हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., छापीलमड की 364वीं बैठक दिनांक 27/03/2021 को परिधि में परिशिष्टकृत प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25/03/2021 को जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

समिति द्वारा नतीजे प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का दिनांक स्थिति यह गई—

1. संबंधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो स्थिति अधिकारी, जिला-संविदा के उत्तर पृष्ठसंकेत 488/स्थिति/2021 संविदा बैंगलूरपुर, दिनांक 08/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. गैर माइनिंग क्षेत्र —

i. नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 188 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 27 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 2.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान को अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत अधिकतर प्राथम्यता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 127 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. कुल खदान से 311 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नदी गाइडलाइन अनुसार कुल अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से कुल की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अब कुल की लम्बाई से खदान से 188 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खान की लिए प्रतिबंधित

25/03/2021

किया गया है। उपरोक्तानुसार साइनिंग प्लान अनुसार 0.487 वर्गमीटर गैर साइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

क. उपरोक्तानुसार साइनिंग प्लान में कुल गैर साइनिंग क्षेत्र 0.014 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। जब कि उत्खनन का कार्य खदान के अंदर 4.018 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

3. रेत उत्खनन वैशुद्धता विधि के पूर्व कराई का कार्य जोखर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परिसीजन प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन खोजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की दक्षिण रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकसदी आंकड़ों का समीक्षा नहीं किया गया है। अंतिम नदी छोटी नदी है तथा इसने वर्षाकाल में अलग-अलग 1 मीटर गहराई में अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. अंतिम खदान (ग्राम-गमना) का रकबा 4.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में कृषि/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का रहना कम होने से कारण यह खदान सी-3 नहीं हो पायेगी।

2. नुसारोक्त कार्य - इसमिलता से खदान का नदी तट पर कुल 2,500 मग पीछे - 1,250 मग अर्द्धन के पीछे तथा बीच 1,250 मग (जामुन, बजोर, बाल, जाम अदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त गहूम मार्ग पर 750 मग पीछे लगाए जायेंगे।

3. परिसीजन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में अपनायी 1.5 वर्ष में विस्तृत गैर अध्ययन (Site/Action Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) काया सही आंकड़े, रेत उत्खनन का गती, गतीकाल, स्थानीय जनसति, जीव एवं कुल जीवों पर क्याय तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के क्याय की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. सीज क्षेत्र की सतह का रेकॉर्डिंग आटा -

i. रेत खानम खनना गमसुन के पूर्व (गई गड के अंतिम सतह/प्लेन के क्याय सतह) इसी विज बिन्दुओं में साइनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के अगस्ट्रीम एवं डालनस्ट्रीम में 300 मीटर तक तथा खनन सीज के बाहर / गती तट (दीपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में गती सतह के सतह (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विज बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार गमसुन के बाहर (अगस्ट्रीम/गडनन गड में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विज बिन्दुओं पर रेत सतह की सीवलस (Levels) का क्याय किया जायेगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विज बिन्दुओं पर रेत सतह की सीवलस (Levels) का क्याय का कार्य अपनायी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पीछे-गमसुन के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं डी-गमसुन के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से की अतिरिक्त सधु एस-3, गमना गैर साइनिंग, खनना अर्थात 727, 684 एवं 685, ग्राम-गमना

तहसील-डेमनगर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.38 हेक्टेयर में से गैर माइनिंग क्षेत्र 2.84 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 4.018 हेक्टेयर क्षेत्र में, जैत प्रस्तावना अधिकांश 3 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष जैत प्राप्तन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। जैत की खुदाई समिती द्वारा (Monthly) की जाएगी। गिर बेड (Gir Bed) में गरी गडारी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित जैत खुदाई गडारी (Excavation pond) में सेकित गडारी तक जैत का परिवहन ट्रेलर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

8. गैर माइनिंग क्षेत्र एवं अज्ञात माइनिंग क्षेत्र का सीमा एवं खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करने की अवयंत ही खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावना की अनुमति की जाएगी।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - प्रस्तावना प्रस्तावना पर प्रतिक्रिया की दिनांक 13/08/2021 को संयुक्त बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा गरी का अधीकरण किया गया। विचार निर्णय उपरान्त प्रतिक्रिया द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की स्वीकृति करने हेतु की अनिवार्य जाहू एच-2, नमन क्षेत्र माईन, खाना अंशक 127, 884 एवं 388, खान-नमन, तहसील-डेमनगर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.38 हेक्टेयर में से गैर माइनिंग क्षेत्र 2.84 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने 4.018 हेक्टेयर क्षेत्र में, जैत प्रस्तावना अधिकांश 3 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष जैत प्राप्तन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परिचालना प्रस्तावना की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

48. बेलर की कोसालेन्द्र गुप्ता (एच-1, धनेसपुर क्षेत्र माईन), खान-धनेसपुर, तहसील-रामानुजपुर, जिला-सुरजपुर (सविधान का गरी क्रमांक 1822)

जीवजाईन आवेदन - प्रस्तावना नंबर - एचआईए / सीसी / एचआईएन / 180202 / 2021, दिनांक 15/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित जैत खदान (गैर खनिज) है। यह खदान खान-धनेसपुर, तहसील-रामानुजपुर, जिला-सुरजपुर स्थित खदान अंशक 48 एवं 1414, कुल क्षेत्रफल - 4.38 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावना गरी गरी की विचार जैत प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्राप्तन क्षमता - 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 27/01/2021

समिति द्वारा खदान की गरी एवं प्रस्तावना जानकारी का परीक्षण तथा उत्तमम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा गरी की गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जैत प्राप्तन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का रिक्त अंतर, प्रतिवर्ष में जैत प्राप्तन 3,00,000 लीटर दिनांक में प्रस्तावित कर

प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खान लीड के बाहर / गरी माट (गोरी जोर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी माहा के बायी (Levelling) का भी कार्य किया जाये। तथा लेवलिंग (Levelling) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जायें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आरटन, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विद्य मेष से टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर कार्य खनिज विभाग से प्रमाणीकरण प्राप्त होटीबाबत सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. नदीका से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पार की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में रखना संभव न हो तो उसकी रचना कर, मुझे पर दर्शाकर, इसका बल्लेख माईनिंग प्लान में अंकित कर से कराया जाये। खदान के खान क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, खान पर प्रारंभ किया जाय।
4. प्रस्तावित खान से निम्नलिखित पूरा, बांध, एरीकट एवं खान आवृत्ति सीमा की दूरी बांध जानकारी प्रस्तुत की जाय। पूरा / एरीकट की दूरी खदान से अपरटोन में न्यूनतम 500 मीटर तथा आवृत्ति में न्यूनतम 200 मीटर रखना आवश्यक है। यदि खान क्षेत्र आवृत्तिसुद्धा दूरी के अंदर किया हो, तो आवृत्ति खदान पर खान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवृत्तिसुद्धा नदी पर विहित कर, उसका सीके पर सीमांकन कर माईनिंग प्लान में इस बांध परलेख किया जाय।
5. रेत रखना हेतु प्रस्तावित खान पर खान में परलेख रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (कुच) खोदकर उसकी वार्षिक गड्ढा का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाय। रेत की वार्षिक गड्ढा हेतु प्रस्ताव की प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्ण में आवृत्ति खान पर खान हेतु खान पर परलेख परलेख निर्धारण प्रमाणित (एन.ई.आई.ए.ए.), अतीतगड्ढा खान किता सार्विक परलेख परलेख निर्धारण प्रमाणित (सी.ई.आई.ए.ए.), अतीतगड्ढा खान परलेख परलेख सी.ई.टी.टी. गई हो, तो पूर्ण में जारी परलेख परलेख की प्रति एवं अतिरिक्त सार्विक के खान में की गई परलेखों को जानकारी होटीबाबत सहित प्रस्तुत की जाय। साथ ही खान परलेख की खान निर्माण की जानकारी होटीबाबत सहित प्रस्तुत की जाय।
7. यदि खदान पूर्ण से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए रखना की वार्षिक खान की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाय।
8. सी.ई.आई. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रमाण पूर्ण विभाग से प्राप्त प्रस्तुत किया जाय।
9. खनि निर्धारण एवं परलेख परलेख को खदान में रेत के लेवलिंग (Levelling) सेने वाले सार्विक (Benchmarks) की साथ आवृत्ति परलेख परलेख जानकारी / परलेख (खदान होटीबाबत) सहित प्रमाणित किये जाने हेतु निर्धारित किया जाय।

खानुसार खनि निर्धारण एवं परलेख परलेख को एन.ई.आई.सी., अतीतगड्ढा के खान विभाग 23/02/2021 द्वारा प्रमाणित हेतु सुचित किया गया।

(ब) खनिज की 35000 बीटक दिनांक 23/02/2021

घटाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर ऊपर नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर घटाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा – 60,802 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 मीटर इन्फो, खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से अनुरोधित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.31 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण – इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के संकलन – रेत उत्खनन हेतु अनाधिकृत स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 38 मीटर गुना 28 मीटर के सिद्ध बिन्दुओं पर दिनांक 28/01/2021 को रेत सतह के खनन लेवेल (Levels) लेकर, सभी खनिज विभाग से पर्यावरणीय उपायों को लागू करवाया जाकर जानकारी/अनाधिकृत प्रस्तुत किया गया है।
14. बॉटॉमेट पर्यावरणीय जांचिका (C.E.A.) – परियोजना अंतिमक द्वारा लभित की सतह विवरण से चर्चा उपरोक्त विमानानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 28.7 | 2% | 0.78 | Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Umastpur | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.50 |
| | | | Running water facility for Toilets | 0.30 |
| | | | Total | 0.80 |

15. रेत माईनिंग क्षेत्र – नदी के तट की चौड़ाई अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 82 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर ऊपर नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत खोदकर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4,399 घनमीटर रेत माईनिंग क्षेत्र राखा गया है। इस रेत उत्खनन का कार्य खदान के आसपास 4.58 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

12. समिति की संज्ञान में यह तथा ज्ञाया कि खदान क्षेत्र की अधिकतम 1435 मीटर, न्यूनतम 1400 मीटर है। खदान की गठी छट की किलारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। जहां गठी छट की किलारे से खनन क्षेत्र की दूरी गठी की छट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़े जाने पर खनन में प्रस्तुत मर्यादित खान में गैर मर्यादित क्षेत्र की, की गई गणना से अधिक होना। इस प्रकार प्रस्तुत मर्यादित खान में गैर मर्यादित क्षेत्र हेतु की गई गणना में त्रुटि है। जहां कार्यात्मक गैर मर्यादित क्षेत्र की गणना कलौ हुये संशोधित मर्यादित खान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा संकल्पित सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधन प्रस्तावक को उपरोक्त विवरण अनुसार गैर मर्यादित क्षेत्र की गणना (कम से कम 8 संज्ञान में विनियमित कर) कलौ हुये संशोधित अनुशोधित मर्यादित खान प्रस्तुत किने जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

संज्ञानुसार एम.ई.ए.सी., अलीशहाद की 30वीं बैठक दिनांक 27/02/2021 में परिशोधन में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/08/2021 की जानकारी/संशोधित प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 30वीं बैठक दिनांक 26/08/2021:

समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. संशोधित अनुशोधित मर्यादित खान प्रस्तुत किया गया है, जो समिति अधिकारी, जिला-अरिया के ज्ञान संशोधक 587/समिति/2021 अरिया बैकुण्ठपुर दिनांक 26/08/2021 द्वारा अनुशोधित है।
2. गठी की छट की चौड़ाई अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 62 मीटर है, जबकि खदान की गठी छट की किलारे से दूरी अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है। यद्ये दिशा निर्देशों के अनुसार गठी छट की न्यूनतम 7.5 मीटर ज्ञाया गठी की छट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक की क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। मर्यादित खान के अनुसार गठी छट की किलारे से खनन क्षेत्र की दूरी गठी की छट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2,940 वर्गमीटर गैर मर्यादित क्षेत्र रहा गया है। जहां गैर प्रस्तुत का कार्य खदान की क्षमता 4,380 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
3. गैर प्रस्तुत में प्रस्तुत स्थिति से एवं भरवाई का कार्य जोड़कर द्वारा कलौया जाना प्रस्तावित है।
4. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक संकल्पित की अनुशोधित जारी है। अनुशोधित प्रस्तुत योजना में प्रस्तुत किन् प्राने कलौ क्षेत्र की कार्यात्मक गैर प्रस्तुत संशोधित प्रस्तावक कार्य एवं कार्यात्मक प्रस्तावों का संशोधित नहीं किया गया है। गठी की गठी छोटी गठी है तथा इसमें अधिकतम में प्रस्तुत 1 मीटर गहराई से अधिक गैर का प्रस्तुत होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किर्वा उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अनुशोधित खान (जान-अरियापुर) का नकल 4,380 हेक्टेयर है। खदान की गठी की 600 मीटर की परिधि में संशोधित/संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर का कलौ कम होने से खनन यह खदान की-3 क्षेत्रों की गठी गठी।

2. **सुसंरक्षण कार्य** - प्रकृतिका की जमात पर नदी तट पर कुल 2,600 मग पीर - 1,200 मग जलोढ़ की पीर तथा बीच 1,200 मग (जामुन, बराल, बरि, सग आदि) पीर लगाए जावेंगे। इसके अतिरिक्त पट्टन कार्य पर 200 मग पीर लगाए जावेंगे।
3. परिशीलन प्रस्तावक सेत खदान क्षेत्र में जमायी 1.5 वर्ष में विस्तृत एवं व्यवस्थित (Detailed Study) करावेगा, ताकि सेत की पुनर्गठन (Rehabilitation) संबंधी सभी आंकड़े, सेत उपकरण का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी की घाटी की सुव्यवस्था पर सेत उपकरण की प्रभाव की गहरी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **सीज क्षेत्र की सतह का रेसलाईन डाटा -**
 1. सेत खदान उपरोक्त मानचित्र की पूर्ण (पूर्व) सतह के अंतिम सतह/जुम की प्रथम मानचित्र। इसी दिग् बिन्दुओं में सर्वोच्च सीज क्षेत्र तथा नदी क्षेत्र की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खान क्षेत्र की सतह / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्ण निश्चित दिग् बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 2. इसी प्रकार मानचित्र की बाएं (अपस्ट्रीम/नज्बर) सतह में सेत उपकरण प्रारंभ करने के पूर्व इसी दिग् बिन्दुओं पर सेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
 3. सेत सतह की पूर्ण निश्चित दिग् बिन्दुओं पर सेत सतह की लेवल (Levels) को मापन कर कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। सर्वे-मानचित्र की आंकड़े दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं डी-मानचित्र की आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. कार्यालय की जम्मा किए जावेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श आदेश सर्वोच्चता से की श्रीमतेन्द्र गुप्ता, एन-1, रामेसपुर पोस्ट गाईन, जिला-बलरामपुर 48 एवं 1414, रामेसपुर, तहसील-रामेसपुर, जिला-बलरामपुर, कुल सीज क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर में से नदी नदीन क्षेत्र 1.940 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.500 हेक्टेयर क्षेत्र में सेत उपकरण अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखने हुए कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत उपकरण हेतु पर्याप्तता की सुनिश्चिता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जिसे जाने की अनुमति की गई। सेत की सुरक्षा अधिकांश द्वारा (Manually) की जाएगी। फिर बैंड (Fiber Band) में बांधे जावेंगे का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। सीज क्षेत्र में स्थित सेत सुरक्षा गड्ढे (Excavation Area) में लोडिंग बांधें तक सेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
6. नदी नदीन क्षेत्र एवं अपस्ट्रीम नदीन क्षेत्र का नदी पर अतिक्रमण विभाग से जगह सीमांकन करने की उपरोक्त ही सुनिश्चित विभाग द्वारा उपकरण की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिक्रिया द्वारा नदीक में विचार - उपरोक्त उपकरण पर अधिकतम की दिनांक 12/08/2021 की संख्या 10971 नदीक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नदीक का उपकरण किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया द्वारा सर्वोच्चता से समिति की अनुमति की श्रीमतेन्द्र गुप्ता, एन-1, रामेसपुर पोस्ट गाईन, जिला-बलरामपुर 48 एवं 1414, रामेसपुर, तहसील-रामेसपुर, जिला-बलरामपुर, कुल सीज क्षेत्रफल 4.00 हेक्टेयर में से नदी नदीन क्षेत्र 1.940 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 4.500 हेक्टेयर क्षेत्र में, सेत उपकरण अधिकतम 1 मीटर की

महाराष्ट्र राज्य सीमित नगरी हनु, कुल 83,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत जलसन्तन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक जने का निर्णय किया गया।

परिचोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाय।

41. वेसर्त नदीका स्टील पुनः स्वीकृत पुनःपुनरी, धाम-तुमिडीह, ओ.पी. विन्डल इन्फस्ट्रीयल पार्क, तहसील-धरदोडा, जिला-रायगढ़ (अधिसूचना का नसरी क्रमांक 815)

अनुमति आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीसी/ आईएनडी/ 34248/2019, दिनांक 08/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परीक्षण से प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीसी/ आईएनडी/ 34248/ 2019, दिनांक 20/01/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - अधिसूचना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकालावधि की गहरा ओ.पी. विन्डल इन्फस्ट्रीयल पार्क, धाम-तुमिडीह, तहसील-धरदोडा, जिला-रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 188 एवं 188(ए), कुल क्षेत्रफल - 2.78 हेक्टेयर में इन्फस्ट्रीयल पार्क का निर्माण (10 टन गुण 3 नम) (एम.एस. इमारत/मिनेट) क्षमता - 88,400 टन प्रतिवर्ष से इन्फस्ट्रीयल पार्क का निर्माण (12 टन गुण 4 नम) (एम.एस. इमारत/मिनेट) क्षमता - 1,42,880 टन प्रतिवर्ष से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परीक्षण से अज्ञात इमारत की विविधता कार्य 15,08 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकालावधि हेतु अधिसूचना का विविधता कार्य 5.28 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी., धरदोडा के धाम दिनांक 27/07/2019 द्वारा प्रस्ताव को-1 कोटेशन का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2019 में प्रस्तावित सीमाई टर्न ऑफ निवेश (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एस्टीमेटेड रिक्वायर्ड इन्फस्ट्रीयल पार्क नम्बर ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन 2008 में वर्णित सेती 3(ए) का सीमाई टीओआर (ऑफ पुनःपुनरी) मेटासिक्लिक इन्फस्ट्रीयल (रिसर्च एन्ड मैन-फैक्च) हेतु टीओआर जारी किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 33वीं बैठक दिनांक 11/02/2021

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपसमाय कार्यकालावधि से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. जारी टीओआर एवं अधिसूचना टीओआर के प्रस्ताव में की गई कार्यवाही की विन्डुवात जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. टीओआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. अधिसूचना प्रस्तावक को उपरोक्त प्रस्ताव पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन अधिसूचना) के साथ प्रस्तुतकरण दिने जने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार अधिसूचना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., धरदोडा के धाम दिनांक 17/02/2021 द्वारा अनुमति प्रस्तुत हेतु सुविधा किया गया।

(ब) समिति की 28वीं बैठक दिनांक 22/03/2021

2

प्रस्तुतकरण हेतु की सलाह एवं आदेश एवं केसरी एनर्जीज लिमिटेड प्रोपर्टी लिमिटेड की ओर से बीएसटी की आवेदन, परिणत पर्यावरण वैज्ञानिक परीक्षण हेतु। समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का जांचोखाता एवं परीक्षण करने का निम्न विधिति चर्चा हुई:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति -

- पूर्व में राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निर्देशन परिषद (एन.डी.आई.ए.) पर्यावरण के प्रदूषण नियंत्रण दिनांक 08/12/2017 द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया - 09,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी माता कारखाना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के द्वारा दिनांक 14/01/2021 से प्राप्त वन प्रस्तुत की गई है, जिससे अनुमान 2 शर्तों का पालन नहीं किया गया है एवं 2 शर्तों का अतिरिक्त पालन बताया गया है।
- पर्यावरण प्रदाताक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नप्रकार कार्रवाई किया जाना बताया गया:-
 - i. एन.डी.आई.ए. केसरीमेंट रोल का पठन किया गया है।
 - ii. आउट विमिन के द्वारा हेतु अतिरिक्त वॉटर निपटारों की स्थापना की गई है।
 - iii. परिसर के 25.14 प्रतिशत क्षेत्र में 1,000 म² वृक्षारोपण किया गया है, जिससे पुष्टि हेतु कई शर्तों के निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
 - iv. पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। आगामी प्रतिवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा।

2. जल एवं वायु सम्पत्ति -

- पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण मंडल, आउट गगन से प्रमाणपत्र जारी किया गया - 09,400 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति दिनांक 13/11/2018 को जारी की गई है।
- पूर्व में जारी सम्पत्ति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सनीधर्य स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- सनीधर्य आवासीय घाट-सुनिरीत 0.37 कि.मी. एवं सतह सतह 12.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निरंतरता रेलवे स्टेशन सुपेन्सुर 12.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यधर्य 1.8 कि.मी. है। कोसी नदी 7.7 कि.मी. पालन माता 7.8 कि.मी. एवं रेली बॉय 7.87 कि.मी. की दूरी पर है।
- पर्यटन आवासीय वन 8.8 कि.मी. बायोवर्क आवासीय वन 8.1 कि.मी. अतिरिक्त आवासीय वन 8.7 कि.मी. पर्यावरण आवासीय वन 7.3 कि.मी. रेली आवासीय वन

2.5 कि.मी. वायव्य में अवस्थित वन 2.5 कि.मी. एवं दक्षिण में अवस्थित वन 0.7 कि.मी. हैं।

- परिष्कारण प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अवरोधकारी सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, जमशेदपुर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधकारी पोल्युटिव एरिया, परिसिन्थीसीय अवरोधकारी क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निर्धार नहीं होना प्रमाणित किया है।

4. सेम्पल एरिया स्टैटमेंट – कुल क्षेत्रफल 2.75 हेक्टेयर है, जिसमें से कंकड़ी क्षेत्र एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल 0.53 हेक्टेयर, पीक एवं ग्रेव का क्षेत्रफल 0.1 हेक्टेयर, खुदा क्षेत्रफल 1.08 हेक्टेयर तथा कृत्रिम वनस्पति क्षेत्र प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.08 हेक्टेयर (28 प्रतिशत) होगा। प्रस्तावित कार्यकाल में कृत्रिमता भूमि अधिभूति किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

5. सी-मटेरियल (प्रस्तावित कार्यकाल) –

| S. No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Mode of Transport |
|--------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| a) | Sponge iron | 1,32,615 | By Road (through covered trucks) |
| b) | Clipping Iron / Heavy Scrap | 29,224 | By Road (through covered trucks) |
| c) | Ferro Alloys & Aluminium | 1,483 | By Road (through covered trucks) |
| d) | Hammering Mass and Refractory Lining | 209 | By Road (through covered trucks) |

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

| Product | Existing Configuration & Capacity | Configuration & Capacity After Proposed Expansion |
|--------------------|---|--|
| MS Ingots / Billet | 10 T X 2 Nos. Induction Furnace along with CCM (39,400 TPA) | *12 T X 4 Nos. Induction Furnace along with CCM (1,42,560 TPA) |

Note - * Up-gradation of its 10 T X 2 Nos. of induction to 12 T X 4 Nos. induction Furnace

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इस्पातगृह चमेल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कृत्रिमता, सीक वृक्ष के साथ वनस्पति कलेक्टर तथा वेग डिक्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकाल में कृत्रिमता गेट का प्रस्तावित 50 मिलियन/सालान्य चमरीटर से 30 मिलियन/सालान्य चमरीटर तक करने की उद्देश्य से इस्पातगृह चमेल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु गेट्स वनस्पति कलेक्टर सिस्टम की साथ वनस्पति वनस्पति का वेग डिक्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कृत्रिमता वनस्पति नियंत्रण हेतु जल चिमनीय की व्यवस्था है। सभी व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकाल में ही अस्थाई ज़रूरी।

8. ढोल अधिभूति व्यवहार व्यवस्था – प्रस्तावित कार्यकाल में परंपरा इस्पातगृह चमेल में डिसेल्टीय बिलेट – 3,882 टन प्रतिवर्ष, सेम्प – 18,788 टन प्रतिवर्ष एवं सी-कंकड़ी ग्रेव – 105 टन प्रतिवर्ष ढोल अधिभूति के रूप में उत्पन्न होगा। डिसेल्टीय बिलेट की साथ से इस्पातगृह चमेल में सी-मटेरियल के

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

जल में उपयोजित किया जाएगा। समान को मैटल रिफ़्लेक्टिव पुनितन को किया गया जाएगा। पी-बैकग्री जेबल रिफ़्लेक्टिव/सेमि रिफ़्लेक्टिव को उपयोजित किया जाएगा। अंततः में अतिरिक्त जेबल अपरिफ़ेक्ट को उपयोजित करना अनुमति नहीं है।

8. जल प्रवाहन व्यवस्था -

- जल प्रवाह एवं संचालन - अंततः में परिशोधन हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन (परीशु उपयोजित हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोजित हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) जल को संचालित है। प्रस्तावित कार्यकाल के अंततः परिशोधन हेतु कुल 28 घनमीटर प्रतिदिन (परीशु उपयोजित हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोजित हेतु 25 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोजित किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल को आपूर्ति न्यू-जल से की जाती है। जिसके लिए सैन्य प्रशासन वीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है। यही आवश्यक प्रस्तावित कार्यकाल हेतु भी अनुरोध किया है। प्रस्तावित कार्यकाल हेतु आवश्यक जल को आपूर्ति हेतु सैन्य प्रशासन वीटर अथॉरिटी से अनुमति के लिए आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

- जल इट्यूशन निर्धारण व्यवस्था - औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल प्रवाह नहीं होता है। कुलित जल को जल दूषित जल को संचालित कर पुनः कुलित हेतु उपयोजित में आया जाता है। प्रस्तावित कार्यकाल के अंततः उपयोजित व्यवस्था अनुरोध किया है। परेशु दूषित जल को मात्र 2.4 घनमीटर प्रतिदिन है। अंततः में परेशु दूषित जल के अंततः हेतु सेंटिनल टैंक एवं सीक्रेटिड निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल के अंततः परेशु दूषित जल को उपयोजित हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन अंततः का संचालित ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित जल को रिफ़्लेक्टिव/सेमि रिफ़्लेक्टिव में पुनः उपयोजित किया जाएगा। पुनः निष्काशन की स्थिति रही जाएगी।

- न्यू-जल उपयोजित व्यवस्था - परिशोधन सैन्य वीटर प्रशासन वीटर बोर्ड को अनुमति प्राप्त होने में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) पुराने एवं नए संचालित वीटरों को जल से जल 20 प्रतिशत दूषित जल का पुनः उपयोजित एवं पुनः उपयोजित किया जाना है।

(ब) प्रशासन वीटर विचार्य हेतु अनुरोध किया गया सैन्य वीटर अथॉरिटी / अथॉरिटीजिस्ट जल विचार्य के अंततः पर न्यू-जल निष्काशन करने की अनुमति सैन्य प्रशासन वीटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। जल संचालन को सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट अनुरोध किया जाना आवश्यक है।

- सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट व्यवस्था - अंततः में वीटर बोर्ड को सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट 11,000 घनमीटर है। अंततः में सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट व्यवस्था को अंततः में 4 नए विचार्य प्लॉट (जल 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकाल अंततः में अथॉरिटीजिस्ट प्लॉट को अंततः में 4 नए विचार्य प्लॉट (जल 2.5 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 4 नए विचार्य प्लॉट (जल 2.5 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट व्यवस्था अंततः में अथॉरिटीजिस्ट को सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट प्लॉट का संचालन। सैन्य वीटर अथॉरिटीजिस्ट पुनः अंततः में निर्मित किए जाएंगे कि इनके अंततः में वीटर जल का संचालन हो सके।

10. विद्युत आपूर्ति स्वीकृत — परिवहन सेटु कुल 12 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति विदल स्टील पुनर् संशोधन लिमिटेड से की जाएगी। वार्षिक आवश्यक सेटु 600 की.वी.ए. का 1 नम की.जी. सेट स्थापित है।

11. वृषारोपण संबंधी जानकारी — जलान में इतिव पट्टिका के विस्तार सेटु कुल क्षेत्रफल के 0.87 हेक्टेयर (28 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,200 नम कीड़े रोपित किये गये हैं एवं प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के उपरोक्त अधिनियम 0.08 हेक्टेयर क्षेत्र में 124 नम कीड़े रोपित किये जाने प्रस्तावित हैं। इस प्रकार कुल 1,08 हेक्टेयर (28 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,012 नम वृषारोपण होगा।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तारण—

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — परिनियम कार्य 18 मार्च से 13 जून 2018 के कार्य किया गया है। 10 स्थानों के जलान 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर नू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. परिनियम परिणामों के अनुसार पीएम₁₀ 18.3 से 28.8 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पीएम_{2.5} 42.4 से 88.2 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसपी₁₀ 4.7 से 22.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एसपी_{2.5} 14.1 से 30 माईक्रोग्राम/घनमीटर आई गई है। परिवहन सेटु के अलावा जल स्रोतों की गुणवत्ता पर्यावरण मन्त्र के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day Even) 48.1 डीबीए से 61.7 डीबीए एवं रात्रि स्तर (Night Even) 52.8 डीबीए से 37.3 डीबीए पाया गया।

iii. नवी पहाड़ों / नदीएकाल सेवी पहाड़ों को समर्थित करते हुए ट्रेकिंग जलपान सिमेंट प्रस्तुत नहीं की गई है।

iv. अधिनियम पी.ओ.आर. के विन्दु अंशक 8 का मानक प्रतिबंधन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. ऑपरिटेड पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परिवहन सेटुकायक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार के कार्य उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 500 | 1% | 5.0 | Following activities at Nearby | |
| | | | 1. Government Middle School Village-Tumidh | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 1.05 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.25 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.25 |

(Handwritten signature)

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------|
| | | | Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment | 0.05 |
| | | | Total | 3.50 |
| | | | 2. Government Primary School Village-Tumidih | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.65 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.75 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.35 |
| | | | Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment | 0.05 |
| | | | Total | 1.80 |
| | | | 3. Government Primary Indira Awas School, Village-Tumidih | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.35 |
| | | | Potable Drinking Water Facility | 0.20 |
| | | | Running Water Facility for Toilets | 0.20 |
| | | | Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment | 0.05 |
| | | | Total | 1.00 |
| | | | Grand Total | 6.00 |

14. लोक सुनवाई का विवरण – लोक सुनवाई दिनांक 03/12/2020 प्रायः 11:00 बजे स्थान असादी मंदिर सामु, ग्राम-तटईमल, तटसीम-तमनार, जिला-उपमंडल ने संपन्न हुई। लोक सुनवाई असादी मंदिर, तटसीम, तटईमल, तटसीम मंडल, नया बाजार असादी मंदिर, जिला-उपमंडल के एक दिनांक 21/12/2020 द्वारा वैधित किया गया है।

15. जनसुनवाई के दौरान मुख्य एवं सौ निम्न मुद्दाएं/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. पट्टीय द्वारा पट्टीयों का परिवहन एवं पट्टीय असादी मंदिर के नए का असादी मंदिर का पट्टीय है। इस हेतु किली असादी मंदिर का नया सुनवाई नहीं किया जा रहा है।

- क. जल से उपजाऊ क्षेत्रों में मछली पालन हेतु 10 मीटर गहरा खांच किया गया है जिस पर मछली पालन किया जा रहा है। खांचों की समस्त विस्तार एवं आवा-पवा संबंधित अन्य खांचों से प्रदूषण होने की संभावना है।
- ख. कोविड-19 महामारी के कारण संभव 100 तकियाओं की ही अल्प विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान है, जबकि जलसुनवाई का जल ही जलों की सुनवाई अर्थात् खांचों के आवा-पवा के जलों की सुनवाई है। इस प्रकार वर्ग विशेष को उचित करना तथा उचित विशेष को खोल देना पूरी तरह अनुचित है। साथ ही खांचों स्थापित करने व विस्तार से विभिन्न पर्यावरणिक जैसे बढ़ती खाताघर, ध्वनि प्रदूषण, गंध प्रदूषण, वायु प्रदूषण अपने जल पर है।
- ग. सुवीनता खांचों अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां पर केवल एक ही कानून लागू है। इस कानून के अंतर्गत जल संधारण से अनुमति लेने का प्रस्ताव है।
- घ. प्रथमिकता के अन्तर्गत पर स्थानीय जलों की ही संरक्षण दिए जाते हैं।
- च. सुवीनता क्षेत्र, खांचों के 10 कि.मी. के भीतर समस्त पान की पहाड़ी जिलों आवा घाट क्षेत्र जल प्रभावित क्षेत्र है। इतिहास द्वारा कुचकों की कठोरता का मुकामान एवं कई अन्य स्थानीय स्थितियों को कुचकत्व मानने का भी विवेक जल किया गया है तथा इस क्षेत्र में 12 मीटर खांचों का आवा-पवा संभव जल रहता है। जबकि ई.आई.ए. रिपोर्ट में इस क्षेत्र को जल प्रभावित क्षेत्र नहीं होने बताया गया है।

जल सुनवाई के दौरान खांचों पर विभिन्न मुद्दों को निराकरण की दिशा में परिशोधन प्रस्तावक का कथन एवं प्रस्तावित कार्यशेखन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

1. खांचों की भी, विद्युत उपकरणों पर चार्ज से स्थापित है तथा इस औद्योगिक चार्ज हेतु पेट्रोलियम द्वारा विकसित औद्योगिक-वर्क पर संरक्षण एवं पर्यावरण आदि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी ने जल पर भी किसी प्रकार की किसी अन्य की भूमि पर अंधा कच्चा नहीं किया है।
2. खांचों द्वारा वर्तमान में विद्युत संचित उपकरण कनेक्ट का उपयोग किया जाता है एवं प्रस्तावित समस्त विस्तार हेतु भी उपकरण कनेक्ट का उपयोग किया जाएगा। ईंधन का उपयोग प्रस्तावित नहीं है। जल पर्यावरणिक वायु पर पर्यावरणिक प्रभाव के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। तटीय समुद्र पालन पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा।
3. भारत सरकार द्वारा कोविड-19 में जल सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार कटौत का नहीं है। भारत द्वारा दिशा निर्देश के अनुसरण में एक खांच पर 100 तकियाओं के अधिक प्रयोग कीमित का तथा एकीकृत 100 तकियाओं के अधिक होने की दशा में अनुचित दूरी पर ही सुख-सुखक सुखक लगाये परे थे, जिससे परे को अल्प अभिमत करने का अवसर मिल सके। प्रस्तावित परिशोधन में प्रदूषण की संभावना हेतु उपकरण कनेक्ट कटौतों में समुदाय कक्षा की वेग विन्डर स्थापित किया जाएगा। अनुचित कटौत प्रस्तावित निराकरण हेतु जल विज्ञान की अवस्था की जायेगी।

- 14. विद्यमान बुकबंदी अधीन, विप्लव औद्योगिक पार्क में संयोजित ही एवं समस्त विद्यमान उद्योग परिवार में निम्न ज्ञाना है। जहां, ज्ञान प्रकाशनी की अनुमति आवश्यक नहीं है।
- 15. विहित कर्तव्यकारी को प्रोत्साहन के अन्तर्गत वन सहायक जमीन को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु सार्वजनिकता की जखनी।
- 16. क्षेत्र एकीकरण को अर्जेंट नहीं जाता है। ई.आई.ए. रिपोर्ट के अन्तर्गत - 3 के 3.8 के अनुसार अन्तर्गत क्षेत्र में इमारतों का आवागमन होना अनिर्दिष्ट किया गया है। 10 किलोमीटर की परिधि में इमारतों का आवागमन होना चाहे जाने की कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन जमीन सहायक योजना तैयार करने हेतु विहित सहायक अधिकारी (अन्तर्गत बुक वन सहायक/ए.ए.) को सहायक आवेदन किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाधारण के निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- 1. सभी बहनों / मल्टीप्लायर डेवी बहनों को सम्बन्धित करते हुए टैकनिकल अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- 2. 10 किलोमीटर की परिधि में इमारतों का आवागमन होना चाहे जाने की कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन जमीन सहायक योजना तैयार कर, विहित सहायक अधिकारी को अनुमोदन प्रस्ताव प्रस्तुत की जाए।
- 3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार "Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhatbisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard." उपरोक्त प्रस्तुत की जाए।
- 4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सहायक पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त जानकारी कार्यालयी की जाएगी।

ए.आई.ए.सी., मल्टीप्लायर की 362वीं बैठक दिनांक 23/03/2021 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 26/03/2021 को प्रस्तुत किया गया।

(15) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

समिति द्वारा सभी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निर्णय पड़े गये-

- 1. सभी बहनों / मल्टीप्लायर डेवी बहनों को सम्बन्धित करते हुए टैकनिकल अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत समस्त विद्यमान के उपरोक्त ही टी-स्टेडियल / प्रोपर्ट्स के परिष्करण हेतु सहायक कार्य की जखनी हीन समस्त निर्धारित मानक के भीतर है।
- 2. 10 किलोमीटर की परिधि में इमारतों का आवागमन होना चाहे जाने की कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा क्षेत्र की वन जमीन सहायक योजना तैयार किये जाने हेतु सहायक अधिकारी के सहायक आवेदन किये जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- 3. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 3 के अन्तर्गत के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय अवलोकन, मल्टीप्लायर परियोजना संयोजन मण्डल, जखनी के

संस्था अर्बेटन किये जाने की प्रति प्रस्तुत की गई है। परियोजना असायन द्वारा अधिसूचित किये जाने की जानकारी दी गई है।

4. समिति के संज्ञान में यह लक्ष्य आया है कि पूर्व में राज्य स्तर परियोजना समन्वय निदेशन प्रविष्टकरण (एन.ई.आई.ए.ए.), उत्तराखण्ड के द्वारा असायन क्रमांक 700, दिनांक 08/12/2017 द्वारा पर्यावरण को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध स्वीकृति विरुद्ध किये जाने के संकेत में माननीय एन.जी.टी., दिल्ली के संकेत की सेवा अधिसूचना द्वारा राज्य अधिकार मन्त्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य - अधिसूचना एन.ई.आई.ए.ए. नं. 38/2018 (G2) में विचारणीय है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही से असायन कार्यवाही के तहत ओ.पी. सिविल इन्फ्रस्ट्रक्चर वर्क, राम-तुमिडीह, तहसील-पारपोड़ा, जिला-रायगढ़ निम्न प्रकार असायन क्रमांक 198 एवं 198(ए), कुल क्षेत्रफल - 278 हेक्टर में इन्फ्रस्ट्रक्चर वर्क सिविल सिविल (10 टन युवा 2 नग) (एन.एन. इन.ए.ए./बिलेट) असायन - 59,400 टन प्रतिवर्ष से इन्फ्रस्ट्रक्चर वर्क सिविल सिविल (12 टन युवा 4 नग) (एन.एन. इन.ए.ए./बिलेट) असायन - 1,42,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति दी गई। पर्यावरणीय स्वीकृति के संकेत में विचार संघ निर्णय माननीय एन.जी.टी., दिल्ली के संकेत विचारणीय अधिसूचना एन.ई.आई.ए.ए. नं. 38/2018 (G2) में माननीय मंत्रालय द्वारा किये गये निर्णय को अस्वीकार होगा।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में इन्फ्रस्ट्रक्चर वर्क कार्य करने वाले जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, पर्यावरण अधिकारी से विचार अनुमति प्राप्त कर, योजना अनुसार कार्य संपादित किया जाए तथा अनुमोदित योजना की प्रति एन.ई.आई.ए.ए., उत्तराखण्ड को प्रेषित की जाए।
3. अधिसूचना टी.ओ.आर. के बिन्दु असायन 8 के अनुसार "Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhodospati Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard." के संकेत में जानकारी प्रस्तुत किये जाने की उपरोक्त ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाए।

प्रविष्टकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रविष्टकरण की दिनांक 13/06/2021 को असायन 198(ए) बैठक में विचार किया गया। प्रविष्टकरण द्वारा नहीं कर असायन किया गया। प्रविष्टकरण द्वारा नोट किया गया कि अधिसूचना टी.ओ.आर. के बिन्दु असायन 8 के अनुसार "सेक्टर कार्यवाही, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला-रायगढ़ के द्वारा दिनांक 31/03/2021 द्वारा कर्नाल परियोजना पर्यावरण एन.ई.आई.ए.ए. अधिसूचना संकेत, राम-तुमिडीह, तहसील-पारपोड़ा, जिला-रायगढ़ के विरुद्ध माननीय मंत्रालय में कोई शर्त या असायन उपलब्ध नहीं किया गया है।" संकेत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

विचार विमर्श उपरोक्त अधिसूचना द्वारा कार्यवाही से समिति की अनुमति की स्वीकार करते हुए निम्नानुसार निर्णय किया गया कि ओ.पी. सिविल इन्फ्रस्ट्रक्चर वर्क, राम-तुमिडीह, तहसील-पारपोड़ा, जिला-रायगढ़ निम्न प्रकार असायन 198 एवं

सकल कुल क्षेत्रफल - 2.76 हेक्टेयर में इन्फ्रस्ट्रक्चर कर्मक विद्युत सीरीस (15 टन मुक्त 3 मम) (एम.एस. इन्फ्रा/डिपेंड) क्षमता - 88,400 टन प्रतिवर्ष से इन्फ्रस्ट्रक्चर कर्मक विद्युत सीरीस (15 टन मुक्त 3 मम) (एम.एस. इन्फ्रा/डिपेंड) क्षमता - 1,42,380 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय सीमांकित जारी करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय सीमांकित जारी किया जाए।

42. बेराई की प्रवेक जैन (महबूबनगर जिला-महबूबनगर, राय-महबूबनगर, रायसील व जिला-महबूबनगर), सोनपुर रोड, जैन इटील, बेराईनगर पास, रायसील व जिला-महबूबनगर (सर्विवालय का नक्सा क्रमांक 1414)

जीनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए/सीडी/एमआईए/178373/2020, दिनांक 10/10/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में कमिटी होने से इच्छा दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा तद्विषय जानकारी दिनांक 29/10/2020 को जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरा से संचालित है। यह इच्छा (एन.एन.एन.) है। यह इच्छा राय-महबूबनगर, रायसील व जिला-महबूबनगर स्थित 1000 अंश इच्छा इच्छा इच्छा का, कुल क्षेत्रफल-1.833 हेक्टेयर में है। प्रस्तावक कुमुन नदी से किया जाता है। इच्छा की आवेदित इच्छा क्षमता - 16,330 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बेराई का विवरण -

(अ) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्सा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा पर्यावरण सर्वेक्षण से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. एलआईए/सीडी/एमआईए/178373/2020 की पर्यावरण प्रति प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित इच्छा क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. वेत इच्छा हेतु प्रस्तावित इच्छा एवं प्रस्तावित इच्छा की इच्छा तथा इच्छा इच्छा में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुक्त 25 मीटर का विद्युत इच्छा इच्छा में 10 मीटर के लेवल (Level) लेवल विद्युत में प्रस्तावित का प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त इच्छा क्षेत्र के बाहर / नदी तट (सी-सी) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के साथ (Level) का भी सर्वे किया जाये। तथा लेवल (Level) हेतु कम से कम 3 टेम्पलेट वेत मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट वेत मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। विद्युत में 3 टेम्पलेट वेत मार्क (TBM) की भी इच्छा, उन्हें संचालित किया से इच्छा इच्छा इच्छा को-ऑर्डिनेट्स तद्विषय जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाये।
4. नदीतट से इच्छा की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 50 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इच्छा अनुसंधान इच्छा के कुछ क्षेत्र में इच्छा किया जाना संभव न हो तो इच्छा इच्छा का, मार्क का इच्छा, इच्छा इच्छा इच्छा इच्छा में इच्छा इच्छा से इच्छा

4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यालय इलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-नारायणपुर के प्रमाण क्रमांक 246/खनिज/रेल खदान/2020-21 नारायणपुर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर की सीमा अवशिष्ट मात्र रेल खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न कार्यालयिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय इलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-नारायणपुर के प्रमाण क्रमांक 250/खनिज/रेल खदान/2020-21 नारायणपुर, दिनांक 23/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालयिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एन्रीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई. की प्रोफा कोच के मुताबिक है, जो कार्यालय इलेक्टर (खनिज सारंग), जिला-नारायणपुर के प्रमाण क्रमांक 241/खनिज/ख.नि./2018-20 नारायणपुर, दिनांक 31/12/2018 द्वारा जारी की गई थी। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनिज में 2 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र निष्पटित की गई है। क्षेत्र क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. गहलापूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-गढ़वेणाल 2.2 कि.मी., लखुत ग्राम-गढ़वेणाल 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल नारायणपुर 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेल खदान में 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एन्रीकट स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षणीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सेंट्रीक प्रकृत्य निरक्षण क्षेत्र द्वारा घोषित किरिगली बोलुटेड इरिस, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित क्षेत्र/विशेषता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित स्थित है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की मोटाई एवं खदान की नदी तट की दूरी - उपरोक्त अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की मोटाई - अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर तथा खनन स्थल की औसत मोटाई - 500 मीटर एवं औसत मोटाई - 20 मीटर दर्शाई गई है। खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं माइनिंग प्लान के अनुसार खदान की नदी तट के स्थानों में दूरी न्यूनतम 10 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - उपरोक्त अनुसार खनन पर रेत की गहराई - 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 18,330 घनमीटर है। रेत प्रकल्पन हेतु प्रस्तावित खनन पर खनिज में उपलब्ध रेत खनन की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित खनन पर 2 मीटर (2m) उपरोक्त उपरोक्त वास्तविक गहराई का मानन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित खननकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु योजना में प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

11. पूर्व में सार्विक, ग्राम पंचायत गढ़वेताल के नाम से 150 खदान खसरा क्रमांक 801, क्षेत्रफल 1.833 हेक्टेयर अर्थात- 8.100 चक्रीय हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय सीक्युरिटी एन्ड ग्राउंड वॉटर संसाधन निर्धारण प्रतिकल्प, उत्तीर्णता द्वारा दिनांक 25/09/2018 को जारी की गई। यह सीक्युरिटी 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
12. एन.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णता के द्वारा दिनांक 12/12/2018 द्वारा सार्विक, ग्राम पंचायत गढ़वेताल को जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी को भी प्रोटेक्ट जैम के नाम पर हस्ताक्षर किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीक्युरिटी के जारी के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अवधि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। सार्विक सार्विक के बाद (अक्टूबर/नवंबर माह में) 100 चक्रीय खसरा क्षेत्र के पूर्व में 2018-20 एवं 100 चक्रीय खसरा क्षेत्र में सार्विक के लेवल (Levels) को विश्लेषित किए बिना वर्ष 2018-20 एवं 100 चक्रीय खसरा क्षेत्र में सार्विक के लेवल (Levels) को विश्लेषित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. सार्विक लेवल (सर्विस लेवल), जिला-गढ़वेताल के द्वारा क्रमांक 200/ सर्विस/ गा खदान/ 2020-21 नरावलपुर दिनांक 27/10/2020 को अनुसार दिनांक वर्ष किये गये जलजनन का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष | उत्पादन (चक्रीय हेक्टेयर) |
|---------|---------------------------|
| 2019-20 | 820 |
| 2020-21 | 1,180 |

15. निर्धारित सार्विक वृद्धि प्रस्तुत नहीं किया गया है।
16. खदान क्षेत्र में रेत घटने की लेवल - 100 चक्रीय हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान को जारी करके में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर की विश्लेषण का दिनांक 11/10/2020 को रेत सतह की वर्तमान लेवल (Levels) लेवल, उन्हें सर्विक विवरण से प्रस्तावित खदान क्षेत्रों पर सार्विक जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये हैं।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय प्रतिकल्प (C.E.R.) - परिसर/प्रस्तावित खदान क्षेत्रों के नाम विवरण से सर्विक प्रस्तावित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 20 | 2% | 0.40 | Following activities at Nearby Government Primary Health Care Center Village: Garhbengal | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.40 |
| | | | Total | 0.40 |

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and initials on the right.

16. समिति को सख्त में यह स्पष्ट जाह कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के तट की चौड़ाई अधिमान 25 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की नदी तटक में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर के विद्य विन्दुओं पर तटों किया गया है। जहां तटों में खरीपत जहाँको प्रदर्शित नहीं हो रहे है। जहां 5 मीटर गुण 5 मीटर के विद्य विन्दुओं पर तटों किया जाया चाहिए। खनन की खनन खनन की औसत चौड़ाई - 500 मीटर एवं औसत चौड़ाई - 20 मीटर दर्शाई गई है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खनन क्षेत्र की लंबाई को अनुचित (Along) खनन की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाया आवश्यक है। सड़कियाँ प्लान में

समिति द्वारा तालकाब सड़कियाँ की विन्दुनुसार निर्धारित किया गया था-

1. खनन क्षेत्र अनुचित की लहरिंग क्षेत्र (जोखन क्षेत्रों एवं विनांक सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. लीज क्षेत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. यह सख्त में हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की अनास्टीम तथा साइडस्टीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुण 5 मीटर का विद्य बनाकर वर्तमान में 25 मीटर की लेवल (Level) लेखा विद्य रूप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये।
4. खनन क्षेत्र की तट (जोखन/सख्त में 25 मीटर तक प्रारंभ करने की दूरी) एवं 2018-20 एवं 20 सखत उपरान्त खनन क्षेत्र की दूरी (नदी तट की अतिरिक्त सखत/प्लान की प्रमाण सखत) वर्ष 2018-20 में 25 मीटर की लेवल (Level) की तुलनासखत सखत रिपोर्ट (सखत प्रमाण) परमाणु सहित प्रस्तुत की जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की प्रस्तावित चौड़ाई एवं चौड़ाई (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. खनन क्षेत्र की 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खनन की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए। खनन की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर नहीं होने की स्थिति में सखत विद्य निर्देशों के अनुसार सड़कियाँ प्लान में खरीपत जाहजत संबंधित अनुचित सड़कियाँ प्लान प्रस्तुत की जाए।
7. परिशिष्ट प्रस्तावक को खरीपत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार एच.ई.ए.सी., जलसिमापन के सखत दिनांक 19/01/2021 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 12/02/2021

समिति द्वारा सखत, प्रस्तुत जानकारी का अनास्तित एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति दर्श गई-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ सखत समिति (एच.ई.ए.सी.), जलसिमापन की 368वीं एवं 369वीं बैठक जमात दिनांक 07/11/2020 एवं 08/12/2020 में प्रकल्प पर विचार किया गया। जहां बैठकों के परिशेख में परिशिष्ट प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / सखत हेतु दिनांक 02/12/2020, 19/01/2021 एवं 14/02/2021 को सखत प्रेषित किया गया। परिशिष्ट प्रस्तावक

प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व में केंचों में पुष्प-पुष्प पार्सों की जानकारी ली गई थी।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिक जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. परियोजना प्रस्तावक को अधिक जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

उपरोक्त कथनों से ज्ञात है कि समिति द्वारा आवश्यक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में ली गई अधिक जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु स्थान पर लेख को लिए निर्देशित किया जाए।

अतनुसार एच.ई.ए.सी., प्रखरिणगर की 335^{वीं} बैठक दिनांक 12/02/2021 को परियोजना से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 331^{वीं} बैठक दिनांक 02/03/2021।

समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का अंतिम रूप परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. भूमिखण्ड कच्ची पथन प्रस्तुत किया गया है, जो सवि अधिकारी, जिला-बारा साहब कार्पोर की जमान क्रमांक 1141/सवि/जमान/जमान/सा/2009-21 कार्पोर, दिनांक 19/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. लीज की प्रवेश जैन की मान पर है, जो कार्पोरेशन कलेक्टर (सवि/साहब), जिला-साहबपुर की जमान दिनांक 27/12/2018 द्वारा जारी की गई, दिनांकी जारी दिनांक 27/12/2018 से 28/12/2021 तक वैध है।
3. जैत प्रखण्ड हेतु प्रस्तावित खाल एवं प्रस्तावित खाल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुण्ड 5 मीटर का डिग बनाकर, वर्तमान में जैत खाल की लंबाई 5.500 मीटर डिग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवंबर माह में जैत खालगत कार्य करने के पूर्व) वर्ष 2018-20 एवं जैत खाल प्रस्तावित मानसून के पूर्व (गई माह के अंतिम सत्र/जून के प्रथम सत्र) वर्ष 2018-20 में जैत खाल की लंबाई (Length) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (जैत पुनर्जात) संयोजना सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
5. खाल खाल पर लीज की गहराई - अधिकतम 43 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर तथा खाल खाल की लंबाई - 548 मीटर, गहराई - अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है। खाल की गहराई की दूरी 7.5 मीटर है। खाल पर जैत की गहराई - 3 मीटर तथा जैत खाल की प्रस्तावित गहराई - 1 मीटर दर्शाई गई है। खाल में सर्वेक्षण जैत की मात्रा - 11,357 क्यूमीटर है।
6. खाल क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की लंबाई में विभाजित कर, खाल की गहराई की डिगरे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा अंतिम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था -

1. जैत प्रखण्ड हेतु प्रस्तावित खाल एवं प्रस्तावित खाल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुण्ड 5 मीटर का डिग बनाकर,

परिसर में सेतु बाह्य के लेवल (Levels) लेकर विद्यमान में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें।

1. बागमती के बाह्य (अवतर/आगत) बाह्य में सेतु प्रारम्भ प्रारंभ करने की पूर्ण वर्ष 2019-20 एवं सेतु खत्म उपरोक्त मानसून के पूर्व (नई बाह्य के अंतिम सजाव/चुन के प्रथम सजाव) वर्ष 2019-20 में सेतु बाह्य के लेवल (Levels) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (सेतु चुन/बाह्य) पंचनामा सहित प्रस्तुत की जायें।
2. छानि निरीक्षण एवं परिवर्तन प्रस्तावक को खदान में सेतु के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुचना जानकारी / दस्तावेज (अखतार फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जायें।

समानुसार एम.ई.ए.सी. प्रशासनिक की 364वीं बैठक दिनांक 02/03/2021 को परिशिष्ट में कार्यलय कलेक्टर (अतिरिक्त बाह्य) जिला-नारायणपुर द्वारा दिनांक 25/03/2021 को प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु अनुदेश कर प्रस्तुत किया गया है।

(2) समिति की 364वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु की समस्त जैन, अतिरिक्त प्रोविडि एवं की संवेक्षण किया, छानि निरीक्षण उपनिश्चय हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अखतीकरण एवं वहीकाल करने का निम्न स्थिति पाई गई—

1. सेतु प्रारम्भ हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 3 मीटर गुना 3 मीटर का छिद्र बनाकर, खदान में सेतु बाह्य के लेवल (Levels) लेकर सभी अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
2. सेतु प्रारम्भ हेतु प्रस्तावित स्थल पर खाना में उपरोक्त सेतु बाह्य की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी प्रस्तावित गड्ढाई का मापन कर, पंचनामा सहित अतिरिक्त विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार सेतु की मोटाई 3 मीटर तक है।
3. नैर माईनिंग क्षेत्र — नदी के घाट की मोटाई अधिकतम 4.5 मीटर, गुरुतम 3.0 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 7.5 मीटर है। नदी किनारे निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की मोटाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग खदान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की मोटाई का 7.5 मीटर अधिकतम उपरोक्त किया जाया प्रस्तावित है, जिसकी 4.5x7.5 वर्गमीटर नैर माईनिंग क्षेत्र रहा गया है। अब सेतु प्रारम्भ का कार्य खदान की ऊपरी 1.135 इन्चोपर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
4. सेतु प्रारम्भ में मुख्य विधि से एवं नयाई का कार्य लीकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गड्ढाई तक उपरोक्त की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उपरोक्त मांगना में उपरोक्त किन्तु जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक सेतु पुनर्माण संबंधी उपरोक्त कार्य एवं दस्तावेजों उपरोक्त का सम्प्रेषण नहीं किया गया है। मुख्य नदी छोटी नदी है तथा इससे वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गड्ढाई में अधिक सेतु का चुन/बाह्य होने की संभावना है।

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

समिति द्वारा विचार किन्हीं उपरोक्त सर्वसम्मति से विमानपुलक निर्मित किया गया—

1. आरेखित खदान (घाम-गढ़वेगाल) का लम्बा 1.823 हेक्टेयर है। खदान की चौड़ाई से 500 मीटर की परिधि में अतिकृत/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उपरोक्त कम होने से लगभग 28 खदान की-2 केवी की गयी।
2. वृक्षाधीनता कार्य - प्रकृतिकता को बचाने का कार्य करवाया जायेगा कुल 2,000 मीटर चौड़े - 1,000 मीटर अर्धुन की चौड़े तथा 1,000 मीटर (अर्धुन, बरत, बरत, आर आर) चौड़े लगाए जायेंगे। इससे अधिकितता पहुँच करने पर 800 मीटर चौड़े लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक सेल खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Investment Study) करायेगा, ताकि सेल के पुनर्गठन (Rehabilitation) कराया जाये। इससे, सेल पुनर्गठन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनता, जीव एवं कुल क्षेत्र पर प्रभाव तथा नदी की धनी की पुनर्गठन पर सेल पुनर्गठन के प्रभाव की गयी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. सीज क्षेत्र की सतह का बेसाइडिंग कार्य -
 - i. सेल खदान प्रस्ताव नामसूच की पूर्व (पूर्व) सतह के अर्धुन सतह/प्लान के अर्धुन सतह) इसी दिश किन्तुओं में माईनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र की अर्धुन एवं अर्धुन में 100 मीटर तक तथा अर्धुन सीज की बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह को सतह (Level) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिश किन्तुओं पर किया जायेगा।
 - ii. इसी प्रकार नामसूच की बाहर (अर्धुन/मध्यम) सतह में सेल पुनर्गठन कार्य करने के पूर्व) इसी दिश किन्तुओं पर सेल सतह की लेवलस (Level) का मापन किया जायेगा।
 - iii. सेल सतह की पूर्व निर्धारित दिश किन्तुओं पर सेल सतह की लेवलस (Level) को मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जायेगा। चौका-नामसूच के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं डी-नामसूच के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एन.ई.आई.ए.ए. उपरोक्त को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार किन्हीं उपरोक्त सर्वसम्मति से की प्रस्ताव क्षेत्र, गढ़वेगाल क्षेत्र माईनिंग, सर्वे क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र, घाम-गढ़वेगाल, तटस्थ क्षेत्र, क्षेत्र-नामसूच, कुल सीज क्षेत्रफल 1.823 हेक्टेयर में से सेल माईनिंग क्षेत्र 4.372.5 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.136 हेक्टेयर क्षेत्र में सेल पुनर्गठन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 11,200 वर्गमीटर प्रतिवर्ष सेल पुनर्गठन हेतु पर्याप्त सीमा निर्धारित, जहाँ दिनांक से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु चिन्ते करने की अनुमति की गई। सेल की सुरक्षा समिति द्वारा (Ministry) की जाएगी। सेल सेल (Ministry) में जारी सतहों का प्रस्ताव प्रतिबन्धित रहेगा। सीज क्षेत्र में किया सेल सुरक्षा परियोजना (Investment Plan) में संशोधन माईनिंग तक सेल का अर्धुन टैकर डीजी द्वारा किया जायेगा।
6. सेल माईनिंग क्षेत्र एवं अर्धुन माईनिंग क्षेत्र का क्षेत्र पर समिति विभाग से सतह सीमांकन करने के उपरोक्त ही समिति विभाग द्वारा पुनर्गठन की अनुमति की जाएगी।

1. आवेदनक द्वारा पोस्ट-मनसून सर्वाँ नहीं किया गया है। साथ ही उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरणनुसार निर्धारित विड सिग्नलिंग या नदी में डेढ की बांध की मारो (Levelling) का पोस्ट-मनसून सर्वाँ कर, जलवाँ आंकड़ों ताकत एम.ई.आई.ए. ए. आरी.एम.ए. को प्रस्तुत किये जावें।

प्रतिकल्पन द्वारा बैरक में विचार - पर्योजना प्रस्ताव एवं प्रतिकल्पन की दिनांक 13/08/2021 को संलग्न 148वीं बैरक में विचार किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार किये जावें प्रतिकल्पन द्वारा सर्वेक्षणों से सविधि की अनुमति की स्वीकार किये जाने की प्रेषण क्षेत्र, पड़वैगाव क्षेत्र मईन, चर्टे कीच खस्ता इलाक 801, चाम-पड़वैगाव, तहसील व जिला-महासंगपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1,633 हेक्टर में से गैर माईनित क्षेत्र 4,822.5 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1,138 हेक्टर क्षेत्र में, हेत उत्खनन प्रतिकल्पन 1 मीटर की गहराई तक सीमित रहवें हुए, कुल 11,200 वर्गमीटर प्रतिकल्पन हेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जमी विचार से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु किये जाने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जावें।

43. नैसर्ग की सुदीप कुमार झा (बैरवैका क्षेत्र मईन, चाम-बैरवैका, तहसील व जिला-महासंगपुर), तहसीलमवा, तहसील व जिला-महासंगपुर (प्रतिकल्पन का नसी 1415)

ऑनलाईन आवेदन - पर्योजना नम्बर - एम.आई.ए. / सी.सी. / एम.आई.ए. / 17837 / 2020, दिनांक 10/10/2020। परिचालन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में किये जाने से उत्खनन दिनांक 20/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित किया गया। परिचालन प्रस्तावक द्वारा किये जावें जानकारी दिनांक 29/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघारित हेत खदान (सील खनिज) है। यह खदान चाम-बैरवैका, तहसील व जिला-महासंगपुर निम्न चर्टे कीच खस्ता इलाक 120, कुल क्षेत्रफल - 2.25 हेक्टर में है। उत्खनन कुकुर नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 13,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष है।

बैरकों का विवरण -

(अ) सविधि की 348वीं बैरक दिनांक 07/11/2020:

सविधि द्वारा उत्खनन की नदी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्खनन सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. एम.आई.आई. / क्षेत्र क्षेत्र की परवैय प्रति प्रस्तुत की जावें।
2. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के फाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जावें।
3. हेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं संघारित खदान के उपर्युक्त तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुला 25 मीटर का विड बनकर, वर्गमन में हेत खदान के लेवल (Levelling) लेवन विड गैर में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खान क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी खदान के लवो (Levelling) का भी सर्वाँ किया जावें। एक लेवल (Levelling) हेतु कम से कम 2 टेम्परी क्षेत्र सर्वाँ

(Concrete TBM structure) निर्धारित किये जाये; टैंगरली बेंच मार्क (TBM) में आरएल, सी-सीमेंट्स (Co-cement) जड़ित किये जाये; विद्युत में से टैंगरली बेंच मार्क (TBM) को भी टर्बाइन, सभी खनिज विभाग से उन्नायीकरण जल्दता खोटीपानक सहित जानकारी / बरतावेज प्रस्तुत किये जाये।

4. खोटीपान के खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर या नहीं के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसकी अनुसर खदान के कुछ क्षेत्र में खदान विस्थापन जाना संभव न हो तो उसकी रायना कर, मार्के पर टर्बाइन, इसका खल्लेख माइनिंग प्लान में जनिशरई रूप में बरताव जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिशोधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन बरताव, उन्नाय एवं बरताव किये जाये।
5. प्रस्तावित खान से निकलान पुन, बाव, एनीकट एवं जाल आधुनी खोटी की दूरी बावत जानकारी प्रस्तुत की जाये। पुन / एनीकट की दूरी खदान की आरस्टीम में न्यूनतम 800 मीटर तथा आरगस्टीम में न्यूनतम 200 मीटर रख जग्य आरखलके है। यदि खोटी क्षेत्र खोटीपानानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो खोटीपान जाला पर खनन हेतु प्रतिशोधित क्षेत्र की आरखलानुसार मार्के पर विनियत कर, प्रखला सीमा पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बावत खल्लेख किये जाये।
6. वेत प्रखलन हेतु प्रस्तावित खान पर खोटीपान से प्रखलन वेत की मीटार्ड खनने की लिए प्रति ईन्स्टीम में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोटीपान उसकी प्रस्ताविक गड्ढाई का बावत कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाये। वेत की प्रस्ताविक गड्ढाई हेतु पंखलना भी प्रस्तुत किये जाये।
7. यदि पूर्व में आरखित खान पर खनन हेतु बावत खोटीपान प्रस्तावत निर्धारित प्रखलन (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रखोलीपान जाला विना सहित प्रखोलीपान प्रस्तावत निर्धारित प्रखलन (सी.ई.आई.ए.ए.), प्रखोलीपान द्वारा खोटीपानीय खोटीपान की गई हो, तो पूर्व में खोटी प्रखोलीपान खोटीपान की प्रति एवं प्रतिशोधित खोटी के बावत में की गई खोटीपान की जानकारी खोटीपानक सहित प्रस्तुत की जाये। बावत ही प्रखलन की अखनन स्थिति की जानकारी खोटीपानक सहित प्रस्तुत की जाये।
8. विना खोटी में किए गए खानन की प्रखलनक बावत की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित जना कर प्रस्तुत की जाये।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्व विभाग से बावत प्रस्तुत किये जाये।
10. खनि निर्धारक एवं खोटीपान प्रस्तावक को खदान में वेत के खोटीपान (Leak) लेने वाले खोटीपान (Disposal) के बावत खोटीपानी मड की आरखित वेतक में खोटीपानक बावत सुसंगत जानकारी / बरतावेज (खदान खोटीपानक) सहित प्रखोलीपान किये जाने हेतु निर्धारित किये जाये।

खदानुसार खनि निर्धारक एवं खोटीपान प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रखोलीपान के बावत दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनियत किये जाये।

(ब) समिति की अन्धी बैठक दिनांक 08/12/2020-

प्रस्तुतीकरण हेतु की सुधीय कुनन डा. प्रो.खोटीपान एवं श्री खोटीपान विना, खनि निर्धारक प्रखलनक हुए। समिति द्वारा खनी, प्रस्तुत जानकारी का आरखोलीपान एवं खोटीपान करने पर विना स्थिति गई गई-

1. **घास पंखागत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - रेल अखत्यार के संकाय में घास पंखागत बेहनेडा का दिनांक 25/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्ताकित/सीमाकित** - कार्यलय कार्पोरेटर, खनिज संसाधन की घास प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्ताकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. **परखनन योजना** - खारी पत्रक प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-खार खार खारेर के द्वारा क्रमांक/878/खनिज/घास/मो.अनु./रेल/2020-21 काकोर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यलय कार्पोरेटर (खनिज संसाधन), जिला-नादायनपुर के द्वारा क्रमांक 242/खनिज/रेल खदान/2020-21 नादायनपुर, दिनांक 18/08/2020 के अनुसार अनापत्ति खदान से 1,000 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेल खदानों की संख्या निम्न है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यलय कार्पोरेटर (खनिज संसाधन), जिला-नादायनपुर के द्वारा क्रमांक 244/खनिज/रेल खदान/2020-21 नादायनपुर, दिनांक 18/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार पत्रक खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बंध, एरीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं पत्रक अनुमति आदि घोषित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.जी.आई. का विवरण** - एन.जी.आई. की सुरीय कुमर डा के नाम पर है, जो कार्यलय कार्पोरेटर (खनिज संसाधन), जिला-नादायनपुर के द्वारा क्रमांक 243/खनिज/ख.नि./2018-20 नादायनपुर, दिनांक 21/12/2018 द्वारा जारी की गई थी। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खाने में 2 वर्षों हेतु जीव निर्यातित की गई है। जीव जीव की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **सर्वेक्षण पर रचनाओं की दूरी** - निर्यात आवादी घास-बेहनेडा 0.7 कि.मी., खार घास-बेहनेडा 0.7 कि.मी. एवं अखत्यार नादायनपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 42 कि.मी. एवं राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। एरीकट 200 मीटर की दूरी पर अनापत्ति में स्थित है।
9. **परिस्थितिशील/जीवविज्ञान सार्वजनिक क्षेत्र** - परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय पद्यान अखत्यार, राष्ट्रीय अनुसंधान निगम क्षेत्र द्वारा घोषित विदेशी पौस्तुके एरिया, परिस्थितिशील सार्वजनिक क्षेत्र या घोषित जीवविज्ञान क्षेत्र स्थित नहीं होने घोषित किया है।
10. **खाने स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - अखत्यार अनुसार खाने स्थल पर नदी के घाट की औसत चौड़ाई - 80 मीटर तथा खाने स्थल की औसत चौड़ाई - 1,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई - 50 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अनुमान 10 मीटर है।
11. **खदान स्थल पर रेल की चौड़ाई** - अखत्यार अनुसार खाने पर रेल की चौड़ाई - 2 मीटर तथा रेल खाने की प्रस्तावित चौड़ाई - 1 मीटर चौड़ाई गई है।

अनुसूचित मजदूरीय स्तर अनुसार खदान में माईनेबल रीत की मात्रा - 13,020 टनमीटर है। ऐत उखानन हेतु प्रस्तावित खनन पर खानान में उपलब्ध रीत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित खनन पर 3 मीट्रई (10ft) खोदखन करकी बसारीक महताई का मायन बन, खनित विभाग में प्रस्तावित खननकारी प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रीत की उपलब्ध मात्रा मोटाई 3 मीटर है। रीत की बसारीक महताई हेतु योजना में प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में सारनेव, राम पंचायत इन्डिया के नाम से रीत खदान परई जीक खानात क्रमिक 120, डेअरल 2.25 हेक्टेयर, क्रमांक- 11/108 धामेटा अधिनियम हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम, भारतीयमात प्राक. विभाग 26/08/2018 को जारी की गई। एत स्वीकृति 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. एम.ई.आई.ए.ए. एलीसमात के द्वारा दिनांक 12/12/2018 द्वारा सारनेव, राम पंचायत इन्डिया को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को की सुदीप कुमार डा को नाम पर प्रस्तावित किया गया है।
- iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अंतर्गत में की गई सारनेव की खानकारी प्रस्तुत की गई है। माय अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। सारनेव खानखन के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माय में रीत खानन प्रारंभ करने के पूर्व) वर्ष 2019-20 एवं रीत खानन खानात खानखन के पूर्व में निर्धारित विड सिन्डुजे पर विड गये रीत सतह के लेवल (Level) की विड रीत में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- iv. भारतीय कन्स्ट्रक्टर (अनियत सारनेव), जिला-नारायणपुर के द्वारा क्रमिक 207/ अनियत/ रीत खदान/ 2020-21 नारायणपुर, दिनांक 27/10/2020 को अनुदान विगत वर्ष किये गये खानखन का विवरण निम्ननुसार है-

| वर्ष | उखानन (धनमीटर) |
|---------|----------------|
| 2019-20 | 876 |
| 2020-21 | 824 |

v. निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रीत सतह के लेवल - रीत खानखन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के जारी तरह में 100 मीटर की पूर्ण तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर के विड सिन्डुजे पर दिनांक 11/08/2020 को रीत सतह के वर्तमान लेवल (Level) लेवल, सभी अनियत विभाग में प्रस्तावित खननकारी खानात खोदखान सहीत खानखारी/उखानन प्रस्तुत किये गये है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - अधिनियम अन्तर्गत द्वारा समिति के सारनेव विवरण में वर्षा उपरत विवरणानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| | | | | |

| | | | | |
|----|----|------|--|------|
| 30 | 2% | 0.60 | Following activities at nearby Government School- Village- Brahbeda | |
| | | | Rain Water Harvesting System | 0.60 |
| | | | Total | 0.60 |

19. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी की घाट की चौड़ाई 80 मीटर है। वर्तमान में प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की घाटी तटरेख में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न किन्तुओं पर चर्ची किया गया है। उक्त नदी से पर्याप्त आंकड़े प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। खनन 5 मीटर गुना 5 मीटर का चिह्न किन्तुओं पर चर्ची किया जाना चाहिए। खनन की खनन खनन की औसत चौड़ाई - 1,000 मीटर एवं चौड़ाई - 20 मीटर चौड़ाई एवं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि खनन क्षेत्र की चौड़ाई के अनुपात (Along) खनन की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है खनन नहीं यह स्पष्ट किया जाया आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्बन्धि को निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. सीधे सीधे सर्वसम्बन्धि प्रस्तुत किया जाए।
2. रेत संचयन क्षेत्र प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के अपरसीम तथा डाउनसीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुना 5 मीटर का चिह्न संचयन, डाउनसीम में रेत संचयन से संयुक्त L-shaped लेकन चिह्न क्षेत्र में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये।
3. खनन क्षेत्र की चौड़ाई (अनुपात/व्यापक क्षेत्र में रेत संचयन क्षेत्र करने के पूर्व) एवं 2018-20 एवं रेत खनन क्षेत्रों में खनन क्षेत्र की चौड़ाई (पूर्व क्षेत्र की अंतिम चौड़ाई/क्षेत्र की प्रथम चौड़ाई) एवं 2018-20 में रेत संचयन की संयुक्त L-shaped की दृष्टिकोण से सर्वसम्बन्धि (रेत संचयन) पर्याप्त सहित प्रस्तुत की जाए।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की सांख्यिक चौड़ाई एवं चौड़ाई (अंतिमखनन एवं न्यूनतम सहित) को प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. खनन क्षेत्र की 100 मीटर-100 मीटर की चौड़ाई में चिह्नित कर, खनन की नदी तट के किनारे से दूरी को प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए। खनन की नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर नहीं होने की स्थिति में नदी किनारे निर्देशों के अनुसार माइनिंग प्लान में खनन क्षेत्र पर संशोधित अनुसंधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
6. पर्याप्त जानकारी प्रमाणिक सहित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सदस्यता एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान विभाग 08/01/2021 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 35वीं बैठक दिनांक 12/02/2021

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अनावरण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. राज्य सार विवेक अखन समिति (एन.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 34वीं एवं 34वीं बैठक द्वारा दिनांक 07/11/2020 एवं 08/12/2020 में प्रस्तुत पर

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतिकावली / जानकारी / परामर्श हेतु दिनांक 02/12/2020, 18/01/2021 एवं 14/02/2021 को यह प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पूरा-पूरा सब से जानकारी पायी गई थी।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सविनय जानकारी / परामर्श आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
2. परियोजना प्रस्तावक को सविनय जानकारी / परामर्श प्रस्तुत किये जाने हेतु अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाय।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा तत्काल कर्मसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में पायी गई सविनय जानकारी / परामर्श प्रस्तुत किये जाने हेतु अल्पकाल लेन को लिए निर्दिष्ट किया जाय।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., जलसिमापुर की 28वीं बैठक दिनांक 12/02/2021 को परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/02/2021 को जानकारी / परामर्श प्रस्तुत किया गया है।

(iv) समिति की 28वीं बैठक दिनांक 02/03/2021

समिति द्वारा सखी, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. खेत की सुवीस सुमार 32 की मूल पर है, जो कार्यालय कार्यालय (समिति कार्यालय, जिला-नांदेड़पुर) के सामने दिनांक 27/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिनकी अवधि दिनांक 27/12/2019 से 28/12/2021 तक वैध है।
2. वेत उपखनन हेतु अस्थापित खनन एवं अस्थापित खनन की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 3 मीटर गुना 3 मीटर का विड बनाकर, सामान्य में वेत सतह की लेवलिंग (Level) लेवन विड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. खानसूर की बट (अखसूर/सखसूर गांव में वेत उपखनन द्वारा खनने की पूर्ण वर्ष 2019-20 एवं वेत खनन कार्यालय खानसूर की पूर्ण (पूर्व गांव की अतिरिक्त सखसूर/खुन की प्रथम सतह) वर्ष 2019-20 में वेत सतह की लेवलिंग (Level) की तुलनात्मक सर्वे रिपोर्ट (या पुनःसत्यापन) संलग्न नहीं प्रस्तुत की गई है।
4. खनन खनन पर नदी की घाट की चौड़ाई - अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर तथा खनन खनन की चौड़ाई - 1000 मीटर, चौड़ाई - अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है। खनन की नदी तट से दूरी 10 मीटर है। पूर्व में नदी तट की दूरी सबसे जानकारी सुनिश्चित की गई थी। खनन पर वेत की चौड़ाई - 3 मीटर तथा वेत खनन की प्रस्तावित चौड़ाई - 1 मीटर चौड़ाई गई है। खनन में सर्वेक्षण वेत की गहराई - 12.879 घनमीटर है।
5. खनन क्षेत्र को 100 मीटर-100 मीटर की चौड़ाई में विभाजित कर, खनन की नदी तट के किनारे से दूरी को अतिरिक्त कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. नॉटिफाइड क्वार्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अतिकारी, जिला-वाटर ब्लाक कार्कर के सामने क्रमांक 1140/खनिज/उत्पादकीअनु/वेत/2020-21 कार्कर, दिनांक 18/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

समिति द्वारा प्रस्तावित सर्वसाधकों की निम्नानुसार निर्देश किया गया था—

1. रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 3 मीटर गुंथा 3 मीटर का डिग कनाक्ट, वर्तमान में रेत काट की लेवल्स (Levels) लेकर सभी स्थित स्थल में स्थापित कर प्रस्तुत किये जायें।
2. रामपुर की बाढ़ (अवद्वार/परम्बर बाढ़ में रेत काखनन प्रारंभ करने की पूर्ण वर्ष 2018-20 एवं रेत खनन प्रारंभ रामपुर की पूर्ण वर्ष 2018-20 में रेत काट की लेवल्स (Levels) की तुलनात्मक सभी रिपोर्ट (रिट सुप्लायमेंट) पंजीयन सहित प्रस्तुत की जायें।
3. सभी निरीक्षण एवं परीक्षण प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अप्लान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जायें।

सद्वानुसार एच.ई.ए.सी., पत्नीबाग की खदान दिनांक 08/01/2021 को निरीक्षण में कार्यरत कलेक्टर (अग्निज विभाग), जिला-नामदापुर द्वारा दिनांक 28/03/2021 को पुनरीक्षण करने हेतु अनुप्रेषण पत्र प्रेषित किया गया है।

(द्वि) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 25/03/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुदीप डल, प्रोपराईटर एवं श्री सोनियर सिन्हा, सभी निरीक्षण समिति हुए। समिति द्वारा पत्नी, प्रस्ताव जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने का निम्न विधि पाई गई—

1. रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 3 मीटर गुंथा 3 मीटर का डिग कनाक्ट, वर्तमान में रेत काट की लेवल्स (Levels) लेकर सभी स्थित स्थल में स्थापित कर प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत काखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपस्थित रेत काट की मोटाई जानने की लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गडदे (Pits) खोदकर उसकी वर्तमान गहराई का मापन कर, पंजीयन सहित अग्निज विभाग में प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुमान रेत की मोटाई 3 मीटर तक है।
3. रेत माईनिंग क्षेत्र — एरीकट खदान में 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। गवे माइक्रोवाइव अनुमान एरीकट की डाउनस्ट्रीम में कम से कम 300 मीटर क्षेत्र जमा आयातक है। जल एरीकट की तरफ से खदान में 300 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए स्थापित किया गया है। प्रोपराईटरनुसार माईनिंग प्लान में कुल रेत माईनिंग क्षेत्र 3420 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। जल रेत काखनन का कार्य खदान की अवधि 1287 टनमेंट क्षेत्र में किया जायें प्रस्तावित है।
4. रेत काखनन मैनुअल विधि में एवं मराई का कार्य लोकर द्वारा करवा जायें प्रस्तावित है।
5. परीक्षण प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक खदान की अनुमति नहीं है। अनुमति खदानन मौलिक में खदानन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्जनन संवर्धन अवधि एवं लोकरों लोकरों का समन्वय नहीं किया गया

है। कुकुर नदी छोटी नदी है तथा इन्से सर्वांगत में सम्भवाता। नीचे पहाड़ों से अधिक रेत का पुनःप्राप्त होने की सम्भवाता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अवैधित खदान (घान-बेहरेडा) का लम्बा 2.25 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/अवैधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का जमाते कम होने को जानते यह खदान सी-2 ब्रेवी की बनी गयी।
2. बुझावोपन कार्य — उपरोक्तता के आधार पर गरी तट पर कुल 2,000 मग पीछे - 500 मग अनुमति के पीछे तट सीमा 300 मग (अनुमति, करण, बास, अमन, अदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पीछे बर्न पर 300 मग पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना सम्भावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्ड अध्ययन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःप्राप्त (Replenishment) कार्य सही जासके, रेत उपकरण का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, पीछे एवं कुम पीछे पर प्रभाव तथा नदी की धारी की पुनःप्राप्त पर रेत उपकरण के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3.4. सीमा क्षेत्र की सुरक्षा का बेसलाईन कार्य -

- I. रेत खानन उपरोक्त समझौते की पूर्व (पूर्व भाग के अतिरिक्त लगाए/पूरा की उपर्यक्त कार्य) इन्से विड सिन्ड्रेट में सड़किया सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के सम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों से 100 मीटर तक तथा खानन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के सारी (Levelling) का कार्य पूर्ण निर्धारित विड सिन्ड्रेट पर किया जायेगा।
 - II. इन्से प्रभाव समझौते के बाद (अनुमति/सम्भव तट में रेत उपकरण प्रारंभ करने के पूर्व) इन्से विड सिन्ड्रेट पर रेत तट के लेवलिंग (Levelling) का कार्य किया जाएगा।
 - III. रेत तट के पूर्व निर्धारित विड सिन्ड्रेट पर रेत तट के लेवलिंग (Levelling) के कार्य का कार्य आगामी 3 वर्ष तक किया किया जायेगा। पीछे-समझौते की आगामी दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं पी-समझौते की आगामी दिनांक 2021, 2022, 2023 तक अतिरिक्त रूप से एन.ई.आई.ए.ए. उपरोक्तता की प्रस्तुत किए जायेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भी सुदीप कुमार डा. अरविंद सिंह भाई, जस्टि सीमा क्षेत्र कार्य क्रमांक 122, घान-बेहरेडा, तटसीमा व विद्या-समझौते, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 2.25 हेक्टर में से रेत सड़किया क्षेत्र 0.425 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.225 हेक्टर क्षेत्र में रेत उपकरण अतिरिक्त। नीचे की पहाड़ों तक सीमित रखते हुए कुल 22,800 वर्गमीटर अतिरिक्त रेत उपकरण हेतु सर्वांगतनीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की सुरक्षा समिति द्वारा (Ministry) की जाएगी। निचले रेत (Mineral Bed) में भारी जहरीले का प्रयोग अतिरिक्त रहेगा। सीमा क्षेत्र में निचले रेत सुरक्षा पट्टी (Excavation pit) में अतिरिक्त पहाड़ों तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रायल द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं असीम माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन एवं अधिकाधिक विभाग से सहाय्य कीमांकन कराने के उपरांत ही अधिकाधिक विभाग द्वारा कार्यालय की अनुमति दी जाएगी।
7. आरेखक द्वारा पीसट-मनसून नदी नहीं किया गया है। अतः वेत कार्यालय प्रत्येक करने के पूर्व कार्यालयानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में वेत की मापन के साथी (Levelling) का पीसट-मनसून नदी कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए. ए. कार्यालय को प्रस्तुत किये जायें।

अधिकारण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर अधिकारण की दिनांक 13/08/2021 को संलग्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकारण द्वारा नदी का असादीकरण किया गया। विचार किया उपरांत अधिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिती की अनुज्ञाया की स्वीकार करने हुए श्री सुदीप कुमार झा, डेहरेवा सेन्स माईनिंग, एटि लीड सहाय्य अनांक 120, डोल-डेहरेवा, गहरील व विद्या-नादरामपुर, कुल सीमा क्षेत्रफल 2.28 हेक्टर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 0.420 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.86 हेक्टर क्षेत्र में वेत कार्यालय अधिकारण। गैर क्षेत्र की पहचान एक सीमा नदी हुए, कुल 12.800 वर्गमीटर प्रमाण वेत कार्यालय हेतु पर्याप्ततः स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु किये जाने का निर्णय किया गया।

परिष्कारना प्रसादक की पर्याप्ततः स्वीकृति जारी किया जाय।

बैठक उपरांत डोलन के साथ संलग्न हुई।



(शुभम कश्यप)
सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर्यावरण सहाय्यता निर्देशन
अधिकारण, प्रशासनिक



(श्री श्री आनंद कश्यप)
अध्यक्ष

राज्य स्तर पर्यावरण सहाय्यता निर्देशन
अधिकारण, प्रशासनिक



(श्री. अनवर बाकरी)
सदस्य

राज्य स्तर पर्यावरण सहाय्यता निर्देशन अधिकारण, प्रशासनिक